48th ANNUAL REPORT 2018–19

MEWAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

DIVISIONAL CHAMBER OF :
Bhilwara, Banswara, Chittorgarh,
Dungarpur, Pratapgarh, Rajsamand & Udaipur

Mewar Chamber Bhawan, Nagori Garden, Bhilwara (Raj.) – 311001
Email: mcci@mccibhilwara.com | Website: www.mccibhilwara.com | Tel. No. 01482 - 220908, 238948

MCCI

48th ANNUAL REPORT 2018-19

MEWAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Contents

President Message	01
MCCI About Us	03
वर्ष के दौरान मेवाड़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री की कार्यकारिणी की बैठकें	05
वर्ष 2018–19 के दौरान मेवाड चेम्बर की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ	06
पदाधिकारी परिचय	08
पूर्वाध्यक्ष	11
मेवाड़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री की गतिविधियाँ	12
सडक परिवहन	28
रेल परिवहन	33
लोजेस्टिक सुविधाएं	37
हवाई यातायात	38
ऊर्जा	40
जल	43
गैस	46
कोल एवं लिग्नाइट	47
औद्योगिक भूमि	48
पर्यावरण एवं प्रदुषण नियत्रंण	51
श्रम, मानव संसाधन विकास एवं शैक्षणिक क्षैत्र में योगदान	53
बैंकिग	54
निर्यात परिदृश्य	56
टेक्सटाइल	60
सीमेन्ट उद्योग	71
मार्बल उद्योग	72
लौह अयस्क एवं स्टील प्लान्ट	74
जिंक एवं लैड	74
मिनरल एवं माईनिंग	75
Representations sent during the year 2018-19	78
MCCI Annual Accounts	84
मेवाड चेम्बर डवलपमेन्ट ट्रस्ट	95
MCDT Annual Accounts	96

माननीय,

वर्ष 2017–2018 एवं 2018–19 के अंकेक्षित लेखा–जोखा एवं वर्ष 2018–19 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए हर्ष है। वर्ष भर की गतिविधियों की संक्षिप्त जानकारी हमने अपने प्रतिवेदन में देने का प्रयास किया है।

देश में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी कर प्रणाली लागू हुई। इसके लागू होने के पहले एवं बाद में मेवाड़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री ने जीएसटी विषय की व्यवहारिक एवं तकनीकी जानकारी सदस्यों को देने के लिए एवं नई कर प्रणाली को सही तरीके से समझने के लिए एवं सदस्यों को आ रही व्यवहारिक एवं तकनीकी समस्याओं का समाधान करने के लिए विभिन्न सेमीनार एवं कार्यशाला का आयोजन किया। परिणामस्वरुप उद्योग एवं व्यापार जगत ने जीएसटी प्रणाली को सकारात्मक रुप से स्वीकार किया। वहीं केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार स्तर पर व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करके एवं समय समय पर विभिन्न प्रतिवेदन भेजकर इस प्रणाली में आ रही विभिन्न तकनिकी एवं व्यवहारिक विसंगतियों को दूर कराने में भी सफलता प्राप्त की। चेम्बर द्वारा जीएसटी से संबंधित 135 प्रतिवेदन केन्द्र एवं राज्य सरकार तथा विभिन्न अधिकारियों को भेजे गये। मेवाड चेम्बर की उपरोक्त सकारात्मक भूमिका के लिए 6 जून 2018 को जयपुर में केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवाकर विभाग द्वारा आयोजित एक विशेष समारोह में राज्य के उद्योगमंत्री एवं सीजीएसटी के मुख्य आयुक्त ने मेवाड चेम्बर को सम्मानित किया।

राज्य सरकार द्वारा 14 जुलाई 2018 को जयपुर में जीएसटी पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता माननीया मुख्यमंत्री श्रीमति वसुन्धरा राजे ने की। केन्द्रीय वित्त मंत्री (कार्यवाहक) माननीय श्री पीयुष गोयल इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रुप में जयपुर पधारे। राज्य के राजस्व सचिव श्री प्रवीण गुप्ता ने राजस्थान के टेक्सटाइल उद्योग के प्रतिनिधि के रुप में मेवाड चेम्बर को टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए जीएसटी की विभिन्न विसंगतियों को तार्किक रुप से केन्द्रीय वित्त मंत्री एवं मुख्यमंत्री महोदया के सामने रखने के लिए आमंत्रित किया। मेवाड चेम्बर की ओर से मानद महासचिव श्री आर के जैन ने इसमें भाग लिया।

कार्यशाला में केंद्रीय वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री श्रीमति वसुंधरा राजे से व्यक्तिगत रुप से आपसी चर्चा के लिए राउण्ड टेबल व्यवस्था की गई, जिसमें राज्य सरकार के उद्योग मन्त्री एवं केन्द्र एवं राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। राजस्थान चेम्बर एवं सीआईआई के बाद मेवाड चेम्बर को तीसरे नम्बर पर टेक्सटाइल जगत की बात रखने के लिए बुलाया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल एवं मुख्यमंत्री श्रीमति वसुंधरा राजे ने मेवाड चेम्बर के प्रस्तुतिकरण को ध्यान से सुना एवं कई बिन्दु नोट किये।

माननीय वित्त मंत्री ने सभी समस्याओं को व्यवहारिक रुप से देखते हुए उनका अतिशीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया एवं चेम्बर से टेक्सटाईल सेक्टर की विभिन्न विसंगतियो के संबन्ध में प्रतिवेदन को संक्षिप्त रुप से उन्हें भेजने को कहा। 17 जुलाई 2018 को चेम्बर ने माननीय वित्त मंत्री, केन्द्रीय राजस्व सचिव, राज्य की मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री, राजस्व सचिव आदि को जीएसटी सम्बन्धी इस सांराश प्रतिवेदन को भेजा। साथ ही अन्य राज्यों–गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडू आदि के चेम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इन राज्यों के राजस्व सचिव को हमारे प्रतिवेदन की प्रति भेजकर उनके स्तर से भी टेक्सटाइल उद्योग की जीएसटी समस्याओं को जीएसटी कॉन्सिल की आगामी बैठक में रखने का आग्रह किया।

उल्लेखनीय है कि पूरे देश में फेब्रिक्स पर Excess Accumulated Input Tax Credit के रिफण्ड के विषय को मेवाड चेम्बर ने प्रमुखता से उठाया एवं जीएसटी लागू होने के बाद जुलाई 2017 से चेम्बर इसके लिए लगातार प्रयासरत रहा, इसके लिए चेम्बर के प्रतिनिधिमण्डल ने दिल्ली जाकर केन्द्रीय वित्त मंत्री, केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री, केन्द्रीय कपडा मंत्री, केन्द्रीय राजस्व सचिव, राज्य के उद्योगमंत्री, राज्य के राजस्व सचिव एवं विभिन्न मंत्रालयों एवं अधिकारियों से मुलाकात की एवं समय–समय पर विभिन्न प्रतिवेदन भेजकर टेक्सटाइल क्षेत्र की विसंगतियों को दूर करने में प्रयासरत रहे। उपरोक्त प्रयासों से मेवाड चेम्बर को आशातीत सफलता मिली। 21 जुलाई 2018 को जीएसटी कॉन्सिल की बैठक में मेवाड चेम्बर की प्रमुख मांग को स्वीकार करते हुए फेब्रिक्स पर 1 अगस्त 2018 से Excess Accumulated Input Tax Credit का रिफण्ड देने की घोषणा की। इस विषय में सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी कई बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण के लिए लगातार प्रयास कर स्पष्टीकरण जारी करवाया गया।

जीएसटी लागू होने के बाद ईपीसीजी के तहत आयात होने वाली मशीनरी पर बिना आईजीएसटी भुगतान के आयात की सुविधा प्रारम्भ में 30 सितम्बर 2018 तक ही प्रदान की गई। मेवाड चेम्बर ने इस विषय को केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार में विभिन्न स्तरों पर लगातार उठाया एवं इसकी अवधि बढाने की मांग की। क्योंकि कोई भी मशीनरी का आयात लम्बी प्लानिंग करके ही हो सकता है। प्रारम्भ में यह सीमा 31 मार्च 2019 तक बढाई गई एवं पुनः चेम्बर के लगातार प्रतिवेदन एवं फोलोअप पर यह सीमा 31 मार्च 2020 तक बढाई गई।

टेक्सटाइल उद्योग में आईटीसी–04 रिटर्न की अनिवार्यता समाप्त करने के लिए लगातार केन्द्र सरकार के स्तर पर प्रयास किये गये एवं इसकी तकनीकी समस्याओं के बारे में विस्तार से बताया गया। चेम्बर के प्रयासों से टेक्सटाइल उद्योग के लिए आईटीसी–04 दाखिल करने की तिथि पहले 30 सितम्बर 2018 एवं बाद में जुलाई 2019 तक बढाई गई।

टफ योजना के तहत ब्याज भुगतान में विलम्ब एवं यूआईडी नम्बर जारी होने आदि कई समस्याओं को वस्त्र मंत्रालय, वस्त्र आयुक्त के स्तर पर लगातार उठाया गया एवं चेम्बर के प्रयासों से ब्याज भुगतान के लिए बजट का प्रावधान किया जाकर कई मामलों में भुगतान जारी किया गया।

टेक्सटाइल उद्योग में पेट कॉक के उपयोग पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एवं उच्चतम न्यायालय की ओर से लगाये गये प्रतिबंध को लेकर चेम्बर के प्रतिनिधिमण्डल ने दिल्ली जाकर केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल के अध्यक्ष एवं अन्य अधिकारियों से मुलाकात की। संबंधित उद्योगों के अनुरोध पर मेवाड चेम्बर की ओर से इस विषय में माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका की दायर की गई है।

दिनांक 1 मार्च 2019 को मेवाड चेम्बर के महासचिव ने जयपुर में राज्य के उद्योगमंत्री माननीय श्री परसादीलाल मीणा की अध्यक्षता में नई औद्योगिक नीति के संबंध में आहुत बैठक में भाग लिया एवं नई उद्योग नीति के संबंध में सुझाव दिये। माननीय उद्योग मंत्री ने चेम्बर के सुझावों को समसामयिक मानते हुए उन्हें नई उद्योग नीति में समायोजित करने का आश्वासन दिया।

औद्योगिक विकास के साथ मेवाड चेम्बर एवं सदस्य इकाईयां सामाजिक उत्थान के प्रति बहुत गम्भीर है। कॉरपोरेट सोशल रेसपोन्सिबिलिटी के क्षेत्र में सदस्य इकाईयों द्वारा वर्ष के दौरान विभिन्न कार्य किये गये।

वर्ष के दौरान चेम्बर की वेबसाइट के अपडेशन एवं कार्यप्रणाली को ई–प्रणाली आधारित करने का कार्य भी किया गया है। इसमें पदाधिकारी, मेनेजिंग कमेटी आदि के पिछले कई वर्षो के विवरण, इवेन्ट्स के तहत दो वर्षो के विवरण, गेलेरी हेड में कार्यक्रम अनुसार फोटो एवं विवरण आदि अपलोड किये गये है। आईटी प्रणाली में अपडेशन के तहत ऑनलाइन मेम्बरशिप आवेदन, ऑनलाइन सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजन बनाने आदि के सिस्टम विकसित किये गये है।

मैं चैम्बर के सभी सदस्यों के सक्रिय सहयोग के साथ अन्य सभी संगठनों एवं मीडिया का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ जिनके प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग के कारण विभिन्न समस्याओं के निराकरण एवं चेम्बर के कार्यो में सफलता मिली। मुझे आशा ही नही अपितु पूर्ण विश्वास है कि, आप सभी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से मेवाड चेम्बर निरन्तर प्रगति करता रहेगा। पुनः आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद एवं आभार।

दिनेश नौलखा
(अध्यक्ष)

Mewar Chamber of Commerce & Industry about Us

World over the Chamber of Commerce have been recognized as the main institution for creating synergy between the industry, trade, professionals and the Government. They support the various policy initiatives of the Government and give momentum for new business, economic growth and assist in the National building.

Mewar Chamber of Commerce & Industry was incorporated in 1966, by Shri L.N.Jhunjhunwala, Shri S.M.Lodha, Shri S.P.Nathany, and Shri S.K.Mansinghka. The Chamber has an illustrious list of doyens of trade and industry who lead it to be the one of the most active chamber of commerce in India.

It was officially inaugurated as the Divisional Chamber on 11th September 1969 by the Late Chief Minister Shri Mohan Lal Sukhadia. The Mewar Chamber Bhawan was also inaugurated on 24 December 1997 by Mr. Kanti Kumar R. Poddar then President of SAARC Chamber of Commerce & Industry.

It has been functioning as representative body of the industries in the state, leading the cause of the Textile, Cement, Zinc, Steel ,and Mining industry and making constructive suggestions to the Central and State Government and other agencies in regards to formation of industrial Policy, Taxation Matter and other operational activities.

Mewar Chamber of Commerce & Industry is affiliated with many International & National apex organization. It is a member of International Chamber of Commerce, Federation of Indian Chamber of Commerce & Industry, Confederation of Indian Industry, Indian Council of Arbitration, Rajasthan Chamber of Commerce & Industry and the Employers Association of Rajasthan. It has representations in various National and State level committees. Having a long history of representations in DRUCC, ZRUCC & NRUCC of Railways, it is also well recognized organization in this field.

Mewar Chamber of Commerce & Industry celebrated its' Golden Jubilee function on 26th August 2016. A spectacular gala "Golden Jubilee Event" was organized on 27th August 2016 at Rajeev Gandhi Auditorium Bhilwara. Smt Smriti Irani, Hon'ble Union Minister of Textile, Government of India was the Chief Guest while Shri Arjun Ram Meghwal, Union Minister of State for Finance, Government of India and Shri Gajendra Singh Khimsar, Minister of Industries, Government of Rajasthan were guest of honour. Other luminaries included Shri Kalu Lal Gurjar, then Chief Whip of Rajasthan Assembly, Shri Subhash Baheria, Hon'ble Member of Parliament, Bhilwara, Shri V.S.Awasthi , Member of Legislative Assembly, Rajasthan , Dr. Teena Kumar, District Collector of Bhilwara and Shri Pradeep Mohan Sharma, Superintendent of Police, Bhilwara.

Over last 52 years Mewar Chamber of Commerce & Industry had played a pivotal role in industrial and economic development of Rajasthan. We have been working to create and sustain an environment conducive to the growth of industry and trade in Bhilwara, Chittorgarh, Banswara, Dungarpur, Pratapgarh, Rajasmand & Udaipur districts of South Rajasthan and have the recognition of the Divisional Chamber.

Southern Rajasthan is the main industrial hub-having large number of Cement, Textiles & Mining industries and almost entire textile industry of the State is concentrated in this region. MCCI represent all spectrum of textile industry; it is also well-known as one of the main textile industry organization of the Country.

A number of Central Cabinet and State Ministers, Chief Ministers of State, Cabinet and State Ministers

of State have since participated in the various programme and activities of the Chamber. Hon'ble Shri Pranabh Mukherjee (Former, Hon'ble President of India), Late Shri Shiv Charan Mathur, then Hon'ble Governor of Assam, Shri V.P.Singh, Hon'ble Governor of Punjab also honoured our Chamber by their visit.

Due to our important role in development of textile industry, Shri Kashiram Rana, Shri Shankar Singh Vaghela, Shri Santosh Kumar Gangwar, then Union Minister of Textiles, Government of India visited our Chamber. Smt.Smariti Irani, Union Minister of Textile also visited in our Golden Jubilee function. Further, Shri Subodh Kumar, Shri A.B.Joshi, then Textile Commissioner of India and Dr. Kavita Gupta, Textile Commissioner of India also visited at our chamber.

We also had privilege to host the Shri Santosh Bagrodia, then Union Minister of Coal, Dr. C.P.Joshi , then Union Minister of Railway, Road and Transport and Gramin Vikas, Shri R.P.Rudy, then Union Minister of Skill Development, Shri Arjun Ram Meghwal , Union Minister of State for Finance, Sadhvi Niranjana Jyoti then Union Minister of State for Food Processing.

To promote export and international trade, we have signed MOU with Indo Polish Chamber of Commerce & Industry, Poland and Milan Chamber of Commerce, Industry, Italy

Mewar Chamber has expert committees which devote their attention and co-ordinate activities in their areas of expertise. These committees also plan and implement exclusive events in their select spheres. It also extends its expertise, experience and feedback at numerous platforms, committees, councils, commissions and other bodies to facilitate business processes.

We are not oblivious of our social obligations. We have undertaken and implemented massive relief work projects for masses affected by natural calamities.

वर्ष के दौरान मेवाड़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री की कार्यकारिणी समिति की 5 बैठकें उप समितियों की 19 बैठकें आयोजित हुई।

आलोच्य वर्ष 2018-19 में कार्यकारिणी समिति की 5 बैठके हुई। जिनमें लिये गये निर्णयों का साराशं निम्नानुसार है।

27.03.2018 मेवाड़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री की वार्षिक आमसभा के बाद नवनिर्वाचित कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पूर्वाध्यक्ष श्री आर पी सोनी ने की। इस बैठक में कार्यकारिणी सदस्यों ने सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का चुनाव किया। जिसमें अध्यक्ष, श्री दिनेश नौलखा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री जे के बागडोदिया, उपाध्यक्ष श्री आर पी दशौरा, श्री राजेश कक्कड, श्री जे सी सोनी, मानद महासचिव श्री आर के जैन, मानद सयुक्त सचिव श्री के के मोदी एवं मानद कोषाध्यक्ष श्री वी के मानसिंगका चुने गये।

12.04.2018 को कार्यकारिणी सभा की बैठक आयोजित की गई। इसमें तीन सदस्यों का कार्यकारणी समिति के सदस्य के रुप में सहवरण किया गया। उपसमितियों का गठन, वर्ष 2018–19 के लिए चेम्बर के अनुमानित बजट का निर्धारण, सदस्यता शुल्क में परिवर्तन के निर्णय लिये गये।

18.07.2018 को कार्यकारिणी सभा की बैठक आयोजित की गई। वर्ष 2017–2018 के अंकेक्षित लेखा–जोखा का कुछ सुधार के साथ अनुमोदन, पेटकॉक उपयोग पर प्रतिबन्ध के संबंध में प्रोसेस हाउस सदस्यों की ओर से उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने, केन्द्रीय भूजल विभाग को उद्योगों में पेयजल के लिए स्थापित ट्यूबवेल की अनुमति या एनओसी के लिए प्रतिवेदन भेजने आदि के विषय में चर्चा की गई।

30.11.2018 को कार्यकारिणी सभा की बैठक आयोजित की गई। चेम्बर के Bye-Laws में आवश्यक संशोधन के विषय में, चेम्बर की वेबसाइट का अपडेशन एवं कार्य में आईटी प्रणाली में अपडेशन आदि के विषय में चर्चा की गई।

11.02.2019 को कार्यकारिणी सभा की बैठक आयोजित की गई। चेम्बर की वेबसाइट का अपडेशन एवं कार्य में आईटी प्रणाली में अपडेशन आदि में प्रगति की जानकारी, बैंक ऋण नवीनीकरण, एलसी आदि कार्यो में परेशानी के संबंध में बैंकर्स क्लब के साथ एक मिटिंग आयोजित किये जाने आदि विषयों पर चर्चा की गई।

वर्ष के दौरान उपसमितियों की बैठक

उपसमिति का नाम	चेयरमेन	बैठक	दिनांक
रेलवे एवं लोजिस्टिक सलाहकार समिति	श्री वी के मानसिंगका	1	12.05.2018
विविंग मिल्स सलाहकार समिति	डॉ पी एम बेसवाल	1	22.05.2018
आयात–निर्यात सलाहकार समिति	श्री अनिल मानसिंहका	1	21.05.2018
जीएसटी सलाहकार समिति	श्री आर के जैन	3	21.05.2018, 28.07.2018 08.09.2018
कोरग्रुप	श्री आर पी सोनी	1	05.03.2019
प्रोसेस हाउस सलाहकार समिति	श्री वी के सोडानी	7	22.05.2018, 14.06.2018 01.08.2018, 22.11.2018 18.12.2018, 25.02.2019 15.03.2019
जल एवं पर्यावरण सलाहकार समिति	श्री देवेन्द्र देराश्री	1	23.05.2018
टेक्सटाइल ट्रेड सलाहकार समिति	श्री सुरेश पोद्दार	2	25.05.2018, 29.06.2018
लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) सलाहकार समिति	श्री आर एल काबरा	2	25.05.2018, 02.10.2018

सदस्यता विस्तार : इस वर्ष के दौरान 41 नये एसोसियेट सदस्य, 2 एसोसियेशन सदस्य एवं 7 साधारण सदस्य बने। वर्तमान में चेम्बर के सदस्यों में से 335 एसोसियेट सदस्य, 16 एसोसियेशन सदस्य एवं 133 साधारण सदस्य तथा वर्तमान में मेवाड चेम्बर के कुल 484 सदस्य है।

	एसोसियेट्स	साधारण	एसोसियेशन	कुल
01.04.2018 को सदस्य संख्या	320	136	14	470
वर्ष 2018–19 के दौरान नई सदस्यता	41	7	2	50
वर्ष के दौरान त्याग पत्र/निरस्त सदस्यता	26	10	0	36
31.03.2019 को सदस्य संख्या	335	133	16	484

वर्ष 2018–19 के दौरान मेवाड चेम्बर की महत्वपूर्ण उपलब्धियां

- अप्रेल 2018 में जीएसटी पर कार्यशाला में राज्य के वित्त सचिव (राजस्व) श्री प्रवीण गुप्ता, वाणिज्यकर आयुक्त श्री आलोक गुप्ता एवं वित्त मंत्रालय में विशेषाधिकारी श्रीमति मीनल भौंसले के सानिध्य में। ई–वे बिल पर सेमीनार एवं केन्द्रीय वित्त मंत्रालय को आईटीसी–04 रिटर्न भरने में व्यवहारिक कठिनाईयों के संबंध में सुझाव।
- मई 2018 इन्ट्रा स्टेट ई–वे बिल पर, जिन्दगी में सफलता कैसे प्राप्त करे विषयों पर सेमीनार। मेगा पावरलूम कलस्टर के संबंध में भारत सरकार के वस्त्र आयुक्त डॉ कविता गुप्ता के साथ समन्वय।
- जून 2018 में चेम्बर के प्रतिनिधिमण्डल की राज्य के उद्योग मंत्री एवं वाणिज्यकर आयुक्त से जयपुर में मुलाकात। आईटीसी–04 रिटर्न भरने में व्यवहारिक कठिनाईयों के संबंध में इन्फोसिस की टीम का मेवाड चेम्बर में आगमन एवं विचार विमर्श। नवनियुक्त जिला कलक्टर श्रीमति शुचि त्यागी का सम्मान समारोह।
- जुलाई 2018 में चेम्बर के प्रतिनिधिमण्डल की केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल एवं मुख्यमंत्री श्रीमति वसुन्धरा राजे के साथ जीएसटी में टेक्सटाइल उद्योग में विसंगतियों पर चर्चा एवं प्रस्तुतिकरण। राज्य सरकार द्वारा जयपुर में आयोजित समारोह में जीएसटी प्रणाली में मेवाड चेम्बर की महत्वपूर्ण भूमिका पर सम्मान एवं टेक्सटाइल फेब्रिक्स पर आईटीसी रिफण्ड के संबंध में कार्यशाला।
- अगस्त 2018 में चेम्बर के प्रतिनिधिमण्डल की राज्य के उद्योग मंत्री के साथ एमएसएमई सेक्टर में जीएसटी समस्याओं के संबंध में संगोष्ठी, राजस्थान लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष श्री मेघराज लोहिया का मेवाड चेम्बर में आगमन, जोबवर्क में 50 किमी दूरी तक ई–वे बिल से मुक्ति एवं पुनः मेवाड चेम्बर के प्रतिनिधिमण्डल की जयपुर जाकर उद्योग मंत्री, राजस्व सचिव, वाणिज्यकर आयुक्त आदि से मुलाकात। कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग के साथ कार्यशाला।
- सितम्बर 2018 में टेक्सटाइल फेब्रिक्स पर आईटीसी रिफण्ड के संबंध में कार्यशाला, सूचना प्रोद्योगिक एवं संचार विभाग, भारत सरकार के साथ कार्यशाला, राजस्थान एमएसएमई फाइनेन्स समिट में भागीदारी, चेम्बर के प्रयासों से अजमेर–रामेश्वरम् साप्ताहिक ट्रेन का शुभारम्भ।
- अक्टूबर 2018 में अध्यक्ष श्री दिनेश नौलखा राजस्थान चेम्बर के उपाध्यक्ष मनोनित, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को भूजल दौहन के संबंध में अनुमति प्राप्त करने के संबंध में केन्द्र एवं राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल को प्रतिवेदन।
- नवम्बर 2018 में दीपावली स्नेह मिलन, सीएनबीसी टीवी चेनल द्वारा भीलवाडा औद्योगिक विकास पर चेम्बर पदाधिकारियों का इन्टरव्यू, भारतीय टेक्सटाइल उद्योग महासंघ के डायमण्ड जुबली उत्सव में चेम्बर अध्यक्ष श्री दिनेश नौलखा एवं पूर्वाध्यक्ष श्री एस एन मोदानी का राजस्थान में टेक्सटाइल उद्योग पर प्रस्तुतिकरण।
- दिसम्बर 2018 में भीलवाडा में औद्योगिक विकास के संबंध में आधारभूत सुविधाओं के विषय में केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री माननीय श्री सुरेश प्रभु के साथ अध्यक्ष श्री दिनेश नौलखा एवं पूर्वाध्यक्ष श्री एस एन मोदानी की चर्चा परिपेक्ष में विस्तृत प्रतिवेदन। उद्योगों में पेट कॉक उपयोग के संबंध में केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को प्रतिवेदन एवं चेम्बर के प्रतिनिधी एडवोकेट की व्यक्तिगत मुलाकात।

- जनवरी 2019 में उत्तर–पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक का स्वागत, केन्द्रीय वित्तमंत्री एवं कपडा मंत्री को मेनमेड फाइबर यार्न पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना, ईजीसीजी के तहत केपीटल गुड्स आयात को कर मुक्त करने एवं टेक्सटाइल उद्योग को टफ योजना में आ रही समस्याओं के निदान आदि के संबंध में प्रतिवेदन। मेवाड चेम्बर एवं इन्दौर के सांसद एवं लोकसभा स्पीकर माननीया श्रीमति सुमित्रा महाजन के प्रयासों से इन्दौर से वाया भीलवाडा होकर बीकानेर एवं दिल्ली के लिए दो नई ट्रेनों का शुभारम्भ, जयपुर–कामख्या–जयपुर ट्रेन का उदयपुर तक विस्तार।
- फरवरी 2019 में राज्य की नई उद्योग नीति के संबंध में राज्य के उद्योग आयुक्त के साथ बैठक एवं विस्तृत प्रतिवेदन, बैंकर्स क्लब के साथ आपसी सम्पर्क बैठक, मेवाड चेम्बर के प्रयासों से भीलवाडा रेलवे स्टेशन पर द्वितीय प्रवेश द्वार का लोकार्पण।
- मार्च 2019 में राज्य की नई उद्योग नीति के संबंध में राज्य के उद्योग मंत्री के साथ जयपुर में बैठक। जीएसटी प्रणाली में हाल ही में किये गये महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर कार्यशाला, एमएसएमई डवलपमेन्ट इन्सस्टिट्यूट के साथ बौद्धिक सम्पदा अधिकार पर कार्यशाला। चेम्बर के प्रयासों से ईपीसीजी के तहत कर मुक्त आयात सुविधा 31 मार्च 2020 तक बढाने का गजट जारी। राजस्थान एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी के साथ उद्योगों में एचआईवी जागरुकता पर कार्यशाला।

Mr. Dinesh Nolkha
President

Mr. Dinesh Nolkha, aged 47 years is Managing Director of Nitin Spinners Ltd., Bhilwara. He is a fellow member of The Institute of Chartered Accountants of India and The Institute of Cost & Works Accountants of India. He had a brilliant academic career having secured 4th rank on All India Basis in ICWA Final Exam. in 1991 and merit holder in ICAI Exam.

After completing his professional education, the entrepreneur instinct in Mr. Dinesh Nolkha prompted him to enter into Textiles industry. He was instrumental in setting up Nitin Spinners Ltd. in the year 1993 with an initial investment of Rs. 3.00 Crores. With continuous expansions, the total Capital Investments in the company has grown to about Rs. 900 Crores till March 2018. Nitin Spinners Limited is engaged in the manufacturing of cotton yarn and knitted fabrics ranging from Ne 5 to Ne 60 in single & multifold yarns and various structures of knitted fabrics. The company has installed capacity of producing 50000 TPA of Cotton yarn and 9000 TPA of knitted fabrics.

The yarns produced by the Company are suitable for multiple applications such as Knitted & woven Apparels, Terry Towels, Denims, Home Furnishing, medical and industrial Fabrics. The knitted fabrics produced by the company are used by renowned brands in Apparel and Garment Industry.

The company is exporting about 65 % of its produce to more than 50 countries across the globe including the European Union, USA, Latin America, Middle East Asia, Far East Asian Countries, African countries etc.

Mr. R.K. Jain
Hon'y
Secretary General

Mr. R K Jain, Hon'y Secretary General of Mewar Chamber is, Commerce & Law Graduate and fellow Member of The Institute of Company Secretaries of India. He is a practicing Corporate Advisor and with specialization in GST, Corporate Law, Securities Law and Economic Law. He is having more than 25 years post qualification experience.

Mr. Jain was the Chairman of Bhilwara Chapter of Northern India Regional Council of the Institute of Company Secretaries of India from 2006 to 2015.He was also Member of Rajasthan State-Regional Advisory Committee constituted by Chief Commissioner of Central Excise, Customs and Central Excise for consecutive three term. He was also nominated Member of Core Committee of the ICSI, New Delhi for the term 2011-14 representing Northern India. ICSI has adjudged “BEST CHAPTER” to Bhilwara Chapter for the year 2006 and 2007 and for the year 2012, 2013 and 2014.

He was also founder president of Giants Group of Bhilwara belongs to “Giants International” -India's first service organization having its route out of and in India. He was also President of Giants International-Federation- (Rajasthan State) for the year 2013 and 2014. In Giants International Convention, he has been awarded as Best Federation President of India. As a active Member of Mewar Chamber of Commerce & Industry since last many years, he also served as a Joint Secretary of MCCI for the year 2014-16. Actively associated with many other service & social organization, was honoured by district administration on the occasion of Republic day for his excellent social services. Presently, he is also Director of Acharya Shri Mahapragya Institute of Excellence.

Mr. J.K.Bagrodia
Sr. Vice President

Mr. Jugal Kishore Bagrodia, Sr.Vice President of Mewar Chamber, is a fellow member of the Institute of Chartered Accountants of India. After working with Birla Group as a senior executive, he started own business of fabrics manufacturing and yarn trading and agencies. He is senior Partner of Manglam Yarn Agencies, engaged in trading of textile yarn and manufacturing of Textile fabrics and Director of Sumangalam Suitings Pvt. Ltd. He is a devoted social worker, has been past President of Lion's Club Bhilwara & was Project Chairman of Lion's Eye Hospital Bhilwara. He is Executive President of Agarwal Samaj Sewa Pranyas, President of proposed Girls School of Agarwal Samaj Sampati Trust. He is actively involved with Ganesh Utsav Sewa Samittee and Cancer Care Foundation, Bhilwara.

Mr. R.P. Dashora
Vice President

Rajendra Prasad Dashora, Vice President of Mewar Chamber, is the Location Head of Rampura Agucha Mine, A Unit of Hindustan Zinc Limited, the Flagship Company of Vedanta Group. He is mining engineer with more than 27 years of rich experience in Planning, Mining Operations, Process Improvements, due diligence, and campus recruitment from Indian as well as abroad universities. He is B.E. (Mining) from MBM Engineering College Jodhpur, First Class Mines Manager's Certificate, RQP by IBM, and Mine Manager's Certificate under Mining Rules of Republic of Armenia.

He started his career with Hindustan Zinc Ltd in 1987 in Lead-Zinc Mining operation, worked with AGRC in Republic of Armenia Gold Mining operations, Arcellor Mittal in Kazakisthan, & at JSW mining project. In 2012 he joined SK Mines as Unit Head and was instrumental in establishing the underground mining operation of 2 MTPA and then ramp up of SK Mines to 4 MTPA. He played pivotal role in commissioning of Shaft Sinking, Hydraulic & Paste Fill system at SKM, first time in India.

In 2015 he joined as location Head of RD Complex where he was responsible for mining, smelting operation and power plant. Presently he is working as Location Head of Rampura Agucha Mine, where he is responsible for RA open cast Mines, RA underground Mines, Kayad Under Ground Mines and actively working for Ramp up of Underground operation from existing capacity of 1.2 MTPA to 3.75 MTPA and closure of open pit operation.

Mr. Rajesh Kakkar
Vice President

Mr. Rajesh Kakkar, Vice President of Mewar Chamber, is the President of Birla Cement Works / Chanderia Cement Works. He has more than three decades of experience in the Cement Industry. He is BE (Hons.), Electrical & Electronics Engineering, from BITS, Pilani, and is a BEE-certified Energy Auditor. Apart from handling projects, operation and maintenance of electrical & instrumentation of cement plants, his range of experience includes project planning and execution of thermal power plant, waste heat recovery power plant and solar power plant projects. He has also handled projects related to renewable energy and alternate fuels.

Mr. J.C. Soni
Vice President

Mr. J.C.Soni, Vice President of Mewar Chamber, is the Business Head with BSL Ltd, Bhilwara.

Mr. K.K. Modi
Joint Secretary

Mr. Kamal Kishore Modi, Joint Secretary of Mewar Chamber is a fellow Member ofThe Institute of Chartered Accountants of India. He is a partner in a practicing CA firm Naresh Maheshwari & Company and Business Strategic consultant of Modetex Texturisers Pvt Ltd.

Mr. Modi is an active social worker, have been associated with Lions Club Bhilwara City and held the positions of President and Zone Chairman. He is a Past Vice Chairman of Bhilwara branch of ICAI.

Mr. V.K. Mansing
Treasurer

Mr. Vinod Kumar Mansingka is a Science Graduate from University of Rajasthan and is a member of the Managing Committee of Mewar Chamber of Commerce & Industry since last more than 45 years. He has vast knowledge of Vanaspati & Edible Oil Industry, served Rajasthan Vanaspati Products Ltd., Bhilwara for 20 years was President & Executive Director. He is an active social worker, was a Municipal Councillor & Chairman Building & Public Works Committee (1972-75), and is a member, National Executive Committee of Akhil Bhartiya Agarwal Sammelan. He is an active member of Lions Club, Bhilwara, has been Dy. District Governor, Zone Chairperson & District Chairperson, managing Lion's Eye-hospital and other activities. He is also Vice President of Badhir Bal Kalyan Samiti. He has been member of DRUCC & ZRUCC of Western/North Western Railways for more than 25 years, at present member ZRUCC of North Western Railway & actively associated with Social & Charitable organizations.

Past President

Shri L N Jhunjhunwala
1966-1968

Shri M P Mansinghka
1968-1970

Shri S M Lodha
1970-1973

Shri S K Mansinghka
1973-1975

Shri H S Ranka
1975-1977

Shri K K Mansinghka
1977-1979

Shri S C Jain
1979-1981

Shri M M Goswami
1981-1983

Shri O P Rupramka
1983-1985

Shri A K Duggar
1985-1987

Shri R L Nolkha
1987-89 and 1998-99

Shri R P Soni
1989-1994

Shri R N Gupta
1994-1998

Shri S N Modani
1999-2001

Shri A K Churiwal
2001-2002

Shri Dinesh Chanda
2002-2004

Shri M D Gagrani
2004-2006

Shri M M Lodha
2006-2007

Shri D. Ravishankar
2007-2008

Dr P M Beswal
2008-2010

Shri V.K.Sodani
2010-2012

Shri J C Laddha
2012-2014

Shri Anil Mansinghka
2015-2017

वार्षिक आमसभा

दिनांक 27 मार्च 2018 को मेवाड़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री की वार्षिक आमसभा के बाद नवनिर्वाचित कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पूर्वाध्यक्ष श्री आर पी सोनी ने की। इस बैठक में वर्ष 2018–19 के लिए सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का चयन किया गया।

वर्ष 2018–19 के लिए पुनः श्री दिनेश नौलखा को अध्यक्ष, श्री जे के बागडोदिया को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, श्री आर के जैन को मानद महासचिव चुना गया। उपाध्यक्ष के रुप में हिन्दुस्तान जिंक के श्री आर पी दशौरा, बिडला सीमेन्ट के श्री राजेश कक्कड एवं बीएसएल लिमिटेड श्री जे सी सोनी को चुना गया। संयुक्त सचिव के रुप में श्री के.के. मोदी एवं मानद कोषाध्यक्ष के रुप में श्री विनोद कुमार मानसिंगका चुने गये।

ई–वे बिल पर कार्यशाला

दिनांक 2 अप्रेल 2018 को वाणिज्यकर विभाग एवं मेवाड चेम्बर के संयुक्त तत्वावधान में चेम्बर भवन में ई–वे बिल पर कार्यशाला हुई। कार्यशाला को श्री गोकुलराम चौधरी, संयुक्त आयुक्त, श्री कानाराम सहायक आयुक्त एवं श्री मुकेश दीक्षित कर अधिकारी ने सम्बोधित किया।

ई–वे बिल व्यवस्था में नये परिवर्तनों के बारे में जानकारी देते हुए एसीटीओ श्री मुकेश दीक्षित ने बताया कि शीघ्र ही मोबाइल एप एवं एसएमएस से भी ई–वे बिल जारी करने की सुविधा विकसित की जा रही है। इससे वेबसाइट पर दबाव कम हो पायेगा, साथ ही इन्टरनेट कनेक्शन उपलब्ध नही होने पर भी ई–वे बिल बनाना सुविधाजनक हो जायेगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में ई–वे बिल अर्न्तराज्यीय माल परिवहन पर ही लागू है। राज्य के अन्दर परिवहन पर 1 जून से लागू होगा। अर्न्तराज्यीय माल परिवहन में 50 हजार रुपये से अधिक के माल पर ई–वे बिल आवश्यक है, इस राशि में टेक्स की राशि भी सम्मिलित है। किसी बिल में टेक्स फ्री माल भी सम्मिलित है तो केवल टेक्सयोग्य राशि 50 हजार होने पर ही यह ई–वे बिल बनाना आवश्यक है। 50 किमी तक माल भेजने पर ई–वे बिल नही बनाना है लेकिन पार्ट ''ए'' आवश्यक रुप से भरना होगा।

उन्होंने बताया कि ई–वे बिल बनाकर उसकी भौतिक कॉपी लगाना आवश्यक नही है, बिल अथवा बिल्टी में ई–वे बिल लिखना ही पर्याप्त होगा। पहले ऑवरसाइज्ड ट्रक को एक दिन में 100 किमी चलने की सुविधा दी गई थी, उसे अब 20 किमी कर दिया है।

राजस्थान का व्यापारी किसी अन्य राज्य से दूसरे राज्य में सीधा माल भेज रहा है, तो इस तरह के मामले में भी ई–वे बिल बनाने की सुविधा विकसित की गई है। ई–वे बिल केवल मोटराइज्ड परिवहन साधनों पर ही लागू है, अन्य परिवहन साधानों जैसे बैलगाडी, ऊंट गाडी पर एवं व्यक्तिगत एवं घरेलु सामान पर लागू नही है।

कार्यशाला में संयुक्त आयुक्त श्री गौकुलराम एवं सहायक आयुक्त श्री कानाराम ने सम्भागीयों की विभिन्न शंकाओं का समाधान किया। कार्यशाला के प्रारम्भ में मेवाड चेम्बर के मानद महासचिव श्री आरके जैन एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री जे के बागडोदिया ने विभागीय अधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया।

Seminar on "Critical issues of GST "

दिनांक 25 अप्रेल 2018 को मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री द्वारा जीएसटी संबंधी गम्भीर विषयों पर कार्यशाला आयोजित हुई। राज्य के तत्कालीन वित्त सचिव (राजस्व) श्री प्रवीण गुप्ता कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। राज्य के वाणिज्यकर आयुक्त श्री आलोक गुप्ता एवं वित्त विभाग में विशेषाधिकारी श्रीमति मीनल भौंसले विशिष्ठ अतिथि थे। स्थानीय वाणिज्यकर विभाग के उपायुक्त श्री गौकुल राम

चौधरी सम्मानीय अतिथि एवं समन्वयक रहे। मॉ सरस्वती के सामने दीप प्रज्जवलन से प्रारम्भ हुई कार्यशाला में चेम्बर अध्यक्ष श्री दिनेश नौलखा, मानद महासचिव श्री आर के जैन, पूर्वाध्यक्ष श्री एस एन मोदानी, श्री वी के सोडानी, पूर्व मानद महासचिव श्री एस पी नाथानी, कोषाध्यक्ष श्री वी के मानसिंगका, संयुक्त सचिव श्री के के मोदी ने अतिथियों का स्वागत किया।

राजस्थान के वित्त सचिव प्रवीण गुप्ता ने अपने सम्बोधन में कहाकि टेक्सटाइल उद्योग के लिए आईटीसी–4 रिटर्न भरने की कठिनाईयां को देखते हुए एवं औद्योगिक संगठनों से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर अभी 18 अप्रेल 2018 को नये प्रावधान किये गये है। इसमें एक वर्ष तक इनवर्ड चालान को कई ऑउटवर्ड चालान से लींक करने एवं माल की मात्रा को मीटर एवं किलो में आपस में लींक करने के प्रावधान किये गये है। उन्होंने बताया कि टेक्सटाइल क्षेत्र में पहले टेक्स नही था लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद टेक्सटाइल उद्यमियों ने इसमें सहयोग दिया, उसके लिए वे बधाई के पात्र है। उन्होंने कहाकि टेक्सटाइल उद्योग में आइटीसी जमा रहने की समस्या है उसका समाधान की जीएसटी कॉन्सिल के स्तर पर करने के प्रयास किये जा रहे है। राजस्थान सरकार के पूरजोर प्रयास से ही पीवी यार्न पर जीएसटी की दरे 18 प्रतिशत से घटकर 12 प्रतिशत की गई थी। अभी भी यार्न पर जीएसटी दर अधिक होने से उद्योगों के सामने जीएसटी जमा रहने की समस्या है। पूरे देश में जीएसटी से आमदनी में बढोतरी होने पर सम्भवतः हम पीवी यार्न पर दरों को कम करा पायेगे। लेकिन सब कुछ जीएसटी कॉन्सिल के स्तर पर निर्भर करता है।

निर्यात किये गये माल पर रिफण्ड के संबंध में उन्होंने कहाकि पिछले जुलाई से लेकर मार्च तक मेन्यूअल रिफण्ड होने से इसमें काफी विलम्ब हुआ। लेकिन अब स्थिति में सुधार हुआ है अभी तकनीकी कमियों से काफी रिफण्ड पेडिंग पडे है। विभाग ने इस संबंध में उद्यमियों को ईमेल से जानकारी दी है, उन्होंने निर्यातकों से तकनीकी कमियों को दूर करने का आग्रह किया, ताकि शेष रिफण्ड शीघ्र किये जा सके।

इस अवसर पर राज्य के वाणिज्यकर आयुक्त श्री आलोक गुप्ता ने कहाकि देश में जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद राजस्थान ही एक मात्र ऐसा राज्य था जिसने टेक्सटाइल उद्योग की व्यवहारिक समस्याओं को कॉन्सिल के सामने रखकर काफी हद तक समाधान करवाने में सफल रहा। इसके लिए उन्होंने मेवाड चेम्बर की सकारात्मक भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि विभाग का ध्येय सबसे पहले उद्यमियों को सुविधा प्रदान करना है, कार्यप्रणाली में व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करना है।

राज्य की वित्त विभाग में विशेषाधिकारी श्रीमति मीनल भौंसले ने उद्यमियों एवं व्यवसाईयों की शंकाओं का समाधान किया। कार्यक्रम के प्रारम्भ में चेम्बर अध्यक्ष श्री दिनेश नौलखा ने अपने स्वागत भाषण में मेवाड चेम्बर की गतिविधियों का विवरण दिया। मानद महासचिव श्री आर के जैन ने अपने विस्तृत प्रतिवेदन में जीएसटी संबंधी गम्भीर समस्याओं को विस्तार से प्रस्तुत किया। आपसी चर्चा में कई प्रोफेशनल्स एवं कर विशेषज्ञों ने बहुत गम्भीरता से कई बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की। कार्यशाला में एवं इसके पश्चात चेम्बर की ओर से निम्न प्रतिवेदन समर्पित किये गये। यह प्रतिवेदन केन्द्रीय राजस्व सचिव डॉ हसमुख अधिया एवं भीलवाडा के माननीय सांसद श्री सुभाष बहेडिया को भी प्रेषित किये गये।

केन्द्रीय एवं राज्य वित्त मंत्रालय को आईटीसी–4 रिटर्न के संबंध में सुझाव

दिनांक 25 अप्रेल 2018 को मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री द्वारा जीएसटी संबंधी गम्भीर विषयों पर कार्यशाला के बाद आईटीसी–4 रिटर्न भरने में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयां एवं उसके सम्भावित समाधान के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार के स्तर से मेवाड चेम्बर से सुझाव मांगे गये।

राज्य के वित्त सचिव श्री प्रवीण गुप्ता ने इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए इसे व्यवहारिक बनाने के लिए केन्द्रीय जीएसटी कॉन्सिल के स्तर पर प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया। मेवाड चेम्बर की ओर से सभी सदस्यों से सम्पर्क किया जाकर निम्न प्रतिवेदन प्रेषित किया गया।

GST-ITC-04 Return- Procedural problem in complying with the job work provisions of GST.

GST-ITC 4 Return is required to be submitted on quarterly basis containing therein the details of goods sent on job-work and received back or directly sent from one job-worker to another job-worker. Sir, there is a practical problem in complying with certain requirements for job work in case of textile industry.

Now, keeping in view the same problems and practices submitting the information in desired form GST-ITC-04 is virtually impossible and unfeasible. Nature of job-work in case of textile industry is more or less of continuous nature means lot wise distinction can't be made. Fabrics are generally made by using different yarns from different sources which are delivered on different dates. Complete yarn is also not consumed in one lot and the balance yarn is used in the same factory with fresh yarns for subsequent production. It is virtually impossible to attribute production precisely in reference to the original delivery challans. This practical problem exists during weaving as well as processing. The members of the industry are unable to fill the information in GST-ITC-04 . Overall details of deliveries, production

and onward deliveries can be mentioned like stock ledgers can be reproduced but making challan wise distinction is impossible and infeasible. Industry and trade wish to comply with the requirements of the law but their practical problem has to be looked into sympathetically. We are also of the view that ease of doing business should be maintained, if it does not clash with the financial impact. Secondly existing trade practices going on since inception of the trade should also be recognized which does not impact the levy of taxes. Fabrics manufacturing sector had accepted the tax first time on the fabrics but inconvenience which causes fear should be taken care of. The trade and industry desire that these provisions should be modified suitably so that all the traders doing textile business can fulfil the requirements without any complications.

Suggestion:-

Please remove the condition of mentioning original challan Number in GST-ITC-04 in the case of goods sent to job-worker and/or back received from job worker. At present there is compulsory to mention cross reference of original challan Number. It is suggested that this condition may be waived or removed.

इन्ट्रा स्टेट ई–वे बिल पर सेमीनार

21 मई 2018 को वाणिज्यकर विभाग एवं मेवाड चेम्बर की ओर से चेम्बर भवन में इन्ट्रा स्टेट ई–वे बिल पर सेमीनार हुई। सेमीनार को श्री कानाराम सहायक आयुक्त एवं श्री मुकेश दीक्षित कर अधिकारी ने सम्बोधित किया।

राज्य सरकार की ओर से राजस्थान के अन्दर एवं यहां तक एक शहर एवं जिले के अन्दर माल परिवहन पर इन्ट्रा ई–वे बिल व्यवस्था 20 मई 2018 से लागू कर दी गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए श्री मुकेश दीक्षित ने बताया कि भीलवाडा टेक्सटाइल व्यवसाय में जोब वर्कर की ओर से विविंग या प्रोसेसिंग के लिए माल भेजने पर ई–वे बिल जारी करने की जिम्मेदारी प्रिंसिपल सप्लायर पर है। उन्होंने बताया कि सप्लाई के केस में 50 हजार रुपये से अधिक के मूल्य का माल होने पर ई–वे बिल जारी किया जाना आवश्यक है, इसमें माल की कीमत एवं जीएसटी की राशि भी सम्मिलित होगें। स्वयं की एक फेक्ट्री या गोडाउन से दूसरी फेक्ट्री या गोडाउन में माल भेजने, जोब वर्कर द्वारा सीधा माल भिजवाने, एक जोब वर्कर से दूसरे जोब वर्कर को माल भिजवाने, निर्यात के लिए माल भेजने, मशीनों को फक्ट्री के बाहर रिपेरिंग के लिए भेजने पर भी ई–वे बिल आवश्यक है।

मेवाड चेम्बर के मानद महासचिव श्री आर के जैन ने बताया कि गुजरात एवं मध्यप्रदेश सरकार की ओर से एक शहर के अन्दर एक जगह से दूसरी जगह माल भेजने एवं 19 तरह के माल के अतिरिक्त राज्य के अन्दर माल भेजने पर ई–वे बिल की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

मेवाड चेम्बर की ओर से माननीया मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव (वित्त), सचिव वित्त–राजस्व, आयुक्त वाणिज्यकर, जिला कलक्टर भीलवाडा, उपायुक्त वाणिज्यकर भीलवाडा को प्रतिवेदन भेजकर एक शहर/जिले के अन्दर एवं राज्य के अन्दर सभी तरह के यार्न, फेब्रिक्स और टेक्सटाइल गुड्स को तथा अन्य राज्यों की तरह केवल 19 आवश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य सभी वस्तुओं पर ई–वे बिल की आवश्यकता समाप्त करने का अनुरोध किया है।

कार्यशाला में सहायक आयुक्त श्री कानाराम एवं कर अधिकारी श्री मुकेश दीक्षित ने सम्भागीयों की विभिन्न शंकाओं का समाधान किया। कार्यशाला के प्रारम्भ में मेवाड चेम्बर के मानद महासचिव श्री आर के जैन एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री जे के बागडोदिया ने विभागीय अधिकारियों का मार्ल्यापण कर स्वागत किया।

Welcome and Felicitation Programme of Sh. Abhishek Surana IAS

22 मई 2018 को मेवाड चेम्बर द्वारा आईएएस परीक्षा 2018 में राजस्थान में प्रथम एवं देश में 10वें स्थान प्राप्त करने वाले श्री अभिषेक सुराणा के अभिनन्दन समारोह एवं ''जिन्दगी में सफलता कैसे प्राप्त करें'' विषय पर वार्ता आयोजित की गई। इस कार्यक्रम के विशिष्ठ अतिथि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के सेवानिवृत एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉ आर सी लोढा थे।

कार्यशाला के प्रारम्भ में चेम्बर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री जे के बागडोदिया, मानद महासचिव श्री आर के जैन, पूर्वाध्यक्ष डॉ पी एम बेसवाल, संयुक्त सचिव श्री के के मोदी, वरिष्ठ सदस्य श्री शांतिलाल पानगडिया, श्री अतुल शर्मा, श्री एस

के सुराणा, श्री अतुल सोमाणी के साथ विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने मार्ल्यापण कर अतिथियों का स्वागत किया।

भीलवाडा जिले मे कंवलियास के मूल निवासी एवं आईएएस परीक्षा 2018 में राजस्थान में प्रथम एवं देश में 10वें स्थान प्राप्त करने वाले श्री अभिषेक सुराणा ने मेवाड चेम्बर में आयोजित ''जिन्दगी में सफलता कैसे प्राप्त करे'' विषय पर उद्यमियों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं छात्रों के विशाल समुदाय को सम्बोधित करते हुए कहाकि जिन्दगी में सफलता के लिए दृढ़ संकल्पित होना आवश्यक है। संकल्प के बिना कुछ प्राप्त नही हो सकता है। सफलता एक दिन में नही मिलती है, उसके लिए लगातार प्रयास करने होते है। दृढ़ संकल्प के साथ धीरज रखते हुए कठोर परिश्रम करिये, सफलता एक दिन आपके कदम चुमेगी।

उन्होंने कहाकि सफलता के लिए सभी तरह की अच्छे स्तर की पुस्तके पढने की आदत डालनी चाहिए। इससे आपका दिमाग विस्तृत होगा, साथ ही आपका संचार कौशल भी विकसित होगा। उन्होंने छात्रों को सम्बोधित करते हुए कहाकि कम उम्र में आपके दिमाग को इधर–उधर भटकाने वाले कई साथी मिलते है, उनसे दूर रहिये एवं सकारात्मक सोचिए। अपने आपको किसी विचार के प्रति कठोर मत बनाइये, नये विचारों के लिए अपने दिमाग को खुला रखिये। विनम्र बनिये, ऐसे व्यक्ति में सामने वाले के विचार सुनकर सकारात्मक सोचने की आदत बन जाती है। कम उम्र में पैसा कमाने पर अपने–आपको घमण्ड की ओर मत ले जाइये। परम्परागत डिग्रीयों को छोडकर कुछ नया करने की सोचिए। और अन्त में यह ध्यान रखिये कि सफलता हमारे कार्यो से ही उत्पन्न होती है।

कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के सेवानिवृत एक्जिक्यूटिव डायरेक्टर डॉ आर सी लोढा ने सफलता के चार सूत्र समझाये–दृढ़ संकल्प, धीरज, इच्छा शक्ति ओर कठोर मेहनत। रंजन ग्रुप ऑफ इण्डस्ट्रीज के चेयरमेन बिडला इन्सिट्यूट पिलानी से 1972 में एमबीए डॉ पी एम बेसवाल ने भी सफलता का विवेचन करते हुए डिग्री एवं नौकरी के साथ स्वयं का कुछ करने के संकल्प की बात कही।

कार्यशाला के दौरान श्री अभिषेक सुराणा ने छात्रों के कई प्रश्नों का समाधान करते हुए उन्हें प्रेरित किया। इस अवसर पर मेवाड चेम्बर की ओर से श्री अभिषेक सुराणा को अभिनन्दन पत्र भैंट किया गया।

Welcome & Felicitation-District Collector

दिनांक 1 जून 2018 को मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री की ओर नवनियुक्त जिला कलक्टर श्रीमति शुचि त्यागी का स्वागत एवं अभिनन्दन समारोह आयोजित हुआ। जिला पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप मोहन शर्मा समारोह के विशिष्ठ अतिथि थे। समारोह के प्रारम्भ में चेम्बर अध्यक्ष श्री दिनेश नौलखा, मानद महासचिव श्री आर के जैन के साथ पूर्वाध्यक्ष श्री आर एल नौलखा, श्री एस एन मोदानी, श्री एम

डी गगराणी, डॉ पी एम बेसवाल, श्री वीके सोडानी, पूर्व मानद महासचिव श्री एस पी नाथानी उपाध्यक्ष श्री आर पी दसोरा, संयुक्त सचिव श्री के के मोदी तथा विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने माल्यार्पण कर जिला कलक्टर का स्वागत किया। जिला पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप मोहन शर्मा का भी माल्यार्पण कर स्वागत किया गया।

समारोह के प्रारम्भ में चेम्बर अध्यक्ष श्री दिनेश नौलखा ने अपने स्वागत भाषण में चेम्बर की गतिविधियों एवं स्थानीय उद्योगों के बारे में परिचय देते हुए वर्तमान में व्याप्त समस्याओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मेवाड चेम्बर के प्रयासों से वर्ष 2009–10 में भीलवाडा में मेगा पावरलूम कलस्टर कपडा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया गया था। लेकिन राज्य सरकार के स्तर पर भूमि आंवटन कार्यो में काफी विलम्ब होने से पूर्व में नियुक्त कलस्टर मेनेजमेन्ट एवं टेकनिकल एजेन्सी का अनुबंध निरस्त किया जाकर नये सीएमटीए की नियुक्ति करने के लिए वस्त्र आयुक्त कार्यालय ने टेण्डर जारी किये है। आपके स्तर से राज्य सरकार को मेगा पावरलूम कलस्टर के लिए नेशनल हाईवे के नजदीक उचित स्थान पर आवश्यक भूमि आंवटित करने के हेतु प्रयास किये जाये।

उन्होंने कहाकि भीलवाडा में वस्त्र उद्योग को पानी की काफी आवश्यकता रहती है। उद्योगों को जल आपूर्ति की कोई भी योजना नही है। जिले में पेयजल के लिए चम्बल योजना से पानी आना प्रारम्भ होने के बाद, अब पूर्व में संचालित कंकरोलियां घाटी पेयजल योजना को बन्द करने का प्रस्ताव है। इस विषय में हमने पूर्व में राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन को निवेदन किया था कि इस स्थापित योजना को स्क्रेप करने के बजाय इससे पानी की आपूर्ति उद्योगों को की जाए। इस तरह से प्रोजेक्ट कार्यरत रहेगा, जो कभी भी आपात स्थिति में पेयजल के लिए काम आ सकेगा, साथ ही राज्य को रेवन्यु भी प्राप्त होगा।

इसके साथ ही टेक्सटाइल उद्योग के निरन्तर विकास के लिए उचित दरों पर विद्युत उपलब्धता, महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों के अनुसार विद्युत दरों में रियायत, राजस्थान के अन्दर एवं यहां तक एक शहर एवं जिले के अन्दर माल परिवहन पर इन्ट्रा ई–वे बिल व्यवस्था 20 मई 2018 से लागू कर दी गई है। गुजरात एवं मध्यप्रदेश सरकार की ओर से एक शहर के अन्दर एक जगह से दूसरी जगह माल

भेजने एवं 19 तरह के माल के अतिरिक्त राज्य के अन्दर माल भेजने पर ई–वे बिल की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने जिला प्रशासन के स्तर से राज्य सरकार को इस संबंध में भी लिखने का अनुरोध किया।

इस अवसर पर जिला कलक्टर श्रीमति शुचि ने कहाकि शासन–प्रशासन एवं उद्योग एक दूसरे के पूरक होते है, जहां उद्योगों से स्थानीय विकास तो होता ही है लेकिन आज के समय उद्योग सामाजिक सरोकार के तहत विभिन्न जनउपयोगी कार्यो में जो मदद कर रहे है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पूरी चेष्ठा करुंगी कि भीलवाडा शहर का नाम ओर भी रोशन हो और यहां के उद्योग की प्रतिष्ठा ओर भी बढे।

समारोह के विशिष्ठ अतिथि जिला पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप मोहन शर्मा ने कहाकि स्थानीय उद्योगों में विभिन्न स्थानों के कामगार कार्यरत है एवं उद्योगों की ओर से श्रमिकों के हितों ध्यान में रखते हुए श्रम प्रबंध किये हुए है, जिससे औद्योगिक शांति व्यवस्था बनी हुई है। यह शहर की शांति व्यवस्था के लिए यह एक बहुत बडा योगदान है। चेम्बर अध्यक्ष श्री दिनेश नौलखा एवं मानद महासचिव श्री आर के जैन ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह भैंट किये। मानद महासचिव श्री आर के जैन ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। जिला कलक्टर के सम्मान में रात्रिभोज का आयोजन भी किया गया।

राज्य के उद्योगमंत्री से मुलाकात

दिनांक 5 जून 2018 को मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री एवं भीलवाडा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के संयुक्त प्रतिनिधिमण्डल ने राज्य के उद्योगमंत्री माननीय श्री राजपाल सिंह जी शेखावत से मुलाकात कर राज्य सरकार की ओर 20 मई 2018 से लागू की गई ई–वे बिल व्यवस्था को युक्तिसंगत करने का आग्रह किया एवं यार्न एवं कपडे को पूर्ण रुप से ई–वे बिल मुक्त करने का आग्रह किया। माननीय मंत्री महोदय को बताया कि गुजरात सरकार ने अपने प्रदेश में 19 वस्तुओं के अलावा सभी वस्तुओं को ई–वे बिल से मुक्त कर दिया है, जिसमें कपडा में सम्मिलित है। इसी तरह मध्यप्रदेश सरकार ने केवल 11 वस्तुओं के अलावा सभी वस्तुओं को ई–वे बिल व्यवस्था मुक्त कर दिया है, जिसमें कपडा एवं यार्न भी शामिल है।

प्रतिनिधिमण्डल ने विस्तार से बताते हुए कहाकि राजस्थान में भी यार्न एवं कपडे से संबंधित सभी वस्तुओं एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को ई–वे बिल से मुक्त करना अत्यन्त आवश्यक है। मंत्री महोदय ने प्रतिनिधिमण्डल के विभिन्न बिन्दुओं को गम्भीरतापूर्वक सुना एवं शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया।

चेम्बर के मानद महासचिव श्री आर के जैन ने बताया कि भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की ओर से भीलवाडा में मेगा पावरलूम कलस्टर के विकास के लिए पूर्ण प्रयास किये जा रहे है। इस संबंध में नये कलस्टर मेनेजमेन्ट एवं टेक्नीकल एजेन्सी नियुक्त करने के लिए नये स्वरुप में पुनः टेण्डर जारी किये गये है। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने 26.12.2017 को CMTA के लिए (EOI) टेण्डर जारी किये गये थे। BID का समय अभी तक चार बार बढाया जा चुका है, लेकिन किसी भी एजेन्सी ने भीलवाडा में CMTA के रुप में कार्य करने में अपनी रुचि नही दिखाई है। बार–बार टेण्डर की तारीख बढाने के बावजूद भी किसी भी एजेन्सी ने आवेदन नही किया है। मेवाड चेम्बर के अनुरोध पर भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने आवेदन की अन्तिम तिथी बढाकर 28.06.2018 कर दी गई है। इस विषय को गम्भीरता से लेते हुए CMTA के लिए राज्य सरकार के स्तर पर आवेदन करवाने के प्रयास के साथ ही नेशनल हाईवे के पास आवश्यक भूमि चिन्हित कर एवं भूमि आंवटन के लिए त्वरित कार्यवाही का अनुरोध किया। अन्यथा राजस्थान से मेगा पावरलूम कलस्टर अन्य प्रान्त में स्थानान्तरित हो जाएगा।

चम्बल से नियमित आपूर्ति प्रारम्भ होने के साथ वर्तमान में कांकरोलियां घाटी से की जा रही जल आपूर्ति व्यवस्था को बन्द कर दिया गया है। अब चम्बल से पेयजल आने से इस योजना के तहत जल आपूर्ति बन्द किए जाने से योजना पर लगे करोडों रुपये की लागत व्यर्थ हो रहे है, साथ ही समय के साथ पाइपलाइन आदि आधारभूत ढांचा भी खराब हो जाएगा एवं किसी भी आपात स्थिति में उपयोगी नही रहेगा। कांकरोलियां घाटी परियोजना से पूर्व में लिए जा रहे प्रतिदिन 1.5 करोड लीटर जल को भीलवाडा के विभिन्न उद्योगों को दिया जाए ताकि उद्योगों को भी अच्छे किस्म के जल की आपूर्ति के साथ, वर्तमान में उद्योगों द्वारा भूगर्भ से पानी निकालना भी बन्द हो सकेगा, जिससे भूगर्भ जल स्तर भी सुधरना प्रारम्भ हो जाएगा। साथ ही किसी आपात स्थिति में अगर चम्बल से जल आपूर्ति में बाधा आती है तो ऐसे अवसर पर शहर को कांकरोलियां का पानी भी किसी विलम्ब के उपलब्ध हो सकेगा।

प्रतिनिधिमण्डल में मेवाड चेम्बर के पूर्वाध्यक्ष श्री एस एन मोदानी, श्री वी के सोडानी एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री जे के बागडोदिया, मानद महासचिव श्री आर के जैन, संयुक्त सचिव श्री के के मोदी, कोषाध्यक्ष श्री वी के मानसिंगका के साथ चेम्बर के वरिष्ठ सदस्य श्री राजीव मुखिजा, श्री पुष्पेन्द्र बेसवाल, श्री मुकेश पाटोदिया, श्री सुरेश पौदार एवं

भीलवाडा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन की ओर से श्री रामेश्वर काबरा, श्री मुकुनसिंह राठौड आदि उपस्थित थे।

राज्य के वाणिज्यकर आयुक्त से मुलाकात

दिनांक 5 जून 2018 को जयपुर यात्रा के समय मेवाड चेम्बर के प्रतिनिधिमण्डल ने राज्य के वाणिज्यकर आयुक्त श्री आलोक गुप्ता से भी मुलाकात की। प्रतिनिधिमण्डल ने यार्न, कपडा एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को ई–वे बिल व्यवस्था से मुक्त करने का आग्रह किया। साथ ही आईटीसी–04 में आ रही तकनीकी समस्याओं के निराकरण के लिए भी आग्रह किया। श्री आलोक गुप्ता ने आश्वासन दिया कि मेवाड चेम्बर की ई–वे बिल संबंधी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर अतिशीघ्र निर्णय लिया जाएगा। साथ ही आईटीसी–04 में आ रही तकनीकी समस्याओं को समझने एवं निराकरण के लिए विशेषज्ञों की एक टीम शीघ्र ही भीलवाडा मेवाड चेम्बर में भेजने का आश्वासन दिया।

आईटीसी–04 की तकनीकी समस्याओं के संबंध में INFOSYS की टीम का आगमन

मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के प्रतिनिधिमण्डल ने 5 जून 2018 को राज्य के वाणिज्यकर आयुक्त श्री आलोक गुप्ता से मुलाकात के समय आईटीसी–04 की तकनीकी समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। श्री गुप्ता जी ने शीघ्र ही एक टेक्नीकल टीम को भीलवाडा भेजकर आईटीसी–04 में आ रही तकनीकी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया था।

तद्नुसार दिनांक 12 जून 2018 को इन्फोसिस की तकनीकी विशेषज्ञ टीम का भीलवाडा आगमन हुआ। चेम्बर में आयोजित बैठक में तकनीकी अधिकारियों ने व्यापारी एवं उद्यमियों से विभिन्न समस्याओं को समझने के बाद इनके निराकरण के लिए आवश्यक सुधार करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री जे के बागडोदिया, मानद महासचिव श्री आर के जैन, श्री राजेश समदानी सहित कई व्यापारी एवं उद्यमी उपस्थित थे। मानद महासचिव श्री आर के जैन ने संबंधित अधिकारियों को आईटीसी–04 के संबंध में निम्न समस्याओं से विस्तार से अवगत कराया। विशेषरुप से इन्फोसिस के तकनीकी विशेषज्ञों से इन समस्याओं को समझाकर, सोफ्टवेयर आदि में आवश्यक संशोधन का आग्रह किया।

मेगा पावरलूम कलस्टर पर बैठक

दिनांक 14 जून 2018 को वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय नोएडा के डायरेक्टर श्री वी के कोहली के साथ वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम ने भीलवाडा मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री में आकर विभिन्न उद्यमियों एवं औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस अवसर पर मेसर्स आईएल एण्ड एफएस के जयपुर एवं मुम्बई कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भीलवाडा के उद्यमियों से आपसी वार्ता कर मेगा पावरलूम कलस्टर के संबंध में चर्चा की। मानद महासचिव श्री आर के जैन ने वस्त्र आयुक्त कार्यालय के अधिकारियों से भीलवाडा में मेगा पावरलूम कलस्टर की स्थापना के संबंध में सीएमटीए नियुक्त करने के लिए 6 माह का समय बढाने की भी प्रार्थना की।

भारत सरकार द्वारा पावरलूम कलस्टर डवलपमेन्ट स्कीम के तहत वर्ष 2009–10 में देश में पांच मेगा पावरलूम कलस्टर की स्थापना की घोषणा की गई थी। जिसमें से राजस्थान में भीलवाडा को सम्मिलित किया गया था। भीलवाडा राजस्थान में पावरलूम उद्योग का सबसे बडा केन्द्र है, जहां 450 से अधिक इकाईयों में 16 हजार से अधिक आधुनिक पावरलूम लगे है।

मेगा पावरलूम कलस्टर योजना के तहत कलस्टर विकास के लिए केन्द्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट कॉस्ट का 60 प्रतिशत एवं अधिकतम 50 करोड रुपये का अनुदान देय है। वस्त्र मंत्रालय द्वारा वर्ष 2011 में भीलवाडा में कलस्टर विकास के लिए एक कलस्टर मेनेजमेन्ट एवं टेकनिकल एजेन्सी के रुप में कुशल ग्लोबल प्रा लि की नियुक्ति की गई एवं एसपीवी के रुप में भी एक कम्पनी विकसित की गई। कई कारणों से वर्ष 2017 में वस्त्र मंत्रालय द्वारा पूर्व में नियुक्त कलस्टर मेनेजमेन्ट एवं टेकनिकल एजेन्सी–कुशल ग्लोबल प्रा लि का अनुबंध निरस्त कर दिया।

मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री ने भीलवाडा में मेगा पावरलूम कलस्टर विकास के लिए लगातार वस्त्र मंत्रालय एवं वस्त्र आयुक्त कार्यालय से सम्पर्क जारी रखा। हमारे प्रयासों से वस्त्र मंत्रालय द्वारा पुनः नये कलस्टर मेनेजमेन्ट एवं टेकनिकल एजेन्सी नियुक्त करने के लिए टेण्डर जारी किये गये। जिसकी अन्तिम तिथि 21 फरवरी 2018 रखी गई, जिसे बढाकर 28 जून 2018 की गई।

बैठक में वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय नोएडा के डायरेक्टर श्री वी के कोहली के साथ श्री अमीन अंसारी, श्री नरसिंह राठौड, आईएल एण्ड एफएस के मुम्बई से श्री कुणाल एम कालेले, जयपुर से श्री डिजोन जी जॉन, जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक श्री राहुल देव सिंह, निटरा के श्री ओम सिंह एवं श्री बी के तालुकदार एवं कई उद्यमी उपस्थित थे।

जीएसटी राज्यस्तरीय समारोह में मेवाड चेम्बर सम्मानित

दिनांक 6 जुलाई 2018 को केन्द्र सरकार की ओर से गत वर्ष देश भर में एक देश– एक कर की कल्पना को साकार करने के उद्देश्यों को लेकर जुलाई माह से लागू किये गये जीएसटी के एक वर्ष पूर्ण होने पर केन्द्रीय वस्तु व सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क जयपुर जोन के तत्वावधान में जीएसटी दिवस के मौके पर जयपुर में उद्योग मंत्री माननीय श्री राजपाल सिंह शैखावत के मुख्य आतिथ्य में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री सहित प्रदेश के 9 औद्योगिक संगठनों को जीएसटी लागू किये जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सम्मानित किया गया।

जयपुर में आयोजित इस समारोह में चेम्बर की ओर से श्री अतुल मानसिंगका एवं श्री अशोक जैन (RTMA) ने सम्मान ग्रहण किया। समारोह में मुख्य आयुक्त डॉ एस एल मीणा सहित अन्य कई अधिकारी, कर्मचारी, उद्यमी एवं गणमान्यजन उपस्थित थे।

राज्य स्तरीय समारोह में जीएसटी पर फिल्म का प्रदर्शन व औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों के विचार सहित अन्य कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मेवाड चेम्बर की ओर से जीएसटी लागू होने के बाद उद्यमियों, सदस्यों तथा टेक्सटाइल क्षेत्र से जुडे कर विशेषज्ञों को जीएसटी के निर्धारित नियमों, मापदण्डों व अधिनियमों के बारे में ना सिर्फ कई कार्यशालाओं में विविध जानकारियों मुहिया कराई गई बल्कि जीएसटी में सामने आयी तकनीकी विसंगतियों के निराकरण की दिशा में विशेषज्ञों को बुलाकर सहज तरीके से विस्तार से समाधान कराया गया।

एक वर्ष की अवधि में चेम्बर की ओर से समस्याओं ओर आवश्यक जानकारियों के लिए आयोजित कार्यक्रमों में आरएसए लीगल सोल्यूशन के श्री एस सी जैन, लक्ष्मीकुमारण एण्ड श्रीधरण के साझेदार श्री आनन्द नैनावटी, केन्द्रीय वस्त्र आयुक्त डॉ कविता गुप्ता, उत्पादकर आयुक्त श्री सी के जैन एवं श्री नरेश बुन्देल, राज्य वित्त सचिव श्री प्रवीण गुप्ता, वाणिज्यकर आयुक्त श्री आलोक गुप्ता, वित्त मंत्रालय ओएसडी श्रीमति मीनल भौंसले सहित अन्य कई विशेषज्ञ उच्चाधिकारियों ने स्थानीय उद्यमियों को विभिन्न जानकारियों से अवगत कराया। इतना ही नही जीएसटी में विसंगतियों को लेकर चेम्बर के प्रतिनिधिमण्डल ने दिल्ली जाकर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री संतोष गंगवार, श्री अर्जुनराम मेघवाल तथा राजस्व सचिव डॉ हसमुख अधिया से मुलाकात कर समस्याओं का निराकरण कराया गया। इसी कडी में आईटीसी–04 की तकनीकी समस्याओं के निराकरण के लिए भी इन्फोसिस टीम को भीलवाडा बुलाकर प्रायोगिक तौर पर विसंगतियों को समझाया गया। वही ई–वे बिल की समस्याओं को लेकर भी चेम्बर के प्रतिनिधिमण्डल ने प्रदेश के उद्योगमंत्री श्री राजपाल सिंह शैखावत से मुलाकात कर इस सन्दर्भ में आ रही परेशानियों से अवगत करा निराकरण के लिए आव्हान किया गया।

केंद्रीय वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री श्रीमति वसुंधरा राजे के समक्ष टेक्सटाइल में जीएसटी विसंगतियों पर प्रस्तुतिकरण

14 जुलाई 2018 को जयपुर में राज्य सरकार की ओर से जीएसटी पर विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। राज्य की मुख्यमंत्री श्रीमति वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला में केन्द्रीय वित्त मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल मुख्य अतिथि थे।

कार्यशाला में केंद्रीय वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री श्रीमति वसुंधरा राजे से व्यक्तिगत रुप से आपसी चर्चा के लिए राउण्ड टेबल व्यवस्था की गई, जिसमें राज्य सरकार के उद्योग मन्त्री एवं केन्द्र एवं राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। राज्य के राजस्व सचिव श्री प्रवीण गुप्ता ने व्यक्तिगत रुप से टेलीफोन वार्ता कर मेवाड चेम्बर को इस कार्यशाला में टेक्सटाइल जगत के विषय में प्रस्तुतिकरण के लिए आंमत्रित किया। चेम्बर के मानद महासचिव श्री आर के जैन ने इसमें भाग लिया।

राजस्थान चेम्बर एवं सीआईआई के बाद मेवाड चेम्बर को तीसरे नम्बर पर टेक्सटाइल जगत की बात रखने के लिए बुलाया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल एवं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मेवाड चेम्बर का प्रस्तुतिकरण बडे ध्यान से सुना एवं विविंग सेक्टर को इनपुट टेक्स क्रेडिट का रिफण्ड नही मिलने से विविंग उद्योग के आर्थिक संकट एवं उद्योग के बन्द होने की संभावनाओं, इन्ट्रास्टेट ई–वे बिल, आईटीसी–04, ईपीसीजी स्कीम को आगे बढाने, जीएसटी रिफण्ड में देरी पर ब्याज सहित भुगतान करने तथा अन्य तकनीकी समस्याओं को प्रस्तुत किया। केन्द्रीय वित्तमंत्री श्री पीयूष गोयल ने इनपुट टेक्स क्रेडिट का रिफण्ड नही मिलने के विषय को नोट किया एवं इस समस्या के शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया।

Seminar on Critical issues of Goods and Service Tax

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से 26 जुलाई को जारी Notification No. 20/2018 Central Tax (Rate) dated 26.07.2018 से टेक्सटाइल फेब्रिक्स के रिफण्ड के लिए जारी नोटिफिकेशन के संबंध में जानकारी देने के लिए मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री की ओर से 30.07.2018 को एक विशेष कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला को जीएसटी कर विशेषज्ञ जयपुर के सीए श्री रंजन मेहता ने सम्बोधित किया। इस दौरान चेम्बर के खचाखच भरे एलएनजे हॉल में मेवाड चेम्बर के सदस्यों के साथ बडी संख्या में प्रोफेशनल्स, उद्यमी एवं उद्योगों में कार्यरत अधिकारीगण उपस्थित थे। श्री मेहता ने बताया कि केन्द्र सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन 20/2018 में कुछ विसंगतियां है, जिसे उचित स्तर पर प्रतिवेदित कर दूर करवाना अतिआवश्यक है। उन्होंने बताया कि 31 जुलाई 2018 को शेष बचे हुए स्टॉक की बिक्री पर दुबारा टेक्स नही लगाया जा सकता क्योंकि उस माल के निर्माण के इनपुट पर कर भुगतान पहले किया हुआ है। 1 अगस्त 2018 के बाद टेक्सटाइल फेब्रिक्स के लिए खरीदे गये इनपुट पर चुकाये गये कर को माल बिक्री के बाद प्रत्येक माह में इनवर्टेड ड्यूटी के तहत रिफण्ड क्लेम किया जा सकता है। वर्तमान प्रावधानों के अनुसार इनवर्टेड ड्यूटी के तहत इनपुट सर्विसेज एवं केपीटल गुड्स पर चुकाये गये कर का रिफण्ड का प्रावधान नही है लेकिन उसे ऑउटपुट बिक्री या सप्लाई के कर भुगतान में काम में लिया जा सकता है। श्री रंजन मेहता के अनुसार जारी नोटिफिकेशन 20/2018 में शेष एक्यूमलेटेड इनपुट टेक्स क्रेडिट समाप्त करने का अधिकार उक्त नोटिफिकेशन में नही है। सरकार रिफण्ड के लिए मना कर सकती है लेकिन उसे समाप्त करना कानून संगत नही है। इसके लिए केन्द्र सरकार एवं अन्य उचित स्तर पर प्रतिवेदित करना चाहिए।

जीएसटी की एमएसएमई सेक्टर से संबंधित समस्याओं पर संगोष्ठी

दिनांक 1 अगस्त 2018 को राज्य के उद्योग मंत्री माननीय श्री राजपाल सिंह जी शेखावत की अध्यक्षता में जयपुर में जीएसटी की एमएसएमई सेक्टर से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ।

मेवाड चेम्बर की ओर से मानद महासचिव श्री आर के जैन ने इसमें भाग लेकर लघु एवं मध्यम उद्योगों से संबंधित विषयों को प्रस्तुत किया। उल्लेखनीय है कि जीएसटी कॉन्सिल की आगामी मासिक बैठक केवल एमएसएमई सेक्टर से संबंधित जीएसटी विषय पर ही होगी। इसकी तैयारी में राज्य सरकार की ओर से यह विशेष बैठक आयोजित की गई।

बैठक के अतिरिक्त माननीय उद्योग मंत्री ने श्री आर के जैन से अलग से चर्चा कर इन सभी समस्याओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। अपने प्रस्तुतिकरण में श्री आर के जैन ने सरकार का टेक्सटाइल सेक्टर को एक्यूमलेटेड इनपुट टेक्स क्रेडिट का रिफण्ड देने के निर्णय का आभार व्यक्त करते हुए कहाकि टेक्सटाइल फेब्रिक्स के रिफण्ड के लिए जारी Notification No. 20/2018 Cetral Tax (rate) dated 26th July, 2018 से यह अनिश्चितता बनी हुई है कि 31 जुलाई को शेष रहे स्टॉक के टेक्स का भुगतान इस अवधि में शेष रही इनपुट टेक्स क्रेडिट से होगा या नही। माननीय मंत्री महोदय ने इस विषय में तत्काल ही जीएसटी कॉन्सिल एवं चेयरमेन सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टेक्स से फोन पर चर्चा की एवं आश्वासन दिया कि शीघ्र ही समाधान के लिए स्पष्टीकरण जारी कर दिया जाएगा।

मंत्री महोदय का ध्यान टेक्सटाइल उद्योग में आईटीसी–04 रिटर्न की अनिवार्यता समाप्त करने के लिए आग्रह किया।

उन्होंने मंत्री महोदय को इसकी तकनीकी समस्याओं के बारे में विस्तार से बताया। उद्योग मंत्री ने कहाकि राजस्थान सरकार की ओर से यह विषय पहले भी जीएसटी कॉन्सिल की बैठक में रखा गया है एवं आगामी बैठक में भी इस विषय को पूरे तकनीकी रुप से रखा जाएगा।

14 जुलाई को राज्य सरकार की ओर से आयोजित बैठक में यह आश्वासन दिया गया था कि टेक्सटाइल उद्योग एवं अन्य उत्पाद के लिए इन्ट्रा स्टेट परिवहन में ई–वे बिल की अनिवार्यता को समाप्त किया जाएगा। लेकिन काफी समय निकल जाने के बाद भी संबंधित नोटिफिकेशन जारी नही हुआ है। मंत्री महोदय ने इस विषय में शीघ्र ही कार्यवाही का आश्वासन दिया। जैन ने बताया कि इस विषय पर विशेष रुप से राज्य के वाणिज्यकर आयुक्त श्री आलोक गुप्ता से भी चर्चा की गई एवं श्री गुप्ता ने भी इसका शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया।

छोटे एवं मध्यम उद्यमियों को निर्यात पर रिफण्ड विलम्ब से मिलने की ओर भी ध्यान आकर्षित किया एवं रिफण्ड के प्रकरण में सभी बिलों की प्रतिलिपियों की अनिवार्यता को समाप्त करने का आग्रह किया। मंत्री महोदय को बताया कि इतनी प्रतिलिपियां अनावश्यक रुप से पर्यावरण पर भी बोझ है। जीएसटी के तहत वर्तमान में ऑडिट की सीमा दो करोड है, जिसे बढाकर 10 करोड करने का, इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में Input Services and Capital Goods का रिफण्ड का भी अनुरोध किया।

जीएसटी के तहत ईपीसीजी के तहत आयात होने वाली मशीनरी पर बिना आईजीएसटी भुगतान के आयात की सुविधा 30 सितम्बर 2018 तक ही प्रदान की गई है, मंत्री महोदय को बताया कि कोई भी मशीनरी का आयात लम्बी प्लानिंग करके ही हो सकता है। 30 सितम्बर की सीमा से टेक्सटाइल एवं अन्य उद्योगों में निवेश अवरुद्ध हो रहा है। केपीटल गुड्स आयात के लिए ईपीसीजी के तहत यह छुट कम से कम 2 वर्ष की अवधि के लिए घोषित होनी चाहिए। मंत्री महोदय ने तुरन्त ही संबंधित अधिकारियों को इस विषय में विस्तृत नोट बनाकर देने के निर्देश दिये।

जीएसटी के तहत इनपुट टेक्स क्रेडिट को रिवर्स करने पर 24 प्रतिशत ब्याज लिया जा रहा है, जबकि पुराने एक्साइज प्रावधानों में केवल उपयोग मे ली गई क्रेडिट पर ही ब्याज लिया जाता था। साथ ही जीएसटी कॉन्सिल ने मार्च माह में यह निर्णय लिया था कि निर्यात के टेक्स रिफण्ड के संबंधित आवेदन एक माह के बजाय तिमाही भी भरे जा सकते है, लेकिन अभी तक जीएसटी की वेबसाइट पर इसे अपलोड नही किया गया है। मंत्री महोदय ने श्री जैन के विस्तृत प्रतिवेदन एवं विषय की गहराई की समझ की प्रशंसा करते हुए इन सभी विषयों को जीएसटी की बैठक में रखने या आवश्यकता अनुसार संबंधित अधिकारियों से बात करने का आश्वासन दिया।

राजस्थान लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष के साथ बैठक

2 अगस्त 2018 को राजस्थान लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष श्री मेघराज लोहिया एक दिवसीय यात्रा पर भीलवाडा पधारे। मेवाड चेम्बर की ओर से उनके सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। सम्मान समारोह के विशिष्ठ अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष श्री दामोदर अग्रवाल थे।

समारोह के प्रारम्भ में चेम्बर के पूर्वाध्यक्ष श्री एस एन मोदानी ने पगडी पहनाकर एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री जे के बागडोदिया, मानद महासचिव श्री आर के जैन ने मार्ल्यापण कर स्वागत किया।

बैठक में चर्चा के दौरान श्री लोहिया ने कहाकि उच्चतम न्यायालय द्वारा एनसीआर राज्यों में पेटकॉक का उपयोग बन्द करने (सीमेन्ट एवं लाइम उद्योग के अलावा) से राज्य के टेक्सटाइल, ग्लास आदि उद्योग अन्य राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र आदि के मुकाबले प्रतिस्पर्द्धा में पिछड गये है। राज्य के टेक्सटाइल को इसके लिए कानून सम्मत एवं तकनीकी आधार लेकर उच्चतम न्यायालय में अपना पक्ष रखना चाहिए। राज्य सरकार उद्योगों के उचित हित के लिए सदैव सहयोग करने के लिए तैयार है।

उन्होंने कहाकि उच्चतम न्यायालय ने इस आधार पर पेट कॉक पर प्रतिबन्ध लगाया है कि इसके जलने से सल्फर निकलता है, जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक है। सीमेन्ट एवं लाइम उद्योग में लाइम सल्फर को सौंख लेता है एवं इसी वजह से उसे छुट दी हुई है, टेक्सटाइल उद्योग को भी अपने बॉयलर आदि में सल्फर को सौंखने के संयन्त्र लगाकर इस आधार पर अपना पक्ष रखना चाहिए। प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड का भी यह मत है कि अगर उद्योगों के पास ऐसी तकनीक है, जिससे पर्यावरण को नुकसान नही हो तो विचार किया जा सकता है।

आरटीएमए के चेयरमेन एवं चेम्बर के पूर्वाध्यक्ष श्री एस एन मोदानी ने बताया कि प्रोसेस हाउसों में भी पेट कॉक के साथ लाइम स्टोन को जलाया जाता है साथ ही अब तो प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड उद्योगों से निकले हुए धुंआ/एमीशन की ऑनलाइन एवं तिमाही मॉनिटरिंग होती है, साथ ही राजस्थान में कोल या अन्य फ्यूल उपलब्ध नही है एवं राज्य सरकार ने पेट कॉक को राज्य के फ्यूल के रुप में भी

घोषित किया हुआ है। भीलवाडा, बांसवाडा, पाली जैसे टेक्सटाइल केन्द्र दिल्ली से बहुत दूर है एवं यहां का धुंआ दिल्ली तक नही जाता है। पूरे विश्व के आंकडे देखे तो चीन, रुस आदि देशों में पेट कॉक का उपयोग भारत से ज्यादा हो रहा है। चेम्बर के मानद महासचिव श्री आर के जैन ने कहाकि राज्य सरकार रिफाइनरी प्रोजेक्ट ला रही है एवं पेट कॉक इसका बाई–प्रोडक्ट होगा। पेट कॉक का उपयोग प्रतिबन्धित होने से रिफाइनरी प्रोजेक्ट ही संकट में आ जाएगा।

केन्द्रीय वित्तमंत्री के साथ विडियों कांफ्रेसिंग

जुलाई 2018 तक की इनपुट क्रेडिट नही होगी लैप्स

केन्द्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से बीते दिनों आईटीसी रिफण्ड को लेकर जारी की गई अधिसूचना में 31 जुलाई 2018 तक के प्राप्त माल के टेक्स पर किसी भी प्रकार का रिफण्ड नही देने के संदर्भ में 3 अगस्त 2018 को केन्द्रीय वित्त मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल ने औद्योगिक संगठनों के साथ आयोजित विडियों कांफ्रेसिंग में इस मुद्दे को लेकर स्पष्ट किया कि टेक्सटाइल क्षेत्र में 31 जुलाई 2018 तक एकत्रित क्रेडिट लेप्स नही होगी। केवल इसका रिफण्ड उपलब्ध नहीं होगा। उद्यमी एकत्रित क्रेडिट को आगे के टेक्स भुगतान में काम में ले सकेगा।

मेवाड चेम्बर की ओर से इस विषय में केन्द्रीय वित्त मंत्री एवं राजस्व सचिव के स्तर पर लगातार इस विषय को उठाया जाता रहा है। केन्द्र सरकार की ओर से इस विषय में 24.08.2018 को स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया है।

जोबवर्क में 50 किमी तक की दूरी में ई–वे बिल से मुक्ति

मेवाड चेम्बर के अथक प्रयासों से 6 अगस्त 2018 को राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर जोब के लिए भेजे जाने वाले माल, एक जोबवर्कर से दूसरे जोबवर्कर को भेजने एवं जोबवर्क के बाद वापस भेजने वाले माल को 50 किमी तक की दूरी में ई–वे बिल से मुक्त कर दिया है। इसमें टेक्सटाइल के अतिरिक्त सभी तरह के उत्पाद शामिल है एवं किसी भी मूल्य तक के जोब वर्क के माल को मुक्त किया गया है।

पूरे राज्य में टेक्सटाइल उत्पाद को इन्ट्रा स्टेट परिवहन में ई–वे बिल से मुक्त करने के लिए पिछले कई समय से मेवाड चेम्बर प्रयासरत रहा। 1 अगस्त 2018 को जयपुर में राज्य के उद्योग मंत्री माननीय श्री राजपाल सिंह शेखावत एवं वाणिज्यकर आयुक्त श्री आलोक गुप्ता के साथ हुई बैठक में माननीय मंत्री महोदय ने इस पर गम्भीरता से विचार कर शीघ्र ही नोटिफिकेशन जारी करने का आश्वासन दिया था।

मेवाड चेम्बर ने जारी नोटिफिकेशन के लिए माननीया मुख्यमंत्री श्रीमति वसुन्धरा राजे, उद्योगमंत्री माननीय श्री राजपाल सिंह शेखावत, राजस्व सचिव श्री प्रवीण गुप्ता, वाणिज्यकर आयुक्त श्री आलोक गुप्ता, वित्त विभाग में विशेषाधिकारी श्रीमति मीनल भौंसले के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहाकि मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडू, बिहार राज्यों की तरह टेक्सटाइल उद्योग को पूरे राज्य में परिवहन के लिए ई–वे बिल से मुक्त किया जाना चाहिए।

मेवाड चेम्बर के प्रतिनिधिमण्डल की राज्य के उद्योगमंत्री से मुलाकात

दिनांक 21 अगस्त 2018 को मेवाड चेम्बर के प्रतिनिधिमण्डल ने जयपुर जाकर उद्योगमंत्री माननीय श्री राजपाल सिंह शेखावत, राजस्व सचिव श्री प्रवीण गुप्ता, वाणिज्यकर आयुक्त श्री आलोक गुप्ता, वित्त विभाग में विशेषाधिकारी श्रीमति मीनल भौंसले से व्यक्तिगत मुलाकात की एवं ई–वे बिल के संबंध में राज्य सरकार के सहयोग एवं जारी नोटिफिकेशन के प्रति उद्योग जगत की ओर से आभार व्यक्त किया।

प्रतिनिधिमण्डल में पूर्वाध्यक्ष श्री आर एल नौलखा, श्री जे सी लढ्ढा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री जे के बागडोदिया एवं मानद महासचिव श्री आर के जैन सम्मिलित थे।

कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग के साथ कार्यशाला

Business Reform Action Plan 2018

30 अगस्त 2018 को कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग, राजस्थान एवं मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के संयुक्त तत्वावधान में बिजनेस रिफोर्म एक्शन प्लान 2018 एवं ईज ऑफ डूईंग बिजनेस पर एक कार्यशाला का आयोजन हुआ।

कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए, कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग जयपुर के मुख्य निरीक्षक श्री मुकेश जैन ने बताया कि राजस्थान सरकार की पहल पर राज्य में फैक्ट्री एक्ट 1948 में 2014 के बाद ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के अनुसार कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये है।

विद्युत संचालित कारखानों में फैक्ट्री एक्ट लागू होने की सीमा 10 कर्मचारियों से बढाकर 20 कर्मचारी की गई है। इससे लघु एवं मध्यम श्रेणी के कई उद्योगों को राहत मिली है एवं 2829 उद्योग फैक्ट्री एक्ट के दायरे से बाहर किये गये है।

फैक्ट्री एक्ट कानून के तहत प्रथम मामूली गलतियों पर मुकदमा दायर नही किया जाकर कम्पाउडिंग के प्रावधान किये गये है ताकि उद्योगों को बेवजह परेशान नही होना पडे।

विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक श्री हरीश गुप्ता ने कारखाना पुरस्कार योजना के बारे में जानकारी दी। इस हेतु अंक प्रणाली के आधार पर कारखाना प्रबंधन स्वयं स्वप्रमाणिकरण एवं स्वविवेक के अनुसार ऑनलाइन प्रपत्र भर सकता है। स्टेट रेंकिंग में फिडबैक के महत्व के बारे में बताते हुए उन्होंने उद्यमियों से ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन फिडबैक भरने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि राजस्थान प्रदेश कई मायनों में देश में अग्रणीय है एवं रिफोर्म क्रियान्वयन में देश में नौवें स्थान पर रहा है।

कार्यक्रम के प्रारम्भ चेम्बर के मानद महासचिव श्री आर के जैन ने कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग का औद्योगिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान बताते हुए अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। वरिष्ठ श्री उपाध्यक्ष जे के बागडोदिया ने स्मृति चिन्ह भेंट किये। कार्यशाला में विभाग के स्थानीय अधिकारी श्री बी पी सारण एवं स्थानीय उद्योगों के फैक्ट्री प्रबंधकों एवं सुरक्षा अधिकारियों ने भाग लिया।

सूचना प्रौद्योगिक और संचार विभाग द्वारा संगोष्ठी

30 अगस्त 2018 को अपरान्ह में, सूचना प्रौद्योगिक और संचार विभाग राजस्थान सरकार एवं मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के संयुक्त तत्वावधान में कोटा में 7–8 सितम्बर को आयोजित होने वाले जॉब फेयर पर कम्पनी इन्टरएक्शन मीट का आयोजन हुआ। राजस्थान सरकार की ओर से मार्च 2018 से अभी तक जयपुर, सीकर, उदयपुर, बीकानेर, अलवर में 5 जॉब फेयर आयोजित किये गये है, जिनमें 400 से अधिक कम्पनियों ने भाग लिए एवं 1.27 लाख युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाये गये।

राज्य के सूचना प्रौद्योगिक और संचार विभाग के अधिकारी श्री निशान्त ने बताया कि राजस्थान सरकार ने अब युवाओं को रोजगार हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू कर दी है, इससे युवा मीट में विभिन्न कम्पनियों के स्टॉलों पर उद्योगों में उपलब्ध रोजगार के बारे में जानकारी प्राप्त कर साक्षात्कार दे सकते है। जॉब फेयर में केरियर गाइडलाइन्स, लेक्चर, कॉउन्सिलिंग की भी व्यवस्था की गई है।

राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री राकेश गुप्ता ने भी सम्भागियों को सम्बोधित किया। आरकेसीएल के श्री सज्जन सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

आईटीसी पर कार्यशाला

मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री की ओर से 8 सितम्बर 2018 को मेवाड चेम्बर भवन में टेक्सटाइल फेब्रिक्स पर एक्युमलेटेड टेक्स क्रेडिट (आईटीसी) रिफण्ड के प्रावधानों पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को जीसीएसटी के सहायक आयुक्त श्री अनिरुद्ध वैष्णव ने सम्बोधित किया। उन्होंने उपस्थित सम्भागीयों को विस्तार से उदाहरण देकर समझाया कि 31 जुलाई तक की आईटीसी की गणना कैसे करे, इसमें से कितनी राशि लेप्स योग्य होगी एवं कैसे लेप्स की जाए।

श्री वैष्णव ने बताया कि फेब्रिक्स बनाने में लगे इनपुट पर चुकाये गई जीएसटी एवं उस पर शेष रहे कर को ही लेप्स करने की बात कही गई है। सर्विस एवं केपीटल गुड्स पर चुकाये गये आईटीसी लेप्स नही होगी। निर्यात किये जाने वाला माल जीरो रेटेड गुड्स की श्रेणी में आता है एवं ऐसे माल पर चुकाये गये आईटीसी भी लेप्स नही होगी। 31 जुलाई 2018 तक जो माल उत्पाद किया हुआ या कच्चा माल (यार्न आदि) खरीदा हुआ पडा है, उसके बेचने या कच्चे माल से फेब्रिक्स उत्पादन कर उनकी बिक्री पर जितनी ड्यूटी बनती है, उसे गणना कर 31 जुलाई 2018 तक की आईटीसी में से इसे निकालकर शेष बची हुई आईटीसी ही लेप्स होगी। व्यापारी को यह गणना अगस्त 2018 के जीएसटी आर 3–बी के कॉलम 4बी(2) में बतानी है एवं गणना शीट अपने प्रथम रिफण्ड आवेदन के साथ विभाग को देनी है।

उन्होंने कहाकि जीएसटी लागू होने के बाद जुलाई 2018 तक 13 माह की आईटीसी एवं रिफण्ड योग्य आईटीसी की गणना एक साथ करे। लेप्स योग्य राशि को अगस्त 2018 के जीएसटी आर 3–बी बताना आवश्यक है। विभाग इसका सत्यापन व्यापारी के प्रथम रिफण्ड आवेदन के समय करेगा, लेकिन प्रावधानों के अनुसार अगस्त माह के रिटर्न में प्रदर्शित करना आवश्यक है। श्री वैष्णव ने सम्भागियों की शंकाओं का विस्तार से जवाब दिया एवं प्रणाली को विस्तार से समझाया। सीजीएसटी के श्री जी पी दाधीच ने भी सदस्यों की विभिन्न शंकाओं का समाधान किया।

कार्यशाला में चेम्बर अध्यक्ष श्री दिनेश नौलखा, पूर्वाध्यक्ष श्री एम डी गगराणी, मानद महासचिव श्री आर के जैन, सहसचिव श्री के के मोदी सहित भीलवाडा, चित्तौडगढ, राजसमन्द के व्यापारी, उद्यमी एवं कर विशेषज्ञ उपस्थित थे।

राजस्थान एमएसएमई फाइनेन्स समिट 2018

27 सितम्बर 2018 को फिक्की राजस्थान की ओर से जयपुर में राजस्थान एमएसएमई फाइनेन्स समिट 2018 का आयोजन किया गया। मेवाड चेम्बर की ओर से मानद महासचिव श्री आर के जैन ने इसमें भाग लिया। विभिन्न वित्तीय संस्थानों के वरिष्ठ प्रबंधकों एवं वित्त क्षेत्र के विशेषज्ञों ने इस कार्यशाला में एमएसएमई उद्योगों के वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता, उपलब्धता एवं भावी कार्य योजना पर विचार किया गया।

दीपावली स्नेह मिलन

मेवाड़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री की ओर से दीपावली महापर्व के अगले दिन 20 अक्टूबर 2017 को दीपावली स्नेह मिलन का आयोजन किया गया। मेवाड चेम्बर के अध्यक्ष श्री दिनेश नौलखा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री जे के बागडोदिया, मानद महासचिव श्री आर के जैन, संयुक्त सचिव श्री के के मोदी, उपाध्यक्ष श्री राजेन्द्र गौड ने स्नेह मिलन में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, जन प्रतिनिधियों, स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधियों, शहर के प्रबुद्ध नागरिकों एवं मेवाड़ चेम्बर के सदस्यों का स्वागत किया एवं दीपावली की शुभकामनाएं दी। स्नेह मिलन में पूर्वाध्यक्ष श्री आर एल नौलखा, श्री एस एन मोदानी, श्री वी के सोडानी, श्री एम डी गगराणी, डॉ पी एम बेसवाल, श्री जे सी लढ्ढा, श्री अनिल मानसिंहका, पूर्व मानद महासचिव श्री एस पी नाथानी, सहित कई सदस्य एवं प्रबुद्ध नागरिकों ने भाग लिया।

Warehouse Safety Awareness Program

Confederation of Indian Industry's Institute of Logistics in association of Mewar Chamber of Commerce and Industry (Center of Excellence) organized Warehouse Safety Awareness Program on 28 November 2018 at Ranbanka Heritage Resort Bhilwara. The objective of the programme was to provide better awareness on Warehouse Safety and to benefit the industries and its workmen.

Shri V.K.Mansingka, Treasurer of MCCI alongwith other members participated in the programme.

उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक का स्वागत

उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री टी पी सिंह का 11 जनवरी 2019 को अपनी अधिकारिक यात्रा पर भीलवाडा आगमन हुआ। अजमेर मण्डल के मण्डल प्रबंधक श्री आर के कश्यप एवं अन्य अधिकारीगण उनके साथ थे। भीलवाडा आगमन पर मेवाड चेम्बर की ओर से वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री जे के बागडोदिया, मानद महासचिव श्री आर के जैन, पूर्व मानद महासचिव श्री एस पी नाथानी, कोषाध्यक्ष एवं जेडआरयूसीसी सदस्य श्री विनोद मानसिंगका एवं अन्य वरिष्ठ सदस्यों ने पुष्पगुच्छ से श्री टी पी सिंह एवं श्री आर के कश्यप का स्वागत किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने रेलवे स्टेशन के पश्चिम की ओर बन रहे नये प्रवेश द्वार एवं अन्य कार्यो का अवलोकन किया।

श्री टी पी सिंह ने इस अवसर पर मेवाड चेम्बर के प्रतिनिधिमण्डल से भीलवाडा में रेलवे स्टेशन के विकास, रेल सुविधाओं एवं अन्य विषयों पर गहन चर्चा की। मेवाड चेम्बर की ओर से श्री सिंह को एक विस्तृत प्रतिवेदन दिया गया, जो कि यहां दिया जा रहा है।

नई उद्योग नीति के संबंध में जयपुर में बैठक

18 फरवरी 2019 को उद्योग विभाग राजस्थान सरकार की ओर से जयपुर में नई उद्योग नीति एवं टेक्सटाइल नीति बनाने के संबंध में औद्योगिक संगठनों से चर्चा हेतु एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राज्य के उद्योग आयुक्त डॉ के के पाठक ने की।

इस बैठक में मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री की ओर से टेक्सटाइल उद्योग को थ्रस्ट सेक्टर मानकर विशेष टेक्सटाइल नीति बनाने के संबंध में अपना विस्तृत प्रतिवेदन दिया।

चेम्बर ने अपने प्रतिवेदन में बताया कि भीलवाडा में टेक्सटाइल उद्योग के उल्लेखनीय विकास के बावजूद भी राजस्थान टेक्सटाइल उद्योग में बहुत पिछडा हुआ है। पूरे देश में स्पिनिंग मिलों में लगे 5 करोड स्पिण्डल के मुकाबले राजस्थान में 20 लाख स्पिण्डल लगे है जो कि देश का 4 प्रतिशत ही है। इसी तरह पावरलूम क्षेत्र में देश में लगे 20 लाख पावरलूम के मुकाबले राजस्थान में कुल 22 हजार पावरलूम लगे है, जो कि 1 प्रतिशत के बराबर है। अतः राज्य की नई उद्योग नीति में टेक्सटाइल उद्योग को थ्रस्ट सेक्टर मानकर विशेष रियायतों की आवश्यकता है।

चेम्बर ने अपने प्रस्तुतिकरण में पूरे देश एवं अन्य राज्यों के आंकडे प्रस्तुत करते हुए टेक्सटाइल उद्योग के लिए विशेष पेकेज की मांग की। चेम्बर ने वर्तमान औद्योगिक नीति में जोधपुर, पाली, बालोतरा को विस्तार कर पूरे राज्य में कही भी स्थापित होने वाले पावरलूम उद्योग को यार्न पर जीएसटी में 50 प्रतिशत छूट, डेनिम उद्योग के विकास के लिए भूजल विभाग की एनओसी की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की। साथ ही 10 करोड तक के निवेश पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान एवं 10 करोड से अधिक निवेश पर 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान देने एवं वर्तमान में लागू रोजगार अनुदान को जारी रखने की मांग की।

महाराष्ट्र एवं गुजरात की टेक्सटाइल नीति के अनुरुप लघु एवं मध्यम टेक्सटाइल उद्योगों को बिजली दरों में 3 रु प्रति यूनिट, वृहत उद्योगों को 2रु प्रति यूनिट की छूट के साथ रात्रि में 10 से प्रातः 6 बजे तक टेक्सटाइल उद्योगों को 5 रु प्रति युनिट की फ्लेट दर पर विद्युत आपूर्ति की मांग की। टेक्सटाइल उद्योग में लगे केप्टिव पावर प्लान्ट एवं सोलर पावर प्लान्टों पर मार्च 2018 से पूर्व दी जा रही विद्युत कर से छूट को पुनः देने की भी मांग की।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण की गम्भीर स्थिति को देखते हुए एनसीआर क्षेत्र में पेटकॉक के उपयोग की पाबंदी लगाई थी, जिसे बाद में पूरे राजस्थान पर लागू कर दिया गया। दक्षिण राजस्थान में स्थापित टेक्सटाइल उद्योग दिल्ली से 250 किमी से अधिक दूरी पर है एवं यहां का धुंआ वहां नही पहुंचता, साथ ही सभी उद्योगों में इस धुंए में से सल्फर डाई ऑक्साइड को सौंखने के संयन्त्र लगा रखे है। अतः राज्य सरकार को उच्चतम न्यायालय में प्रतिवेदन कर दक्षिण राजस्थान के टेक्सटाइल उद्योग को पेटकॉक उपयोग की छूट दिलवानी चाहिए।

इसके साथ चेम्बर ने जीएसटी संबंधी कई मुद्दे राज्य सरकार के स्तर से जीएसटी कॉन्सिल में रखकर उद्योगों को राहत दिलाने की भी मांग की।

बैंकर्स क्लब के साथ आपसी सम्पर्क बैठक

26 फरवरी 2019 को मेवाड चेम्बर भवन में बैंकर्स क्लब एवं मेवाड चेम्बर के सदस्यों की आपसी सम्पर्क बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता चेम्बर के अध्यक्ष श्री दिनेश नौलखा ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के पूर्व कार्यकारी निदेशक डॉ आर सी लोढा थे। बैंकर्स क्लब के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह विशिष्ठ अतिथि थे।

कार्यक्रम के प्रारम्भ में चेम्बर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री जे के बागडोदिया, कोषाध्यक्ष श्री वी के मानसिंगका, संयुक्त सचिव श्री के के मोदी ने डॉ आर सी लोढा एवं बैंकर्स क्लब के पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। साथ ही बैंकर्स क्लब के नये सदस्य श्री राजेश खजुरिया सहायक महाप्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा, श्री के एम समान्तरिया एजीएम ऑरियन्टल बैंक, श्री पी के पाण्डा सहायक महाप्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक, श्रीमति वन्दना विजनानी प्रबंध निदेशक चित्तौड अरबन बैंक का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन चेम्बर के मानद महासचिव आर के जैन एवं धन्यवाद ज्ञापन बैंकर्स क्लब के सचिव एल एल गांधी ने किया।

मुख्य वक्ता के रुप में बोलते हुए डॉ आर सी लोढा ने कहाकि बैंक और उद्योग एक दूसरे के पूरक है और भीलवाडा में तो उद्योगों ने 5 या 10 प्रतिशत के अनुपात में उन्नति नही करके कई गुणा उन्नति की है, जिसमें उनके बैंकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अभी पूरे देश में एनपीए की चर्चा चल रही है, लेकिन किसी उद्योग श्रेणी में कुछ प्रतिशत उद्योग खराब होने पर पूरे उद्योग श्रेणी को खराब नही माना जा सकता है। भीलवाडा की यह खासियत है कि भीलवाडा में एनपीए राष्ट्रीय अनुपात से कम है। साथ ही भीलवाडा के उद्यमियों की यह विशेषता है कि वे जानबूझ कर या विलफुल डिफाल्टर नही बनना चाहते है। उनकी भरपूर कोशिश अपने बैंक एकाउन्ट को सही श्रेणी में रखने की रहती है।

उन्होंने कहाकि वर्तमान वातावरण में उद्योग एवं बैंकिग के लिए कई सकारात्मक बाते हुई है। अभी हाल ही में जारी नॉन डिपोजिट ऑडिनेन्स से जो धन पहले बाजार में अनियमित रुप में चलता था वह अब अधिक से अधिक बैंकों में आएगा। साथ ही इस वर्ष के बजट में बैंक ब्याज पर

टीडीएस की छुट 10 हजार से बढाकर 50 हजार की गई है, जिससे मध्यम श्रेणी के डिपोजिटरों को थोडी राहत मिलेगी। इससे बैंकों में तरलता आकर ओर अधिक ऋण देने की क्षमता होगी। उन्होंने बैंकों को अपने कार्य निष्पादन में 4–आर का फार्मुला भी सुझाया।

चेम्बर के अध्यक्ष श्री दिनेश नौलखा ने अपने स्वागत भाषण में भीलवाडा के टेक्सटाइल उद्योग की पीडा को जाहिर करते हुए कहाकि रिजर्व बैंक ने टेक्सटाइल उद्योग को लो ग्रेडिंग में डाल रखा है ओर हाल ही में ग्रेड ओर कम की है, जबकि भीलवाडा जैसे टेक्सटाइल सेन्टर पर एनपीए अनुपात बहुत कम है। लो ग्रेडिग से टेक्सटाइल उद्योग को अपने ऋण पर ब्याज भी अधिक देना पडता है।

इस विषय पर बोलते हुए बैंकर्स क्लब के अध्यक्ष एवं बैंक ऑफ बडौदा के डीजीएम श्री राजेश कुमार सिंह ने कहाकि यह प्रकरण बैंकिग उद्योग की ओर से क्रेडिट रेटिंग एजेन्सीयों के साथ उठाया गया है लेकिन मूल में समस्या यह है कि अधिकांश क्रेडिट रेटिंग एजेन्सीयां अर्न्तराष्ट्रीय स्तर की है ओर वे किसी भी उद्योग को अर्न्तराष्ट्रीय नजरिये से देखने से यह समस्या आ रही है क्योंकि बहुत से देशों में टेक्सटाइल उद्योग की हालत खराब है। भीलवाडा के बैंकर्स ने इस उद्देश्य से राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर कोई नया प्रयास करने के सुझाव दिये है।

उन्होंने कहाकि भारत में जीएसटी लागू होने से व्यवसाय में कई परिवर्तन आये है। इसके शुरुआती दौरान बैंकों ने उद्योग जगत को सकारात्मक सहयोग दिया एवं उद्योगों में वित्तीय तरलता के लिए जीएसटी की क्रेडिट के लिए भी लघु अवधि ऋण प्रदान किये गये। बैंकर्स इस बात से पूर्ण रुप से अवगत है कि अगर उद्योग तकलीफ में आयेगा तो उससे ज्यादा तकलीफ बैंको को होगी।

आपसी चर्चा के दौरान निर्यात में नकारात्मक सूची में डाले हुए देशों को निर्यात करने में आ रही समस्या, ईसीजीसी चार्जेज, लेटर ऑफ गारन्टी आदि कई विषयों पर चर्चा की गई।

100 दिवसीय कार्य योजना के तहत संभाग स्तरीय बैठक

राज्य सरकार की ओर से दिनांक 28 फरवरी 2019 को अजमेर में संभाग स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री की ओर से प्रस्तावित नई उद्योग नीति के संबंध में सुझाव एवं रीको ग्रोथ सेन्टर के सदस्यों से प्राप्त समस्याओं को भी उठाया गया।

राज्य के उद्योगमंत्री के साथ बैठक

दिनांक 1 मार्च 2019 को मेवाड चेम्बर के अध्यक्ष श्री दिनेश नौलखा, मानद महासचिव श्री आर के जैन जयपुर में राज्य के उद्योगमंत्री माननीय श्री परसादीलाल मीणा की अध्यक्षता में नई औद्योगिक नीति के संबंध में आहुत बैठक में भाग लिया एवं नई उद्योग नीति के संबंध में सुझाव दिये।

चेम्बर की ओर से वर्तमान में लागू राजस्थान औद्योगिक विनिवेश प्रोत्साहन योजना (आर आई पी) 2014 के तहत टेक्सटाइल उद्योग के लिए विशेष पेकेज में जोधपुर, पाली, बालोतरा के साथ योजना का विस्तार कर पूरे राज्य में कही भी स्थापित होने वाले पावरलूम उद्योग को यार्न पर जीएसटी में 50 प्रतिशत छूट, डेनिम उद्योग के विकास के लिए भूजल विभाग की एनओसी की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की। साथ ही 10 करोड तक के निवेश पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान एवं 10 करोड से अधिक निवेश पर 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान देने एवं वर्तमान में लागू रोजगार अनुदान को जारी रखने की बात कही गई। साथ ही राजस्थान औद्योगिक विनिवेश प्रोत्साहन योजना (आर आई पी) 2014 में जिन टेक्सटाइल उद्योगों को टफ योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के साथ आर आई पी के अन्तर्गत ब्याज अनुदान स्वीकृत है, उन्हें एक वित्तीय संस्थान से दूसरे वित्तीय संस्थान में नियमानुसार ऋण परिवर्तित करने पर भी आर आई पी के अन्तर्गत ब्याज अनुदान जारी रखने के प्रावधान की भी मांग की गई।

महाराष्ट्र एवं गुजरात की टेक्सटाइल नीति के अनुरुप लघु एवं मध्यम टेक्सटाइल उद्योगों को बिजली दरों में 3 रु प्रति यूनिट, वृहत उद्योगों को 2रु प्रति यूनिट की छूट के साथ रात्रि में 10 से प्रातः 6 बजे तक टेक्सटाइल उद्योगों को 5 रु प्रति युनिट की फ्लेट दर पर विद्युत आपूर्ति की मांग की। टेक्सटाइल उद्योग में लगे केप्टिव पावर प्लान्ट एवं सोलर पावर प्लान्टों पर मार्च 2018 से पूर्व दी जा रही विद्युत कर से छूट को पुनः देने की भी आग्रह किया गया।

जीएसटी में बदलाव पर कार्यशाला

2 मार्च 2019 को मेवाड चेम्बर में जीएसटी में हाल ही में हुए बदलावों पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला को देश के प्रसिद्ध कर सलाहकार लक्ष्मीकुमारण् एवं श्रीधरण

के पार्टनर अहमदाबाद के श्री आनन्द नैनावटी ने सम्बोधित किया।

जीएसटी में हाल ही में किये गये महत्वपूर्ण परिवर्तनों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जीएसटी प्रणाली जुलाई 2017 में देश में लागू की गई तब उद्योग एवं व्यापार के लिए एक नई प्रणाली होने से इसे व्यवहारिक बनाने के लिए कई सुधार किये गये। अब तक प्रणाली में 339 नोटिफिकेशन, 90 से ज्यादा सर्कुलर एवं 173 से ज्यादा प्रेसनोट जारी किये गये। अतः जीएसटी को अच्छी तरह से समझ कर निर्णय लेने के लिए सभी का पूरा ज्ञान होना आवश्यक है।

उन्होंने कहाकि आम जनता यह समझती है कि जीएसटी में सभी तरह के कर सम्मिलित होने से सरकार कोई अलग से कर नही लगा सकती लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार सरकार के पास अन्य कर लगाने के अधिकार है। राज्य सरकारे भी प्राकृतिक आपदा आदि स्थिति में राज्य के अन्दर सेस आदि लगा सकती है। फरवरी 2019 से कई परिवर्तन लागू किये गये है।

अगर कोई उद्यमी या व्यापारी दूसरे राज्यों में स्थापित स्वयं की इकाईयों या ऑफिस के लिए हेड ऑफिस से कोई कार्य निष्पादित करता है तो उस पर चुकाये गई वेतन को उस अनुपात में उन कार्यालयों को नाम मांडकर जीएसटी चुकाना होगा।

जुलाई 2017 से पहले कोई आयात किया हो ओर उस पर कस्टम ड्यूटी का अन्तिम निर्णय अभी आने से अगर आईजीएसटी चुकाई जाती है तो उसकी क्रेडिट प्राप्त नही होगी।

उन्होंने आगे बताया कि सप्लाई ऑफ सर्विस के तहत अब लिक्विडेटेड डेमेज, पेनेल्टी, कम्पनसेशन, ऑउट ऑफ कोर्ट सेटलमेन्ट पर जीएसटी का दायित्व नही होगा। लेट पेमेन्ट पर ब्याज अगर पेनेल्टी के रुप में वसूल किया जा रहा है तो उसे व्यापारी पेनेल्टी दर्शा कर जीएसटी के दायित्व से बचा जा सकता है।

जीएसटी प्रणाली लागू होने से पहले का अगर एज्युकेशन सेस या अन्य कोई सेस आपके पास क्रेडिट में था ओर उसकी अगर आपने ट्रांस–1 फार्म में क्रेडिट दर्शायी भी है तो यह क्रेडिट नही मिलने योग्य है। ऐसे शेष पडे सेस आदि को बही खातों में राइट ऑफ करना ज्यादा उचित है।

श्री नैनावटी ने बताया कि रिवर्स चार्ज के मामले में यह स्पष्ट हो गया है कि अब केवल स्पेशिफाइड पर्सन एवं स्पेशिफाइड गुड्स पर ही रिवर्स चार्ज लगेगा। उन्होंने इनपुट टेक्स क्रेडिट एवं अन्य विषयों के बारे में भी विस्तार से समझाया।

कार्यशाला के प्रारम्भ में चेम्बर के मानद महासचिव श्री आर के जैन ने श्री नैनावटी एवं अन्य अतिथियों का स्वागत किया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री जे के बागडोदिया ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यशाला में सहसचिव श्री के.के.मोदी, कोषाध्यक्ष श्री वी के मानसिंगका, टेक्सबार के अध्यक्ष श्री अतुल सोमाणी, चित्तौडगढ अरबन बैंक की प्रबंध निदेशक श्रीमति वन्दना विजनानी सहित भीलवाडा, चित्तौडगढ, कांकरोली, उदयपुर आदि स्थानों के कर सलाहकार, उद्यमी, वित्तीय प्रबंधक उपस्थित थे।

बौद्धिक सम्पदा एवं भौगोलिक सम्पदा पर कार्यशाला

6 मार्च 2019 को एमएसएमई डवलपमेन्ट इन्सस्टिट्यूट जयपुर एवं मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के संयुक्त तत्वावधान बौद्धिक सम्पदा अधिकार पर कार्यशाला का आयोजन हुआ।

कार्यशाला में जयपुर से आये बौद्धिक सम्पदा विशेषज्ञ एवं एडवोकेट डॉ रोहित जैन ने बताया कि बौद्धिक सम्पदा एवं भौगोलिक सम्पदा राष्ट्र की, कलाकारों की, साहित्यकारों की, कारीगरों की अमूर्त सम्पति है, जिसकी कानूनी रुप से सुरक्षा आवश्यक है। इनमें आविष्कार, कलात्मक कार्य, साहित्य, संगीत, किसी वस्तु विशेष को बनाने का व्यापार रहस्य सम्मिलित है। भारत सदैव से इन क्षेत्रों में अग्रसर रहा है। लेकिन अब कई दूसरे देशों के लिए नकल करके अपने यहां पेटेन्ट कराकर हमारे देश की इस सम्पदा को हमसे छीनना चाहते है। अतः भारत सरकार के कानूनों के तहत इनका पेटेन्ट या रजिस्ट्रेशन आवश्यक है।

उन्होंने बताया कि उदाहरण के तौर पर पड़ पेन्टिग, नाथद्वारा की पिछवाई, नसीराबाद का कचौरा, सांभर की फिणी आदि हमारे देश में क्षेत्र विशेष की सैकडों वर्षो से चली आ रही विशिष्ठ उपलब्धियां है। इनकी सुरक्षा के लिए इनका पेटेन्ट कराना आवश्यक है। पेटेन्ट के तहत कोई भी उत्पाद प्रक्रिया या वैज्ञानिक आविष्कार, इसी तरह ट्रेड मार्क के तहत अपने उत्पाद का चिन्ह, साहित्य, नाटक, संगीत आदि कलात्मक कार्यो में कानून के तहत कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन किया जाता है। उन्होंने इस विषय में विस्तार से जानकारी दी।

राजस्थान विश्वविद्यालय के कानून के प्रोफेसर डॉ अभिषेक तिवाडी ने बताया कि एमएसएमई उद्योग या संस्थान के लिए पेटेन्ट फीस में 50 प्रतिशत की छुट दी जाती है, और अगर आवेदन ई–फाइलिंग से किया गया तो 10 प्रतिशत

की अतिरिक्त छुट दी जाती है। एक बार जारी किया गया पेटेन्ट रजिस्ट्रेशन 20 वर्ष के वैध रहता है, लेकिन इसका प्रतिवर्ष निर्धारित शुल्क भरकर नवीनीकरण करना होता है। इसी तरह ट्रेडमार्क 10 वर्ष की अवधि के लिए वैध होते है एवं 10 वर्ष बाद नवीनीकरण आवश्यक होता है। कॉपीराइट कानून के तहत साहित्यकार, नाटकीय, संगीत, कलात्मक कार्य आदि कॉपीराइट लेखक के जीवनकाल के बाद मृत्यु के 60 वर्ष बाद तक वैध रहता है।

एमएसएमई डवलपमेन्ट इन्सस्टियूट जयपुर के सहायक निदेशक डॉ गिरीश कुमार शर्मा ने बताया कि आईपीआर अनुदान एवं पंजीकरण के लिए आईपीआर की निर्धारित वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय स्टार्टअप उद्योगों के लिए यह रजिस्ट्रेशन का कार्य करता है। इसी तरह पौधो की किस्म, उन्नत बीज के विकास आदि के रजिस्ट्रेशन के लिए कृषि मंत्रालय के तहत रजिस्ट्रेशन किया जाता है।

कार्यक्रम के प्रारम्भ में संस्थान के सहायक निदेशक श्री प्रशान्त शर्मा ने बौद्धिक सम्पदा एवं भौगोलिक सम्पदा कानूनों की जानकारी दी। मेवाड चेम्बर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री जे के बागडोदिया एवं कोषाध्यक्ष श्री वी के मानसिंगका ने अतिथियों मार्ल्यापण कर स्वागत किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पड़ कलाकर श्री कल्याण जोशी, श्री प्रकाश जोशी, श्री गोपाल जोशी, श्री के जी कदम सहित भीलवाडा के कई कलाकार, भीलवाडा में इस विषय विशेषज्ञ एडवोकेट एवं चेम्बर के कई सदस्य उपस्थित थे।

पीएम श्रम योगी मानधन योजना का उद्घाटन

5 मार्च 2019 को मेवाड चेम्बर, उप श्रम आयुक्त कार्यालय के सहयोग से चेम्बर भवन में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि माननीय सांसद श्री सुभाष बहेडिया थे। इस योजना में घरेलू नौकर, रिक्शा चालक व मनरेगा श्रमिक आदि के अलावा संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी पेंशन लाभ मिलेगा। समारोह में 21 श्रमिकों को पेंशन कार्ड बांटे गये।

उप श्रम आयुक्त श्री संकेत मोदी ने बताया कि यह स्वेच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है। इसमें अभी तक भीलवाडा में 400 श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। असंगठित कामकारों को 60 साल का होने के बाद न्यूनतम 3 हजार रुपए मासिक पेंशन का प्रावधान है। प्रार्थी की मासिक आय 15 हजार रुपए से कम एवं आयु 18 से 40 साल के मध्य होनी चाहिए। इसके कॉमन सर्विस सेंटर से आधार एवं बैंक की पासबुक से पंजीयन करा सकते हैं। भविष्य निधि के सहायक आयुक्त श्री विपिन कुमार सोनी, चेम्बर महासचिव श्री आर के जैन ने भी सम्बोधित किया। प्रवर्तन अधिकारी श्री अनिल जैन, ईएसआई शाखा प्रबन्धक श्री आरएस पोरवाल, श्रम निरीक्षक सुश्री संगीता व्यास, वसुन्धरा चौहान, मधुबाला जाट, भामसं नेता श्री प्रभाष चौधरी, श्री लवकुमार जोशी, श्री अरुणसिंह राणावत, श्री सत्यनारायण शर्मा आदि उपस्थित थे।

राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम पर कार्यशाला

दिनांक 26 मार्च 2019 को राजस्थान एड्स नियन्त्रण सोसाइटी जयपुर की ओर से जिला श्रम कल्याण अधिकारी, मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री तथा जिला उद्योग केन्द्र के सहयोग से मेवाड चेम्बर भवन में राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम के तहत निजी क्षेत्र की सहभागिता पर कार्यशाला का आयोजन हुआ।

भीलवाडा जिले में आईसीटीसी सेन्टर्स की जांच के आंकडों के आधार पर यह पाया गया है कि भीलवाडा जिले में एचआईवी एड्स की प्रसार दर राज्य के अन्य जिलों से अधिक आ रही है, जो कि चिंता का विषय है। इस स्थिति से निपटने एवं भीलवाडा जिले में एचआईवी की रोकथाम में उद्योग की सहभागिता निश्चित करने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला में राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण सोसाइटी के क्षेत्रीय अधिकारी श्री नहीद मोहम्मद ने एचआईवी एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए एचआईवी के बारे में लोगों की भ्रांतियां दूर करने की चर्चा की। एचआईवी टेस्ट पर एक लघु फिल्म के द्वारा उन्होंने विभिन्न जांचों की जानकारी दी। डॉ कुणाल सिंह ने सोयाइटी की एड्स की रोकथाम, नियन्त्रण एवं उपचार के विषय में विस्तार से बताया। पब्लिक हेल्थ फाउन्डेशन ऑफ इण्डिया के प्रोग्राम ऑफिसर श्री हर्ष अग्रवाल ने निजी क्षेत्र की भागीदारी के बारे में एवं श्री सीताराम यादव ने एचआईवी एड्स कानून 2017 के बारे में बताया।

कार्यक्रम में भीलवाडा के स्पिनिंग, प्रोसेसिंग एवं विविंग, आयरन एवं सीमेन्ट पाइप उद्योगों के श्रम अधिकारी, फेक्ट्री प्रबंधकों ने भाग लिया।

आधारभूत सुविधाएं

सडक परिवहन

किसी भी क्षेत्र के औद्योगिक विकास में परिवहन सुविधाओं का बहुत महत्व है। मेवाड क्षेत्र के मुख्य औद्योगिक शहर भीलवाडा, चित्तौडगढ, उदयपुर, राजसमन्द चारों तरफ से अच्छे सड़क परिवहन नेटवर्क से जुडे हुए है एवं यह जिले कई राष्ट्रीय राजमार्गो के सम्पर्क में आते है। भीलवाडा, चित्तौडगढ क्षेत्र में फोरलेन, सिक्सलेन राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण, विकास, परिवर्तन में पिछले 15 से अधिक वर्षो में मेवाड चेम्बर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

सडक परिवहन की दृष्टि से राजस्थान काफी विकसित है। राज्य में 20 हजार किमी से अधिक की लम्बाई के राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गो का जाल बिछा हुआ है। राज्य के उद्योग, माइनिंग के विकास के साथ देश की सुरक्षा के लिए भी इन राजमार्गो का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। राजस्थान 10342 किमी के राष्ट्रीय राजमार्गो के साथ देश में तीसरा स्थान रखता है। महाराष्ट्र 17757 किमी एवं उत्तरप्रदेश 11737 किमी से प्रथम एवं दूसरे स्थान पर है। राजस्थान से 20 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 देश के सबसे महत्वपूर्ण राजमार्ग में से है, जो कि दिल्ली को मुम्बई से जोडता है। राजस्थान से 47 राष्ट्रीय राजमार्ग या उनकी शाखाएं गुजरती है।

सडक मार्ग

भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क चीन के बाद विश्व में दूसरा सबसे लम्बाई का नेटवर्क है। 1 मार्च 2019 के आंकडों के अनुसार देश में कुल 5903293 किमी के सड़क मार्ग है, जिनमें से 132,499 किमी की लम्बाई के राष्ट्रीय राजमार्ग है (सन् 1980 में राष्ट्रीय राजमार्ग कुल 29023 किमी के थे)। इनमें से 28900 किमी के 4 एवं 6 लेन के मार्ग है। इसके साथ लगभग 1000 किमी के एक्सप्रेस हाईवे, 176166 किमी के राज्य मार्ग, 5594628 किमी के मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड एवं ग्रामीण रोड मिलाकर देश में कुल 59. 03 लाख किमी के सडक मार्ग है।

राष्ट्रीय राजमार्ग में देश के 10 प्रथम राज्य

रेंक	राज्य	कुल लम्बाई
1	महाराष्ट्र	17757 किमी
2	उत्तरप्रदेश	11737 किमी
3	राजस्थान	10342 किमी
4	मध्यप्रदेश	8772 किमी
5	कर्नाटक	7335 किमी
6	आन्ध्रप्रदेश	6913 किमी
7	तमिलनाडू	6742 किमी
8	गुजरात	6635 किमी
9	उडीसा	5762 किमी
10	बिहार	5358 किमी

Rajasthan- length of National Highways as on 30.11.2018

Sl. No.	NH No.	State / U.T.	Route	Length (km)
1	709	N	Haryana - Pilani - Rajgarh Road (NH -65)	60.3
2	11	11	Junction with NH -70 near Myajlar connecting Jaisalmer, Pokharan, Bikaner, Sri Dungarpur, Ratangarh, Fatehpur, Jhunjhunu, Chirawa -Haryana.	759.7
3	311	N	The highway starting from its junction with NH -11 near Singhana connecting Khetri Nagar, Jasrapur, Nangli, Saledisingh, Bhatiwar, Chhawasari, and terminating at Titanwara in the State of Raj asthan.	46.0
4	911	N	The highway starting from its junction with NH -11 near Bap connecting Naukh, Charanwala, Ranjitpura, Godu, Gokul, Tawarwala, Jaggasar, Dantour, and terminating at Poogal in the State of Rajasthan.	184.0
5	911A		The highway starting f rom its junction with NH -31 near Machhlishahar connecting Janghai, Durgaganj, Bhadohi, Kapsethi and terminating at its junction with Lahartara - Mohansaray road (ODR) near Varanasi in the state of Uttar Pradesh.	30.8
6	919	71B	Haryana Border - Bhiwadi - Haryana Border	5.0
7	21	11	Junction with NH -48 near Jaipur connecting Dausa, Bharatpur -Uttar Pradesh.	200.0
8	921	N	The highway starting from its junction with NH -21 near Mahwa connecting Mandwar, Nangal Sumer Singh, Almarpur, Kheda, Mangalsinh, Ghadi, Antapuar, Piana, Doroli, Machedi Mode, and terminating at Rajgarh bypass in the State of Rajasthan.	48.0
9	23	11A & 11B	The highway starting from its junction with NH -52 near Kothum connecting Lalsot, Karauli, Bari and terminating at its junction with NH -44 near Dhaulpur in the State of Rajasthan.	228.0
10	123	3A	Dhaulpur (NH -3) - Sepau - UP border / UP border - Ghatoli - Rupbas - Khanuawa - Uncha Nagla (NH -11)	60.2
11	25	112 &14	Munabao Road - Ramsar - Barmer - Kawas, Madhasar, Dhudhwa, Bagundi, kher, Tilwar a, Balotra, Pachpadra, Kalyanpur, Jodhpur, Kaparda, Bilara, Jaitaran, Bar -junction with NH -58	383.8
12	125	114	The highway starting from its junction with NH-25 near Jodhpur connecting Balesar, Dechhu and terminating at its junction with NH -11 near Pokara n in the State of Rajasthan.	176.5
13	325	N	Balotra - Siwana - Jalore - Ahor - Sandera	135.0
14	925	N	The highway starting from its junction with NH -25 near Gagaria connecting Baori kalan, Serwa and terminating at Bakhasar in the State of Rajasthan.	134.0
15	925A	N	The highway starting from its junction with new NH-925 near Satta and terminating at its junction with new NH No.- 68 near Gandhav in the State of Rajasthan.	63.1
16	27	76	Pindwara - Wekria - Tarawaligarh - Gogunda - Iswal - Udaipur - Debari - Bhatevar - Mungarwar - Chittaurgarh - Anwalhera - Kalunda - Ladpura - Menal - Kheri - Bijolia - Dabi - Kharipur - Kota - Bhonra - Anta - Baran - Kishanganj - Kelwara - Shahbad - Deori - Thana Kasba - MP Border.	640.9

17	927A	N	Madhya Prdesh Border - Banswa ra - Sagwara - Doongarpur - Kherwara - Kotra - Sawarupganj (N.H -14)	313.0
18	44	3	UP Border - Maniyan - Dhaulpur - MP Border	28.3
19	48	8, 79A, 79,76	Haryana Border - Kotputli, near Jaipur, Kishangarh, Bhilwara, Chittaurgarh, Udaipur in the State of Rajas than - Gujarat Border	732.0
20	148	11A	The highway starting from its junction with NH -48 near Manoharpur connecting Dausa and terminating at its junction with NH -23 near Lalsot in the State of Rajasthan.	102.7
21	148B	N	Junction with NH no. 48 at Kotputli - Haryana Border	20.0
22	148C		Junction with NH 48 at Km 280.300 intersecting NH -52 and terminating at its junction with NH -21 at km 222.750	47.0
23	148D	116A	Uniara (NH -552) - Nainwa - Hindoli - Jahajpur - Shahpura - Gulabpura (NH - 48) - Parasoli - Bheem (NH - 58)	256.0
24	148N		The highway starting from its junction with NH-48 near Dodka (Vadodara) connecting Godhra, Dahod in the state of Gujarat, Ratlam, Jaora in the state of Madhya Pradesh, Jhalawar, Kota, Sawai Madhopur, Lalsot, Dausa in the state of Rajasthan, Firozpur Jhirka and terminating at its junction with NH-248A near Sohna in the state of Haryana.	345.0
25	248	11C	Old alignment of NH no. 8 passing through Jaipur from km 220 to 273.50	28.0
26	248A	N	Sahpura - Alwar - Ramgarh - Haryana/Rajasthan bo rder	102.0
27	448	8 & 79	junction with NH -48 near Kishangarh connecting Ajmer and terminating at its junction with NH -48 near Nasirabad	57.1
28	52	65, 11, 12	MP Border - Ghatoli - Aklera - Ameta - Jhalawar - Khemai - Darrah - Mandara - Kota - Talera - Bundi - Sathur - Hindoli - Umar - Devli - Mendwas - Tonk - Baroni - Newai - Chaksu - Sheodaspura - Sanganer - Jaipur - Fatehpur - Haryana Border	706.6
29	552	116	Tonk - Kakor - Uniara - Sawai Madhopur.	77.5
30	552G		The highway starting from its junction with NH-52 near Jhalarapatan connecting Beenda, Dawal in the state of Rajasthan further connecting Soyat, Susner, Agar, Ghosla, Ghatia and terminating at Ujjain in the state of Madhya Pradesh.	30.0
31	752	90	Baran - Atru - Chippa - Barod - Aklera (NH 12)	93.5
32	54		Hanumangarh - Paka - Samoka - Goluwala - Kenchiya	60.0
33	754K		The highway starting from its junction with new NH -54 near Sangariya connecting Hanumangarh, Suratgarh, Loonkarasar, Bikaner, Jodhpur, Thob, Pachpadra, Balotra, Sanchore in the state of Rajasthan, Tharad, Vav and terminating at its junction with NH-27 near Santalpur in the state of Gujarat.	630.0
34	954	N	The highway starting from its junction with NH -54 near Pakka Saharaha connecting Morjanda Khari, Mamakhera, Lalgarh Jattan, Banwala, 4LNP and terminating at its junction with NH-62 near Kaluwala in the state of Rajasthan.	44.6
35	56	79	Nimahera (NH -48) - Bari - Chhoti Sadri - Dhamotar - Pratapgarh - Pipalkhunt - Khamera - Ghatol - Banswara - Kalingera - Gujarat Border.	235.2
36	156	79	junction with NH -56 near Nimbahera in the State of Rajasthan and up to Rajasthan / Madhya Pradesh.	9.3

37	58	65, 89 & 8	Junction with NH -52 near Fatehpur connecting Ladnun, Nagaur, Merta City, Ajmer, Beawar, Devgarh, Udaipur - Kumdal - Naya Kheda - Jhadol - Som - Nalwa Daiya - Gujarat Border	526.7
38	158	N	Merta (NH 89) - Lambia - Ras - Bawra - Bayawar - Badnor - Asind - Mandal (NH-79)	134.8
39	458	65A	Junction with NH -58 at Ladnu connecting Khaatu, Degana, Merta City, Lambia, Jaitran, Raipur and termina ting at Bheem on NH -58	224.0
40	758	76B	Rajsamand (NH -58) - Gangapur - Bhilwara - Ladpura (NH -27)	156.0
41	62	15, 65 & 14	Punjab -Ganganagar, Suratgarh, Lunkaransar, Bikaner, Nagaur, Jodhpur, Pali, Sirohi and terminating at its junctiion with NH -27 near Pindwara	699.0
42	162	14	Pali - Jadan - Khamal - Sojat - Chandawal - Raipur - Bayawar.// Pali (N.H -14) - Marwad - Nadol - Desuri - Kumbalgarh - Haldighati - Nathdwara - Mavli - Bhatevar.	309.9
43	162A	N	Mavli (NH -162) - Fatehnagar - Dariba - Railmagra - Khandel (NH -758)	50.5
44	68		Junction with NH -11 near Jaisalmer connecting Barmer, Sanchorn -Gujarat Border	421.9
45	168	N	Revdar, Anandra - junction with NH -62 near Sirohi	70.0
46	168A	N	Junction with NH -68 near Sanchore	10.0
47	70	N	Junction with NH -25 near Munabao connecting Sundra, Myajlar, Dhanana, Asutar, Ghotaru, Loghewala, -junction with NH -68 near Tanot	323.0
			Sub Total	9,998.8

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार

केन्द्रीय सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी के अनुसार राजस्थान में माइनिंग, औद्योगिक विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई वर्तमान में 10 हजार किमी से बढाकर अगले दो वर्ष में 14 हजार किमी की जाएगी। इसके लिए अगले दो वर्षो में 1 लाख करोड की लागत से 11 नये सडक प्रोजेक्ट प्रारम्भ किये जाएगे। इन राजमार्गो से मुख्य रुप से भीलवाडा, पाली, नागौर, बाडमेर, सीकर, चुरु, जोधपुर, जैसलमेर एवं बाडमेर जुडेगें।

भीलवाडा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग

मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री का कार्य क्षैत्र दक्षिण राजस्थान के सात जिलों–भीलवाडा, चित्तौडगढ, प्रतापगढ, बांसवाडा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमन्द में विस्तृत है। यह क्षैत्र औद्योगिक दृष्टि से विकसित एवं निर्यात की दृष्टि से अत्यन्त महत्व रखता है। औद्योगिक विकास एवं निर्यात के लिए सुदृढ़ सडक परिवहन आवश्यक है। पिछले 15 वर्षो से मेवाड चेम्बर के प्रयास एवं क्षैत्र के औद्योगिक महत्व के दृष्टिगत, इन जिलों में कई फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्ग सहित सुदृढ़ सडक परिवहन सुविधाओं का विकास हुआ है। भीलवाडा क्षैत्र में फोरलेन नेशनल विकास के लिए मेवाड चेम्बर ने त्वरित प्रयास किये। औद्योगिक क्षैत्रों से होकर गुजरने वाली सडकों के विस्तार के लिए उद्योगों की भूमि समर्पित करने के लिए उद्योगों के साथ वार्ता कर त्वरित रुप से समर्पित करवाई गई एवं उसी अनुसार जिला कलक्टर एवं एनएचआई के साथ समन्वय से उद्योगों को मुआवजा भी त्वरित रुप से दिलवाया गया। कोटा से भीलवाडा एवं भीलवाडा से नाथद्वारा मार्ग के 4 लेन में परिवर्तन के लिए मेवाड चेम्बर ने सैकडों प्रतिवेदन भेजे एवं इन मार्गो के 4 लेन परिवर्तन का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग 758 के रुप में सफलतापूर्वक करवाया। अब भीलवाडा जिला मुख्यालय चारों ओर से 4 लेन हाईवे से जुडा हुआ है। सडक परिवहन सुविधाओं के ओर विकास के लिए सतत् प्रत्यनशील है।

राष्ट्रीय राजमार्ग स्वर्णिम चर्तुभुज योजना के अन्तर्गत जयपुर–किशनगढ 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग अब 8 लेन में परिवर्तित किया जा रहा है एवं किशनगढ–उदयपुर वाया भीलवाडा फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्ग 79 के 6 लेन में परिवर्तन का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 79 के 6 लेन में परिवर्तन का कार्य मार्च 2020 तक पूर्ण होने की आशा है।

स्टेट हाइवे

राजस्थान में 15067 किमी लम्बाई के स्टेट हाइवे है, 7646 किमी के मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, 30313 किमी के अन्य डिस्ट्रिक्ट रोड, 155972 किमी ग्रामीण रोड है। राजस्थान के मुख्य राज्यमार्ग जो मेवाड क्षेत्र से गुजरते है:–

राज्य राजमार्ग	मार्ग	लम्बाई (किमी)
एसएच 10	स्वरुपगंज–रतलाम सीमा वाया खेरवाडा, डुंगरपुर, बांसवाडा	315
एसएच 12	सांगानेर (जयपुर)–कांकरोली वाया फागी, डिग्गी, केकडी, शाहपुरा, माण्डल, भीलवाडा	324
एसएच 15	मंगलवाड–नीमच सीमा वाया बडी सादडी, छोटी सादडी	77
एसएच 29	उनियारा–बिजौलिया वाया बुन्दी, इन्द्रगढ, लाखेरी	139
एसएच 32	सादडी–बांसवाडा वाया रणकपुर, गोगुन्दा, उदयपुर, सलुम्बर, लुहारिया	219
एसएच 39	सतुर–मुण्डावा वाया जहाजपुर, शाहपुरा, विजयनगर, ब्यावर, मेडता	318
एसएच 61	फलौदी–माण्डल वाया औसिंया, जोधुपर, मारवाड जक्शन, कामलीघाट, देवगढ, करेडा	349

राष्ट्रीय राजमार्ग 8 उदयपुर-अहमदाबाद फोरलेन से 6 लेन में परिवर्तन

इसी अनुरुप भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उदयपुर (काया) से अहमदाबाद (वलद) तक का 222 किमी का राष्ट्रीय राजमार्ग भी फोरलेन से 6 लेन में परिवर्तित किये जाने की योजना स्वीकृत हो चुकी है एवं पर्यावरण स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। इस मार्ग का निर्माण कार्य भी तीव्र गति से चल रहा है एवं यह कार्य भी 2020 में पूर्ण होने की योजना है। इन योजनाओं की अनुमानित लागत 1872 करोड रुपये की प्रस्तावित है। इन दोनों राजमार्गो के फोरलेन से 6 लेन में परिवर्तन होने से भीलवाडा, चित्तौडगढ, उदयपुर एवं डुंगरपुर जिलों से होने वाले निर्यात माल को गुजरात के बन्दरगाहों तक परिवहन के लिए सुविधा होगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग 758 राजसमन्द-भीलवाडा-लाडपुरा प्रारम्भ

केन्द्रीय केबीनेट कमेटी ऑन इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा अक्टूबर 2012 में राजसमन्द–भीलवाडा–लाडपुरा के 160 किमी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग 758 के रुप में फोरलेन में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें से 221.45 करोड रुपये भूमि आवाप्ति एवं मुआवजा आदि के लिए चिन्हित किये गये है। एनएचडीपी चरण IV के तहत, 30 वर्ष के रियायती समझौते के आधार पर, यह योजना भीलवाडा राजसमन्द टोलवे प्रा लि ने डिजाइन, बिल्ट, फाइनेन्स, ऑपरेट एण्ड ट्रांसफर आधार पर निर्माण हेतु ली है। इस योजना का शिलान्यास मई 2013 में हुआ। योजना कार्य अप्रेल 2016 में पूर्ण होकर यह राष्ट्रीय राजमार्ग प्रारम्भ हो चुका है। इस मार्ग के निर्माण से कोटा–भीलवाडा एवं भीलवाडा–उदयपुर वाया गंगापुर का यात्रा समय में काफी बचत हुई है।

जयपुर भीलवाडा वाया मालपुरा 4 लेन परिवर्तन

जयपुर से मालपुरा होते हुए भीलवाड़ा तक स्टेट हाइवे संख्या 12 को नेशनल हाइवे बनाने के लिए राज्य सरकार ने प्रस्ताव केन्द्र सरकार को दिया है। सांगानेर (जयपुर) –फागी–मालपुरा–केकड़ी–शाहपुरा–माण्डल (भीलवाड़ा) राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में विकसित करने के लिए अनापत्ति जारी कर दी है।

212 किलोमीटर लम्बे जयपुर–भीलवाड़ा स्टेट हाईवे संख्या 12 को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करवाने के साथ इसके चार लेन में चौड़ाईकरण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह सडक रेनवाल, फागी, मालपुरा, केकडी, शाहपुरा, माण्डल आदि बडे कस्बों में होकर जयपुर को भीलवाड़ा से जोडती है। अभी यह स्टेट हाईवे दो लेन का है। जयपुर से भीलवाडा की दूरी वाया अजमेर एनएच 8 से होते हुए 277 किमी है एवं वाया मालपुरा होते हुए 237 किमी है। इस मार्ग को 4 लेन राष्ट्रीय राज मार्ग बनाने से जयपुर से भीलवाड़ा की दूरी 40 किमी कम हो जाएगी तथा समय व ईधन की बचत होगी। इस मार्ग के चार लेन होने से दुर्घटनाओं मे कमी आएगी।

रेल परिवहन

औद्योगिक एवं व्यवसायिक विकास में रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका है। यद्यपि राजस्थान में ब्रिटिश काल में रेल लाइनों की स्थापना एवं परिवहन का कार्य 1873 से प्रारम्भ हो गया था। अजमेर–महु के मध्य मीटरगेज लाइन वर्ष 1874–75 में डाली गई एवं उस समय भीलवाडा में रेलवे स्टेशन की स्थापना हुई। स्वतंत्रता तक राज्य में 1576 मील की रेल लाइने थी। आजादी के बाद पिछले 70 वर्षो में राजस्थान में रेल लाइनों का अपेक्षित विकास नही हो पाया है। राज्य में 20 हजार किमी से अधिक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग की सडकों के मुकाबले वर्तमान में राज्य में कुल 5894 किमी की रेल लाइने है। जिसमें से 4868 किमी ब्रोडगेज, 916 किमी मीटरगेज, 87 किमी नेरोगेज लाइने है।

वर्ष 2002 में नये जोन के रुप में उत्तर पश्चिम रेलवे के गठन से अजमेर–भीलवाडा–चित्तौडगढ मार्ग को कुछ प्रमुखता मिलने लगी। इस जोन में 5761 किमी की रेल लाइन एवं राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा के 658 से अधिक स्टेशन सम्मिलित है। पिछले 45 वर्षो से रेलवे के मण्डल एवं क्षैत्रीय सलाहकार समितियों में भी मेवाड चेम्बर के महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व से रेल सुविधाओं के विस्तार में काफी मदद मिली है। इस क्षैत्र में मीटरगेज से ब्रोडगेज में परिवर्तन, नई ट्रेनों को प्रारम्भ कराने एवं अब अजमेर–उदयपुर–रतलाम के मध्य रेललाइन के विद्युतीकरण के कार्य में मेवाड चेम्बर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उद्योगों के लिए कच्चे माल, कोयला आदि का परिवहन एवं निर्यात के लिए कन्टेनरों को त्वरित गति से बन्दरगाहों तक पहुँचाने के लिए रेल सुविधाओं के विस्तार की महती आवश्यकता है। भीलवाडा, चित्तौडगढ, राजसमन्द, बांसवाडा जिलों से टेक्सटाइल, मिनरल, सैण्डस्टोन, मार्बल, सोपस्टोन आदि का लगभग 20 हजार करोड रुपये से अधिक का निर्यात होता है। टेक्सटाइल, सैण्डस्टोन आदि का निर्यात कन्टेनर के माध्यम से किया जाता है। वर्तमान में इन जिलों में रेलवे से कन्टेनर परिवहन सुविधा उपलब्ध नही होने से, सभी निर्यात कन्टेनर सडक मार्ग से बन्दरगाहों को भेजे जाते है। इससे उद्योगों को बन्दरगाहों तक माल परिवहन के लिए काफी अतिरिक्त भाडा चुकाना पडता है। निर्यात प्रोत्साहन के लिए दक्षिण राजस्थान में रेल सुविधाओं, माल परिवहन सुविधाओं का विस्तार, रेलवे आईसीडी, फ्रेट टर्मिनल सुविधाओं के निर्माण की आवश्यकता महत्वपूर्ण है।

भारतीय रेलवे द्वारा माल परिवहन के लिए पश्चिम डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निर्माण का कार्य चल रहा है। इसकी जे एन पी टी से दादरी तक कुल लम्बाई 1504 किमी होगी एवं यह डबल लाइन इलेक्ट्रीकल मार्ग होगा। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से गुजरने वाले इस फ्रेट कोरीडोर का सर्वाधिक भाग राजस्थान में है। किशनगढ में इस कार्य के तहत टर्मीनल स्टेशन आदि का निर्माण हो चुका है। भीलवाडा को किशनगढ तक फ्रेट कोरीडोर से जोडने का कार्य फेज 3 एवं 4 में प्रस्तावित है।

भीलवाडा से रेल सेवाएं

अजमेर–रतलाम रेल मार्ग के वर्ष 2006–08 में ब्रोडगेज परिवर्तन के बाद प्रारम्भ में भीलवाडा होकर कुल 6 ट्रेन संचालित होना प्रारम्भ हुआ। मेवाड चेम्बर के लगातार प्रयासों से यात्री रेल सेवाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कोलकाता, हैदराबाद के लिए रेल सेवाओं को प्रारम्भ कराने, अजमेर–जलपाईगुडी एवं अजमेर हरिद्वार को उदयपुर तक विस्तार कराने, मुम्बई के लिए प्रतिदिन रेल सेवा उपलब्ध कराने, अजमेर से रामेश्वरम् ट्रेन प्रारम्भ कराने, इन्दौर से बीकानेर एवं दिल्ली के लिए 2 नई ट्रेन सेवाएं प्रारम्भ कराने में मेवाड चेम्बर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान में भीलवाडा से होकर निम्न यात्री रेल सेवाएं संचालित है।

S.No.	Down		UP		Name of Train
1	12719	W, F	12720	M,W	Jaipur Hydrabad SF Express Via Akola
2	17019	TUE	17020	Sat	Jaipur Hydrabad Express Via Manmad
3	19413	W	19414	Sat	Ahmedbaad-Ajmer Kolkata Express
4	19608	M	19607	Thu	Ajmer Kolkata Express
5	18010	SUN	18009	Fri	Ajmer Santragachi Express
6	12315	Th	12316	M	Kolkata Udaipur Ananya Express
7	12981	Daily	12982	Daily	Delhi Sarai Rohilla Udaipur (Chetak)
8	12992	Daily	12991	Daily	Jaipur Udaipur Inter City
9	09721	Daily	09722	Daily	Jaipur Udaipur Super Fast T SPL
10	14801	Daily	14802	Daily	Jodhpur Indore Express

S.No.	Down		UP		Name of Train
11	12996/ 22996	Tu, Th, Sat	12995/ 22995	W, F, Su	Ajmer/ Udaipur Bandra (T) Express
12	22902/ 20902	W,F,Su	22901 / 20901	Tu,Th,Sat	Ajmer/ Udaipur Bandra (T) Express
13	19711 / 59306	Daily	19712 / 59307	Daily	Jaipur Bhopal/ Indore Express
14	11204	F	11203	Thu	Jaipur-Ajmer Nagpur Express
15	19665	Daily	19666	Daily	Khazurho Udaipur Express
16	19602	M	19601	Sat	New Jalpaiguri Udaipur Express
17	13424	Sat	13423	THU	Ajmer Bhagalpur Express
18	19610	Tu, Fri, Sun	19609	M, Th, Sat	Haridwar Udaipur Express
19	79302	Daily	79301	Daily	Bhilwara / Chittorgarh / Ratlam DMU
20	59603	Daily	59604	Daily	Ajmer Udaipur Shuttle
21	19333	Sat	19334	Sun	Indore-Bikaner Express (Weekly)
22	19337	Sat	19338	Sun	Indore-Delhi Sarai Rohilla Express (Weekly)
23	19709	Mon	19710	Thru	Udaipur-Kamakhya-Kavi Guru Express (Weekly)
24	19603	SAT	19604	Thru	Ajmer-Rameshwaram Hamsafar Express (Weekly)

नई ट्रेनों /विस्तारीकरण की मांग

मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री की ओर से मण्डल एवं क्षेत्रीय रेल सलाहकार समिति में अपने प्रतिनिधियों के मार्फत निम्न ट्रेनों के विस्तारीकरण की मांग की गईः–

1) अजमेर–रामेश्वरम् ट्रेन प्रारम्भ करने के संबंध में –

अजमेर–रामेश्वरम् ट्रेन वाया भीलवाडा–रतलाम–तिरुपति–चैन्नई–वारांगल–रामेश्वरम् प्रस्तावित की गई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार रेलवे बोर्ड ने इसकी तकनीकी स्वीकृति जारी कर दी है। इस ट्रेन का शीघ्र संचालित कराने का अनुरोध है।

2) जयपुर–उदयपुर के मध्य ट्रेन संख्या 09721/09722 होलीडे एक्सप्रेस को नियमित करने के संबंध में

उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जयपुर–उदयपुर के मध्य ट्रेन संख्या 09721 / 09722 पिछले 4 से अधिक वर्षो से होलीडे एक्सप्रेस के रुप में संचालित की जा रही थी। इसे पहले अंत्योदय एक्सप्रेस के रुप में परिवर्तित किया था, जो पुनः होलीडे एक्सप्रेस के रुप में संचालित की जा रही है। वर्तमान में इसकी अवधि 31 दिसम्बर 2018 तक बढाई गई है।

ट्रेन संख्या 09721 / 09722 होलीडे एक्सप्रेस पिछले 5 से अधिक वर्षो से नियमित रुप से संचालित होकर यात्रियों के मध्य अत्यन्त लोकप्रिय हुई है। राजस्थान में जयपुर, अजमेर, चित्तौडगढ, उदयपुर के लिए आने वाले पर्यटक बडी संख्या में इस ट्रेन को पसन्द करते है एवं इससे यात्रा करते है। साथ ही बाहर से आकर अजमेर, पुष्कर आदि धार्मिक स्थानों की यात्रा करने वालों के लिए भी यह उपयोगी है। अजमेर से उदयपुर के मध्य के शहरों का यातायात का दबाव काफी होकर इस ट्रेन में भारी भीड रहती है एवं Occupancy Ratio बहुत अच्छा है।

अतः निवेदन है कि ट्रेन संख्या 09721 / 09722 होलीडे एक्सप्रेस को नियमित ट्रेन के रुप में संचालित किया जाए।

3) अजमेर–चण्डीगढ गरीबरथ गाडी संख्या 12983/12984 को उदयपुर से संचालित करने हेतुः–

वर्तमान में अजमेर–चडीगढ गरीबरथ सप्ताह में तीन दिन अजमेर से चडीगढ के लिए संचालित होती है। उदयपुर, चित्तौडगढ एवं भीलवाडा के यात्रियों के लिए चडीगढ एवं पंजाब के अन्य स्टेशनों के लिए कोई ट्रेन उपलब्ध नही है। उदयपुर महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र होने के साथ मार्बल, मिनरल एवं केमीकल उत्पादन, चित्तौडगढ मार्बल, सीमेन्ट एवं भीलवाडा टेक्सटाइल व्यवसाय के बहुत

बडे केन्द्र है एवं पंजाब के लिए नियमित यात्री भार रहता है। यात्रियों को अजमेर से ट्रेन लेने में असुविधा होती है। अतः अजमेर–चडीगढ गरीबरथ को उदयपुर से संचालित किया जाए।

4)ट्रेन नम्बर 12413/12414 अजमेर-जम्मुतवी ट्रेन का चित्तौडगढ तक विस्तारीकरण करने की मांग

उक्त ट्रेन जम्मुतवी से अजमेर तक संचालित है। इस ट्रेन को मेवाड क्षेत्र के यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चित्तौडगढ तक विस्तारित किया जाना चाहिए, जिससे की इस क्षेत्र के यात्रियों को सुविधा मिल सके। सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 5 जुलाई 2016 को इससंबंध में प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय को बनाकर भेजा गया था। इस प्रस्ताव को पुनः भेजने की मांग की गई।

भीलवाडा रेलवे स्टेशन पर दूसरे प्रवेश द्वार प्रारम्भ

दिनांक 17 फरवरी 2019 को माननीय सांसद श्री सुभाषचंद बहेडिया, माननीय विधायक श्री विट्ठलशंकर अवस्थी ने भीलवाडा रेलवे स्टेशन के दूसरे द्वार का उद्घाटन व दूसरे फुटओवर ब्रिज के लिए शिलान्यास किया। सर्किट हाउस की ओर बनाए दूसरे द्वार के निर्माण पर 1.40 करोड़ की लागत आई है। इसमें 30 लाख रुपए सांसद निधि, 30 लाख विधायक निधि और 80 लाख रुपए रेलवे द्वारा उपलब्ध करवाए।

भीलवाड़ा उत्तर पश्चिम रेलवे का महत्वपूर्ण स्टेशन है जहां से रोज 10 हजार से अधिक यात्रियों का आवागमन होता है। यात्रियों की बढ़ती संख्या और स्टेशन के पश्चिमी हिस्से (पटरी पार) में रहने वाले लोगों को सुविधा देने के लिए मेवाड चेम्बर की ओर से पिछले 5 वर्षो से अधिक समय से विभिन्न रेलवे उपयोगकर्ता सलाहकार समितियों में एवं रेलवे अधिकारियों से द्वितीय प्रवेश द्वार की मांग की जा रही थी।

स्टेशन पर अभी एक ही फुटओवर ब्रिज है। दूसरे प्रवेश द्वार से अभी बने फुट ओवरब्रिज की दूरी ज्यादा है। इसलिए इस दरवाजे से यात्री सीधे ही पहले, दूसरे व अन्य प्लेटफार्म पर पहुंच सके इसके लिए एक और फुट ओवरब्रिज का शिलान्यास भी किया गया। गुड्स प्लेटफॉर्म की जगह नया हाई–लेवल प्लेटफार्म की कोटा स्टोन लोरिंग 350 मीटर, यूटीएस/पीआरएस कॉम्प्लेक्स व काउंटर, बुकिंग ऑफिस, वेटिंग हॉल व दिव्यांग टॉयलेट, प्रवेश एवं निकास द्वार, सर्कुलेटिंग एरिया का विकास, वाटर कूलर, एटीवीएम मशीन, बैंच आदि का उद्घाटन किया गया।

भीलवाडा रेलवे स्टेशन पर पूर्व में केवल एक मार्ग मुख्य बाजार की ओर था। पिछले 25–30 वर्षो में भीलवाडा में व्यावसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों का अधिकतर विकास रेलवे लाइन के पार गांधीनगर, बापूनगर एवं रीको औद्योगिक क्षेत्र में हुआ है। भीलवाडा के समस्त कपडा बाजार गांधीनगर क्षेत्र में स्थित है, समस्त औद्योगिक गतिविधियां इसी दिशा में औद्योगिक क्षेत्रों में संचालित है। अधिकांश व्यवसायियों एवं उद्योगों के कार्यालय भी इसी तरफ है। इस तरफ शहर की 40 प्रतिशत आबादी निवास कर रहे है एवं व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न आमजन को रेलवे स्टेशन पर आने के लिए फाटक पार कर अथवा कलेक्ट्रेट के पास ऑवरब्रीज से आना पडता है, जिसमें काफी समय जाया होता है। साथ ही पेसेन्जर गाडियों के आवागमन के समय रेलवे फाटक बन्द होने से यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर आने में काफी दिक्कत होती है एवं कई बार विलम्ब होने से ट्रेन छुटने का भी अंदेशा रहता है। पिछले 6 से अधिक वर्षो से मेवाड चेम्बर की ओर से भीलवाडा रेलवे स्टेशन पर गांधीनगर की ओर द्वितीय गेट बनाने की मांग की जा रही थी।

अजमेर रेल मण्डल प्रबंधक श्री पुनीत चावला ने 6 दिसम्बर 2017 को भीलवाडा यात्रा के समय गांधीनगर की ओर से रेलवे स्टेशन पर आगमन के लिए नया प्रवेश द्वार के निर्माण की स्वीकृति की घोषणा की।

रेलवे स्टेशन पर सर्कुलेटिंग एरिया विस्तार एवं सौन्द्रयीकरण

वर्तमान रेलवे स्टेशन के मुख्य के बाहर सर्कुलेटिंग एरिया एवं पार्किंग के विस्तार के लिए कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। वर्तमान में साइकिल स्टेण्ड के पिछे चार भवन तोडे जाकर विस्तार किया जा रहा है। भीलवाडा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ का थाना एवं क्वाटर भी बनाये जा रहे है। यहां पर अब एक सर्किल इन्सपेक्टर की पोस्ट दी जाकर 34 जवान नियुक्त किये जाएगे। नगर परिषद के सहयोग से मुख्य प्लेटफॉम पर सौन्द्रयीकरण हेतु भीलवाडा की प्रसिद्ध पड़ पेटिंग पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त श्री श्रीलाल जोशी एवं श्री कल्याण जोशी के द्वारा बनावाई जा रही है। साथ ही रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन 20 हजार लीटर क्षमता का आर ओ प्लान्ट भी स्थापित किया गया।

उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक का स्वागत

उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री टी पी सिंह का 11 जनवरी 2019 को अपनी अधिकारिक यात्रा पर भीलवाडा आगमन हुआ। अजमेर मण्डल के मण्डल प्रबंधक श्री आर के कश्यप एवं अन्य अधिकारीगण उनके साथ थे। भीलवाडा आगमन पर मेवाड चेम्बर की ओर से वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री जे के बागडोदिया, मानद महासचिव श्री आर के जैन, पूर्व मानद महासचिव श्री एस पी नाथानी, कोषाध्यक्ष एवं जेडआरयूसीसी सदस्य श्री विनोद मानसिंगका एवं अन्य वरिष्ठ सदस्यों ने पुष्पगुच्छ से श्री टी पी सिंह एवं श्री आर के कश्यप का स्वागत किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने रेलवे स्टेशन के पश्चिम की ओर बन रहे नये प्रवेश द्वार एवं अन्य कार्यो का अवलोकन किया।

श्री टी पी सिंह ने इस अवसर पर मेवाड चेम्बर के प्रतिनिधिमण्डल से भीलवाडा में रेलवे स्टेशन के विकास, रेल सुविधाओं एवं अन्य विषयों पर गहन चर्चा की। मेवाड चेम्बर की ओर से श्री सिंह को एक विस्तृत प्रतिवेदन दिया गया।

डेडीकेटेड फ्रेट टर्मिनल

भीलवाडा औद्योगिक एवं निर्यात की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण इलाका है। वर्तमान में हमारे यहां से निर्यात माल का परिवहन सडक मार्ग से ही हो रहा है। निर्यात माल परिवहन के लिए भीलवाडा में रेलवे द्वारा डेडीकेटेड फ्रेट टर्मिनल स्थापित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अभी निर्यात कन्टेनर सडक मार्ग से बन्दरगाहों को जाते है, इससे निर्यातकों को कई गुणा अधिक मालभाडा देना पड रहा है। पूर्व में वर्ष 2014 में तत्कालीन महाप्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे ने इसकी सिद्वान्ततः स्वीकृति प्रदान की एवं इस विषय में जिला एवं राज्य स्तर पर काफी बैठके भी हुई। डेडीकेटेड फ्रेट टर्मिनल के लिए रेलवे को जिले में रेल लाइन के आसपास 1.5 किमी लम्बी एवं 200 मीटर चौडी भूमि की आवश्यकता है। मेवाड चेम्बर इसके लिए राज्य सरकार, रेलवे, जिला प्रशासन के स्तर पर प्रयासरत है।

भीलवाडा जिले में मेमू कोच फैक्ट्री की स्थापना के संबंध मे

तत्कालीन रेलमंत्री डॉ सी पी जोशी के प्रयासों से पूर्व में भीलवाडा जिले में मेमू कोच फेक्ट्री की स्थापना की घोषणा की गई थी। तद्नुसार राज्य सरकार ने इस फेक्ट्री की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि 1292.14 बीघा का आंवटन जिले के रुपाहेली क्षेत्र में कर दिया गया था। रेलवे प्रशासन द्वारा उक्त भूमि अधिग्रहित कर, सीमांकन कर इस उद्योग की स्थापना हेतु 22 सितम्बर 2013 को शिलान्यास भी करवाया गया था। लेकिन इसके निर्माण के संबंध में कोई प्रगति नही होने से मेवाड चेम्बर द्वारा केन्द्रीय रेलमंत्री, रेलवे बोर्ड को कई प्रतिवेदन भेजे गये।

वर्ष 2018–19 में एवं राज्य में नई सरकार के गठन के बाद चेम्बर ने इस विषय में राज्य स्तर, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड एवं उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय पर प्रतिवेदन भेज एवं व्यक्तिगत मुलाकात कर पूर्व में स्वीकृत मेमू कोच फेक्ट्री की स्थापना के लिए मांग की। चेम्बर के सतत् प्रयासों से 20 फरवरी 2019 को उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से जिला प्रशासन को उक्त भूमि रेलवे को सुपुर्द करने के लिए लिखा गया। मार्च 2019 में हुरडा तहसील कार्यालय द्वारा उक्त भूमि को रेलवे को सुपुर्द करने की कार्यवाही की गई।

ग्रोथ सेन्टर के लिए आरओबी निर्माण प्रारम्भ

हमीरगढ क्षेत्र में स्थापित रीको ग्रोथ सेन्टर में आवागमन के लिए स्वरुपगंज के पास लेवल क्रोसिंग को बन्द किये जाने से मेवाड चेम्बर की ओर से पिछले 2 वर्षो से इसके स्थान पर अण्डरब्रीज के बजाय रेलवे ऑवरब्रीज बनाने की मांग की जा रही थी। ग्रोथ सेन्टर से आवागमन के लिए रेलवे ऑवरब्रीज की स्वीकृति के बाद अब इसका कार्य आदेश जारी हो गया है। यह चेम्बर की बडी उपलब्धि है।

अजमेर-उदयपुर रेल लाइन के विद्युतीकरण

रेलवे बजट में अजमेर–उदयपुर रेल लाइन के विद्युतीकरण की घोषणा की गई, जिसके लिए बजट में प्रावधान किए गये। विद्युतीकरण के तहत रेल लाइन के साथ इलेक्ट्रीक लाइन डालने एवं विभिन्न स्थानों पर सब–स्टेशन स्थापित करने का कार्य को 17 जुलाई 2016 को आदर्श नगर (अजमेर) रेलवे स्टेशन के पास उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री अनिल सिघंल एवं सेन्ट्रल रेल इलेक्ट्रफिकेशन के महाप्रबंधक श्री महेश मंगल ने शुभारम्भ किया। 294 किमी के इस खण्ड के विद्युतीकरण की लागत 314. 28 करोड की बताई गई थी।

वर्तमान में अजमेर–उदयपुर रेल खण्ड के विद्युतिकरण का कार्य पूरा हो चुका है। रेलवे सुरक्षा आयुक्त द्वारा इस खण्ड पर जांच का कार्य भी पूरा होकर जुलाई 2019 में इस खण्ड पर इलेक्ट्रीक ट्रेन प्रारम्भ होने की संभावना है।

चित्तौडगढ-रतलाम रेल लाइन का दौहरीकरण

पश्चिम रेलवे के चित्तौडगढ–रतलाम रेल लाइन का दौहरीकरण का कार्य भी तीव्र गति से प्रगति पर है। इस कार्य के पूरा होने पर चित्तौडगढ, निम्बाहेडा आदि क्षेत्रों में स्थापित सीमेन्ट प्लान्टों से सीमेन्ट परिवहन की गति में काफी प्रगति होगी। साथ ही चित्तौडगढ से रतलाम के बीच विद्युतीकरण के कार्य के लिए भी प्रशासनिक प्रक्रिया प्रगति पर है।

सम्पूर्ण उत्तर पश्चिम रेलवे का विद्युतीकरण

वर्ष 2018–19 के केन्द्रीय बजट में सम्पूर्ण उत्तर पश्चिम रेलवे के विद्युतीकरण के लिए 3130 करोड की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस लागत से 3157 किलोमीटर लाइन का विद्युतीकरण किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इसी के तहत उदयपुर–हिम्मतनगर खण्ड (209.66 किमी) के विद्युतीकरण के लिए 233.77 करोड का प्रावधान किया गया है। भीलवाडा से निर्यात हेतु गुजरात के बन्दरगाहों को जोडने के लिए इस महत्वपूर्ण मार्ग का ब्रॉडगेज में आमान परिवर्तन का कार्य पहले से ही चल रहा है।

लोजेस्टिक सुविधाएं

भीलवाडा जिला ही नही पूरा दक्षिण राजस्थान उचित लोजेस्टिक सुविधाओं से वंचित है। जबकि यह क्षेत्र टेक्सटाइल एवं मिनरल निर्यात का राजस्थान का सबसे बडा केन्द्र है। दक्षिण राजस्थान के 7 जिलों में रेल सेवाये भी पर्याप्त नही है साथ ही एक भी इण्डलैण्ड कन्टेनर डीपो कार्यरत नही है। निर्यातको को समस्त कारगो सडक मार्ग से बन्दरगाहों तक भेजना पडता है। जिससे निर्यात लागत में भी बढोतरी ही नही, निर्यात डॉक्यूमेन्ट प्राप्त करने, पेमेन्ट हेतु कार्यवाही करने में भी विलम्ब होता है। यह एक बडी गम्भीर समस्या है।

मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के वृहद प्रयासों से वर्ष 2000 में भीलवाडा में राजसीको द्वारा एक इन्लैण्ड कन्टेनर डिपो स्थापित किया गया। प्रशासनिक तालमेल के अभाव में इसका संचालन 1–2 वर्षो में ही बन्द हो गया। सभी स्तर पर गहन प्रयासों से पुनः 2006–2007 में इसे कार्यशील करवाया गया। लेकिन इनवर्ड खाली कन्टेनर के अभाव, कन्टेनर आपूर्ति में विलम्ब, राजसीको द्वारा उपेक्षा तथा कस्टम क्लियरेन्स में विलम्ब आदि कारणों से पुनः इसका संचालन बन्द हो गया। चित्तौडगढ, राजसमन्द आदि जिलों में भी कोई कन्टेनर डिपो नही है।

2 अगस्त 2018 को राजसीको के चेयरमेन श्री मेघराज लोहिया के मेवाड चेम्बर में आगमन पर चेम्बर की ओर से इनलेण्ड कन्टेनर डिपो पुनः प्रारम्भ करवाने अथवा रेलवे द्वारा डेडीकेटेड फ्रेट टर्मिनल के निर्माण में राज्य सरकार के स्तर पर सहयोग कराने का अनुरोध किया गया।

दक्षिण राजस्थान के भीलवाडा, चित्तौडगढ, बांसवाडा, राजसमन्द आदि जिले प्रदेश में औद्योगिक उत्पादन के प्रमुख केन्द्र है। भीलवाडा एवं बांसवाडा टेक्सटाइल उत्पादन, चित्तौडगढ सीमेन्ट उत्पादन एवं राजसमन्द मार्बल के प्रमुख केन्द्र है। मिनरल उद्योग – लौह अयस्क एवं सांद्रीकृत लौह, सांद्रीकृत लैड–जिंक अयस्क एवं मिनरल का भी बडी मात्रा में इन क्षैत्रों में घरेलु एवं निर्यात हेतु परिवहन होता है।

रेलवे कन्टेनर डीपों के अभाव में सडक परिवहन कन्टेनर डीपो अत्यन्त आवश्यक है। मध्यप्रदेश में पिथमपुर, इन्दौर, हरियाणा में पानीपत जैसे निर्यात केन्द्रों पर सडक परिवहन कन्टेनर डीपो कार्यरत है लेकिन दक्षिण राजस्थान से 10 हजार करोड से अधिक के निर्यात के बावजूद भी केन्द्र एवं राज्य सरकार निर्यातकों की सुविधा के प्रति गम्भीर नही है।

राजस्थान में वर्तमान कार्यरत कन्टेनर डिपो

1 कन्टेनर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया का आईसीडी कनकपुरा, जयपुर

2 राजसीको का आईसीडी मानसरोवर, जयपुर (पूर्व में बन्द पडा हुआ नवम्बर 2014 से संचालन पुनः प्रारम्भ)

3 राजसीको का एयर कारगो कॉम्पलेक्स, सांगानेर एयरपोर्ट, जयपुर

4 जेम्स एण्ड ज्वैलरी स्टॉक एक्सचेंज की बोण्डेड ट्रकिंग सुविधा, डिग्गी हाउस, जयपुर।

5 कन्टेनर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया का आईसीडी भगत की कोठी, जोधपुर।

6 राजसीको का आईसीडी बासनी, जोधपुर।

7 हस्थ पेट्रोकेमिकल्स प्रा लि का थार आईसीडी, जोधपुर

8 कन्टेनर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया का रावठा रोड, कोटा।

9 अडानी समुह का निर्माणरत आईसीडी किशनगढ।

क्षैत्र से माल परिवहन

भीलवाडा, चित्तौडगढ, बांसवाडा, राजसमन्द आदि जिलों में स्थापित उद्योगों में उपयोग के लिए कच्चा माल, कोल इत्यादि इनवर्ड ट्रेफिक के रुप में आता है। वही सीमेन्ट, कपडा, यार्न, धातु एवं अन्य मिनरल का परिवहन घरेलु एवं निर्यात हेतु परिवहन होता है। मेवाड चेम्बर द्वारा संकलित आंकडों के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 57 लाख टन माल उद्योगों द्वारा उपयोग हेतु मंगवाया जाता है। वहीं सीमेन्ट, टायर सहित लगभग 185 लाख टन उत्पाद घरेलु एवं 4.25 लाख टन उत्पाद निर्यात हेतु बाहर भेजा जाता है। रेलवे सीमेन्ट, लैड–जिंक आदि के परिवहन हेतु उद्योगों को रेलवे से रैक लॉडिंग की सुविधाएं प्राप्त है। परन्तु अन्य मुख्य उत्पाद एवं मिनरल आदि का परिवहन सडक मार्ग से ही होता है। इनलैण्ड कन्टेनर डिपो, रेलवे फ्रेट टर्मिनल के अभाव में उद्योगों को विवश होकर सडक मार्ग से परिवहन में ज्यादा लागत पड रही है।

भीलवाडा जिले से निर्यात प्रोत्साहन के लिए कन्टेनर/फ्रेट टर्मिनल निर्माण आवश्यक

दक्षिण राजस्थान से टेक्सटाइल, मिनरल, सैण्डस्टोन, सोपस्टोन आदि का लगभग 10 हजार करोड रुपये से अधिक का निर्यात होता है। टेक्सटाइल, सैण्डस्टोन आदि का निर्यात कन्टेनर के माध्यम से किया जाता है। वर्तमान में भीलवाडा में रेलवे से कन्टेनर परिवहन सुविधा उपलब्ध नही होने से, सभी निर्यात कन्टेनर सडक मार्ग से बन्दरगाहों को भेजे जाते है। इससे उद्योगों को बन्दरगाहों तक माल परिवहन के लिए काफी अतिरिक्त भाडा चुकाना पडता है। इस कारण से राजस्थान का टेक्सटाइल उद्योग गुजरात एवं महाराष्ट्र के टेक्सटाइल उद्योग की प्रतिस्पर्द्धा में पिछड रहा है। मेवाड चेम्बर भीलवाडा के समीप रेलवे फ्रेट टर्मिनल के निर्माण हेतु पूर्ण प्रयासरत है।

मेवाड चेम्बर द्वारा रेलवे फ्रेट टर्मिनल के निर्माण हेतु 1.5 किमी लम्बी एवं 150 मीटर चौडी भूमि आंवटन के लिए राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन को कई प्रतिवेदन भेजे गये, माननीय उद्योगमंत्री एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की गई। माननीय विधायक श्री वी एस अवस्थी द्वारा इस विषय को राज्य विधानसभा में भी उठाया गया। इन सब प्रयासों के बावजूद अभी तक आवश्यक भूमि का आंवटन नही हुआ है, मेवाड चेम्बर इसके लिए सतत प्रयासरत है। वर्ष 2018–19 के दौरान चेम्बर की ओर से इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री, उद्योग आयुक्त एवं जिला कलक्टर भीलवाडा को प्रतिवेदन दिये गये।

हवाई यातायात

राजस्थान लैण्डलॉक्ड राज्य है साथ ही रेल यातायात की दृष्टि से भी राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में पिछडा हुआ है। औद्योगिक उत्पादन के अतिरिक्त पर्यटन की दृष्टि से भी राजस्थान काफी महत्व रखता है। लेकिन हवाई यातायात सेवा में भी राज्य काफी पिछडा हुआ है। राज्य में जयपुर, उदयपुर एवं जोधपुर हवाई सेवाओं से जुडे हुए है। क्षैत्रीय एवं दुरस्त इलाकों को वायु यातायात से जोडने के केन्द्र सरकार के नागर विमानन् की योजना है, जिसके तहत मध्यम शहरों की हवाई पट्टी को हवाई अड्डे में परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है। इसके तहत राज्य की 16 हवाई पट्टियों को विकसित करने की योजना है। राज्य सरकार के स्वामित्व की निम्न हवाई पट्टिया है :–

हवाई पट्टी का नाम	रनवे की वर्तमान लम्बाई (फीट)
आबु रोड	3800 x 50
थानगाजी, अलवर	3445 x 100
तिलवाडा, बांसवाडा	6002 x 75
हमीरगढ, भीलवाडा	6000 x 100
डोवरा, डुंगरपुर	3900 x 100
झालावाड	5976 x 100
जालौर	4000 x 100
झुंझनु	5000 x 100
श्रीगंगानगर	3297 x 50
सोजत, पाली	3600 x 50
फलौदी	4875 x 60
सीकर	5023 x 100
सिरोही	5904 x 50
नागौर	3575 x 100, 1475 x 100 extension
सवाईमाधोपुर	3200 x 150
चुरु	5000 x 100

इसके अतिरिक्त राज्य में निम्न निजी हवाई पट्टियां स्थापित हैः–

हवाई पट्टी का नाम	रनवे की वर्तमान लम्बाई (फीट)
पिलानी	5000 x 100
कांकरोली	4000 x 75
वनस्थली	4452 x 200
अटरु, बांरा	4960 x 104

इसके अतिरिक्त राज्य में बाडमेर (9000 फीट), जैसलमेर (9000 फीट), कोटा (4080 फीट), सुरतगढ (9000 फीट), बीकानेर (9000 फीट) के हवाई अड्डो निर्मित है, जिनको नियमित नागरिक हवाई सेवाओं के लिए उपयोग में लिया जा सकता है।

भीलवाडा से हवाई सेवा

भीलवाडा से टेक्सटाइल के अतिरिक्त सेण्डस्टोन, बोन प्रोडक्ट, रिफ्रेक्ट्री ब्रिक्स आदि के निर्यात में महत्वपूर्ण बढोतरी हुई है। निर्यात में और बढोतरी के लिए हवाई यातायात सुविधाएँ अत्यन्त आवश्यक हैं। मेवाड़ चेम्बर की ओर से पिछले कई वर्षो से भीलवाडा मे हवाई यातायात प्रारम्भ करवाने के प्रयास किये जा रहे है। यद्यपि निजी हवाई कम्पनियों द्वारा किये गये सर्वे के अनुसार अभी यहां यात्री लोड फेक्टर कम होने से नियमित हवाई सेवायें प्रारम्भ नही हो पा रही है फिर भी चेम्बर द्वारा सभी स्तर पर प्रयास किये जाकर नियमित हवाई सेवाएं प्रारम्भ कराने के प्रयास किये जा रहे है। उदयपुर से भी मुम्बई एवं दिल्ली के लिए इण्डियन एयरलाइन्स एवं जेट एयरवेज की ही सिमित सेवाएं संचालित है जिससे उदयुर–मुम्बई मार्ग पर यात्री किराया देश के अन्य मार्गो के मुकाबले काफी मंहगा है। मेवाड चेम्बर की ओर से उदयुपर से मुम्बई एवं दिल्ली के लिए अन्य एयरलाइन्स की भी सेवाएं प्रारम्भ कराने के प्रयास किये जा रहे है।

भीलवाडा से नजदीक हवाई अड्डा–डबोक (उदयपुर) दूरी 148 किमी।

उदयपुर के समीप डबोक हवाई अड्डा 504 एकड भूमि पर निर्मित है, इसकी हवाई पट्टी की लम्बाई 9 हजार फीट है। फरवरी 2008 में इसकी नई आधुनिक टर्मिनल भवन बनाया गया। यहां से वर्तमान में निम्न सेवाएं उपलब्ध है।

एयर इण्डिया	दिल्ली, मुम्बई, जोधपुर बैंगलौर, चैन्नई वाया मुम्बई
इण्डिगो	दिल्ली, मुम्बई, हैदराबाद
जेट एयरवेज	दिल्ली, मुम्बई
स्पाइस जेट	दिल्ली, जयपुर
एयरडेकन	दिल्ली

जयपुर अर्न्तराष्ट्रीय हवाई अड्डा–सांगानेर (जयपुर) दूरी 262 किमी।

यहां से वर्तमान में डोमस्टिक हवाई सेवाएं–दिल्ली, कोलकाता, चैन्नई, मुम्बई, अहमदाबाद, जैसलमेर, उदयपुर, वाराणसी, हैदराबाद, बैंगलोर, देहरादून, गौहाटी, पुणे, सुरत, आगरा, अमृतसर, चण्डीगढ, इन्दौर, लखनऊ आदि के लिए नियमित उडान सेवाएं उपलब्ध है।

इन्टरनेशनल हवाई सेवाएं–दुबई, सिंगापुर, शारहजां, बैंकाक, अबुधाबी (यूएई), मस्कट के लिए नियमित उडान सेवाएं उपलब्ध है।

किशनगढ हवाई अड्डा

किशनगढ हवाई अड्डे का उद्घाटन 11 अक्टुबर 2017 को केन्द्रीय नागरिक उड्यन मंत्री श्री जयन्त सिन्हा एवं राज्य की मुख्यमंत्री श्रीमति वसुन्धरा राजे के कर कमलों से हुआ। यहां 2700 वर्गमीटर का पेसेन्जर टर्मीनल बनाया गया है, जहां 6 चेकिंग काउन्टर एवं 1 एक्सरे मशीन लगी हुई है।

किशनगढ में हवाई अड्डे के निर्माण से भीलवाडा से 170 किमी दूरी पर, प्रारम्भिक स्तर पर एक नया हवाई अड्डा उपलब्ध हुआ है। वर्तमान में यहां से दिल्ली–किशनगढ–दिल्ली की सेवाएं नियमित रुप से संचालित है। अप्रेल 2019 से हैदराबाद, मुम्बई एवं अहमदाबाद की सेवाएं भी प्रारम्भ हुई है।

ऊर्जा

विद्युत

दक्षिण राजस्थान में भीलवाडा, चित्तौडगढ, बांसवाडा टेक्सटाइल एवं सीमेन्ट उद्योग के महत्वपूर्ण केन्द्र है। उद्योगों को विद्युत आपूर्ति के लिए उत्पादन, प्रसारण एवं विद्युत वितरण निगमों द्वारा इन जिलों में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं निष्पादित की जा रही है।

Source wise installed Generation Capacity of Rajasthan (31.12.2018)		
Patrticulars	Capacity	%
A	Conventional	
Coal	11181.50	53%
Gas	824.60	4%
Nu	456.74	2%
Hydro	1861.95	9%
Total (A)	14324.79	68.29%
B	Non-Conventional	
Wind	4139.20	20%
Biomass	101.95	0.49%
Solar	2411.70	11.50%
Total (B)	6652.85	31.71
Total (A+B)	20977.64	

वर्तमान में राज्य में राज्य विद्युत उत्पादन निगम की स्थापित क्षमता निम्नानुसार हैः—

S.No.	Power Station	Present Capacity
1.	Suratgarh STPS,Suratgarh,Distt-Shriganganagar	1500 MW
2.	Kota STPS, Kota	1240 MW
3.	Chhabra Thermal Power Station,Chhabra, Distt. Baran	1660 MW
4.	Kalisindh Thermal Power Station,Kalisindh, Distt. Jhalawar	1200 MW
5.	Dholpur CCPS ,Dholpur	330 MW
6.	Giral Lignite TPS ,Giral, Distt. Barmer	250 MW
7.	Ramgarh Gas Thermal Power Station,Distt. Jaisalmer	273.50 MW
8.	Mahi Hydel Power Station.Distt-Banswara	140 MW
9.	Mini Micro Hydel Schemes	23.85MW
	Total	6617.35 MW

RVUN is also managing and operating the following Inter State Projects

S.No.	Power Station	Present Capacity
1.	Rana Pratap Sagar Hydel PS (4X43 MW)	172 MW
2.	Jawahar Sagar Hydel PS (3X33 MW)	99 MW
	Total	271 MW

Ongoing Projects of RVUN

S.No	Name of Unit	Capacity	Commissioning Target
01.	Chhabra Supercritical Thermal Power Station Unit#5	660MW	Commissioning on 4.4.17 COD achieved on 9.8.2018
02.	Chhabra Supercritical Thermal Power Station Unit#6	660 MW	Synchronised on Coal-1/12/18 COD by march 2019
03.	Suratgarh Supercritical Thermal Power Station Unit#7	660 MW	Synchronised on Coal -18/12/18 COD by June 2019
04.	Suratgarh Supercritical Thermal Power Station Unit#8	660 MW	March 2019

पवन ऊर्जा

राज्य में अक्षय ऊर्जा की विपुल सम्भावनाओं को देखते हुए राज्य में 1998 से पवन ऊर्जा पर कार्य प्रारम्भ हुआ। इसे गति देने के लिए राज्य सरकार द्वारा पवन ऊर्जा नीति जुलाई 2012 में जारी की गई है। जिसमें 2014 में पुनः संशोधन किया गया। राज्य में 4139.20 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित हो चुकी है।

मेवाड चेम्बर के सदस्यों द्वारा स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता

इकाई का नाम	क्षमता (मेगावाट)
अहिंसा सुटिंग	1.2
चेतक टाइल्स प्रा लि, चित्तौडगढ	0.35
छाबडा सिन्कोटेक्स प्रा लि	1.55
फैशन सुटिंस प्रा लि	4.2
हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड	88.8
बीएमडी लिमिटेड, बांसवाडा	1.2
बीएसएल लिमिटेड	4.4
एलएनजे ग्रुप	20
आर के मार्बल प्रा लि	4.8
संगम इण्डिया लिमिटेड	5.0
सर्वोदय सुटिंग लिमिटेड	0.7
सोना प्रोसेस इण्डिया लिमिटेड	0.35
आदित्या सीमेन्ट	1.13
कुल क्षमता	**133.68 मेगावाट**

इसके अतिरिक्त हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड ने राज्य के बाहर 184.7 मेगावाट (गुजरात में 88.8, महाराष्ट्र में 25.5, कर्नाटक में 49.4, तमिलनाडू में 21 मेगावाट) क्षमता के संयन्त्र स्थापित किये। हमारी इस सदस्य इकाई की कुल विण्ड एनर्जी क्षमता 4 राज्यों में 317.25 मेगावाट की हो गई है। मेवाड चेम्बर के सदस्यों की ग्रीन एनर्जी क्षमता लगभग 334.75 मेगावाट की हो गई है। जिससे लगभग 6.25 लाख मेट्रीक टन कॉर्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन की कमी हुई।

बायोमास से विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन

जून 2013 में राज्य सरकार ने ऊर्जा विभाग की बायोमास से विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित करने की नीति वर्ष 2010 के क्रम में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 45 की उपधारा (1) में विद्यमान परन्तुक में संशोधन कर विद्युत उत्पादन के लिये

प्रयुक्त किये जाने वाले प्रोसोपिस जूलीलोरा के वृक्षारोपण या इसी प्रकार के अन्य वृक्षारोपण के प्रयोजन के लिये भी खुद काश्त का धारक या भूस्वामी पट्टे पर या खातेदार अभिधारी उक्त पट्टे पर अपनी सम्पूर्ण जोत या उसके किसी भाग को पन्द्रह वर्ष की अवधि के लिये दे सकेगा और ऐसे पट्टे या उप पट्टे को पन्द्रह वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाने के लिये मंत्रिमण्डल द्वारा राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 2013 के प्रारूप का भी अनुमोदन किया। राज्य सरकार के इस निर्णय से बायोमास से विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा।

राज्य में कुल बायोमास विद्युत उत्पादन के 13 संयन्त्र स्थापित है, जिनकी क्षमता 101.95 मेगावाट की है। मेवाड चेम्बर के सदस्य बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा चन्देरिया, चित्तौडगढ में सरसों/अन्य भूसी पर आधारित 15 मेगावाट का बायोमास विद्युत उत्पादन संयन्त्र स्थापित किया गया है।

सौर ऊर्जा

राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2011 जारी कर, सिंगल विण्डों प्रणाली के साथ रियायती दरों पर भूमि आंवटन के प्रावधान किये गये है। इस वर्ष नई सौर ऊर्जा नीति 2014 जारी की गई है। दिसम्बर 2018 में कुल 2411.70 मेगावाट सौर ऊर्जा संयन्त्र चालू होकर ग्रीड से जोडे जा चुके है। राज्य में भादला में 2255 मेगावाट का सौर ऊर्जा पार्क निर्माणाधीन है, जिसमें जून 2018 में 745 मेगावाट को ग्रीड से जोडा जा चुका है एवं दिसम्बर 2019 तक पूरे प्रोजेक्ट के प्रारम्भ होने की संभावना है।

अन्य राज्यों में आन्ध्रप्रदेश 2590 मेगावाट, गुजरात 1637 मेगावाट, तमिलनाडू 1800 एवं मध्यप्रदेश 776 मेगावाट क्षमता से प्रमुख है। केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत 2021–22 तक 100 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

चेम्बर के सदस्य बीएमडी लिमिटेड द्वारा 2.5 मेगावाट का संयन्त्र कोलायत, बीकानेर में स्थापित किया गया है। भीलवाडा जिले में अमृत एनर्जी प्रा लि द्वारा हुरडा, गुलाबपुरा में 5 मेगावाट का संयन्त्र 2012 में चालू किया गया। आदित्या सीमेन्ट की सौर ऊर्जा क्षमता 2.6 मेगावाट है।

रुफ टॉप सौलर पावर प्लान्ट

चेम्बर की सदस्य इकाईयों द्वारा निम्न रुफ टॉप सौलर पावर प्लान्ट स्थापित किये गये है।

आरएसड्ब्ल्यूएम लिमिटेड	3.30 मेगावाट
संगम इण्डिया लिमिटेड	1.00 मेगावाट
नितिन स्पिनर्स लिमिटेड	3.60 मेगावाट
बीएसएल लिमिटेड	4.25 मेगावाट

विद्युत प्रसारण

पिछले वर्षो में राज्य में उद्योगों को विद्युत आपूर्ति के लिए प्रसारण व्यवस्था में काफी उन्नति हुई है। पूर्व में विद्युत प्रसारण के वरिष्ठ अधिकारियों ने जिले में स्थिति के बारे में मेवाड चेम्बर के साथ बैठक कर भीलवाडा जिले की विद्युत व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। भीलवाडा जिले में विद्युत ग्रीडों के विस्तार एवं नये ग्रीड स्थापना में मेवाड चेम्बर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद भीलवाडा में 400 केवी ग्रीड, रीको एरिया में 132 केवी ग्रीड एवं हमीरगढ ग्रीड को 132 केवी से 220 केवी में उन्नत करने से उद्योगों को विद्युत आपूर्ति में सुधार हुआ।

राज्य में विद्युत प्रसारण परिदृश्य (31.03.2018)

विद्युत लाइने	–	765 केवी लाइन 425.50 किमी
		400 केवी लाइन 4941.73 किमी
		220 केवी लाइन 14905.29 किमी
		132 केवी लाइन 17189.29 किमी
ग्रीड स्टेशन	–	765 केवी – 2 ग्रीड स्टेशन
		400 केवी – 12 ग्रीड स्टेशन
		220 केवी – 119 ग्रीड स्टेशन
		132 केवी – 427 ग्रीड स्टेशन
ट्रांसफॉर्मर	–	765 केवी – 15 ट्रांसफॉर्मर–7500 एमवीए
		400 केवी – 35 ट्रांसफॉर्मर–12125 एमवीए

220 केवी – 242 ट्रांसफॉर्मर–27505 एमवीए
132 केवी – 882 ट्रांसफॉर्मर–22721 एमवीए

भीलवाडा जिले में 400 केवी ग्रीड स्टेशन की क्षमता – 400/220 ट्रांसफॉर्मर – 315एमवीए
– 400/220/132 ट्रांसफॉर्मर – 315एमवीए

भीलवाडा जिले में 220 केवी ग्रीड स्टेशन की क्षमता – भीलवाडा 570 एमवीए
– गुलाबपुरा 257.50 एमवीए
– हमीरगढ 310 एमवीए
– माण्डलगढ 100 एमवीए

भीलवाडा जिले में 132 केवी ग्रीड स्टेशन – 26 स्टेशन–बीगोद, आसीन्द, बिजौलिया, दांता, गंगापुर, जहाजपुर, करेडा, माण्डलगढ, रायला, शाहपुरा, सुवाणा, रीको एरिया, प्रतापपुरा, काछोला, रायपुर, रीको ग्रोथ सेन्टर हमीरगढ।

ऊर्जा बचत में अभिनव प्रयोग

चेम्बर की सदस्य टेक्सटाइल, सीमेन्ट, टायर, मिनरल उद्योग आदि ने ऊर्जा बचत में कई कदम उठाये है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफीसियेन्सी द्वारा टेक्सटाइल मिलों, के लिए ऊर्जा उपभोग में कमी की योजना के तहत टेक्सटाइल इकाईयों ने कई अभिनव प्रयोग कर अपनी प्रति उत्पादन यूनिट के लिए ऊर्जा उपभोग में कमी की है।

सीमेन्ट प्लान्टों ने अपने क्लिन में प्री–हीटर, वेस्ट हीट रिकवरी प्लान्ट लगाने के साथ, प्लान्टो में लाइटिंग व्यवस्था में परिवर्तन कर कम वाट के एलईडी लाइटे लगवाई है। कई तरह के पम्प एवं मोटरों को बदला गया है। केप्टीव पावर प्लान्टों में प्रणालियों में सुधार से प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन में कोल उपभोग में कमी की है।

इसी तरह टेक्सटाइल इकाईयों ने भी कई तरह से ऊर्जा उपभोग में बचत की है। इकाईयों ने एनर्जी एफिसियेन्ट कम्प्रेशर एवं पम्प, बेल्ट ड्राईव प्रणाली से डायरेक्ट ड्राईव प्रणाली में परिवर्तन, सल्जर लूमों पर मोटर परिवर्तन, स्टीम, एयर नोजल में परिवर्तन, ट्यूबलाइट के स्थान पर एलईडी आदि परिवर्तनों से ऊर्जा बचत की है।

कई इकाईयों ने जर्मनी, स्पेन आदि नई अत्याधुनिक मशीने खरीदकर भी ऊर्जा खपत में बचत की है। संगम इण्डिया द्वारा अपने विद्युत सब स्टेशन पर 8एमवीए के पुराने ट्रांसफॉर्मर के स्थान पर नया एवं आरएसड्ब्ल्यूएम ने 2 एमवीए का ट्रांसफॉर्मर परिवर्तित करके भी विद्युत छीजत में बचत की है। कई टेक्सटाइल इकाइयों ने आईईसी/नेमा स्टेण्डर्ड की हाई एफिसियेन्सी मोटर्स लगाकार भी ऊर्जा खपत में बचत की है। इसके अतिरिक्त कई तरह के अन्य कदम भी उठाये गये।

जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त विद्युत अभाव अभियोग समिति

अजमेर विद्युत वितरण निगम की वर्ष 2018 में 7 जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त विद्युत अभाव अभियोग समिति की बैठकों का आयोजन हुआ। चेम्बर की ओर से इन बैठकों में भाग लेकर सदस्यों के विभिन्न स्थानीय स्तर के प्रकरणों के निस्तारण के प्रयास किये गये।

जल

जल एक प्राकृतिक संसाधन है, जीवन, खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ विकास के लिए मूलभूत जरूरत है। यह एक अपर्याप्त संसाधन भी है। भारत में विश्व की 18 प्रतिशत से अधिक जन संख्या है लेकिन यहां विश्व के 2.4 प्रतिशत भूमि क्षेत्र के साथ केवल 4 प्रतिशत ही नवीकरणीय जल संसाधन है। इसके अलावा देश में साल की 75 प्रतिशत बारिश केवल 4 महीनों में ही होती है। उसमें भी हर जगह इसकी मात्रा अलग–अलग होती है। राजस्थान में 10 से.मी. बारिश से लेकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में 1000 से.मी. तक वर्ष होती है। इसके अलावा देश के किसी न किसी भाग में लगातार बाढ़ और सूखे की नियमित चुनौतियां हैं। बढ़ती आबादी और तेजी से विकसित हो रहे राष्ट्र के रूप में बढ़ती जरूरतों के साथ–साथ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के उपलब्ध सूचकों को देखते हुए प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 2011 में 1545 क्यूबिक मीटर वर्ष से 2025 में 1341 क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष घटने की उम्मीद है।

राजस्थान में लगभग 223.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र खेती युक्त है, परंतु राज्य के आंतरिक जल स्रोत की सतही क्षमता अनुमानतः 15.86 एम.ए.एफ (राष्ट्रीय क्षमता का 1.16 प्रतिशत) है। राजस्थान की नदियों में बहने वाले पानी को सिंचाई विभाग ने 14 मुख्य जल संग्रहण क्षेत्रों में विभक्त किया है। राजस्थान में उपलब्ध कुल सतही जल का 81.96 प्रतिशत अर्थात 13 एम.ए.एफ जल तीन नदियों, चम्बल, माही तथा बनास से प्राप्त होता है। नदी जल संग्रहण क्षेत्र राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के केवल 51.41 प्रतिशत भाग का निर्माण करते हैं। शेष 48.59 प्रतिशत भाग राज्य का पश्चिमी भाग है जो जल–संग्रहण क्षेत्र के बाहर स्थित है।

अरावली पर्वत श्रेणियां प्रदेश को दो भोगोलिक खण्डों में विभाजित करती है, इसके उत्तर–पश्चिम में मरुस्थलीय भाग है, जिसमें जल की उपलब्धता अत्यन्त कम है। इस भाग में वर्षाकालीन मुख्य नदी लूणी एवं इसकी सहायक नदियां है। दक्षिण पूर्वी भाग में मुख्य नदी चम्बल है एवं इसकी सहायक नदिया कालीसिन्ध, पार्वती, बनास, बेडच, गम्भीरी है जो कि अरावली के पूर्वी भाग से निकलकर चम्बल में मिलती है। दक्षिण भाग में मुख्य नदी माही है, जिसकी सहायक नदियां सोम, बनास, जाखम और साबरमती है।

राज्य में वर्षा जल को अधिक से अधिक मात्रा में संग्रहित करना अतिआवश्यक है, जिससे सतही जल की उपलब्धता बढने के साथ भूजल का स्तर भी बढ सके। वर्तमान में राज्य में लगभग 17.18 बिलियन क्यूबिक मीटर सतही जल उपलब्ध है, जिसमें से भी मुख्य रुप से 13.70 बिलियन क्यूबिक मीटर अर्न्तराज्यीय समझौतों के तहत रावी–व्यास–सतलज से, गंगनहर, भाखडा नहर, इन्दिरा गांधी नहर एवं सिद्धमुख नहर हेतु अन्य राज्यों से प्राप्त होता है। सतही जल की कमी से पूरे राज्य में भूगर्भ से जल आपूर्ति होने से लगभग पूरा राज्य सूखा ग्रस्त क्षैत्र (ड्रार्क जोन) के रुप में आ गया है। इसी कारण से राज्य में उपलब्ध जल की गुणवत्ता भी बहुत खराब हो चुकी है। उपलब्ध भूगर्भ जल में लवणता, फ्लोराइड एवं नाइट्रेट की मात्रा अत्यधिक है।

चम्बल परियोजना

भीलवाडा की पेयजल समस्या के स्थाई निदान के लिये पूर्व केन्द्रीय मंत्री माननीय डॉ सी पी जोशी की पहल पर चम्बल से पानी लाने की योजना बनाई गई। इसकी कुल लागत लगभग 1363 करोड रुपये है। जनवरी 2012 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ एवं सुप्रीम कोर्ट की सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी की अनुशंषा के आधार पर इस योजना तथा कोटा के जवाहर सागर चम्बल घडियाल सेन्चुरी में से 16 किमी अन्डर पाइपलाइन डालने की मंजूरी प्रदान कर दी गई। योजना के अनुसार चम्बल से प्रतिदिन 3360 लाख लीटर पानी लिफ्ट किया जाकर भीलवाडा जिले को आपूर्ति की योजना बनाई गई।

परियोजना के पहले चरण में 287.25 करोड की लागत से भैंसरोडगढ, भीलवाडा जिले के तिलस्वां एवं भूंजर में पम्पिंग स्टेशन एवं भैंसरोडगढ से आरोली तक 48 किमी पाइप लाइन डालने का कार्य एवं दूसरे चरण में 289.90 करोड की लागत से आरोली में पम्पिंग स्टेशन व वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट व आरोली से भीलवाडा तक 69 किमी की पाइप लाइन डाली गई। योजना के तीसरे चरण में 68.67 करोड की लागत से भीलवाडा से हरिपुरा तक पाइप लाइन एवं हरिपुरा, तेलीखेडा एवं दांता पायरा में पम्पिंग स्टेशन बनाये जाएगें। चौथे चरण में 79.55 लाख की लागत से भीलवाडा शहर में पाइप लाइन, पम्पिंग स्टेशन, उच्च एवं स्वच्छ जलाशयों का निर्माण किया जाएगा।

22 सितम्बर 2013 को भीलवाडा जिले में रुपाहेली के पास भीलवाडा के लिए चंबल पेयजल परियोजना का शिलान्यास यू.पी.ए. चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी ने किया।

9 अक्टुबर 2016 को जलदाय मंत्री श्रीमति किरण माहेश्वरी ने कोटा रोड पर विद्यानिकेतन के पीछे चम्बल पंपिग स्टेशन पर चम्बल–भीलवाडा पेयजल परियोजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य सचेतक श्री कालूलाल गुर्जर, सांसद श्री सुभाष बहेडिया, जिलाप्रमुख श्री रामचन्द्र सेन, विधायक श्री विट्ठलशंकर अवस्थी, नगरपरिषद सभापति श्रीमति ललिता समदानी के साथ पंपिग स्टेशन पर विधिवत पूजा अर्चना कर बटन दबाकर परियोजना का शुभारंभ किया। उन्होंने उद्घाटन पट्टिका का अनावरण भी किया तथा भीलवाडा वासियों को चम्बल का पानी भीलवाडा पहुंचने पर बधाई भी दी।

टेक्सटाइल उद्योग के लिए पानी

भीलवाड़ा के टेक्सटाइल उद्योग के लिए पानी की उपलब्धता सबसे अधिक महत्वपूर्ण बिन्दु है। वर्तमान में सभी टेक्सटाइल उद्योग पानी की व्यवस्था अपने निजी स्त्रोतों/खरीद कर कर रहे हैं एवं लगभग 85 प्रतिशत पानी का पुर्नउपयोग किया जा रहा है, जिससे नये ताजा पानी पर उपलब्धता कम हुई है। फिर भी यह आवश्यक है कि उद्योगों के लिए भी निरन्तर 12 माह बहने वाली नदियों के जल की उपलब्धता कराई जाए। इस हेतु चम्बल, भैंसरोड़गढ़, बीसलपुर, झाखमबान्ध, घोसूण्डा बान्ध से या अन्य कहीं से भी पानी लाने की योजना की स्वीकृति एवं उसका तत्काल क्रियान्वयन किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक है।

भीलवाडा में पेयजल हेतु चम्बल का पानी आने एवं कांकरोलियां घाटी से उद्योगों को जल आपूर्ति

चम्बल से नियमित आपूर्ति प्रारम्भ होने के साथ वर्तमान में कांकरोलियां घाटी से की जा रही जल आपूर्ति व्यवस्था को बन्द कर दिया जाएगा। कांकरोलियां घाटी के तहत बनास नदी पर प्राकृतिक बने भूगर्भ के विशाल जल भण्डार से पानी की आपूर्ति की जाती है। भीषण अकाल के समय भी इस परियोजना से भीलवाडा को जल प्राप्त होता रहा है। अब चम्बल से जल आने पर इस योजना के तहत जल आपूर्ति बन्द किए जाने से योजना पर लगे करोडों रुपये की लागत व्यर्थ हो जाएगी, साथ ही समय के साथ पाइपलाइन आदि आधारभूत ढांचा भी खराब हो जाएगा एवं किसी भी आपात स्थिति में उपयोगी नही रहेगा।

इस संबंध में मेवाड चेम्बर ने सुझाव दिया कि कांकरोलियां घाटी परियोजना से वर्तमान में लिए जा रहे प्रतिदिन 1.5 करोड लीटर जल को भीलवाडा के विभिन्न उद्योगों को दिया जाए ताकि उद्योगों को भी अच्छे किस्म के जल की आपूर्ति के साथ, वर्तमान में

उद्योगों द्वारा भूगर्भ से पानी निकालना भी बन्द हो सकेगा, जिससे भूगर्भ जल स्तर भी सुधरना प्रारम्भ हो जाएगा। माननीया, रिसर्जेन्ट राजस्थान में भीलवाडा जिले में 10 हजार करोड से अधिक के एमओयू हस्ताक्षरित किए गए है एवं कांकरोलिया घाटी परियोजना से उद्योगों को जल आपूर्ति पर इन सभी एमओयू भी साकार रुप ले सकेगे, जिससे जिले में हजारों नये रोजगार के अवसर पैदा होगें। इसके साथ ही किसी आपात स्थिति में अगर चम्बल से जल आपूर्ति में बाधा आती है तो ऐसे अवसर पर शहर को कांकरोलियां का पानी भी किसी विलम्ब के उपलब्ध हो सकेगा।

भीलवाडा जिले को भूजल के लिए डार्कजोन से हटाने हेतु

मेवाड चेम्बर द्वारा राज्य की माननीया मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री, उद्योग निदेशालय, जिला कलक्टर को प्रतिवेदन भेजकर भीलवाडा जिले को भूजल हेतु डार्कजोन से हटाने की मांग की। केन्द्रीय भूजल विभाग ने पिछले कुछ वर्षो से भीलवाडा जिले को भूजल के दृष्टिकोण से डार्कजोन में वर्गीकृत किया हुआ है। डार्कजोन में वर्गीकृत होने से जिले का औद्योगिक विकास अवरुद्ध हो रहा है।

केन्द्रीय भूजल विभाग द्वारा कुछ वर्ष पूर्व जिले में भूजल सर्वे किया गया, लेकिन अब भूजल की परिस्थितियों में काफी परिवर्तन आ चुका है। वर्तमान में भूजल का स्तर में सुधार होकर भीलवाडा तहसील अब डार्क जोन से हटाये जाने की स्थिति में है।

पिछले 4 वर्षो में अच्छी वर्षा के कारण जिले के सभी तालाब, बांध में पानी की आवक लगातार अच्छी बनी रही है एवं काफी बांधों के पूर्ण भराव के कारण एवं जिले की बनास, कोठारी, खारी एवं अन्य नदियों में वर्षा के दौरान अच्छे बहाव के कारण भूजल की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। साथ ही माननीया मुख्यमंत्री की जलस्वावलम्बन योजना के तहत जिले में विभिन्न उद्योगों एवं अन्य दानदाताओं के सहयोग से काफी कार्य हुए है, सैकडों वर्षा जल संग्रहरण निर्माण किये गये है, जिससे वर्षा जल का बहाव रोका जाकर भूजल का पुर्नभराव में काफी उन्नति हुई है। इससे जिले के अधिकांश क्षेत्रों में भूजल स्तर काफी बढा है, जो कि प्रत्यक्षरुप से ग्रामीण क्षेत्रों के कुओं, बावडियों एवं तालाबों के जल स्तर से देखा जा सकता है।

साथ ही भीलवाडा जिले में भीलवाडा शहर एवं अन्य कई क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति चम्बल परियोजना से की जा रही है, इससे पेयजल के लिए पूर्व में विभाग द्वारा संचालित ट्यूबवेलों पर निर्भरता पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। उदाहरण के तौर पर पूर्व में मेजाबांध क्षेत्र में स्थापित ट्यूबवेलों से लगभग एक से डेढ करोड लीटर पेयजल का प्रतिदिन दौहान किया जाता था, जो कि अब पूर्ण रुप से बन्द हो चुका है।

जिले को डार्क जोन में वर्गीकृत होने से यहां का औद्योगिक विकास अवरुद्ध हो रहा है, केन्द्रीय भूजल विभाग द्वारा किसी नये उद्योग की स्थापना की एनओसी नही दी जा रही है। जिले में डेनिम उद्योग के विस्तार की विपूल संभावनाएं है। वर्तमान में लगभग 20 करोड मीटर डेनिम प्रतिवर्ष उत्पादित हो रहा है। डेनिम उद्योग में पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। नये संयन्त्र स्थापित करने की अनुमति मिलने पर डेनिम उत्पादन एक से दो वर्ष में 50 करोड मीटर प्रतिवर्ष तक पहुंच सकता है। नये उद्योगों में 20 हजार से अधिक नये रोजगार का सृजन हो सकता है। इसके साथ ही जिले से वर्तमान टेक्सटाइल निर्यात 2500 करोड रुपये प्रतिवर्ष से बढकर दुगुना हो सकता है।

उक्त तथ्यों के आधार पर भीलवाडा जिला एवं विशेषरुप से भीलवाडा तहसील को डार्कजोन से हटाये जाने के लिए पुनः सर्वे करवाने हेतु आग्रह किया गया।

उद्योगों द्वारा जल उपयोग में बचत के प्रयास

जल संसाधनों की कमी एवं विकट स्थिति को देखते हुए, पिछले कई वर्षो से मेवाड चेम्बर के प्रोत्साहन एवं प्रयासों से राज्य सरकार द्वारा जल शुद्धीकरण संयन्त्रों पर विशेष अनुदान की योजना घोषित की गई। उद्योगों ने तकनीकी उन्नयन से भी जल उपयोग में कमी के प्रयास किये है।

भीलवाडा में स्थापित 19 टेक्सटाइल प्रोसेस हाउसों में से सभी प्रोसेस हाउसों ने 3 स्टेज के आर ओ प्लान्ट स्थापित किये है, आर ओ प्लान्ट स्थापना से ईटीपी से जल शुद्धीकरण के बाद शेष बचे जल का भी शुद्धीकरण संभव हुआ है। इससे लगभग 15 से 20 लाख लीटर पानी प्रतिदिन नये सिरे से पुनःचक्रित होने से शुद्ध जल उपयोग में कमी आई है। टेक्सटाइल उद्योगों द्वारा आरओ के साथ ही अब सेकेण्ड एवं थर्ड स्टेज आरओ तथा एमईई की स्थापना की गई है। जिससे लगभग 90–95 प्रतिशत पानी का पुर्नउपयोग किया जा रहा है।

रेन वाटर हार्वेस्टिंग

वर्षा जल के उपयोग के लिए पिछले वर्षो से उद्योगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग योजनाएं बनाकर वर्षा जल को संचित करने एवं उपयोग करना प्रारम्भ किया। विभिन्न टेक्सटाइल इकाईयों द्वारा इस प्रणाली से फैक्ट्री शेड पर गिरे वर्षा जल को संचित कर उपयोग किया जा रहा है अथवा भूगर्भ में डाला जा रहा है। बडी इकाईयों हिन्दुस्तान जिंक, जेके टायर, बिडला सीमेन्ट आदि ने वर्षा जल संचय के लिए विशाल संरचनाएं भी निर्मित की है।

विभिन्न उद्योगों एवं टेक्सटाइल स्पिनिंग उद्योगों, प्रोसेसिंग इकाईयों एवं बडी विविंग इकाईयों के बडे–बडे फेक्ट्री शेडों से वर्षा जल विशाल टेंको में एकत्रित किया जाकर उपयोग किया जा रहा है अथवा भूगर्भ में डाल कर रिचार्ज किया जा रहा है।

भू–जल का दोहन पर प्रतिबन्ध

माननीय न्यायालय एनजीटी नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय आवेदन क. 128/2017 (एम ए 1103/2017) देवी दास खत्री बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के तहत आदेश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रधान बैंच नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12 जुलाई 2018 को ऐसे संगठन/इकाईयां जो पानी के पैकेजिंग/विक्रय या aerated beverage या भूजल की वाणिज्यिक सप्लाई के कार्य में संलिप्त हो तथा जल दोहन से संबंधित प्रचलित नियमों का उल्लंघन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत/अनुज्ञा के बगैर भू–जल का दोहन कर रहे है, को प्रतिबंधित किया गया है।

ट्रिब्यूनल द्वारा पारित निर्णय की अनुपालना जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा द्वारा सभी सम्बिधित संघों एवं इकाईयों से नोटिस से केन्द्रीय भू–जल प्राधिकरण से बिना सक्षम स्वीकृति के कोई भी इकाई औद्योगिक/वाणिज्यिक उद्देश्य से भू–जल दोहन नही करने का आदेश जारी किया गया। मेवाड चेम्बर की ओर से सभी सदस्यों से इस हेतु आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने का अनुरोध किया गया।

गैस

मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री द्वारा वर्ष 2004 से भीलवाडा–चित्तौडगढ क्षेत्र मे उद्योगों को ऊर्जा आपूर्ति के लिए नेचुरल गैस की उपलब्धता के प्रयास किये जा रहे थे। चेम्बर की ओर से तैल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, गैल इण्डिया, रिलाइन्स इण्डस्ट्रीज एवं अन्य संबंधित विभागों को सैकडों प्रतिवेदन भेजे गये, आंकडे उपलब्ध कराये गये। कृष्णा गौदावरी बेसिन में गैस की खोज के बाद, रिलाइन्स इण्डस्ट्रीज की ओर से दक्षिण राजस्थान में गैस की औद्योगिक खपत पर एक विस्तृत सर्वे करवाया गया। इस सर्वे में भी मेवाड चेम्बर का सम्पूर्ण योगदान रहा। इस सर्वे से राष्ट्रीय परिपेक्ष मे यह स्थापित हुआ कि भीलवाडा–चित्तौडगढ क्षेत्र गैस की औद्योगिक खपत के बडे केन्द्र हो सकते है।

परिणामस्वरुप तैल एवं प्राकृतिक गैस नियामक आयोग द्वारा नेशनल गैस ग्रीड योजना के तहत घोषित 5 राष्ट्रीय गैस पाइप लाइनों में भीलवाडा एक महत्वपूर्ण बिन्दु बना। कृष्णा गौदावरी बेसिन से प्रारम्भ होने वाली 1585 किमी लम्बी मलयवरम्–विजापुर–भीलवाडा पाइप लाइन का टर्मिनल केन्द्र ही भीलवाडा घोषित हुआ है। गुजरात के मेहसाणा से पंजाब के भटिण्डा तक जाने वाली 1670 किमी लम्बी राष्ट्रीय गैस पाइप लाइन को मारवाड जक्शंन–कांकरोली होते हुए भीलवाडा टर्मिनल से जोडा जाएगा।

मलयवरम–भीलवाडा गैस पाइपलाइन

आन्ध्रप्रदेश के मलयवरम् से भीलवाडा तक प्राकृतिक गैस पाइप लाइन डालने के कार्य में प्रगति हुई है। करीब 1595 किलोमीटर लम्बी इस पाइप लाइन को बिछाने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक आयोग ने मलयवरम् से भीलवाडा के साथ ही मेहसाणा से भटिण्डा तक डाली जाने वाली गैस पाइप लाइन के लिए भी टेण्डर स्वीकृत कर दिये है। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड के नेतृत्व वाले समूह को वर्ष 2011 में कार्य शुरु करने के लिये स्वीकृति पत्र जारी किये गये।

गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड द्वारा मलयवरम् से भीलवाडा वाया भोपाल की 1635 किमी लम्बी गैस पाइपलाइन डालने के लिए कार्य प्रारम्भ कर दिये है। इस पाइपलाइन की अनुमानित लागत 8086 करोड रुपये बताई जा रही है। उक्त पाइप लाइन द्वारा कृष्णा–गोदावरी बेसिन के डी–6 गैस फील्ड से 27.8 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस प्रतिवर्ष देश के 27 जिलों से होकर भीलवाडा तक पहुंचेगी। इस लाइन से आंध्रप्रदेश के रामागुण्डम में खाद प्लान्ट, छत्तीसगढ में भिलाई स्टील प्लान्ट, दुर्ग में पावर प्लान्ट व मध्यप्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में भी गैस की आपूर्ति होगी।

मेहसाना–भटिण्डा गैस पाइपलाइन

जीएसपीएल ने मेहसाना–भटिण्डा, भटिण्डा–श्रीनगर गैस पाइपलाइन निर्माण के लिए नई एसपीवी जीएसपीएल इण्डिया गैसनेट लिमिटेड के नाम से गठित की है। यह दोनो पाइप लाइने कुल 2351 किमी की होगी एवं इस योजना की लागत 6449 करोड रुपये है। इसके लिए भी बैंको के समुह से ऋण स्वीकृति एवं अनुबन्ध हो चुके है। इस योजना के क्रियान्वन के लिए कम्पनी द्वारा टेण्डर जारी किये गये है एवं कम्पनी द्वारा सार्वजनिक घोषणा जारी कर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एवं पंजाब के उद्योगों से गैस कनेक्शन हेतु आवदेन मांगे है। उद्योगो को आवश्यकता अनुसार 24, 18, 12, 8 इंच स्परपाइप लाइन से जोडे जाएगें।

गेल इण्डिया लि द्वारा कोटा से भीलवाडा गैस पाइप लाइन का कार्य पूर्ण

केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक आयोग की नेशनल गैस ग्रीड की उक्त दो पाइप लाइनों के अतिरिक्त गेल इण्डिया लि द्वारा कोटा से भीलवाडा गैस पाइप लाइन डालने का कार्य अप्रेल 2011 से प्रारम्भ कर दिया गया है। कोटा से भीलवाडा तक 143.072 किमी लम्बी 16 इंच की पाइप लाइन डाली जा रही है। भीलवाडा के समीप कांदा ग्राम में इसका एक टर्मिनल होकर अन्तिम रिसिविंग टर्मिनल एन एच 79 पर नया समेलिया के पास निर्मित होगा। इस पाइप लाइन की कुल लागत 209.530 करोड प्रस्तावित है।

इस पाइप लाइन की अन्तिम बाधा भी गत 25 जुलाई 2012 को केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा चम्बल नदी क्षैत्र के राष्ट्रीय घडियाल वन्यजीव उद्यान से होकर 26.167 किमी लम्बी पाइप लाइन डालने की पर्यावरण स्वीकृति के साथ दूर हो गई। मंत्रालय के आदेशानुसार इस क्षैत्र से यह पाइप लाइन होरिजोन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग तकनीक द्वारा डाली जाएगी, जिससे वन्य क्षैत्र एवं जीवों को कोई बाधा नही होगी। कोटा जिले में इस पाइप लाइन की लम्बाई 28.379 किमी, बुन्दी जिले में 28.734 एवं भीलवाडा जिले में 85.958 किमी की पाइपलाइन डालने का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है।

गेल इंडिया लिमिटेड ने कोटा से भीलवाड़ा और इससे आगे चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया तक गैस पाइपलाइन बिछाई है। कोटा से भीलवाड़ा के कांदा गांव तक करीब 180 किलोमीटर लाइन बिछा दी है। कांदा में एक टर्मिनल प्वाइंट बनाया गया है जहां से भीलवाड़ा की इंडस्ट्री को गैस सप्लाई होगी और यहीं से पाइपलाइन आगे चंदेरिया के लिए जा रही है। चंदेरिया में भी हिंदुस्तान जिंक को गैस आपूर्ति के लिए एक टर्मीनल पाइन्ट बनाया गया है।

अडाणी समूह के साथ बैठक

गेल इंडिया के बाद अब गुजरात का अडाणी उद्योग समूह भी टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) सप्लाई करने में रुचि दिखा रहा है। अडाणी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के गैस विभाग के अधिकारियों ने इस वर्ष के दौरान 3 बार मेवाड़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आकर इस विषय में विचार विमर्श किया। अडानी ग्रुप द्वारा प्रारम्भ में औद्योगिक इकाइयों एवं सीएनजी पम्पिग स्टेशन को टेंकरों द्वारा गैस की सप्लाई की जायेगी। यह योजना 2019 में प्रारम्भ होने की आशा है।

कोल एवं लिग्नाइट

देश में कुल 303.56 बिलियन टन कोल के भण्डार है, जिसमें मुख्यतया झारखण्ड, छतीसगढ, उडीसा, पश्चिम बंगाल एवं मध्यप्रदेश में है। इसमें से 217.54 बिलियन टन कोल खनन योग्य है। देश के आर्थिक विकास के लिए कोल उत्पादन को बढाना की नितान्त आवश्यकता है।

देश में कोल उत्पादन :-

वर्ष	उत्पादन (मिलियन टन)
2013	452.21
2014	462.42
2015	494.24
2016	538.75
2017	554.14
2018	567.37

टेक्सटाइल एवं सीमेन्ट उद्योग द्वारा ईंधन के रूप में कोल, लिग्नाइट एवं पेट कॉक का उपयोग किया जाता है। पिछले वर्षो में कोल के भावों में बढोतरी एवं आपूर्ति में रुकावटों से सीमेन्ट उद्योग को एवं टेक्सटाइल उद्योग के केप्टिव पावर प्लान्टों को संकट का सामना करना पड रहा है। सीमेन्ट प्लान्टों द्वारा भी पेट कॉक का उपयोग किया जा रहा है।

भीलवाडा का प्रोसेसिंग उद्योग अब मुख्यतया पेटकॉक आधारित हो गया है। लेकिन गत वर्ष में उत्पादकों द्वारा पेटकॉक के भाव कई बार बढाये जाने से प्रोसेसिंग उद्योग की उत्पादन लागत में काफी बढोतरी हुई है। मेवाड चेम्बर की ओर से भारत सरकार के

पेट्रोलियम मंत्रालय, इण्डियन ऑयल कॉपोरेशन आदि को पानीपत रिफायनरी में उत्पादित पेटकॉक को बडे सीमेन्ट प्लान्टों के बजाय लघु एवं मध्ययम उद्योगों को आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करने के प्रतिवेदन भेजे गये।

कोल उपभोग में कमी

चेम्बर के विभिन्न सीमेन्ट, मिनरल एवं टेक्सटाइल क्षैत्र की इकाईयों में कोल आधारित केप्टीव पावर प्लान्ट लगे हुए है। इकाईयों द्वारा विभिन्न तकनीकी एवं अन्य प्रौद्योगिक बदलाव से कोल उपभोग में कमी लाने के प्रयास निरन्तर किये जा रहे है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनसीआर क्षेत्र में पेट कॉक उपयोग पर रोक

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के 16 मई 2017 के आदेश के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने नवम्बर 2017 में अपने एक आदेश में एनसीआर क्षेत्र में पेट कॉक के उपयोग को प्रतिबन्धित कर दिया। बाद में माननीय न्यायालय ने यह भी कहाकि उक्त प्रतिबन्ध केवल एनसीआर के लिए नही होकर सम्पूर्ण हरियाणा, राजस्थान एवं उत्तरप्रदेश पूरे राज्य के लिए है।

वर्ष 2018 के दौरान मेवाड चेम्बर की ओर से राज्य की मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री, उद्योग निदेशालय को इस विषय में प्रतिवेदन भेजकर राज्य में पेट कॉक के उपयोग पर प्रतिबन्ध हटवाने के लिए राज्य स्तर पर प्रयास करने के लिए आग्रह किया। क्योंकि राजस्थान के लघु एवं मध्यम उद्योगों के पास ईंधन के लिए इसके अतिरिक्त ओर कोई विकल्प नही है। चेम्बर की ओर से दिल्ली के एडवोकेट से चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

2 अगस्त 2018 को राजस्थान लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष श्री मेघराज लोहिया एक दिवसीय यात्रा के दौरान भी इस विषय पर विस्तृत चर्चा कर राज्य सरकार के स्तर से माननीय उच्चतम न्यायालय में पक्ष रखवाने का अनुरोध किया गया।

केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री को प्रतिवेदन

मेवाड चेम्बर की ओर से दिसम्बर 2018 में माननीय केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री, चेयरमेन केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल आदि को प्रतिवेदन भेजकर पेटकॉक के उपयोग के प्रतिबन्ध को पूरे राजस्थान राज्य पर, विशेष रुप से दक्षिण राजस्थान जो कि दिल्ली से 500 किमी दूरी पर है, पर लागू नही करने का अनुरोध किया गया।

औद्योगिक भूमि

भीलवाडा एवं चित्तौडगढ जिलों के औद्योगिक विकास में सबसे बडी समस्या औद्योगिक भूमि की अनुउपलब्धता है। दोनों जिलों में विकसित औद्योगिक भूमि की उपलब्धता लगभग समाप्त हो चुकी है। भीलवाडा एवं चित्तौडगढ में रीको एरिया के सभी क्षैत्र पूर्णतः भर चुके है। भीलवाडा एवं चित्तौडगढ जिलों में नये औद्योगिक क्षैत्रों की स्थापना नही होने से औद्योगिक विकास अवरोधित हो गया है। चित्तौडगढ जिले में भी औद्योगिक क्षैत्र पूर्णतः भरने से वहां भी नये उद्योगों की स्थापना अथवा विस्तारीकरण के लिये भू–खण्ड उपलब्ध नही है। भीलवाडा एवं चित्तौडगढ जिलों की रीको औद्योगिक क्षैत्रों की स्थिति निम्नानुसार है।

औद्योगिक क्षैत्र का नाम	भूमि आवाप्त	भूमि विकसित	विकसित प्लॉट		आंवटित प्लॉट		उत्पादनरत	
भीलवाडा जिला			नम्बर	एरिया	नम्बर	एरिया	प्लॉट	इकाईयां
भीलवाडा फेज 1, 2, 3	259.15	259.15	300	172.39	300	172.39	290	234
भीलवाडा विस्तार	50.74	50.74	84	39.59	84	36.59	83	65
बिगोद	35.25	32.8	99	23.45	96	22.75	48	27
जहाजपुर	30.5	25.63	46	12.93	38	10.66	22	16
रायला	46.24	41.27	64	26.72	41	25.39	18	12
मण्डपिया (अविकसित)	34.4	25.86	8	25.86	8	25.86	6	6
औद्योगिक एस्टेट	20.5	20.5	91	12.5	91	12.5	91	63
कान्याखेडी	54.71	29	17	29	6	9.85	5	5
भीलवाडा फेज 4	117.56	93.73	199	75.02	198	73.68	194	88

गोथ सेन्टर हमीरगढ	725.08	712	525	405.78	452	375.61	204	141
बिजौलिया (निर्माणाधीन)	80	45.96	125	45.96				
कुल			**1558**	**869.2**	**1314**	**765.28**	**961**	**657**
चित्तौडगढ जिला								
चित्तौडगढ	114.03	114.03	140	79.7	140	79.7	140	116
चित्तौडगढ विस्तार	20.04	10.77	69	10.77	65	10.45	56	55
आजोलिया का खेडा	156.5	156.5	215	106.98	212	102.08	201	179
पुराना औ. क्षेत्र	30.78	30.78	54	27.28	54	27.28	54	48
निम्बाहेडा	122.02	122.02	185	79.25	183	79.2	182	167
कपासन	69.17	28.98	122	21.23	77	17.52	62	39
कुल			**785**	**325.21**	**731**	**316.23**	**695**	**604**
सोनियाणा (अविकसित)	365.017	226.003	462					
बांसवाडा जिला								
ठीकरियां (बांसवाडा)	226	226	256	186	255	186	255	133
पीपल्वा	118.27	118.27	188	66.3	155	59.38	111	93
डुंगरपुर जिला								
डुंगरपुर	38.56	38.56	89	25.57	87	25.05	89	79
बिच्छीवाडा	201.79	88	46	24.92	75	38.09	49	45
सागवाडा	36.04	36.04	55	24	51	20.5	49	34
राजसमन्द जिला								
धौइन्दा	174.3	114.13	163	86.8	209	98.43	103	70
प्रतापगढ जिला								
प्रतापगढ	46.16	12.05	46	9.63	39	9.07	39	33

रीको के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध औद्योगिक भूखण्ड की वर्तमान स्थिति www.industries.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

सोनियाणा औद्योगिक एरिया

रीको द्वारा भीलवाडा की सीमा से लगे चित्तौडगढ जिले के सोनियाणा में 361.5 हेक्टर भूमि औद्योगिक क्षैत्र विकास के लिए आवाप्त की गई। राजस्थान स्टेट लेवल इन्वायरमेन्ट इम्पेक्ट एसेसमेन्ट ऑथोरिटी द्वारा 6 मई 2016 को सोनियाणा तहसील गंगरार में रीको द्वारा प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र की पर्यावरण स्वीकृति जारी कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा 13.01.2017 को यहां औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की एवं 08.08.2017 को इसके विकास के लिए 393.44 करोड रुपये का बजट स्वीकृत किया गया। रीको द्वारा सोनियाणा में 343.23 हेक्टर में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। जिसमें से 231.92 हेक्टर में औद्योगिक भूखण्ड काटे जा रहे है। सोनियाणा औद्योगिक क्षेत्र तीन तरह के उद्योगों के लिए जमीन को चिन्हित किया गया है। एक भाग में टेक्सटाइल उद्योग के लिए, दूसरे भाग में मार्बल उद्योग के लिए एवं तीसरे भाग के लिए अन्य सामान्य उद्योगों के लिए प्लॉट उपलब्ध कराये जाएगे। रीको द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार टेक्सटाइल क्षेत्र भाग में भूखण्डों के रिजर्व दर 2000रु प्रतिवर्ग मीटर रखी गई है।

बिजौलिया

रीको की ओर से विकसित नये औद्योगिक क्षेत्र बिजौलिया में लगभग 200 बीघा भूमि पर 52 औद्योगिक प्लॉट विकसित किये गये है। इनका आंवटन/बिक्री जनवरी 2017 में प्रारम्भ कर दी गई है। अब सभी आंवटन ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस से किये जाएगें। यहां औद्योगिक भूमि की दर 1500रु प्रतिवर्ग मीटर रखी गई है।

शाहपुरा

शाहपुरा क्षेत्र के लिए अगस्त 2015 में फतेहपुरा औद्योगिक एरिया के लिए 64 हैक्टेयर जमीन आवंटन होने के बाद अब इसी के नजदीक समेलिया में भी औद्योगिक एरिया के लिए 50.10 हैक्टेयर जमीन सेट अपार्ट हो गई है। राजस्व विभाग ग्रुप–3 ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। शाहपुरा क्षेत्र में कोई औद्योगिक एरिया नहीं होने से वहां .षि के अलावा रोजगार का कोई अन्य प्रमुख साधन नहीं है। अब फतेहपुरा और समेलिया में औद्योगिक एरिया बनने से यहां के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा।

समेलिया फतेहपुरा दोनों अलग–अलग गांव हैं लेकिन दोनों औद्योगिक एरिया के बीच केवल एक सड़क है। आसींद–शाहपुरा रोड पर दोनों एरिया एक साथ डवलप होने से इस क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी। यहां पर ज्यादातर कृषि और खनिज आधारित उद्योग लगने की संभावना है।

फतेहपुरा औद्योगिक क्षेत्र भी रीको को दिया गया है। समेलिया औद्योगिक क्षेत्र की जमीन भी रीको के नाम ही सेट अपार्ट की गई है।

दोनों औद्योगिक क्षेत्र गुलाबपुरा–उनियारा नेशनल हाईवे से करीब 10 किलोमीटर ही दूर हैं। अभी इस हाईवे का काम चल रहा है। सीधी नेशनल हाईवे से अप्रोच के कारण यहां जल्द डवलपमेंट होने की संभावना है। दोनों औद्योगिक क्षेत्र गुलाबपुरा से करीब 35 और शाहपुरा से महज 10 किलोमीटर दूर हैं। इसलिए दोनों क्षेत्र के लोगों को यहां रोजगार के अवसर मिल सकेंगे।

करणपुरा

जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार मेगापावरलूम कलस्टर के लिए राज्य सरकार द्वारा रीको को माण्डलगढ तहसील के करणपुरा गांव में 30.67 हेक्टर भूमि आंवटित की गई है।

भीलवाडा जिले में सिरेमिक जोन की स्थापना

भीलवाडा जिले में सिरेमिक उद्योग के रॉ–मेटेरियल की प्रचुर उपलब्धता के दृष्टिगत, उद्योग विभाग द्वारा जिले में सिरेमिक जोन की स्थापना का निर्णय किया गया है। इस उद्देश्य से उखलियां (हुरडा) में 525 हेक्टर एवं मोड का निम्बाहेडा (आसीन्द) में 102 एवं 408 हेक्टर भूमि चिन्हित कर रिजर्व की गई है।

रीको औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं

जनू 2018 में मेवाड चेम्बर की ओर से राज्य के माननीय उद्योगमंत्री को प्रतिवेदन भेजकर भीलवाडा में रीको औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के अभाव एवं इनके विकास की मांग की गई। चेम्बर ने अपने प्रतिवेदन में निवेदित किया कि रीको लिमिटेड द्वारा भीलवाडा में रीको औद्योगिक क्षेत्र 4 फेज में एवं रीको ग्रोथ सेन्टर विकसित है, जहां सैकडों उद्योग कार्यरत है।

रीको द्वारा उद्योगों से प्रतिवर्ष सर्विस चार्जेज लिये जाते है लेकिन इसके बावजूद भी भीलवाडा में रीको औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। रीको ग्रोथ सेन्टर में सडके पूर्ण रुप से नही बनी हुई है, स्ट्रीटलाइट का अभाव है। रीको औद्योगिक क्षेत्र के चारों फेज में सडकों की स्थिति दयनीय है। सडकों में गहरे खड्डे है एवं दुपहिया वाहन निकालना भी दुष्कर कार्य है। किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में रीको द्वारा इकाईयों में पेयजल की सप्लाई नही की जा रही है।

भीलवाडा में पेयजल के लिए पिछले 3 वर्षो से चम्बल योजना से पेयजल आपूर्ति की जा रही है एवं संबंधित विभाग रीको क्षेत्र में भी जल की आपूर्ति के लिए सहमत है, लेकिन इसके लिए औद्योगिक क्षेत्रों में पाइपलाइने रीको लिमिटेड के द्वारा ही डाली जानी आवश्यक है।

चेम्बर की ओर से माननीय उद्योग मंत्री से रीको लिमिटेड को भीलवाडा के रीको औद्योगिक क्षेत्र के सभी फेज में एवं रीको ग्रोथ सेन्टर में पेयजल के लिए पाइपलाइन डालने एवं जल आपूर्ति के लिए संबंधित विभाग में नियमानुसार सिक्युरिटी डिपोजिट आदि जमा कराने के लिए अनुरोध किया।

मर्चेन्ट एक्सपोर्टर को रीको क्षेत्र में आरक्षित दर पर भूमि आवंटन की मांग

मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री की ओर से राज्य के माननीय उद्योगमंत्री एवं रीको के प्रबंध निदेशक को प्रतिवेदन भेजकर भीलवाडा में टेक्सटाइल क्षेत्र के मर्चेन्ट एक्सपोर्टर को भी रीको क्षेत्र में आरक्षित दर पर भूमि आवंटन की मांग की।

भीलवाडा राजस्थान का सबसे बडा टेक्सटाइल उत्पादन एवं निर्यात केन्द्र है। यहां से लगभग 4 हजार करोड के टेक्सटाइल उत्पाद प्रतिवर्ष निर्यात किये जाते है। भीलवाडा में कार्यरत विभिन्न औद्योगिक इकाईयों के अलावा कई मर्चेन्ट एक्सपोर्टर भी निर्यात में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर रहे है। इस तरह के निर्यातक जोब पर फेब्रिक्स उत्पादन करवाकर अपने यहां उसकी ग्रेडिंग एवं निर्यात पेकिंग करते है। इनको इस कार्य के लिए बडे क्षेत्रफल के भूखण्ड एवं भवन की आवश्यकता होती है। अतः इस

तरह के निर्यातकों को भी औद्योगिक इकाईयों के समान मानकर रीको क्षेत्र में आरक्षित दर पर भूखण्ड आंवटन किया जाना चाहिए।

इससे पूरे देश से ओर अधिक मर्चेन्ट एक्सपोर्टर आकर भीलवाडा में अपना कार्य प्रारम्भ करने लगेगे एवं भीलवाडा तथा राज्य से टेक्सटाइल निर्यात में बढोत्तरी होगी।

भीलवाडा में मेगा पावरलूम कलस्टर के लिए भूमि आंवटन

भारत सरकार द्वारा पावरलूम कलस्टर डवलपमेन्ट स्कीम के तहत वर्ष 2009–10 में देश में पांच मेगा पावरलूम कलस्टर की स्थापना की घौषणा की गई थी। जिसमें से राजस्थान में भीलवाडा को सम्मिलित किया गया था। भीलवाडा राजस्थान में पावरलूम उद्योग का सबसे बडा केन्द्र है, जहां 450 से अधिक इकाईयों में 16 हजार से अधिक आधुनिक पावरलूम लगे है।

मेगा पावरलूम कलस्टर योजना के तहत कलस्टर विकास के लिए केन्द्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट कॉस्ट का 60 प्रतिशत एवं अधिकतम 50 करोड रुपये का अनुदान देय है। वस्त्र मंत्रालय द्वारा वर्ष 2011 में भीलवाडा में कलस्टर विकास के लिए एक कलस्टर मेनेजमेन्ट एवं टेकनिकल एजेन्सी नियुक्त की गई एवं एसपीवी के रुप में भी एक कम्पनी विकसित की गई।

इस योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ में सोनियाणा (चित्तौडगढ) में 230 एकड भूमि आंवटन की गई। लेकिन रीको लिमिटेड 5 वर्ष तक इस भूमि के लिए पर्यावरण स्वीकृति नही करवाया पाया। अतः इसे बदलकर माण्डलगढ क्षेत्र के कनकपुरा में वर्ष 2016 में भूमि आंवटित की गई। आंवटित भूमि पहाडी, बंजड एवं माइनिंग एरिया के मध्य में आती है। ऐसी भूमि को विकसित करने में बहुत अधिक खर्चा आने की संभावना थी। साथ ही माण्डलगढ एवं बिजौलिया क्षेत्र माइनिंग एवं एग्रीकल्चर एरिया है एवं यहां के निवासी इन व्यवसाय में कार्यरत होने से टेक्सटाइल उद्योग के लिए श्रमिक उपलब्धता नही है। अतः टेक्सटाइल उद्योग के लिए इसे उपयुक्त नही मानते हुए एसपीवी एवं उद्यमियों ने इसमें रुचि नही दिखाई। वर्ष 2017 में वस्त्र मंत्रालय द्वारा पूर्व में नियुक्त कलस्टर मेनेजमेन्ट एवं टेकनिकल एजेन्सी–कुशल ग्लोबल प्रा लि का अनुबंध निरस्त कर दिया।

वस्त्र मंत्रालय एवं भारत सरकार के वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा भीलवाडा में मेगा पावरलूम कलस्टर के विकास के लिए पूर्ण प्रयास किये जा रहे है। इस संबंध में नये कलस्टर मेनेजमेन्ट एवं टेकनिकल एजेन्सी नियुक्त करने के लिए भी टेण्डर जारी किये गये है। भारत सरकार की माननीया वस्त्र आयुक्त से चेम्बर को इस संबंध में एक पत्र दिनांक 10.05.2018 प्राप्त हुआ।

मेवाड चेम्बर ने माननीया मुख्यमंत्री को प्रतिवेदन भेजकर भीलवाडा जिले में मेगा पावरलूम कलस्टर के लिए नेशनल हाईवे के पास लगभग 100 हेक्टर भूमि उपयुक्त स्थान पर आंवटन करवाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का आग्रह किया।

5 जून 2018 को चेम्बर के प्रतिनिधिमण्डल ने जयपुर जाकर माननीय उद्योगमंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत से मुलाकात कर इस विषय में शीघ्र कार्यवाही का अनुरोध किया।

पर्यावरण एवं प्रदुषण नियत्रंण

भीलवाडा के वस्त्र उद्योग ने भारत के औद्योगिक मानचित्र पर एक विशिष्ठ स्थान बनाया है। यहां के वस्त्र उद्योग ने 85 से 90 करोड मीटर की प्रोसेसिंग प्रतिवर्ष की जा रही है। कपडे की रंगाई एवं धुलाई तथा स्पिनिंग उद्योग में फाइबर की रंगाई के दौरान जल के उपयोग के बाद अपशिष्ठ जल का उचित निस्तारण पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। केन्द्र एवं राज्य सरकार की ओर से इसके लिए कई कठोर कानून एवं कदम उठाये गये है। साथ ही उद्योगों की ओर से अपने स्तर पर प्रदूषण नियन्त्रण संयन्त्र स्थापित करने से वर्तमान में भीलवाडा में भूमि एवं जल प्रदूषण का स्तर न्यूनतम है। चेम्बर एवं उद्योगों के संयुक्त प्रयासों से भीलवाडा में औद्योगिक एवं जल प्रदूषण न्यूनतम होकर यहां की स्थिति देश में अन्य प्रमुख टेक्सटाइल केन्द्रों से अच्छी रही है। यहां सभी प्रोसेस हाउस एवं डाईंग इकाइयों द्वारा आधुनिक ईटीपी एवं उनके साथ आरओ एवं एमईई स्थापित है। जिससे यहां 90 प्रतिशत अपशिष्ठ जल का शुद्धीकरण के बाद पुर्नउपयोग किया जा रहा है। शेष जल को एमईई तकनीक से वाष्पीकरण किया जा रहा है।

पौध वितरण कार्यक्रम

संगम उद्योग समूह द्वारा 1 लाख पौधे व 5 हजार ट्रीगार्ड निःशुल्क वितरण

भीलवाड़ा में हरियाली बढ़ाकर पर्यावरण संरक्षण के लिए संगम उद्योग समूह ने लगातार चौथे वर्ष 1 लाख पौधे व 5 हजार ट्रीगार्ड निःशुल्क वितरण किया।

जिला कलक्टर श्रीमति शुचि त्यागी ने 16 जुलाई 2018 को इस कार्य का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर जिला कलक्टर श्रीमति शुचि त्यागी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि संगम उद्योग समूह द्वारा एक लाख पौधे व 5 हजार ट्रीगार्ड भीलवाड़ा को हरा भरा व खुशहाल बनाना प्रेरणास्पद है, अन्य उद्योगपति भी इससे प्रेरणा लें। संगम उद्योग समूह के चेयरमैन श्री रामपाल सोनी ने शहरवासियों से आव्हान किया कि पर्यावरण के इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में महिलाएं पुरूष व बच्चे अधिक से अधिक पौधे लगाकर पौधों को पेड़ बनाने का संकल्प लें। संगम समूह शहरवासियों को ट्री–गार्ड व पौधे उपलब्ध करायेगा। पौधा वितरण के तहत मनीप्लांट, मधुकामिनी, रूबिया, सिंगोनिया, एकलिफा, गुलाब, सहित अनेक प्रजातियों के गमले के पौधे नीम्बू, अमरूद, अनार, आंवला फल वाले, पौधे, अशोक, गुलमोहर, रोहिड़ा, नीम, करंज, शीशम, कनेर, गुडहल, सहित अनेक प्रजातियों के छायांदार पौधे उपलब्ध कराये गये।

पेटकॉक पर प्रतिबन्ध

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एनसीआर क्षेत्र में पेटकॉक के उपयोग को प्रतिबन्धित कर दिया गया, जिसे बाद में एनसीआर में आने वाले पूरे राज्यों के लिए बढा दिया। जून 2018 में मेवाड चेम्बर की प्रोसेस हाउस सलाहकार समिति की दिनांक 14.06.2018 को बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पेटकॉक के उपयोग पर प्रतिबन्ध के संबंध में चर्चा की गई एवं विस्तृत विचार विमर्श किया गया। पेटकॉक के उपयोग पर प्रतिबन्ध के बाद उद्योगों को लिग्नाइट, कॉक एवं अन्य सामग्री का उपयोग करना पड़ रहा है, जिससे लागत काफी बढ गई है। इस संबंध में विस्तृत विचार के बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रोसेस हाउस, डाई हाउस आदि की ओर से मेवाड चेम्बर के स्तर से माननीय उच्चतम न्यायालय में एस एल पी रिट दायर की जानी चाहिए।

रीको क्षेत्र में स्वच्छता अभियान

जनवरी 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के तहत रीको औद्योगिक क्षेत्र में रीको लिमिटेड, जिला प्रशासन भीलवाडा एवं मेवाड चेम्बर, सिन्थेटिक विविंग मिल्स एसोसियेशन आदि के सहयोग से अभियान आयोजित किया गया। सभी कार्यक्रमों में चेम्बर एवं इसके सदस्यों ने सक्रिय भागीदारी निभाई।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को पर्यावरण क्षेत्र में प्रथम एवं ओवरऑल में 5वीं रेटिंग

मेवाड चेम्बर की सदस्य इकाई हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को विश्व प्रसिद्ध संस्था डॉव जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में विश्व स्तर पर पांचवां स्थान मिला है। गतवर्ष विश्व स्तर पर 11वां स्थान मिला था। इसके साथ पर्यावरण के क्षेत्र में हिन्दुस्तान जिंक को 86 प्रतिशत स्कोर के साथ प्रथम स्थान घोषित किया गया है।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड भारत की एकमात्र एवं विश्व की अग्रणी जस्ता–सीसा एवं चांदी उत्पादक कंपनी है। जो कि रामपुरा आगुचा एवं अन्य खनन क्षेत्रों में तथा चित्तौडगढ स्थित धातु संशोधन प्लान्ट एवं आसपास के क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण के लिए उत्कृष्ट कार्य करती रही है।

डॉव जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधार पर 58 कंपनियों में न्यूमोन्ट, टेक रिसोर्सेज, रियो टिंटो, बैरिक गोल्ड एवं एंग्लो गोल्ड शामिल है। डॉव जोन्स इंडेक्स विश्व स्तर पर एक प्रसिद्ध संगठन है जो सस्टेनेबिलिटी के आधार पर कंपनियों का मूल्यांकन और बेंचमार्क करती हैं। हिन्दुस्तान ज़िंक का सामाजिक क्षेत्र में स्कोर 57 से 63 रहा तथा आर्थिक क्षेत्र में स्कोर 61 से 70 का सुधार हुआ है जो वैश्विक स्तर पर 7वीं एवं 12वीं रेंक है। हिन्दुस्तान ज़िंक का आर्थिक एवं सामाजिक वर्ग में और अधिक सुधार के लिए उत्ष्ट प्रयास करती रही है। कंपनियों का मूल्यांकन एवं बेंचमार्किंग आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक तीन आयामों के आधार पर किया जाता है।

हिन्दुस्तान ज़िंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सुनील दुग्गल के अनुसार हिन्दुस्तान ज़िंक सस्टेनेबिलिटी के प्रति सदैव कटिबद्ध रही है। कंपनी ने अपने आपरेशन्स में उत्ष्ट वैश्विक पर्यावरण अनुकूल टेक्नोलॉजी को एकीकृत किया है। डॉव जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में मान्यता प्राप्त रैकिंग हिन्दुस्तान जिंक की पर्यावरण को ''जीरो हार्म'' के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हिन्दुस्तान ज़िंक ने 60 एम.एल.डी प्रतिदिन क्षमता के दूषित जल को उपचारित करने के लिए उदयपुर में पहला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थिापित किया है जिससे 100 प्रतिशत घरेलू मल का उपचार होगा। हिन्दुस्तान ज़िंक द्वारा स्थापित प्राईवेट–पब्लिक पार्टनरशीप के तहत यह पहला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। बेंचमार्क के रूप में हिन्दुस्तान ज़िंक का उदयपुर में स्थित प्रधान कार्यालय–यशद भवन को सीआईआई – आईजीबीसी द्वारा राजस्थान की पहली प्लैटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग के रूप में मान्यता प्रदान की जा चुकी है।

श्रम, मानव संसाधन विकास एवं शैक्षणिक क्षैत्र में योगदान

दक्षिण राजस्थान की सामान्य जन की आर्थिक समृद्धि में टेक्सटाइल एवं माइनिंग उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान है। भीलवाडा जिले में टेक्सटाइल उद्योग ने लगभग 1 लाख से अधिक श्रमिक सीधे कार्यरत है, वही बांसवाडा में बांसवाडा में 12 हजार श्रमिक कार्यरत है, जिनमें से बहुत बडा भाग आदिवासी जाति एवं जनजाति के श्रमिकों का है। भीलवाडा जिले में अन्य उद्योगों में 60 हजार से अधिक श्रमिक, माइनिंग में 40 हजार से अधिक श्रमिक, चित्तौडगढ, राजसमन्द में मार्बल उद्योग में 50 हजार से अधिक श्रमिक एवं चित्तौडगढ जिले के सीमेन्ट उद्योग में 10 हजार से अधिक श्रमिक कार्यरत है। उद्योग एवं माइनिंग ने इन क्षेत्रों में आमजन के लिए आर्थिक समृद्धि एवं खुशहाली के द्वार खोले है।

उद्योगों के संचालन के लिए मानव संसाधन विकास आर्थिक संसाधनों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। रोजगार इच्छुक युवाओं को उचित कौशल प्रशिक्षण महत्ती आवश्यकता बन गया है। विभिन्न उद्योग समुह इस उद्देश्य से अपने उद्योगों में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर रहे है। इसके अतिरिक्त स्कूल, कॉलेज, आईटीआई आदि के संचालन भी किये जा रहे है। मेवाड चेम्बर की ओर से मानव संसाधन विकास के लिए विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता रहा है।

मेवाड चेम्बर एवं इसके सदस्य शैक्षणिक क्षैत्र में भी योगदान कर रहे है। संगम समूह द्वारा इंजिनियरिंग एवं मैनेजमेन्ट संस्थान, आई टी आई, आर एस डब्ल्यम एम लिमिटेड, भीलवाडा समूह द्वारा बांसवाडा उच्च स्तरीय पब्लिक स्कूल एवं हुरडा में विवेकानन्द केन्द्र विद्यालय के नाम से पब्लिक स्कूल, श्री राजस्थान सिन्टेक्स द्वारा डुंगरपुर जैसे ट्राइबल एरिया में सीबीएसई स्कूल, कंचन समूह द्वारा स्थानीय आई टी आई का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशीप मोड में संचालन, हिन्दुस्तान जिंक, बिडला सिमेन्ट, आदित्या सिमेन्ट, जे के टायर एवं जे के सिमेन्ट द्वारा कॉपोरेट सोशल रिस्पोन्सेबिलिटी के तहत अपने संस्थानों के अतिरिक्त समीप के गांवों में कई शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है।

मेवाड चेम्बर द्वारा सीएस छात्रों को प्रशिक्षण

इन्स्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेट्री ऑफ इण्डिया नई दिल्ली द्वारा मई 2014 में मेवाड चेम्बर को कम्पनी सेक्रेट्री पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को 15 दिवसीय कॉरपोरेट ट्रेनिंग के लिए अधिकृत किया गया। चेम्बर द्वारा दिसम्बर 2018 तक पाठ्यक्रम के फाइनल/प्रोफेशनल प्रोग्राम के 125 विद्यार्थियों को ट्रेनिंग प्रदान की गई। इस ट्रेनिंग में चेम्बर के सदस्यों का सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ।

आजीविका कौशल प्रशिक्षण

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में ग्रामीण युवकों को आजीविका अर्जन हेतु कौशल प्रशिक्षण योजना बनाई गई है। इसके तहत राज्य में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम का गठन किया गया। भीलवाडा जिला मुख्यालय पर जिला प्रबंधक की नियुक्ति की गई। इसके तहत कार्यस्थल पर प्रेक्टिकल ट्रेनिंग सुविधा को भी रखा गया है।

वीविंग/डिजाइनिंग व सल्जर लूम प्रशिक्षण

रीको औद्योगिक क्षैत्र में संचालित निटरा पावरलूम सेंटर एण्ड टेस्टिंग लैब द्वारा जनवरी, अप्रेल, जुलाई 2018 से त्रैमासिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये। वीविंग/डिजाइनिंग के लिए त्रैमासिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में 20 बेरोजगार युवकों को वस्त्र उद्योग में प्रयुक्त होने वाले फाइबर्स, धागों एवं विशेष रुप से भीलवाडा में बनने वाले फैब्रिक्स की संरचना की प्रायोगिक जानकारी दी जाती है। सल्जर लूम मेन्टनेंस के लिए दो माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 10 सीटों का प्रावधान रखा गया है। प्रशिक्षणाथियों को सेन्टर में स्थापित अत्याधिक सल्जर लूम पी–7150 के द्वारा सल्जर प्रोजेक्टाइल लूम के मेंटीनेंस की प्रेक्टीकल ट्रेनिंग दी जाती है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 10वीं या उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगार युवक, वीविंग डिजाइनिंग प्रशिक्षण तथा वीविंग इकाईयों में कार्यरत सुपरवाईजर, जॉबर, बीम गेटर आदि को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

औद्योगिक इकाइयों द्वारा इन हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षित कामगारों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई विभिन्न उद्योगों द्वारा इन हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किये जा रहे है। सीमेन्ट उद्योग–जेके सीमेन्ट, बिरला कॉरपोरेशन आदि में ट्रेनिंग कार्यक्रम के साथ परफोरमेन्स मेनेजमेन्ट सिस्टम बनाये गया है। जिसके तहत नवयुवको को कार्य के लिए विकसित करने के साथ उनमें तकनीकी एवं व्यवहारिक कुशलता को चिन्हित कर योग्यता अनुसार कार्य पर लगाया जा रहा है।

धातु क्षैत्र की वृहद कम्पनी हिन्दुस्तान जिंक द्वारा कार्य ट्रेनिंग, सेफ्टी मेनेजमेन्ट ट्रेनिंग, कठिन माइनिंग ऑपरेशन के लिए सिम्युलेटर बेस्ड ट्रेनिंग आदि कार्यक्रम संचालन किये जा रहे है।

टेक्सटाइल क्षैत्र में संगम उद्योग समूह द्वारा संगम स्कूल ऑफ एक्सीलेन्स, इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी एण्ड मेनेजमेन्ट (इंजिनियरिंग एवं एमबीए), संगम विश्वविद्यालय के अतिरिक्त उद्योगों में स्किल्ड मेनपावर के लिए संगम इण्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग सेन्टर संचालित किया जा रहा है। नितिन स्पिनर्स द्वारा इनहाउस इण्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग के साथ उद्योग के आसपास के ग्रामीण क्षैत्रों में विभिन्न पाठशालाओं के संचालन / आधारभूत सुविधाओं में मदद की जा रही है। बांसवाडा सिन्टेक्स लि, आर एस डब्ल्यू एम लिमिटेड द्वारा एसआरडी डवलपमेन्ट, सुपरवाइजर डवलपमेन्ट कार्यक्रम भी संचालित किये जा रहे है।

पीएम श्रम योगी मानधन योजना का उद्घाटन

5 मार्च 2019 को मेवाड चेम्बर, उप श्रम आयुक्त कार्यालय के सहयोग से चेम्बर भवन में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि माननीय सांसद श्री सुभाष बहेडिया थे। इस योजना में घरेलू नौकर, रिक्शा चालक व मनरेगा श्रमिक आदि के अलावा संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी पेंशन लाभ मिलेगा। समारोह में 21 श्रमिकों को पेंशन कार्ड बांटे गये।

बैंकिग

देश के विकास में भारत के बैंकिग उद्योग का बहुत बडा योगदान है। वित्तीय क्षेत्र का सबसे बडा एवं सशक्त क्षेत्र होने के साथ भारतीय बैंकिग व्यवस्था विश्व के सबसे सुदृढ बैंकिग तंत्र में से एक है। पिछले दशक में जहां विश्व की कई अर्थव्यवस्थाएं एवं बैंकिग तंत्र गडबडा गए, उस समय भी भारतीय बैंकिग तंत्र ने अपनी मजबूती बनाये रखी। देश के विकास में कॉमर्शियल बैंक के साथ कॉपरेटिव क्रेडिट बैंको का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बैंकों के सहयोग के बिना विकास की धुरी चल ही नही सकती है। सामाजिक विकास के साथ आर्थिक विकास के लिए बैंकों का सहयोग आवश्यक है। बैंकिग उद्योग ने व्यवसाय वृद्धि के लिए पूंजीगत ऋण उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई नई नीतियों एवं विशेष ब्याज दरों से औद्योगिक क्षैत्र में बैंको का महत्व और भी बढ गया है। उद्योगों के सफल संचालन से ऋण पुर्नभुगतान, न्यूनतम एनपीए रहने से भीलवाडा बैंकिग उद्योग के लिए आर्कषण का केन्द्र बन गया। 50 के दशक में दो बैंक से वर्तमान में 48 बैंकों की 85 से अधिक शाखाएं कार्यरत है। एस बी आई, बैंक ऑफ बडौदा, आई सी आई सी आई बैंक लिमिटेड की विशेष औद्योगिक ऋण शाखाएं कार्यरत है। ऋण/जमा प्रतिशत में भीलवाडा राजस्थान में सबसे ऊपर है, बैंकिग उद्योग की यहाँ ग्रोथ रेट 15–20 प्रतिशत है। मेवाड चेम्बर पिछले कई वर्षो से बैंकिग उद्योग से निरन्तर सम्पर्क बनाये हुए है। कई बैंक हमारी सदस्य भी है एवं बैंकर्स क्लब भीलवाडा के साथ आपसी सम्पर्क से स्थानीय स्तर पर समस्याओं के निराकरण में सरलता है।

बैंको के लिए भीलवाडा प्रमुख शहर

राजस्थान में सितम्बर 2018 के आंकडों के अनुसार विभिन्न बैंकों की 7757 शाखाएं कार्यरत है। बैंकिंग उद्योग में कुल जमा 375442 करोड एवं एडवान्स 293901 करोड का है।

राज्य स्तरीय बैंकिंग कमेटी द्वारा जारी किये मार्च 2015 के आंकडों के अनुसार एडवान्स–जमा अनुपात में भीलवाडा जिला राजस्थान में वर्ष 2010 से 2013 तक लगातार शिखर पर रहा। वर्ष 2014 में यह द्वितीय स्थान पर एवं 2015, 2016 में तृतीय स्थान एवं 2017 तथा 2018 में चौथे स्थान पर है। पिछले 9 वर्षो में भीलवाडा जिले में बैंकिग उद्योग की ग्रोथ निम्न प्रकार से रही:–

वर्ष	कुल एडवान्स (लाखों में)	अनुपात (एडवान्स-जमा)
मार्च 2010	503823	153.43
मार्च 2011	562164	151.69
मार्च 2012	634663	155.50
मार्च 2013	747123	160.36
मार्च 2014	831779	146.48
मार्च 2015	901099	138.94
मार्च 2016	1046380	138.18
मार्च 2017	1139461	127.68
मार्च 2018	1245703	131.93

भीलवाडा जिले में मार्च 2010 में बैंकों से 5038.23 करोड का एडवान्स था जो कि मार्च 2018 में बढकर 12457.03 करोड हो गया। पिछले 9 वर्षो में कुल क्रेडिट ग्रोथ 14.72 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से हुई जो कि उद्योगों के लिए एक स्वस्थ संकेत है। क्रेडिट–डिपोजिट अनुपात में पिछले 9 वर्षो से भीलवाडा जिला राज्य में प्रथम तीन–चार स्थानों पर है। जिला अनुसार एडवान्स–जमा अनुपात, सितम्बर 2018

Sr. No.	District	Deposit Total	Advance	CD Ratio
1	Hanumangarh	519785	926729	178.49
2	Jaisalmer	201380	282424	140.51
3	Sriganganagar	940354	1277185	136.04
4	Bhilwara	1032117	1329500	129.82
5	Bundi	345056	328868	103.30
6	Tonk	440396	422564	98.64
7	Baran	335993	324705	97.68
8	Barmer	641776	555443	91.25
9	Jaipur	10654555	9199326	90.80
10	Nagaur	772292	672163	87.49
11	Bikaner	1266629	1085903	86.65
12	Churu	631106	500057	79.62
13	Alwar	1765245	1349962	79.22
14	Jhalawar	403389	317116	78.95
15	Jalore	393692	289036	78.12
16	Sikar	1026714	794789	77.76
17	Pratapgarh	172252	132780	77.36
18	S. Madhopur	442487	335537	76.04
19	Chittorgarh	720340	541716	75.82
20	Jodhpur	2793710	1971040	73.21
21	Dausa	444066	307993	72.27
22	Kota	1762045	1218723	69.80
23	Bharatpur	803419	553113	69.32
24	Dholpur	228400	145470	63.78
25	Pali	805745	492232	61.56
26	Banswara	507449	288926	58.42
27	Jhunjhunu	951686	523852	55.39
28	Ajmer	2365708	1236101	54.79
29	Karauli	314327	169750	54.08
30	Udaipur	2507613	1286250	51.62
31	Rajasmand	436535	210134	48.35
32	Sirohi	480872	167033	37.67
33	Dungarpur	437029	153636	35.21
Grand Total		**37544162**	**29390056**	**80.55**

एमएसएमई उद्यमियों के साथ सम्पर्क बैठक

24 जनवरी 2018 को आंध्रा बैंक की ओर से एमएसएमई उद्यमियों के लिए सम्पर्क बैठक का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि मेवाड़ चेम्बर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री जे के बागडोदिया एवं मानद महासचिव श्री आर के जैन थे। जोनल मैनेजर श्री एडीएनवी प्रसाद ने बताया कि स्टार्टअप, पीएमईजीवी आदि को बढ़ावा देने के लिए यह आयोजन किया गया। मुख्य प्रबंधक श्री एन सुधाकर राव ने एमएसएमई उत्पादों जैसे अभिवृद्धि, एमएसएमई मित्र आदि के बारे में बताया। इस अवसर पर श्री आरके जैन ने कहा कि प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज दर तथा बेहतर ग्राहक सेवा देने पर ही ग्राहक संस्थान से जुड़ेंगे।

बैंकर्स क्लब के साथ आपसी सम्पर्क बैठक

26 फरवरी 2019 को मेवाड चेम्बर भवन में बैंकर्स क्लब एवं मेवाड चेम्बर के सदस्यों की आपसी सम्पर्क बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता चेम्बर के अध्यक्ष श्री दिनेश नौलखा ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के पूर्व कार्यकारी निदेशक डॉ आर सी लोढा थे। बैंकर्स क्लब के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह विशिष्ठ अतिथि थे।

कार्यक्रम के प्रारम्भ में चेम्बर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री जे के बागडोदिया, कोषाध्यक्ष श्री वी के मानसिंगका, संयुक्त सचिव श्री के के मोदी ने डॉ आर सी लोढा एवं बैंकर्स क्लब के पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। साथ ही बैंकर्स क्लब के नये सदस्य श्री राजेश खजुरिया सहायक महाप्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा, श्री के एम समान्तरिया एजीएम ऑरियन्टल बैंक, श्री पी के पाण्डा सहायक महाप्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक, श्रीमति वन्दना विजनानी प्रबंध निदेशक चित्तौड अरबन बैंक का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन चेम्बर के मानद महासचिव आर के जैन एवं धन्यवाद ज्ञापन बैकर्स क्लब के सचिव एल एल गांधी ने किया।

निर्यात परिदृश्य

देश के आर्थिक विकास एवं मुद्रा संतुलन के लिए निर्यात में निरन्तर बढोतरी आवश्यक है। राजस्थान टेक्सटाइल, मिनरल एवं जेम्स–ज्वैलरी के निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2017–18 में राज्य से कुल निर्यात 46476 करोड रुपये का हुआ। इसमें टेक्सटाइल 5667 करोड, वूल टेक्सटाइल 4231 करोड, रेडीमेड गारमेन्ट 1831 करोड, जेम्स–ज्वैलरी 5264 करोड, मिनरल 8172 करोड का रहा।

औद्योगिक विकास के साथ भीलवाडा देश के टेक्सटाइल एवं अन्य उत्पाद के निर्यात में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। टेक्सटाइल क्षेत्र में यह राजस्थान का सबसे बडा निर्यात केन्द्र है। टेक्सटाइल क्षेत्र में प्रारम्भ में 2–3 कॉरपोरेट घरानों से बढकर आज 100 से अधिक लघु एवं मध्यम उद्यमी टेक्सटाइल निर्यात क्षेत्र में कार्यरत है। माइनिंग में प्रमुख उत्पादक हिन्दुस्तान जिंक के अतिरिक्त लघु एवं मध्यम श्रेणी के निर्यातक सेण्डस्टोन, स्लेटस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, क्वाड्र्ज, जिंक, सोफ्टस्टोन आदि का निर्यात किया जा रहा है।

परम्परागत रुप से टेक्सटाइल उद्योग देश की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तम्भ रहा है। जहां इण्डस्ट्रीयल उत्पादन का 14 प्रतिशत टेक्सटाइल उद्योग करता है वही देश से निर्यात का 27 प्रतिशत भाग इस उद्योग का है। विश्व के 5 बडे टेक्सटाइल निर्यातक देश चीन, भारत, इटली, जर्मनी और टर्की है।

हमारी सदस्य इकाईयां लगभग 3800 करोड रुपये प्रतिवर्ष का टेक्सटाइल उत्पाद निर्यात कर रही है एवं निर्यात ग्रोथ रेट 5 से 6 प्रतिशत की है। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की ओर से वर्ष 2009 से भीलवाडा को टेक्सटाइल निर्यात के लिए टॉउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेन्स का दर्जा दिया हुआ है। सूती धागे, पी वी यार्न, पी वी ब्लैण्डेड फेब्रिक्स, जिंक एवं लैड धातु एवं कन्संनट्रेट, सेण्ड स्टोन, इन्सुलेटेड ब्रिक्स आदि का लगभग शतप्रतिशत निर्यात इस क्षैत्र से होता है।

क्षैत्र के उद्यमी एवं व्यवसायी यार्न, टेक्सटाइल, स्टोन आदि परम्परागत उत्पाद के अतिरिक्त भी 20 से अधिक क्षेत्रों में विभिन्न वस्तुओं का निर्यात कर रहे है। चेम्बर के सदस्य मसाले, कृषि उत्पाद, नमक, साबुन, कॉपर ट्यूब, एल्युमिनियम सेक्शन, सीमेन्ट उत्पादन मशीनरी एवं पाट्र्स, मार्बल एवं ग्रेनाइट कटिंग मशीन एवं पाट्र्स, हाइड्रोलिक एवं अन्य मशीनरी आइटम, मशीनरी प्लास्टिक पाट्र्स, प्लास्टिक वूवन बेग आदि वस्तुओं का निर्यात कर रहे है। क्षेत्र के कई निर्यातक मार्बल, ग्रेनाइट, स्लेट पत्थर आदि में विशिष्ठ वेल्यू एडीशन के साथ निर्यात कर रहे है।

टेक्सटाइल क्षैत्र में कई इकाईयों को स्टार एक्सपोर्ट हाउस का दर्जा प्राप्त है। मेनमेड यार्न निर्यात में हमारे सदस्य पिछले कई वर्षो से निर्यात श्रेष्ठता में राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय परिदृश्य में एसआरटीईपीसी, टेक्सप्रोसिल के पुरस्कार प्राप्त करते रहे है। जिंक लैड धातु में हमारी सदस्य इकाई देश की सबसे बडी निर्यातक है। मसाला निर्यात में भी इकाईयों ने स्टार एक्सपोर्ट हाउस का दर्जा प्राप्त किया है।

वर्ष 2017–18 में हमारी सदस्य इकाईयों द्वारा लगभग 13590 करोड (गतवर्ष 10467 करोड) से अधिक का निर्यात किया गया। निर्यात में मुख्य बढोतरी मेटल एवं टायर निर्यात में वृद्धि से हुई है। कृषि उत्पादों के निर्यात में भी गत वर्ष से उल्लेखनीय सुधार हुआ है। सेक्टर वाइज निर्यात निम्नानुसार रहा :–

निर्यात वस्तु	राशि (करोड रुपये)
टेक्सटाइल	3762
मेटल (जिंक, लैड, आयरन आदि)	7442
टायर	1258
कृषि उत्पाद (मसाले, सोयाबीन आदि)	165
सेण्डस्टोन	715
मार्बल, स्लेट, ग्रेनाइट आदि	173
माइका पाउडर, इन्सुलेशन ब्रिक्स, क्वार्टज्ड फैल्सपार	35
नमक	26
खादी ग्रामोद्योग–साबुन आदि	2
एल्युमिनियम सेक्शन, कॉपर ट्यूब, मशीनरी आईटम	12
कुल	**13590 करोड**

कॉटन यार्न

हमारी सदस्य इकाइयों द्वारा आधुनिकतम मशीनों से विश्वस्तरीय गुणवत्ता के सूती धागे का उत्पादन एवं निर्यात किया जा रहा है। सूती धागे के प्रमुख निर्यातक नितिन स्पिनर्स लिमिटेड, अपने उत्पादों की श्रेष्ठ गुणवत्ता के आधार पर 60 से अधिक देशों को के निर्यात कर रहे है। इकाई द्वारा कुल उत्पादन का 65 प्रतिशत निर्यात किया जा रहा है। इकाई द्वारा 737 करोड (गत वर्ष 591 करोड) का निर्यात किया गया। आर एस ड्ब्ल्यू एम लि द्वारा 100 करोड से अधिक का मिलान्ज यार्न, सुदिवा स्पिनर्स प्रा लि 170 करोड का निर्यात किया गया। अन्य प्रमुख निर्यातक बांसवाडा सिन्टेक्स लिमिटेड, कंचन इण्डिया लिमिटेड, संगम इण्डिया लिमिटेड आदि इकाईयों ने भी सूती धागा निर्यात में स्थिति को बनाये रखा।

पीवी यार्न

पी वी यार्न निर्यात में आर एस ड्ब्ल्यू एम लि देश का प्रमुख निर्यातक है। इकाई द्वारा 70 से अधिक देशों को पी वी यार्न का निर्यात किया जा रहा है। बांसवाडा सिन्टेक्स लि, संगम इण्डिया लिमिटेड, आर एस ड्ब्ल्यू एम लि, कंचन इण्डिया, श्री राजस्थान सिन्टेक्स आदि ने भी पीवी यार्न निर्यात में बढोतरी दर्ज की है।

संगम इण्डिया लिमिटेड द्वारा 441 करोड (गतवर्ष 424 करोड) का निर्यात रहा। इकाई द्वारा टर्की, पुर्तगाल, इजिप्ट, चीन, पौलेण्ड, जर्मनी, बेल्जियम, ब्राजील, चिली, इटली, जापान, आस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों को निर्यात किया जा रहा है। आर एस ड्ब्ल्यू एम लि द्वारा 80 देशों को 964 करोड (गत वर्ष 739 करोड) का निर्यात किया गया। बांसवाडा सिन्टेक्स लिमिटेड का 570 करोड एवं श्री राजस्थान सिन्टेक्स द्वारा 27 करोड, कंचन इण्डिया लिमिटेड द्वारा 90 करोड का निर्यात किया गया।

टेक्सटाइल फेब्रिक्स

भीलवाडा पी वी ब्लेण्डेड सुटिंग उत्पादन में विश्व का सबसे बडा केन्द्र है। यहां अत्याधुनिक प्रोजेक्टाइल, एयरजेट, पीकानोल रेपीयर लूमों पर विश्वस्तरीय सुटिंग उत्पादित होती है। देश के प्रमुख ब्राण्डेड सुटिंग उत्पादक यथा रेमण्ड, सियाराम, विमल, ग्वालियर आदि भी जोबवर्क पर यहां उत्पादित करवाते है। प्रतिवर्ष लगभग 100 करोड मीटर सुटिंग उत्पादन में से लगभग 10 प्रतिशत सुटिंग का निर्यात किया जाता है।

मिल सेक्टर में बीएसएल लिमिटेड, बांसवाडा सिन्टेक्स लिमिटेड, संगम इण्डिया लिमिटेड, कंचन इण्डिया लिमिटेड, आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड (मयूर) प्रमुख निर्यातक है। बीएसएल लिमिटेड एवं बांसवाडा सिन्टेक्स द्वारा कुल फेब्रिक्स विक्रय का लगभग 70 प्रतिशत निर्यात से प्राप्त किया। मिल सेक्टर की इकाईयों द्वारा लगभग 600 करोड एवं पावरलूम सेक्टर की इकाईयों द्वारा लगभग 345 करोड रुपये मूल्य का निर्यात किया गया।

पावरलूम सेक्टर एवं मर्चेन्ट एक्सपोर्टर में बीडी सुटिंग, डीके ट्रेक्जिम, रामकुमार टेक्सटाइल, एसआर टेक्सफेब, स्वास्तिक इण्डिया, गलुण्डिया टेक्सटाइल, रंजन सुटिंग, सत्यम सिन्कोटेक्स, एयरस्पन, एडीगजेम, देवगिरी, सम्यक आदि प्रमुख निर्यातक है।

डेनिम निर्यात में संगम इण्डिया, आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड, कंचन इण्डिया, मनोमय टेक्सफेब, सुपरगोल्ड सुटिंग आदि ने अच्छी सफलता प्राप्त की। नितिन स्पिनर्स, संगम इण्डिया ने अपने उत्पादित निटेड फेब्रिक्स का लगभग शतप्रतिशत निर्यात कर रहे है।

टायर

हमारी सदस्य इकाई जे के टायर एण्ड इण्डस्ट्रीज विश्व में प्रमुख टायर निर्माता एवं निर्यातक है। इस उद्योग समूह के भारत में 6 एवं मैक्सिको में 3 संयन्त्र कार्यरत है एवं 90 से अधिक देशों में टायर निर्यात किये जाते है। 2017–18 में भारतीय इकाईयों से 1258 करोड रुपये का निर्यात हुआ, जो कि गतवर्ष के 937 करोड के मुकाबले 35 प्रतिशत अधिक रहा। कच्चे तेल के मूल्यों में कमी तथा मिडिल ईस्ट देशों में राजनैतिक कारणों से एवं दक्षिण अमेरिकी देशों में आर्थिक कारणों से मार्केट में अस्थिरता के बावजूद जे के टायर ने निर्यात में बढोतरी दर्ज की।

मेटल उद्योग

देश के प्रमुख मेटल उद्योग हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा लैड, जिंक निर्यात किया जाता है। वर्ष 2017–18 मे 2.78 लाख टन जिंक एवं 30 हजार टन लैड, लगभग 4065 करोड रुपये मूल्य का निर्यात किया गया। जिंदल शॉ लिमिटेड ने भीलवाडा प्लान्ट से आयरन पैलेट्स का निर्यात प्रारम्भ किया। इकाई द्वारा लगभग 375 करोड का निर्यात किया गया।

स्टोन उद्योग

सैण्डस्टोन क्षैत्र में हमारी सदस्य इकाईयां पेन क्रियशन, पी बी एक्जिम, ओ डब्ल्यू एम, ए बी इम्पेक्स, इनानी मार्बल, राजाराम मार्बल, महाराजा मार्बल आदि प्रमुख निर्यातक है। पेन क्रियशन द्वारा स्पेशलाइज्ड स्लेट स्टोन का निर्यात विश्व के 70 से अधिक देशों यथा जमर्नी, जापान, ताइवान, आस्ट्रेलिया, यूक्राइन, कनाडा, यूएई, अमेरिका, फ्रान्स आदि को किया जाता है। अमेरिका, फ्रांस एवं आस्ट्रेलिया में कई प्रमुख दर्शनीय स्थलों पर इकाई द्वारा निर्यातित भारतीय सजावटी पत्थर लगे है।

एग्रो प्रोडक्ट एवं मसाला

हमारी सदस्य इकाई सीजन्स इन्टरनेशनल प्रा लि देश के प्रमुख स्पाइसेस (मसाला) एवं सोयाबीन, निर्यातकों में से एक है। इकाई द्वारा 30 से अधिक देशों को धनिया, जीरा, दाना मैथी, सौंफ, लहसुन, कालीमिर्च आदि स्पाइसेस, ऑयल सीड्स, मक्का, ज्वार, जौ आदि का निर्यात किया जाता है। इकाई को स्टार एक्सपोर्ट हाउस का दर्जा प्राप्त है। सीजन्स इन्टरनेशनल अमेरिका, कनाडा एवं यूरोप को सोयाबीन निर्यात में देश में अग्रणीय स्थान रखता है।

नमक

हमारी सदस्य इकाई माँ केम साल्ट एवं सहयोगी कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान लगभग 26 करोड रुपये का नमक (खाने योग्य एवं औद्योगिक नमक) निर्यात किया गया। यह पश्चिम भारत की प्रमुख नमक निर्यातक एवं राजस्थान की एक मात्र नमक निर्यातक इकाई है।

अन्य उत्पाद

श्री एलाइज इण्डस्ट्रीज प्रमुख मशीनरी उत्पादक है, इकाई द्वारा सीमेन्ट प्लान्ट मशीनरी का निर्यात किया जाता है। बीएम टेक्नो, चित्तौडगढ द्वारा मार्बल एवं ग्रेनाइट मशीनरी, बाहेती सिलिकोन एवं मेटल द्वारा कॉपर ट्यूब, स्पाज टेक्नो द्वारा विभिन्न तरह के मशीनरी आइटम, श्री बालाजी इन्टरप्राइजेज द्वारा प्लास्टिक के मशीनरी पार्ट्स, स्वास्तिक पोलिटेक्स द्वारा प्लास्टिक वूवन बेग, अशोक कुमार दारुका, भीलवाडा मिनरल, कावेरी मिनकेम द्वारा माइका पाउडर, क्वार्ट्ज, एब्रेसिव सेण्ड आदि का निर्यात किया जा रहा है।

परमानेन्ट ट्रेड फिसिलिटेशन कमेटी

निर्यातकों की कस्टम संबंधी समस्याओं के निवारण हेतु राज्य स्तर पर, कस्टम मुख्य आयुक्त की अध्यक्षता में परमानेन्ट ट्रेड फिसिलिटेशन कमेटी बनी हुई है। मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री इसका सदस्य है। सदस्यों की ओर से प्राप्त कस्टम संबंधी समस्याओं को आवश्यकता अनुसार इस कमेटी की बैठक में उठाया जाता है।

निर्यात प्रपत्र सर्टिफिकेशन

भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की ओर से मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री को निर्यातकों को सर्टिफिकेशन ऑफ

ऑरिजन जारी करने एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र को सर्टिफिकेशन करने के लिए अधिकृत किया गया है। चेम्बर द्वारा निर्यातकों को सर्टिफिकेशन ऑफ ऑरिजन, निर्यात बिल, एक्सपोर्ट रजिस्ट्री फॉर्म आदि सर्टिफाई किये जाते है। आवश्यकता अनुसार प्रपत्रों को लिगेलाइजेशन भी किया जाता है। इसके साथ ही व्यवसायिक विदेश यात्रा के लिए वीजा रिकमण्डेशन पत्र भी जारी किये जाते है।

निर्यात पुरस्कार

दी कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉन्सिल (टेक्सप्रोसिल) द्वारा वर्ष 2017–2018 के लिए हमारे निम्न सदस्यों को निर्यात पुरस्कार से सम्मानित किया गया :–

नितिन स्पिनर्स लिमिटेड	ग्रे फेब्रिक्स (निटेड)	सिल्वर ट्रॉफी
मनोमय टेक्स इण्डिया लिमिटेड	डेनिम फेब्रिक्स	गोल्ड ट्रॉफी
आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड	डेनिम फेब्रिक्स	सिल्वर ट्रॉफी
आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड	प्रोसेस्ड यार्न	गोल्ड ट्रॉफी

दी सिन्टेथेटिक एण्ड रेयन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉन्सिल **(एसआरटीईपीसी)** द्वारा वर्ष 2017–2018 के लिए हमारे निम्न सदस्यों को निर्यात पुरस्कार से सम्मानित किया गया :–

आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड	स्पेशल अवार्ड	ब्रोंज ट्रॉफी
आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड	स्पन यार्न	गोल्ड ट्रॉफी
आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड	मेनमेड ब्लेण्डेड नेचुरल फाइबर यार्न	गोल्ड ट्रॉफी
बांसवाडा सिन्टेक्स लिमिटेड	सिन्थेटिक एण्ड रेयन स्पन फेब्रिक्स	गोल्ड ट्रॉफी
सम्यक सिन्थेटिक्स प्रा लि	स्माल स्केल सेक्टर (फेब्रिक्स)	सिल्वर ट्रॉफी
बीएसएल लिमिटेड	फोकस एलएसी देशों को निर्यात	गोल्ड ट्रॉफी

ईपीसीजी के तहत आयात सुविधा 31 मार्च 2020 तक

जीएसटी के तहत ईपीसीजी के तहत आयात होने वाली मशीनरी पर बिना आईजीएसटी भुगतान के आयात की सुविधा प्रारम्भ में 30 सितम्बर 2018 तक ही प्रदान की गई। मेवाड चेम्बर ने इस विषय को केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार में विभिन्न स्तरों पर लगातार उठाया एवं इसकी अवधि बढाने की मांग की। क्योंकि कोई भी मशीनरी का आयात लम्बी प्लानिंग करके ही हो सकता है। प्रारम्भ में यह सीमा 31 मार्च 2019 तक बढाई गई एवं पुनः चेम्बर के लगातार प्रतिवेदन एवं फोलोअप पर यह सीमा 31 मार्च 2020 तक बढाई गई।

निर्यात समस्या विषय में बैंकर्स के साथ बैठक

दिनांक 26 फरवरी 2019 को मेवाड चेम्बर एवं बैंकर्स क्लब की आपसी सम्पर्क बैठक में निर्यात में नकारात्मक सूची में डाले हुए देशों को निर्यात करने में आ रही समस्या, ईसीजीसी चार्जेज, लेटर ऑफ गारन्टी आदि कई विषयों पर चर्चा की गई। वरिष्ठ बैंक अधिकारियों ने इन विषय को अपने मुख्यालय के साथ उठाने का आश्वासन दिया।

मर्चेन्ट एक्सपोर्टर को आरक्षित दर पर भूमि आवंटन की मांग

मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री की ओर से राज्य के उद्योगमंत्री एवं रीको के प्रबंध निदेशक को प्रतिवेदन भेजकर भीलवाडा में टेक्सटाइल क्षेत्र के मर्चेन्ट एक्सपोर्टर को भी रीको क्षेत्र में आरक्षित दर पर भूमि आवंटन की मांग की।

भीलवाडा राजस्थान का सबसे बडा टेक्सटाइल उत्पादन एवं निर्यात केन्द्र है। यहां से लगभग 4 हजार करोड के टेक्सटाइल उत्पाद प्रतिवर्ष निर्यात किये जाते है। भीलवाडा में कार्यरत विभिन्न औद्योगिक इकाईयों के अलावा कई मर्चेन्ट एक्सपोर्टर भी निर्यात में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर रहे है। इस तरह के निर्यातक जोब पर फेब्रिक्स उत्पादन करवाकर अपने यहां उसकी ग्रेडिंग एवं निर्यात पेकिंग करते है। इनको इस कार्य के लिए बडे क्षेत्रफल के भूखण्ड एवं भवन की आवश्यकता होती है। अतः इस तरह के निर्यातकों को भी औद्योगिक इकाईयों के समान मानकर रीको क्षेत्र में आरक्षित दर पर भूखण्ड आंवटन किया जाना चाहिए।

टेक्सटाइल

कृषि के बाद भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ टेक्सटाइल उद्योग है, जो कि सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला है। टेक्सटाइल देश का सबसे पुराना उद्योग है एवं प्राचीन काल से कपास, ऊन, जूट आदि की प्रचुर उपलब्धता से यह देश का मुख्य उद्योग रहा है। पिछले 150 वर्षो से जहां देश में एक ओर आधुनिक मिल सेक्टर का विकास हुआ, वही लाखों उद्योग हेण्डवूवन लघु उद्योगों के रुप में भी विकसित हुए। यह प्राचीन क्षेत्र–हेण्डीक्राफ्ट, हेण्डलूम एवं लघु पावरलूम इकाईयां ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में कृषि के बाद करोडों लोगों को रोजगार प्रदान करता है।

देश की जीडीपी का 5 प्रतिशत एवं इण्डस्ट्रीयल प्रोडक्शन इण्डेक्स (आईपीपी) का 15 प्रतिशत योगदान करता है। टेक्सटाइल उद्योग 6 करोड व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार एवं लगभग 4.5 करोड व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। वर्तमान में भारतीय टेक्सटाइल उद्योग का आकार 150 बिलियन डॉलर का है, जिसकी 2021 तक 250 बिलियन डॉलर तक बढने की संभावना है। भारतीय टेक्सटाइल उद्योग 2025–30 के मध्य 500 बिलियन डॉलर का होने की संभावना है, जिसमें घरेलू बाजार 315 बिलियन एवं निर्यात 4 गुणा होकर 200 बिलियन होने की आशा है।

पूरे विश्व में टेक्सटाइल उत्पाद में दूसरे स्थान पर है एवं विश्व के टेक्सटाइल निर्यात का 5.25 प्रतिशत भारत का हिस्सा है। हैण्डलूम को मिलाकर भारत में विश्व के सबसे ज्यादा लूम है। भारत में 3400 टेक्सटाइल मिलों में 5 करोड से अधिक स्पिण्डल एवं 8.50 लाख से अधिक रोटर स्थापित है।

भारत सरकार द्वारा टेक्सटाइल क्षेत्र में शतप्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति, टेक्सटाइल उद्योग के विकास के लिए टेक्सटाइल पार्क, टफ योजना आदि से देश में टेक्सटाइल उद्योग का विकास एवं आधुनिकीकरण हुआ है।

भारत कॉटन का विश्व में तीसरा बडा उत्पादक एवं मेनमेड फाइबर एवं यार्न का पांचवा बडा उत्पादक है। विश्व के टेक्सटाइल उद्योग में 70 प्रतिशत मेनमेड फाइबर का उपयोग होता है जबकि हमारे देश में यह मात्र 30 प्रतिशत है। वर्ष 2030 तक पूरे विश्व में मेनमेड फाइबर का उपयोग कॉटन फाइबर के मुकाबले दुगुना होने की आशा है। यह भीलवाडा के मेनमेड फाइबर बेस्ड उद्योग के लिए ओर अधिक विस्तार की भूमिका है। लेकिन इन सबके बावजूद भी टेक्सटाइल उद्योग मुख्यतया स्मालस्केल, फ्रेगमेन्टेड एवं तकनीकी रुप से पिछडा होने की वजह से विश्व के निर्यात में काफी पिछले है। देश में मात्र 3 प्रतिशत लूम शटललेश है, जबकि विश्व औसत 16 प्रतिशत एवं चीन में 15 प्रतिशत, पाकिस्तान में 9 प्रतिशत एवं इण्डोनेशिया में 10 प्रतिशत है। प्रोसेसिंग सेक्टर तकनीकी रुप से काफी पिछडा है, गारमेन्ट सेक्टर फ्रेगमेन्टेड है। देश में कच्चे माल एवं श्रम की प्रचुर उपलब्धता से टेक्सटाइल सेक्टर ''मेक इन इण्डिया'' के लिए सबसे सफल सेक्टर बन सकता है।

जहां मेवाड क्षेत्र पी वी यार्न उत्पादन में राजस्थान का कुल उत्पादन का 75 प्रतिशत उत्पादन करता है वहीं भीलवाडा पी वी सुटिंग उत्पादन में विश्व का सबसे बडा कलस्टर माना जाने लगा है। यहां टेक्सटाइल उद्योग का सभी सेक्टर में विस्तार हुआ है। स्पिनिंग क्षेत्र में वर्ष 2005 में जिले में 2.68 लाख स्पिण्डल से बढकर अब क्षमता 11 लाख स्पिण्डल की हो गई है। भीलवाडा देश का एक मात्र ऐसा विविंग कलस्टर है, जहां लगभग शतप्रतिशत लूम आधुनिकीकृत हो चुके है। यहां सल्जर, पिकानोल, रेपियर, एयरजेट लूमों की प्रमुखता है।

टफ योजना

दिनांक 1 अप्रेल 1999 से प्रारम्भ की गई टफ योजना में भारतीय टेक्सटाइल उद्योग में आधुनिकीकरण के लिए महत्वपूर्ण योगदान किया है। प्रारम्भ में यह योजना 5 वर्ष के लिए 31 मार्च 2004 तक लागू की गई, जिसे 31 मार्च 2007 तक बढाया गया। टफ योजना में कुछ सुधार कर मोडिफाइड टफ योजना 1 अप्रेल 2007 से 31 मार्च 2012 तक जारी रही, जिसे पुनः 31 मार्च 2013 तक बढाया गया। टफ योजना की उपयोगिता एवं टेक्सटाइल उद्योग में आधुनिकीकरण में इसके योगदान पर वस्त्र मंत्रालय ने क्रिसिल से सर्वे करवाया। राजस्थान में इस सर्वे में मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

अमेण्डेड टफ योजना

यह योजना 13 जनवरी 2016 से 7 वर्ष के लिए 31.03.2022 तक लागू रहेगी। सितम्बर 2014 से पेडिंग मामलों में टेक्सटाइल आयुक्त कार्यालय के रेकार्ड के अनुसार आरआर टफ के तहत यूआईडी नम्बर जारी किए जाएगे। कम्पनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कम्पनियां अथवा जिला उद्योग केन्द्र/राज्य सरकार से रजिस्टर्ड एमएसएमई इकाईयों को ही इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा। एक इकाई को केवल एक ही बार पूंजीगत अनुदान प्रदान किया जाएगा। पूंजीगत अनुदान निम्नानुसार होगा। जिन इकाईयों को आरआर टफ के तहत पूर्व में लाभ प्राप्त हो चुका है, वह 30 करोड की सीमा में शेष बचे भाग के लिए ही लाभ का अधिकारी होगा। किसी एक इकाई को अधिकतम लाभ 30 करोड तक सिमित होगा।

Sl. No.	Segment	Rate of Capital Investment Subsidy (CIS)	CIS per individual entity
1.	Garmenting, Technical Textiles	15% on eligible Machines	Rs. 30 crore*
2.	Weaving for brand new Shuttle-less Looms (including weaving preparatory and knitting), Processing, Jute, Silk and Handloom.	10% on eligible Machines	Rs. 20 crore*
3(a)	Composite unit / Multiple Segments-If the eligible capital investment in respect of Garmenting and Technical Textiles category is more than 50% of the eligible project cost.	15% on eligible Machines	Rs. 30 crore*
3(b)	Composite unit / Multiple Segments- If the eligible capital investment in respect, of Garmenting and Technical Textiles category is less than 50%, then the subsidy cap will be Rs. 20 crore.	10% on eligible Machines	Rs. 20 crore*

मोडिफाइड कम्प्रिहेन्सिव पावरलूम कलस्टर डवलपमेन्ट स्कीम

मेवाड चेम्बर के प्रयासों से वर्ष 2010 में केन्द्रीय वस्त्र मंत्रालय ने भीलवाडा के लिए मेगा पावरलूम कलस्टर की घौषणा की, लेकिन इसकी स्थापना में कोई विशेष प्रगति नही हुई। वस्त्र मंत्रालय ने मेगा पावरलूम कलस्टर योजना में कुछ सुधार कर इसे मोडिफाइड कम्प्रिहेन्सिव पावरलूम कलस्टर डवलपमेन्ट स्कीम का नाम दिया। नई योजना के तहत एसपीवी बनाई जाकर ऐसे कलस्टर में छोटे–छोटे टेक्सटाइल पार्क विकसित किये जा सकते है।

भीलवाडा के लिए कलस्टर कोर्डिनेशन ग्रुप गठित

वस्त्र मंत्रालय ने 18 जून 2014 को आदेश जारी कर मोडिफाइड कम्प्रिहेन्सिव पावरलूम कलस्टर डवलपमेन्ट स्कीम के तहत भीलवाडा में मेगा पावरलूम कलस्टर के लिए जिला कलक्टर की अध्यक्षता में कलस्टर कोर्डिनेशन ग्रुप का गठन किया। इसमें विभिन्न सरकारी अधिकारियों के साथ सचिव मेवाड चेम्बर को मनोनित किया गया है। वर्ष 2015 में इसकी 2 बैठक हुई, लेकिन वर्ष 2016 के बाद कोई बैठक नही हुई।

पावरलूम उद्योग के लिए नई केन्द्रीय योजना–पावरटेक्स इण्डिया

विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से 1 अप्रेल 2017 को मेवाड चेम्बर भवन में घोषणा देश में 25 लाख से अधिक पावरलूम है जो कि आमतौर से पिछडे वर्ग, जनजाति वर्ग के कामगारों से छोटी–छोटी घरेलू इकाईयों के रुप में संचालित है। असंगठित क्षेत्र के पावरलूम कामगारों के समग्र विकास के लिए ही केन्द्र सरकार ने पावरटेक्स इण्डिया के नाम से नई योजना लागू की है। यह बात केन्द्रीय कपडामंत्री श्रीमति स्मृति ईरानी ने भिवण्डी से पूरे देश में विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से नई योजना घोषित करते हुए कही। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडनवीस भी उपस्थित थे। श्रीमति स्मृति ईरानी ने घोषणा की कि योजना के तहत कई कार्यो में पिछडे वर्ग के कामगारों के लिए 70 से 90 प्रतिशत अनुदान के प्रावधान है।

मेगा पावरलूम कलस्टर

भारत सरकार द्वारा पावरलूम कलस्टर डवलपमेन्ट स्कीम के तहत वर्ष 2009–10 में देश में पांच मेगा पावरलूम कलस्टर की स्थापना की घौषणा की गई थी। जिसमें से राजस्थान में भीलवाडा को सम्मिलित किया गया था। भीलवाडा राजस्थान में पावरलूम उद्योग का सबसे बडा केन्द्र है, जहां 450 से अधिक इकाईयों में 16 हजार से अधिक आधुनिक पावरलूम लगे है।

मेगा पावरलूम कलस्टर योजना के तहत कलस्टर विकास के लिए केन्द्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट कॉस्ट का 60 प्रतिशत एवं अधिकतम 50 करोड रुपये का अनुदान देय है। वस्त्र मंत्रालय द्वारा वर्ष 2011 में भीलवाडा में कलस्टर विकास के लिए एक कलस्टर मेनेजमेन्ट एवं टेकनिकल एजेन्सी के रुप में कुशल ग्लोबल प्रा लि की नियुक्ति की गई एवं एसपीवी के रुप में भी एक कम्पनी विकसित की गई। इस योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ में सोनियाणा (चित्तौडगढ) में 230 एकड भूमि आंवटन की गई। लेकिन रीको लिमिटेड 5 वर्ष तक इस भूमि के लिए पर्यावरण स्वीकृति नही करवा पाया। अतः इसे बदलकर माण्डलगढ क्षेत्र के कनकपुरा में वर्ष 2016 में भूमि आंवटित की गई। आंवटित भूमि पहाडी, बंजड एवं माइनिंग एरिया के मध्य में आती है। ऐसी भूमि को विकसित करने में बहुत अधिक खर्चा आने की संभावना थी। साथ ही माण्डलगढ एवं बिजौलिया क्षेत्र

माइनिंग एवं एग्रीकल्चर एरिया है एवं यहां के निवासी इन व्यवसाय में कार्यरत होने से टेक्सटाइल उद्योग के लिए श्रमिक उपलब्धता नही है। अतः टेक्सटाइल उद्योग के लिए इसे उपयुक्त नही मानते हुए एसपीवी एवं उद्यमियों ने इसमें रुचि नही दिखाई। वर्ष 2017 में वस्त्र मंत्रालय द्वारा पूर्व में नियुक्त कलस्टर मेनेजमेन्ट एवं टेकनिकल एजेन्सी–कुशल ग्लोबल प्रा लि का अनुबंध निरस्त कर दिया।

मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री ने भीलवाडा में मेगा पावरलूम कलस्टर विकास के लिए लगातार वस्त्र मंत्रालय एवं वस्त्र आयुक्त कार्यालय से सम्पर्क जारी रखा। हमारे प्रयासों से वस्त्र मंत्रालय द्वारा पुनः नये कलस्टर मेनेजमेन्ट एवं टेकनिकल एजेन्सी नियुक्त करने के लिए टेण्डर जारी किये गये। जिसकी अन्तिम तिथि 21 फरवरी 2018 रखी गई, जिसे बढाकर 24 मई 2018 भी किया गया। राज्य सरकार के स्तर पर भूमि आंवटन कार्यो में काफी विलम्ब लगने की सम्भावना से देश के प्रमुख कलस्टर मेनेजमेन्ट एवं टेकनिकल एजेन्सी ने इसमें रुचि नही दिखाई।

मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री द्वारा कई बैठकों का आयोजन करके उद्यमियों में इस योजना के प्रति रुचि जागृत करने का प्रयास किये गये एवं चेम्बर के प्रतिनिधियों ने व्यक्तिगत रुप से भी कई कलस्टर मेनेजमेन्ट एवं टेकनिकल एजेन्सी से सम्पर्क किया है। चेम्बर द्वारा ईमेल से एवं माननीया वस्त्रमंत्री श्रीमति स्मृति ईरानी जी एवं माननीया वस्त्र आयुक्त डॉ कविता गुप्ता से टेलीफोन पर वार्ता कर अपने प्रयासों की जानकारी दी एवं एक बार ओर उक्त टेण्डर के लिए अन्तिम तिथी 31 जुलाई तक बढाने का अनुरोध किया। माननीया वस्त्र मंत्री ने इसे सिद्धान्त रुप में स्वीकार किया है। मेवाड चेम्बर की ओर से मेगा पावरलूम कलस्टर विकसित कराने के प्रयास निरन्तर जारी है।

यार्न एवं कपडा 50 किमी तक ई–वे बिल मुक्त

दिनांक 5 जून 2018 को मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के प्रतिनिधिमण्डल ने राज्य के उद्योगमंत्री माननीय श्री राजपाल सिंह जी शेखावत एवं वाणिज्य कर आयुक्त श्री आलोक गुप्ता से मुलाकात कर राज्य सरकार की ओर 20 मई 2018 से लागू की गई ई–वे बिल व्यवस्था को युक्तिसंगत करने का आग्रह किया एवं यार्न एवं कपडे को पूर्ण रुप से ई–वे बिल मुक्त करने का आग्रह किया। माननीय मंत्री महोदय को बताया कि गुजरात सरकार ने अपने प्रदेश में 19 वस्तुओं के अलावा सभी वस्तुओं को ई–वे बिल से मुक्त कर दिया है, जिसमें कपडा में सम्मिलित है। इसी तरह मध्यप्रदेश सरकार ने केवल 11 वस्तुओं के अलावा सभी वस्तुओं को ई–वे बिल व्यवस्था मुक्त कर दिया है, जिसमें कपडा एवं यार्न भी शामिल है।

6 अगस्त 2018 को राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर जोब के लिए भेजे जाने वाले माल, एक जोबवर्कर से दूसरे जोबवर्कर को भेजने एवं जोबवर्क के बाद वापस भेजने वाले माल को 50 किमी तक की दूरी में ई–वे बिल से मुक्त कर दिया है। इसमें टेक्सटाइल के अतिरिक्त सभी तरह के उत्पाद शामिल है एवं किसी भी मूल्य तक के जोब वर्क के माल को मुक्त किया गया है।

टेक्सटाइल फेब्रिक्स पर इनपुट टेक्स क्रेडिट रिफण्ड

देश में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी कर प्रणाली लागू होने के बाद टेक्सटाइल क्षेत्र में यार्न पर 12 प्रतिशत जीएसटी एवं कपडे पर 5 प्रतिशत जीएसटी होने तथा अतिरिक्त इनपुट टेक्स क्रेडिट का रिफण्ड का प्रावधान नही होने से पूरे देश का टेक्सटाइल उद्योग संकट में आ गया। मेवाड चेम्बर की ओर से इसके लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार के स्तर से सतत् प्रयास किये गये।

राज्य सरकार द्वारा 14 जुलाई 2018 को जयपुर में जीएसटी पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता माननीया मुख्यमंत्री श्रीमति वसुन्धरा राजे ने की। केन्द्रीय वित्त मंत्री (कार्यवाहक) माननीय श्री पीयुष गोयल इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रुप में जयपुर पधारे। राज्य के राजस्व सचिव श्री प्रवीण गुप्ता ने राजस्थान के टेक्सटाइल उद्योग के प्रतिनिधि के रुप में मेवाड चेम्बर को टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए जीएसटी की विभिन्न विसंगतियों को तार्किक रुप से केन्द्रीय वित्त मंत्री एवं मुख्यमंत्री महोदया के सामने रखने के लिए आमंत्रित किया। मेवाड चेम्बर की ओर से मानद महासचिव श्री आर के जैन ने इसमें भाग लिया।

चेम्बर ने अपने प्रस्तुतिकरण में मुख्य रुप से विविंग सेक्टर को इनपुट टेक्स क्रेडिट का रिफण्ड नही मिलने से विविंग उद्योग के आर्थिक संकट एवं उद्योग के बन्द होने की संभावनाओं के बारे में गम्भीरता से बताया। इसके साथ ही जोब वर्क एवं इन्ट्रास्टेट माल परिवहन पर ई–वे बिल की आवश्यक्ता से मुक्त करने, आईटीसी–04 की विसंगतियों को दूर करने, ईपीसीजी स्कीम को आगे बढाने, तकनीकी या मामूली गलतियों पर इ वे बिल पर पेनेल्टी सहित अनेक समस्याओं को भी रखा गया।

माननीय वित्त मंत्री ने सभी समस्याओं को व्यवहारिक रुप से देखते हुए उनका अतिशीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया एवं चेम्बर से टेक्सटाईल सेक्टर की विभिन्न विसंगतियो के संबन्ध में प्रतिवेदन को संक्षिप्त रुप से उन्हें भेजने को कहा। 17 जुलाई 2018 को चेम्बर ने माननीय वित्त मंत्री, केन्द्रीय राजस्व सचिव, राज्य की मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री, राजस्व सचिव आदि को जीएसटी सम्बन्धी इस सांराश प्रतिवेदन को भेजा। साथ ही अन्य राज्यों–गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडू आदि के चेम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इन राज्यों के राजस्व सचिव को हमारे प्रतिवेदन की प्रति भेजकर उनके स्तर से भी टेक्सटाइल उद्योग की जीएसटी समस्याओं को जीएसटी कॉन्सिल की आगामी बैठक में रखने का आग्रह किया।

उल्लेखनीय है कि पूरे देश में फेब्रिक्स पर Excess Accumulated Input Tax Credit के रिफण्ड के विषय को मेवाड चेम्बर ने प्रमुखता से उठाया एवं जीएसटी लागू होने के बाद जुलाई 2017 से चेम्बर इसके लिए लगातार प्रयासरत रहा, इसके लिए चेम्बर के प्रतिनिधिमण्डल ने दिल्ली जाकर केन्द्रीय वित्त मंत्री, केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री, केन्द्रीय कपडा मंत्री, केन्द्रीय राजस्व सचिव, राज्य के उद्योगमंत्री, राज्य के राजस्व सचिव एवं विभिन्न मंत्रालयों एवं अधिकारियों से मुलाकात की एवं समय–समय पर विभिन्न प्रतिवेदन भेजकर टेक्सटाइल क्षेत्र की विसंगतियों को दूर करने में प्रयासरत रहे। उपरोक्त प्रयासों से मेवाड चेम्बर को आशातीत सफलता मिली। 21 जुलाई 2018 को जीएसटी कॉन्सिल की बैठक में मेवाड चेम्बर की प्रमुख मांग को स्वीकार करते हुए फेब्रिक्स पर 1 अगस्त 2018 से म्गबमे ।बबनउनसंजमक प्दचनज ज्ंग ब्तमकपज का रिफण्ड देने की घोषणा की।

जुलाई 2018 तक की इनपुट क्रेडिट नही होगी लैप्स

केन्द्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से बीते दिनों आईटीसी रिफण्ड को लेकर जारी की गई अधिसूचना में 31 जुलाई 2018 तक के प्राप्त माल के टेक्स पर किसी भी प्रकार का रिफण्ड नही देने के संदर्भ में 3 अगस्त 2018 को केन्द्रीय वित्त मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल ने औद्योगिक संगठनों के साथ आयोजित विडियों कांफ्रेसिंग में इस मुद्दे को लेकर स्पष्ट किया कि टेक्सटाइल क्षेत्र में 31 जुलाई 2018 तक एकत्रित क्रेडिट लेप्स नही होगी। केवल इसका रिफण्ड उपलब्ध नहीं होगा। उद्यमी एकत्रित क्रेडिट को आगे के टेक्स भुगतान में काम में ले सकेगा।

आईटीसी के प्रावधानों पर कार्यशाला

मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री की ओर से 8 सितम्बर 2018 को मेवाड चेम्बर भवन में टेक्सटाइल फेब्रिक्स पर एक्युमलेटेड टेक्स क्रेडिट (आईटीसी) रिफण्ड के प्रावधानों पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को जीसीएसटी के सहायक आयुक्त श्री अनिरुद्ध वैष्णव ने सम्बोधित किया। उन्होंने उपस्थित सम्भागीयों को विस्तार से उदाहरण देकर समझाया कि 31 जुलाई तक की आईटीसी की गणना कैसे करे, इसमें से कितनी राशि लेप्स योग्य होगी एवं कैसे लेप्स की जाए।

श्री वैष्णव ने बताया कि फेब्रिक्स बनाने में लगे इनपुट पर चुकाये गई जीएसटी एवं उस पर शेष रहे कर को ही लेप्स करने की बात कही गई है। सर्विस एवं केपीटल गुड्स पर चुकाये गये आईटीसी लेप्स नही होगी। निर्यात किये जाने वाला माल जीरो रेटेड गुड्स की श्रेणी में आता है एवं ऐसे माल पर चुकाये गये आईटीसी भी लेप्स नही होगी। 31 जुलाई 2018 तक जो माल उत्पाद किया हुआ या कच्चा माल (यार्न आदि) खरीदा हुआ पडा है, उसके बेचने या कच्चे माल से फेब्रिक्स उत्पादन कर उनकी बिक्री पर जितनी ड्यूटी बनती है, उसे गणना कर 31 जुलाई 2018 तक की आईटीसी में से इसे निकालकर शेष बची हुई आईटीसी ही लेप्स होगी। व्यापारी को यह गणना अगस्त 2018 के जीएसटी आर 3–बी के कॉलम 4बी(2) में बतानी है एवं गणना शीट अपने प्रथम रिफण्ड आवेदन के साथ विभाग को देनी है।

उन्होंने कहाकि जीएसटी लागू होने के बाद जुलाई 2018 तक 13 माह की आईटीसी एवं रिफण्ड योग्य आईटीसी की गणना एक साथ करे। लेप्स योग्य राशि को अगस्त 2018 के जीएसटी आर 3–बी बताना आवश्यक है। विभाग इसका सत्यापन व्यापारी के प्रथम रिफण्ड आवेदन के समय करेगा, लेकिन प्रावधानों के अनुसार अगस्त माह के रिटर्न में प्रदर्शित करना आवश्यक है।

इन्वर्टेड ड्यूटी रिफण्ड में आ रही समस्याओं के निराकरण के प्रयास

टेक्सटाइल उद्योग में मेनमेड फाइबर यार्न पर 12 प्रतिशत जीएसटी एवं कपडे पर 5 प्रतिशत जीएसटी होने से एवं विविंग उद्योग को ड्यूटी रिफण्ड के प्रावधान नही होने से पूरा टेक्सटाइल उद्योग संकट में आ गया। मेवाड चेम्बर के सतत् प्रयासों से केन्द्र सरकार ने 1 अगस्त 2018 से प्रभावी इन्वर्टेड ड्यूटी रिफण्ड की घोषणा की। लेकिन जीएसटी पोर्टल पर कई तकनीकी कारणों से उद्यमी रिफण्ड आवेदन ही पूरा नही भर पा रहे है एवं ऑनलाइन रिफण्ड आवेदन सबमिट ही नही हो पा रहा है। मेवाड चेम्बर की ओर से विभिन्न तकनीकी बिन्दुओं को विस्तार से प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्रालय एवं जीएसटी कॉन्सिल को प्रतिवेदन भेजकर इनके समाधान के प्रयास किये जा रहे है, ताकि विविंग उद्योगों को करोडों रुपये से अधिक का लम्बित ड्यूटी रिफण्ड प्राप्त हो सके।

आईटीसी–04 रिटर्न की समस्या

टेक्सटाइल उद्योग जोब वर्क करने वालों के लिए आईटीसी–04 रिटर्न भरना एक तरह से असंभव था। मेवाड चेम्बर ने बार–बार आईटीसी–04 की अनिवार्यता को समाप्त करने का आग्रह किया एवं केन्द्र एवं राज्य स्तर पर लगातार प्रतिवेदन करते रहे। चेम्बर के आग्रह पर राज्य के माननीय उद्योग मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत ने जीएसटी कॉन्सिल की बैठक में इस विषय को उठाया। कॉन्सिल में यह विचार आया कि केवल टेक्सटाइल उद्योग के लिए आईटीसी–04 की अनिवार्यता समाप्त नही की जा सकती है। लेकिन उद्योग के अनुसार इसके रिर्टन का प्रारुप परिवर्तित किया जा सकता है। माननीय उद्योग मंत्री ने मेवाड चेम्बर को इस हेतु नया प्रारुप बनाने की सलाह दी एवं मेवाड चेम्बर की ओर से भेजे गये प्रारुप को तद्नुरुप जीएसटी कॉन्सिल ने स्वीकार कर टेक्सटाइल उद्योग के लिए लागू किया।

मेवाड चेम्बर के निवेदन पर आईटीसी–04 दायर करने की अवधि 30.06.2019 तक बढाई गई, जिसे ओर आगे बढाने का आग्रह किया गया।

केपीटल गुड्स के बिना आईजीएसटी भुगतान के आयात को 31 मार्च 2020 तक बढाया

जीएसटी से पूर्व के समय में ईपीसीजी के तहत जीरो ड्यूटी पर केपीटल गुड्स आयात करने की सुविधा थी। जीएसटी लागू होने के बाद केपीटल गुड्स आईजीएसटी के भुगतान बिना आयात करने की सुविधा 31 मार्च 2018 तक लागू रखी गई, जिसे मेवाड चेम्बर के प्रतिवेदन पर 30 सितम्बर 2018 तक बढाया गया था। चेम्बर ने लगातार यह प्रतिवेदन किया कि केपीटल गुड्स के आयात लम्बी अवधि की प्लानिंग के अनुसार ही किये जाते है एवं टेक्सटाइल उद्योग में चल रहे आधुनिकीकरण दर को कायम रखने के लिए यह सुविधा कम से कम 31 मार्च 2020 तक तो रखी ही जानी चाहिए। चेम्बर के प्रतिवेदन पर केन्द्र सरकार द्वारा यह अवधि सितम्बर 2018 में 31 मार्च 2019 तक बढाई गई है। चेम्बर के लगातार प्रतिवेदन पर 20 मार्च 2019 को जारी गजट से यह अवधि 31 मार्च 2020 तक बढाई गई।

मेनमेड फाइबर यार्न पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की मांग

मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री की ओर से जनवरी 2019 में माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री, राजस्व सचिव एवं जीएसटी सचिवालय को प्रतिवेदन भेजकर मेनमेड फाइबर यार्न पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की मांग की है।

मेनमेड यार्न पर 12 प्रतिशत तथा उससे बनने वाले कपड़े पर 5 प्रतिशत जीएसटी लिया जा रहा है। इसके बदले सात प्रतिशत जीएसटी राशि को 1 अगस्त 2018 से रिफंड के रूप में देने की घोषणा की गई है। इस प्रक्रिया में सरकार व औद्योगिक समूह दोनों को बड़ी परेशानी है। व्यापारी जीएसटी पोर्टल पर रिफण्ड आवेदन की प्रक्रिया एवं अभी तक रिफण्ड नही मिलने से परेशान है।

देश व भीलवाड़ा में मुख्य रूप से दो तरह के यार्न काम में आते है। पहला कॉटन यार्न जिस पर जीएसटी 5 प्रतिशत है। दूसरा मेनमेड फाइबर यार्न पर 12 प्रतिशत जीएसटी है। जबकि कपड़े पर 5 प्रतिशत जीएसटी ली जा रही है। यानी 12 प्रतिशत जीएसटी देकर 5 प्रतिशत जीएसटी ही वसूल हो पा रही है, इसके बीच में 7 प्रतिशत का अन्तर आ रहा है। इस अन्तर राशि को लेकर पिछले एक साल से मेवाड़ चेम्बर ने मांग उठाई तो इसका समाधान जीएसटी कॉउसिंल ने करते हुए एक अगस्त 2018 से जीएसटी रिफण्ड करने के आदेश तो जारी कर दिए लेकिन देश के किसी भी टेक्सटाइल उद्यमी को अभी तक इन पांच माह में रिफण्ड नहीं मिला। इसके चलते देश भर के हजारों व्यापारी परेशान है। तो विभाग के अधिकारी भी इस मुद्दे को लेकर खासे परेशान है।

अगर देश भर के व्यापारियों को सरकार राहत देना चाहती है तो वह यार्न पर 12 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत जीएसटी कर दे। इससे भीलवाड़ा के लगभग दो हजार से अधिक तथा देश में हजारों व्यापारियों को राहत मिलेगी। क्योंकि इन सभी को न तो रिफण्ड के लिए पोर्टल पर आवेदन करना पड़ेगा ओर साथ ही विभाग पर कार्यभार कम होगा।

जीएसटी काउसिंल में इस मुद्दे को लेकर एक बार चर्चा भी चुकी है, लेकिन फिलहाल इस प्रस्ताव को लम्बित कर रखा है। यार्न पर 5 प्रतिशत जीएसटी होती है तो सरकार को किसी तरह का राजस्व का भी नुकसान तक नहीं होगा। सरकार ऐसा करके देश भर के व्यापारियों को राहत प्रदान करेगी।

टेक्सटाइल उद्योग को टफ योजना में आ रही समस्याओं के निदान के प्रयास

टेक्सटाइल उद्योग को टफ योजना से संबंधित कई समस्याओं का सामना करना पड रहा है। जुलाई 2018 के बाद से उद्योगों को दो–तीन क्वार्टर से ब्याज एवं केपीटल अनुदान की राशि प्राप्त नही हो रही है। योजना के अर्न्तगत नई मशीनें लगाने पर आवश्यक जॉयन्ट इन्सपेक्शन होने के बाद भी एक वर्ष से अधिक समय से केपीटल अनुदान प्राप्त नही हुआ है। जॉयन्ट इन्सपेक्शन में बहुत छोटे–छोटे तकनीकी बिन्दूओं पर रिर्पोट को रिजेक्ट किया जा रहा है, आर–टफ से ए–टफ में परिवर्तन के बाद यूआईडी नम्बर जारी नही हो रहे है। इन सभी समस्याओं को लेकर मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री की ओर से भारत सरकार की कपडा मंत्री माननीया श्रीमति स्मृति ईरानी, वस्त्र सचिव, वस्त्र आयुक्त मुम्बई एवं क्षेत्रीय कार्यालय नोएडा को कई प्रतिवेदन भेजे जाकर समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया जा रहा है।

राजस्थान की नई उद्योग नीति एवं टेक्सटाइल नीति

1 मार्च 2019 को राज्य के उद्योगमंत्री माननीय श्री परसादीलाल मीणा की अध्यक्षता में जयपुर में नई उद्योग नीति एवं टेक्सटाइल नीति बनाने के संबंध में औद्योगिक संगठनों से चर्चा हेतु एक बैठक आयोजित की गई। चेम्बर की ओर से अध्यक्ष श्री दिनेश नौलखा एवं मानद महासचिव श्री आर के जैन ने भाग लिया। इससे पूर्व एक 18 फरवरी 2019 को राज्य के उद्योग आयुक्त डॉ के के पाठक के संयोजन में भी हुई।

इन दोनों बैठकों में मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री की ओर से टेक्सटाइल उद्योग को थ्रस्ट सेक्टर मानकर विशेष टेक्सटाइल नीति बनाने के संबंध में अपना विस्तृत प्रतिवेदन दिया।

चेम्बर ने अपने प्रतिवेदन में बताया कि भीलवाडा में टेक्सटाइल उद्योग के उल्लेखनीय विकास के बावजूद भी राजस्थान टेक्सटाइल उद्योग में बहुत पिछडा हुआ है। पूरे देश में स्पिनिंग मिलों में लगे 5 करोड स्पिण्डल के मुकाबले राजस्थान में 20 लाख स्पिण्डल लगे है जो कि देश का 4 प्रतिशत ही है। इसी तरह पावरलूम क्षेत्र में देश में लगे 20 लाख पावरलूम के मुकाबले राजस्थान में कुल 22 हजार पावरलूम लगे है, जो कि 1 प्रतिशत के बराबर है। अतः राज्य की नई उद्योग नीति में टेक्सटाइल उद्योग को थ्रस्ट सेक्टर मानकर विशेष रियायतों की आवश्यकता है।

चेम्बर ने अपने प्रस्तुतिकरण में पूरे देश एवं अन्य राज्यों के आंकडे प्रस्तुत करते हुए टेक्सटाइल उद्योग के लिए विशेष पेकेज की मांग की। चेम्बर ने वर्तमान औद्योगिक नीति में जोधपुर, पाली, बालोतरा को विस्तार कर पूरे राज्य में कही भी स्थापित होने वाले पावरलूम उद्योग को यार्न पर जीएसटी में 50 प्रतिशत छूट, डेनिम उद्योग के विकास के लिए भूजल विभाग की एनओसी की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की। साथ ही 10 करोड तक के निवेश पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान एवं 10 करोड से अधिक निवेश पर 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान देने एवं वर्तमान में लागू रोजगार अनुदान को जारी रखने की मांग की।

महाराष्ट्र एवं गुजरात की टेक्सटाइल नीति के अनुरुप लघु एवं मध्यम टेक्सटाइल उद्योगों को बिजली दरों में 3 रु प्रति यूनिट, वृहत उद्योगों को 2रु प्रति यूनिट की छूट के साथ रात्रि में 10 से प्रातः 6 बजे तक टेक्सटाइल उद्योगों को 5 रु प्रति युनिट की फ्लेट दर पर विद्युत आपूर्ति की मांग की। टेक्सटाइल उद्योग में लगे केप्टिव पावर प्लान्ट एवं सोलर पावर प्लान्टों पर मार्च 2018 से पूर्व दी जा रही विद्युत कर से छूट को पुनः देने की भी मांग की।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण की गम्भीर स्थिति को देखते हुए एनसीआर क्षेत्र में पेटकॉक के उपयोग की पाबंदी लगाई थी, जिसे बाद में पूरे राजस्थान पर लागू कर दिया गया। दक्षिण राजस्थान में स्थापित टेक्सटाइल उद्योग दिल्ली से 250 किमी से अधिक दूरी पर है एवं यहां का धुंआ वहां नही पहुंचता, साथ ही सभी उद्योगों में इस धुंए में से सल्फर डाई ऑक्साइड को सौंखने के संयन्त्र लगा रखे है। अतः राज्य सरकार को उच्चतम न्यायालय में प्रतिवेदन कर दक्षिण राजस्थान के टेक्सटाइल उद्योग को पेटकॉक उपयोग की छूट दिलवानी चाहिए।

कपास उत्पादन

भारतीय टेक्सटाइल उद्योग में कपास मुख्य फाइबर है। वर्ष 2017–18 के आंकडों के अनुसार देश में लगभग 377 लाख गांठ रुई का उत्पादन हुआ, जो कि गतवर्ष से लगभग 8 प्रतिशत अधिक है। टेक्सटाइल में रुई के उपयोग से वर्ष 2017–18 में 5229 मिलियन किलो सूती धागे का उत्पादन हुआ।

राजस्थान में कपास एवं रुई उत्पादन–

वर्ष	हैक्टर भूमि क्षैत्र (लाख में)	उत्पादित गांठे (लाख में)	उत्पादन/प्रति हेक्टर (किलो)	देश का औसत उत्पादन/प्रति हेक्टर (किलो)
2008–2009	3.02	7.50	422	524
2009–2010	4.44	11.00	459	503
2010–2011	3.35	9.00	513	517
2011–2012	4.70	18.00	651	493
2012–2013	4.50	17.00	642	518
2013–2014	3.03	14.00	785	552
2014–2015	4.16	17.00	695	577
2015–2016	4.48	15.00	569	484
2016–2017	4.42	18.00	692	568
2017–2018	5.03	22.00	744	524

राज्य में श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ जिले कपास उत्पादन में प्रमुख स्थान रखते है। राजस्थान में कपास उत्पादन 15–17 लाख गांठो का होता था, जो कि गतवर्ष 22 लाख गांठों पर पहुँचा। गत वर्षो में कॉटन डवलपमेन्ट एण्ड रिसर्च एसोसियेशन के प्रयासों से प्रति हेक्टर औसत उत्पादन वर्ष 2013–14 में 785 किलोग्राम तक पहुँच गया था, 2017–18 के दौरान यह 744 किलोग्राम, जो कि देश में सर्वाधिक रहा।

जिनिंग एवं प्रेसिंग उद्योग

राज्य में 63 जिनिंग एवं प्रेसिंग इकाईया स्थापित है, श्रीगंगानगर में सर्वाधिक 39 इकाईयां है। भीलवाडा जिले में वस्त्र आयुक्त के क्षैत्रीय कार्यालय के आंकडों के अनुसार 14 इकाईयां स्थापित है।

स्पिनिंग उद्योग

देश में लगभग 2000 से अधिक स्पिनिंग इकाईयां कार्यरत है। सर्वाधिक इकाइयां तमिलनाडू के कोयम्बटूर जिले में है। देश में कुल लगभग 5.17 करोड स्पिण्डल क्षमता है, जो कि विश्व में दूसरे स्थान पर है। राज्य में 42 स्पिनिंग इकाईयां कार्यरत है, जिनमें लगभग 22.31 लाख स्पिण्डल स्थापित है।

भीलवाडा जिला-मिल सेक्टर

मेवाड चेम्बर सदस्य इकाईयां	इकाई का नाम	स्थापित क्षमता स्पिण्डल	स्थापित क्षमता रोटर
	बी एस एल लिमिटेड	28016	400
	नितिन स्पीनर्स लिमिटेड	223056	2936
	आर एस ड्ब्ल्यू एम लिमिटेड मण्डपम	49152	
	खारीग्राम	167792	
	कान्या खेडी	25920	
	संगम इण्डिया लिमिटेड	238608	3128
	(पूर्व) सुजुकी टेक्सटाइल लिमिटेड, ईकाई–I		6200
	(पूर्व) सुजुकी टेक्सटाइल लिमिटेड ईकाई–I एयरजेट स्पिनिंग	13 फ्रेम 64 पोजिशन	
	शिवम सिन्कोटेक्स प्रा लि	10368	
	बाबा स्पिनर्स	26000	
	कंचन इण्डिया लिमिटेड	201000	6820
	सुदिवा स्पिनर्स प्रा लि	72336	2208
	एसआएम स्पिनर्स लिमिटेड	18144	
	स्टार कोटस्पन लिमिटेड, गंगरार	25344	
योग		**1085736**	**21692**
गैर सदस्य इकाईयां	मॉर्डन वूलन लिमिटेड, भीलवाडा	14616	
कुल योग		**1100352**	**21692**

स्पिनिंग उद्योग (मिल सेक्टर)
बांसवाडा /उदयपुर/डुंगरपुर/चित्तौडगढ जिला

मेवाड चेम्बर सदस्य इकाईयां	इकाई का नाम	स्थापित क्षमता स्पिण्डल	स्थापित क्षमता रोटर
	बांसवाडा सिनटेक्स लिमिटेड	159144	
	आर एस ड्ब्ल्यू एम लिमिटेड, बांसवाडा	95376	3120
	मोरडी–डेनिम	21264	1680
	आर एस ड्ब्ल्यू एम लिमिटेड ऋषभदेव	52848	
	श्री राजस्थान सिन्टेक्स लि, डुंगरपुर	79800	
	नितिन स्पिनर्स लिमिटेड, बेंगु	50000 एवं 30000 स्थापनाधीन	
योग		**488432**	
गैर सदस्य इकाईयां	रेलाइन्स केमोटेक्स इण्डस्ट्रीज लि, उदयपुर	53280	
कुल योग		**541712**	**4800**

मेवाड क्षैत्र में कुल स्पिण्डल	**16,42,064**
मेवाड चेम्बर के सदस्यों की स्पिण्डल क्षमता	**15,74,168**
प्रतिशत	**95.86 प्रतिशत**

- राज्य में कुल स्पिण्डल 22,31,408
- भीलवाडा जिले में स्पिण्डल 11,00,352 अथवा राज्य का 49.31 प्रतिशत (गतवर्ष 56.07 प्रतिशत)
- राज्य में मेवाड चेम्बर के सदस्यों की क्षमता 15,74,168 अथवा राज्य का 70.54 प्रतिशत (गतवर्ष 73.55 प्रतिशत)

स्पिनिंग उद्योग (ऑपन एण्ड स्पिनिंग)

स्पिनिंग क्षेत्र में देश में कुल 842000 रोटर लगे है। राजस्थान में स्पिनिंग क्षेत्र में मुख्यतया स्पिण्डल है, राज्य में कुल 37648 रोटर है। मेवाड क्षेत्र का टेक्सटाइल उद्योग ऑपन एण्ड रोटर तकनीकी में भी राज्य में सबसे आगे है। राज्य में लगे कुल 37648 रोटर में से 31352 रोटर भीलवाडा एवं बांसवाडा जिले में लगे है, जो कि राज्य की क्षमता का 83.27 प्रतिशत है।

इकाई	स्थापित क्षमता (रोटर)
क्षिप्रा स्पीनर्स प्रा लि	960
आर वी स्पीनर्स प्रा लि	1100
भारतीय स्पिनर्स, गंगापुर	880
लगनम् स्पिनटेक्स प्रा लि	1920
सुदिवा स्पिनर्स प्रा लि	2208
नितिन स्पीनर्स लिमिटेड	2936
संगम इण्डिया लिमिटेड	3128
कंचन इण्डिया लिमिटेड	6820
बीएसएल लिमिटेड	400
सुजुकी टेक्सटाइल लिमिटेड	6200
आर एस ड्ब्ल्यू एम लिमिटेड बांसवाडा	4800
योग	31352
राज्य में अन्य स्थानों पर स्थापित रोटर	6296
राज्य में कुल रोटर	37648

राज्य में सर्वप्रथम वारटेक्स एवं एयरस्पिनिंग

एल.एन.जे. भीलवाड़ा समूह की ईकाई बीएसएल लिमिटेड ने वारटेक्स स्पिनिंग प्रोजेक्ट स्थापित किया है। यह प्रोजेक्ट राजस्थान में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है जिसके तहत कम्पनी द्वारा जापान से आयातित 5 मुराटा वारटेक्स मषीन लगाई गई हैं। जिसकी उत्पादन क्षमता 120 टन विस्कोस यार्न प्रति माह है। स्पिनिंग की एक अत्यन्त आधुनिक तकनीक एयरजेट स्पिनिंग का प्रारम्भ भी हमारी सदस्य इकाईयों द्वारा किया गया है। बांसवाडा सिन्टेक्स लिमिटेड एवं सुजुकी टेक्सटाइल्स ने इस तरह के स्पिण्डल स्थापित किये है।

पी वी डाईड यार्न के सबसे बडे उत्पादक

मेवाड चेम्बर के सदस्य आर एस ड्ब्ल्यू एम लिमिटेड एवं संगम इण्डिया लिमिटेड देश में पी वी डाईड यार्न के सबसे बडे उत्पादकों में से है। आर एस ड्ब्ल्यू एम लिमिटेड पी वी यार्न का सबसे बडा उत्पादक एवं निर्यातक है। गत वर्ष इकाई द्वारा 1.36 लाख टन यार्न उत्पादन किया गया। संगम इण्डिया लिमिटेड द्वारा गत वर्ष 72 हजार टन यार्न का उत्पादन किया गया।

सुती यार्न के बडे उत्पादक

नितिन स्पिनर्स लिमिटेड लगभग 47 हजार टन सूती यार्न उत्पादन के साथ राज्य में सूती यार्न की सबसे बडी उत्पादक इकाई है। इकाई द्वारा कई काउण्टों में उच्च किस्म का सूती धागा निर्मित किया जाकर लगभग 65 प्रतिशत उत्पादन 60 से अधिक देशों को निर्यात किया जा रहा है।

मिंलाज यार्न के बडे उत्पादक

मिंलाज यार्न हाईवेल्यू यार्न है, जिनमें दो या अधिक तरह के फाइबर का उपयोग होता है। साधारण ग्रे यार्न के मुकाबले 50 प्रतिशत अधिक वेल्यू एडिशन होता है। इस तरह के यार्न का केज्यूअल वियर, स्पोर्टस्वियर, शर्ट, बिजनिस सूट, मौजे, बेड लिनेन आदि में उपयोग होता है। हमारी सदस्य इकाई आर एस ड्ब्ल्यू एम लिमिटेड देश में सूती मिंलाज यार्न का सबसे बडा उत्पादक है एवं 26 से अधिक देशों में निर्यात किया जाता है। समूह की भीलवाडा मण्डपम एवं कान्याखेडी इकाई में इस तरह का यार्न उत्पादित होता है। इकाई द्वारा निटिंग के लिए उपयुक्त एवं फ्रोस्टेड इफेक्ट वाले मिंलाज यार्न भी विकसित किये गये है।

अपरम्परागत फाइबर का उपयोग

हमारी सदस्य इकाईयां अपने इनहाउस रिसर्च एवं डवलपमेन्ट से कई तरह के अपरम्परागत फाइबर का उपयोग कर नई–नई किस्म के यार्न उत्पादन भी करने लगी है। आर एस ड्ब्ल्यू एम लिमिटेड द्वारा अपरम्परागत फाइबर में सोयाप्रोटीन, मिल्कप्रोटीन, बेम्बू, बेम्बू–चारकोल आदि से विकसित फाइबर का प्रयोग किया जा रहा है।

विविंग उद्योग

पी वी ब्लैण्डेड सुटिंग में 100 करोड मीटर प्रतिवर्ष उत्पादन के साथ भीलवाडा विश्व में पी वी एवं डेनिम सुटिंग का सबसे बडा उत्पादन कलस्टर माना जाने लगा है। एयरजेट लूमों की स्थापना के साथ अब शर्टिंग एवं डेनिम उत्पादन भी प्रारम्भ हो चुका है। टफ योजना के तहत विविंग क्षैत्र के आधुनिकीकरण के लिए देश में सर्वाधिक लाभ भीलवाडा के उद्यमियों ने उठाया एवं इस केन्द्र को पूर्ण रुप से आधुनिकीकृत कर दिया है। विश्व में उपलब्ध 10 वर्ष से कम अवधि तक संचालित सल्जर लूमों को सर्वाधिक आयात भीलवाडा में हुआ।

देश में डेनिम फेब्रिक्स के उत्पादन में बढोतरी, देश में अन्य प्रमुख पावरलूम केन्द्रों (राज्यों) के मुकाबले काफी अधिक विद्युत दरें, अन्य राज्यों में यार्न पर प्रवेश कर, औद्योगिक भूमि की कमी आदि कारणों से भीलवाडा एवं राज्य में सुटिंग उत्पादन की लागत में बढोतरी के कारण, पिछले एक–डेढ वर्ष से पावरलूम उद्योग का विकास अवरुद्ध होने लगा है। मेवाड चेम्बर की ओर से राज्य सरकार का ध्यान इन समस्याओं की ओर आकर्षित किया जा रहा है।

विविंग उद्योग–भीलवाडा

भीलवाडा में लगभग 465 पावरलूम इकाईयों में स्थापित लूमों की अनुमानित संख्या 16178 लूम

सल्जर	10300
डोनियर एवं रेपियर	1025
एयरजेट	3200
वाटरजेट	48
पिकानोल	325
सिमको	80

रुटी बी	800
रुटी सी	400

नितिन स्पिनर्स लिमिटेड द्वारा बेंगू (चित्तौडगढ) में स्थापित की जा रही इकाई में 90 पिकानोल लूम स्थापित किये जा रहे है।

विविंग उद्योग-बांसवाडा

बांसवाडा सिन्टेक्स लि 421 सल्जर एवं 34 एयरजेट
आर एस ड्ब्ल्यू एम लि 117 लूम, डेनिम डिविजन 86 लूम
बीएमडी प्रा लि 58 लूम एवं 29 निटिग मशीन टेक्नीकल फेब्रिक्स

विविंग उद्योग-किशनगढ

अजमेर जिले का किशनगढ शहर आजादी के बाद से ही सूती कपडा उत्पादन का बडा केन्द्र रहा है। सूती वस्त्र उत्पादन के लिए यहां अनुमानतः 6 हजार ऑवरपिक पावरलूम लगे है। यहां पर निटरा का पावरलूम सर्विस सेन्टर भी कार्यरत है। पिछले 2 वर्षो में किशनगढ में 2 टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के साथ 7–8 नये विविंग उद्योग–सल्जर एवं एयरजेट लूम के साथ लगे है। इससे किशनगढ में भी सुटिंग उद्योग का विकास प्रारम्भ हो रहा है। यहां की दो विविंग इकाईयां मेवाड चेम्बर की सदस्य है।

आधुनिक लूमों की ओर अग्रसर

मिल सेक्टर में पिकानोल लूम एवं अन्य इकाईयों में वाटरजेट एवं एयरजेट लूम की ओर रुझान बढा है। विशेषरुप से डेनिम उत्पादक इकाईयां एयरजेट लूम ही स्थापित कर रही है। दिसम्बर 2018 तक भीलवाडा में पिकानोल, एयरजेट, वाटरजेट, डोनियर आदि लूमों की संख्या लगभग 4600 हो गई।

अनुसंधान एवं नई श्रेणी के वस्त्र उत्पादन

स्थानीय बडे उद्योग समूह आर एस ड्ब्ल्यू एम लिमिटेड, संगम इण्डिया लिमिटेड, बीएसएल लिमिटेड आदि इकाईयों द्वारा विविंग क्षैत्र में भी लगातार आर एण्ड डी किये जाकर कई नई श्रेणी के विशिष्ठ अथवा तकनीकी टेक्सटाइल समरुप फेब्रिक्स उत्पादन भी प्रारम्भ किया गया है। इकाईयों द्वारा ऑयल ड्रिलिंग एवं ऑफ शॉर ऑयल प्लेट फॉर्म के लिए उपयुक्त, भारतीय सेना के वाटर प्रुफ फेब्रिक्स, डेनिम वेस्ट एवं फाइबर वेस्ट से डेनिम फेब्रिक्स, एन्टीबेक्टीरियल एवं ऑयल रिप्लेन्ट, अग्निरोधक डेनिम फेब्रिक्स, सिल्क फेब्रिक्स एवं मल्टीकलर में डेनिम फेब्रिक्स का उत्पादन किया जा रहा है। बीएसएल लिमिटेड द्वारा केश्मर, मोहेर, अंगोरा, केमलहेयर आदि से ब्लेण्डेड सुटिंग का निर्माण किया जा रहा है।

डेनिम उत्पादन

विश्व में डेनिम फैशन उद्योग के लिए प्रमुख फेब्रिक्स है। लेटिन अमेरिका एवं एशियाई देशों में इसकी मांग बढ रही है। विश्व में डेनिम उद्योग की वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत है जो कि वर्ष 2015 में 113 बिलियन यूएस डॉलर का था, जो कि वर्ष 2020 तक 153 बिलियन होने की आशा है।

1986 में भारत में डेनिम का उत्पादन प्रारम्भ हुआ एवं यह उद्योग लगातार उन्नति करते हुए अब चीन के बाद डेनिम फेब्रिक्स का दूसरा सबसे बडा उत्पादक है। भारत में 46 डेनिम उत्पादन इकाईयों में वर्ष 2017–18 में डेनिम उत्पादन 1500 मिलियन मीटर था। वर्ष 2020 की समाप्ति तक भारत में डेनिम उत्पादन क्षमता 2000 मिलियन मीटर तक पहुँचने की उम्मीद है। भारत में डेनिम आधारित ब्राण्डेड जीन्स का बाजार लगभग 2000 करोड प्रतिवर्ष का है, जो कि वर्ष 2021 तक 3500 करोड का होने की आशा है। लगभग 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ रहा है। भविष्य में डेनिम की मांग ओर तेजी से बढने की आशा है। क्योंकि औसत अमेरिकन के पास 8 जोडे जीन्स के होते है, जबकि भारत में यह औसत 0.35 का ही है।

भीलवाडा में पी वी सुटिंग के बाद उद्यमी अब डेनिम उत्पादन की ओर बढने लगे है। इसका प्रारम्भ बडे उद्योग समुहों से हुआ। मिल सेक्टर में लगभग 30 करोड मीटर प्रतिवर्ष की क्षमता हो चुकी है। कुछ मध्यम श्रेणी के उद्योग भी डेनिम उत्पादन की ओर अग्रसर हो रहे है।

हमारी सदस्य इकाइयों आर एस ड्ब्ल्यू एम लि ने बांसवाडा में लगभग 2.50 करोड मीटर प्रतिवर्ष की क्षमता स्थापित की है। वर्ष 2017–18 में 20.30 मिलियन मीटर का उत्पादन हुआ। कम्पनी के प्रमुख खरीददारों में लेवीज, एच एण्ड एम, जारा, वार्नर, पोलो एवं 20 से अधिक अन्य प्रमुख ब्राण्डेड जिन्स निर्माता सम्मिलित है। संगम इण्डिया लिमिटेड 6.5 करोड मीटर प्रतिवर्ष की उत्पादन क्षमता के साथ डेनिम का बडा उत्पादक एवं निर्यातक है। वर्ष के दौरान संगम इण्डिया ने 135 करोड के निवेश से रोप इण्डिगो डाईंग लाइन एवं 73 नई आयातित विविंग मशीनें स्थापित की है। इस इकाई में 5 लाइन डेनिम प्रोसेसिंग की है। कंचन इण्डिया लिमिटेड ने 12 करोड मीटर प्रतिवर्ष की उत्पादन क्षमता स्थापित की है।

हमारी सदस्य इकाईयों ने डेनिम उत्पादन में विश्व स्तरीय सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किये है, जिससे निर्यात बाजार में अच्छी पकड बनी है। डेनिम में जेकर्ड फेब्रिक्स, कॉटेड फेब्रिक्स, रिसाइकल्ड डेनिम के नये कलेक्शन भी बाजार में उतारे गये है। आर एस ड्ब्ल्यू एम लि डेनिम बेस्ड नेपी फेब्रिक्स भी विकसित किया है।

टेक्नीकल टेक्सटाइल

वस्त्र मंत्रालय द्वारा टेक्नीकल टेक्सटाइल के लिए विशेष जोर दिये जाने एवं टफ योजना में 10 प्रतिशत पूंजी अनुदान के बावजूद राजस्थान में टेक्नीकल टेक्सटाइल उद्योग का विकास प्रारम्भिक स्तर पर ही है। बीएमडी लिमिटेड बांसवाडा, मयूर यूनिकोटर्स लिमिटेड, जयपुर, वायर एण्ड फायबर्स, जयपुर, संगम इण्डिया लिमिटेड (फ्लोक डिविजन) आदि एवं कुछ लघु उद्योग इकाईयां भिवाडी क्षेत्र में कार्यरत है। हमारी सदस्य इकाई बांसवाडा सिन्टेक्स लि ने बांसवाडा में ट्रेव्वेज बांसवाडा प्रा लि के नाम से संयुक्त उपक्रम स्थापित किया है, जिसमें 2.50 लाख मीटर प्रतिवर्ष ट्रेन, बस, ऑटोमोबाइल्स के लिए लेमिनेटेड फेब्रिक्स का निर्माण की क्षमता है। बीएमडी लिमिटेड बांसवाडा द्वारा मारुति सुजुकी, हुण्डाई, टाटा, जीएम, फोर्ड, बॉक्सवेगन, निसान आदि प्रतिष्ठित कार उत्पादकों के लिए सीट फेब्रिक्स का निर्माण किया जा रहा है।

निटिंग उद्योग

भीलवाडा में नितिन स्पिनर्स लिमिटेड में 63 एवं संगम इण्डिया लिमिटेड में 22 आधुनिक हाई स्पिड निटिंग मशीने लगी है, जिनकी उत्पादन क्षमता लगभग 20 हजार टन प्रतिवर्ष की है। उद्योगों द्वारा विश्व स्तरीय कॉटन निटेड फेब्रिक्स का उत्पादन कर निर्यात किया जा रहा है। बीएमडी प्रा लि बांसवाडा में टेक्नीकल टेक्सटाइल उत्पादन हेतु 30 निटिंग मशीने लगी है।

रेडीमेड गारमेन्ट उद्योग

रेडीमेड गारमेन्ट उद्योग विकास के प्राथमिक चरण में है। इसके विकास में मूल बाधा प्रशिक्षित श्रमिकों की उपलब्धता है। बी एस एल एवं आर एस ड्ब्ल्यू एम लि द्वारा अन्यत्र गारमेन्ट निर्माण कराया जाकर अपने ब्राण्डों के तहत मार्केटिंग की जा रही है। श्रमिक उपलब्धता, विद्युत दरे एवं टेक्सेशन बाधाओं के कारण बांसवाडा सिन्टेक्स लिमिटेड ने भी अपनी गारमेन्ट इकाईयां दमण एवं सुरत में स्थापित की है। गुडविल समुह द्वारा भी बैंगलौर में गारमेन्ट इकाई स्थापित की है।

ग्रोथ सेन्टर में मुम्बई के उद्योग समुह ने आभा स्पिनटेक्स के नाम से रेडीमेड गारमेन्ट इकाई स्थापित की है। इसके अतिरिक्त यूनिक कलेक्शन, एयरटेक्स इण्डिया, साधना सल्ज, ओप्टिमम वियर, न्यूमेन, श्री विनायक फैशन, मैक्सिमम सिन्थेटिक्स आदि की लघु इकाईयां ईरांस, हलेड, आरजिया, रीको क्षैत्र में स्थापित हुई है। बांसवाडा सिन्टेक्स की रेडीमेड गारमेन्ट निर्माण की 4 इकाईयां दमन में एवं 1 इकाई सुरत में कार्यरत है। जिनकी क्षमता 4 लाख गारमेन्ट प्रतिवर्ष की है।

सीमलेस रेडीमेड गारमेंट प्लान्ट

संगम समूह ने डेनिम के बाद सीमलेस गारमेन्ट की ओर कदम बढाया है। राजस्थान का इस तरह का पहला प्लान्ट स्थापित किया गया है। करीब 60 करोड की लागत से लगाये गये इस प्लान्ट में महिला परिधान गारमेन्ट तैयार हो रहे है। भीलवाडा में अब तक ग्रे फेब्रिक्स, डेनिम, कॉटन शर्टिंग के बाद अब संगम ग्रुप ने नई पहल करते हुए इंटीमेट वीयर, एक्टिव वीयर, योगा एवं केज्युअल वीयर का उत्पादन किया जाएगा। इस प्लान्ट से चेनल–9 ब्रॉड के नाम से सिलाई रहित महिला परिधान के 36 लाख वीयर प्रतिवर्ष बनाने का लक्ष्य रखा गया है। संगम ग्रुप ने रेडीमेड गारमेन्ट की मार्केटिंग के लिए एक अलग सब्सीडरी कम्पनी बनाई है।

प्रोसेसिंग उद्योग

पी वी सुटिंग एवं शर्टिंग की प्रोसेसिंग के लिए भीलवाडा में 18 प्रोसेस हाउस लगे है, जिनकी संयुक्त क्षमता 80–85 करोड मीटर प्रतिवर्ष की है। यहां के प्रोसेस हाउस में आधुनिक के डी, सुपर फिनिस, वेट रिडक्शन एवं अन्य आयातित मशीनें लगी है। सभी प्रोसेस हाउसों में आधुनिक ईटीपी एवं आर ओ प्लान्ट एवं एमईई प्लान्ट लगे है। भीलवाडा के अतिरिक्त बांसवाडा में 2 एवं यहां के उद्योग समुह का एक प्रोसेस हाउस गुजरात में लगा है।

नितिन स्पिनर्स लिमिटेड द्वारा बेंगू (चित्तौडगढ) में स्थापित की जा रही इकाई में एक कॉटन प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना की जा रही है।

सफल प्रदूषण नियन्त्रण

भीलवाडा में सुटिंग प्रोसेसिंग में प्रतिदिन 2.5 से 3 करोड लीटर पानी की आवश्यकता होती है। प्रोसेसिंग के बाद प्रदूषित जल की उपचरण के लिए सभी प्रोसेस हाउसों में अपने ई टी पी प्लान्ट लगे है, जिनका आवश्यकता अनुसार विस्तार एवं आधुनिकीकरण भी किया गया है। ई टी पी प्रोसेस से लगभग 70 प्रतिशत जल परिष्कृत होकर पुनः उपयोग में लिया जा रहा है। 30 प्रतिशत जल

को आर ओ प्लान्ट से शुद्धीकरण किया जाकर वृक्षारोपण आदि में पुर्नउपयोग किया जा रहा है। प्रोसेस हाउसों को आर ओ अधिशेष पानी के निस्तारण के लिए सैकण्ड/थर्ड स्टेज आर ओ एवं एमईई लगाये गये है। प्रोसेस हाउसों द्वारा जीरो डिस्चार्ज के प्रावधान को सफलता पूर्वक मेन्टेन किया जा रहा है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भीलवाडा के लिए इसे बहुत बडी उपलब्धि माना है।

साइजिंग प्लान्ट

जिले में स्थापित टेक्सटाइल उद्योग में पावरलूमों पर सूती वस्त्र निर्माण/डेनिम निर्माण के लिए स्वतंत्र साइजिंग प्लान्टों की आवश्यकता अनुसार, रीको ग्रोथ सेन्टर में उद्यमियों ने 2 नये साइजिंग प्लान्ट स्थापित किये है।

सीमेन्ट उद्योग

चीन के बाद भारत विश्व में दूसरा बडा सीमेन्ट उत्पादक देश है। वर्ष 2006 में सीमेन्ट उत्पादन 142 मिलियन टन का था, जो कि 8 प्रतिशत संचयी वार्षिक वृद्धिदर से बढकर सितम्बर 2018 में 480 मिलियन टन एवं मार्च 2019 में 502 मिलियन टन हो गई। भारत में प्रति व्यक्ति सीमेन्ट खपत 225 किलोग्राम वार्षिक की है, जो कि विश्व की औसत 350 किलोग्राम से काफी कम है। हाउसिंग सेक्टर सीमेन्ट उद्योग का सबसे बडा आधार है, जिसमें देश की कुल सीमेन्ट उपयोग का 65 प्रतिशत उपयोग होता है। सीमेन्ट उपयोग में आधारभूत क्षेत्र में 20 प्रतिशत, औद्योगिक एवं कॉमर्शिल निर्माण में 15 प्रतिशत की भागीदारी निभाता है। देश में अभी 210 बडे सीमेन्ट प्लान्ट कार्यरत है, जिनमें सर्वाधिक 41 आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडू में 24 एवं राजस्थान में 24 प्लान्ट है। सीमेन्ट उत्पादन क्षमता में 24 सीमेन्ट प्लान्ट एवं 70 मिलियन टन क्षमता के साथ राजस्थान दूसरे स्थान पर है। देश में 15 प्रतिशत उत्पादन क्षमता एवं बाजार के साथ अल्ट्राटेक देश में प्रथम स्थान रखता है (हमारी सदस्य इकाई आदित्य सीमेन्ट इस समूह से है)।

मेवाड क्षेत्र में टेक्सटाइल उद्योग के बाद सीमेन्ट उद्योग दुसरा प्रमुख उद्योग है। राजस्थान में 24 बडे सीमेन्ट प्लान्ट में से 7 सीमेन्ट प्लान्ट चित्तौडगढ जिले में स्थापित है। वर्ष 2016–17 में राज्य की उत्पादन क्षमता 70 मिलियन टन की है। राज्य में सीमेन्ट प्लान्टों की सूची :–

क्र सं.	कम्पनी का नाम	प्लान्ट लोकेशन	उत्पादन क्षमता मिलियन टन
1	अम्बुजा सीमेन्ट लिमिटेड	राबरियावास	1.50
2	बिनानी सीमेन्ट लिमिटेड	सिरोही	4.85
3	बिरला सीमेन्ट वर्क्स	चन्देरिया	2.50
4	चित्तौड सीमेन्ट वर्क्स	चन्देरिया	2.50
5	जे के सीमेन्ट लिमिटेड	गोटन	0.40
6	जे के सीमेन्ट लिमिटेड	मांगरोल	3.00
7	जे के सीमेन्ट लिमिटेड	निम्बाहेडा	3.25
8	जे के लक्ष्मी सीमेन्ट लिमिटेड	सिरोही	8.30
9	एसीसी सीमेन्ट वर्क्स	लाखेरी	1.50
10	मंगलम सीमेन्ट लिमिटेड	कोटा	3.25
11	श्री सीमेन्ट लिमिटेड	जयपुर	1.50
12	श्री सीमेन्ट लिमिटेड	खुशखेडा	3.00
13	श्री सीमेन्ट लिमिटेड	रास	7.00
14	श्री सीमेन्ट लिमिटेड	सुरतगढ	1.20
15	श्री सीमेन्ट लिमिटेड	ब्यावर	3.00
16	श्रीराम सीमेन्ट वर्क्स	कोटा	2.95
17	त्रिनेत्र सीमेन्ट (इण्डिया सीमेन्ट)	बांसवाडा	1.50
18	अल्ट्राटेक–आदित्य सीमेन्ट वर्क्स	आदित्यपुरम	8.00
19	अल्ट्राटेक–कोटपुतली सीमेन्ट वर्क्स	कोटपुतली	3.00
20	वण्डर सीमेन्ट लिमिटेड	निम्बाहेडा	8.00
		योग	**70.20**

राज्य की कुल क्षमता में से लगभग 29 मिलियन टन की क्षमता हमारे क्षैत्र की है, जो कि राज्य की क्षमता का 41 प्रतिशत है। चित्तौडगढ जिले में स्थापित जे के सीमेन्ट, बिडला कॉरपोरेशन लिमिटेड, आदित्य सीमेन्ट मेवाड चेम्बर की सदस्य है।

आदित्य बिडला ग्रुप की अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड द्वारा 1850 करोड रुपये की लागत से 3.5 मिलियन टन क्षमता का नया सीमेन्ट प्लान्ट पाली में प्रस्तावित है।

मार्बल उद्योग

इण्डियन ब्यूरो ऑफ माइन्स के अनुसार देश में 825 मिलियन टन के मार्बल रिजर्व है, जिसमें से 563 मिलियन टन के रिजर्व राजस्थान में है। इसमें राजस्थान में मार्बल के 110 करोड टन से अधिक के खनन योग्य भण्डार है। राजस्थान में मार्बल खनन भण्डार :–

जिला	डिपोजिट/बेल्ट	रिजर्व (मिलियन टन)
राजसमन्द	आगरिया, आमेट, केलवा, मोरवड	387
नागौर	मकराना	56
उदयपुर	केसरियाजी	40
उदयपुर	देवीमाता	60
बांसवाडा	त्रिपुरा सुन्दरी, तलाई, भीमकुण्ड आदि	230
जयपुर	अंधी, भैंसलाना	50
अलवर	झिरी, सरिस्का	20
सिरोही	सेलवाडा, धनवाव, कोटेश्वर	80
भीलवाडा	जहाजपुर, केकडी	60
अजमेर	कल्याणपुरा, सरवाड, सरधाना	60
सीकर	पाटन, रामपुरा	10
बुन्दी	उमर	25
डुंगरपुर	डुंगरपुर	10
चित्तौडगढ, पाली, जैसलमेर	चित्तौडगढ, पाली, जैसलमेर	12
कुल योग		**1100**

राज्य में राजसमन्द जिले में सबसे विशाल भण्डार है। वर्तमान में राज्य के कुल मार्बल उत्पादन का 49 प्रतिशत उत्पादन इस जिले में होता है। जिले में 1000 से अधिक मार्बल लीज कार्यरत है। वर्ष 2017–18 में मार्बल उत्पादन :–

जिला	लीज	उत्पादन (टन)
राजसमन्द	1020	64,43,480
उदयपुर	98	5,04,918
बांसवाडा	80	9,69,382
भीलवाडा	27	19,885
चित्तौडगढ	23	13105
डुंगरपुर	16	6589
प्रतापगढ	14	42000

राज्य में कुल मार्बल उत्पादन 132 लाख टन में से 80 लाख टन उत्पादन मेवाड क्षैत्र में हुआ।

देश की 95 प्रतिशत मार्बल प्रोसेसिंग राजस्थान में होती है। मार्बल उद्योग में राजसमन्द, चित्तौडगढ, किशनगढ एवं उदयपुर का वर्चस्व है। चित्तौडगढ में 300 से अधिक मार्बल इकाईयां एवं 130 गैंगसा लगे हुए है, जिनमें प्रतिमाह डेढ करोड फीट मार्बल की प्रोसेसिंग होती है एवं 10 प्रतिशत मार्बल निर्यात होता है। यहां मार्बल व्यवसाय का टर्नऑवर 500 करोड रुपये प्रतिवर्ष से अधिक है। चित्तौडगढ में मार्बल उद्योग की मुख्य समस्या औद्योगिक भूमि की कमी, प्रोसेसिंग के लिए पानी की उपलब्धता एवं रेल कन्टेनर डिपों का अभाव है। चित्तौडगढ में रीको के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों ने एक भी प्लॉट खाली नही है। इस जिलें में सोनियाणा में औद्योगिक क्षैत्र में एक खण्ड मार्बल उद्योग के लिए आरक्षित किया गया है। इससे मार्बल उद्योग को मदद मिल सकती है।

राजसमन्द जिलें में 615 से अधिक मार्बल इकाईयां एवं 305 गैंगसा कार्यरत है। इस जिलें में हमारी सदस्य इकाई आर के मार्बल की मोरवड माइन्स एशिया की विशालतम एवं वैज्ञानिक रुप से संचालित माइन्स के रुप में जानी जाती है। राजसमन्द जिला आधारभूत सुविधाओं के अभाव से पीडित है। विशाल स्तर पर मार्बल परिवहन होने के बावजूद राजसमन्द में अभी तक ट्रासंपोर्ट नगर की स्थापना नही हो पायी है। नाथद्वारा, कांकरोली रेल लाइन को शीघ्रता से ब्रोडगेज आमान परिवर्तन से रेल से माल परिहवन में सुविधा मिलेगी। इस जिले में भी इन्लैण्ड इन्टेनर डिपों की स्थापना आवश्यक है।

मार्बल प्रोसेसिंग में किशनगढ देश का प्रमुख केन्द्र है। यहां लगभग 635 मार्बल गैंग शॉ, 80 ग्रेनाइट कटर, 550 से अधिक ऐजकटर, 40 क्रेसर एवं 200 मार्बल हेण्डीक्राफ्ट इकाईयां लगी है। 7300 से अधिक मार्बल व्यापारी कार्यरत है। किशनगढ मण्डी का टर्नऑवर लगभग 8000 करोड रुपये वार्षिक का है। पिछले वर्षो में इटली, टर्की, वियतनाम आदि देशों के आयातित मार्बल की उपलब्धता ने किशनगढ मण्डी का नाम ओर विख्यात किया है।

बांसवाडा ऑफ वाइट एवं ग्रीन मार्बल के लिए विश्व विख्यात है। भीलवाडा जिले में जहाजपुर, सारनखेडा, कांटी आदि स्थानों पर मार्बल का खनन हो रहा है।

ग्रेनाइट उत्पादन

राज्य में गत वर्ष 30.90 लाख टन ग्रेनाइट उत्पादन हुआ। सर्वाधिक ग्रेनाइट उत्पादन राजसमन्द एवं जालौर जिले में है। हमारे जिलों में ग्रेनाइट के विशेष भण्डार नही है। फिर भी भीलवाडा जिले के पश्चिम क्षैत्र में करेडा, रघुनाथपुरा, धुंवाला आदि इलाकों में लघु एवं मध्यम श्रेणी की कई ग्रेनाइट खानें भी प्रारम्भ हुई है। इस क्षैत्र में जमीन में काफी ऊपर पाये जाने वाले काले पत्थर को ग्रेनाइट के रुप में पहचान कर इसी क्षैत्र के कई उद्यमियों ने कार्य प्रारम्भ किया है। इस क्षैत्र में इन खननकर्ताओं के 2 कलस्टर है। वर्ष 2017–18 में ग्रेनाइट उत्पादन :–

जिला	लीज	उत्पादन (टन)
राजसमन्द	90	4,08,822
उदयपुर	5	7582
भीलवाडा	161	5,40,000
चित्तौडगढ	2	0

सोपस्टोन उत्पादन

पिछले 80 से अधिक वर्षो से भीलवाडा सोपस्टोन खनन एवं प्रोसेसिंग का महत्वपूर्ण केन्द्र रहा है। गोलच्छा ग्रुप द्वारा यहां 1930–40 के दौरान जिले में घेवरिया एवं अन्य स्थानों पर सोपस्टोन खनन प्रारम्भ हुआ एवं भीलवाडा शहर में इसकी प्रोसेसिंग इकाई लगाई। जिले में घेवरिया व चैनपुरा क्षेत्र का सोपस्टोन भारत में सर्वाधिक श्रेष्ठ क्वालिटी का है। राज्य में वर्ष 2017–18 में 15.31 लाख टन उत्पादन हुआ। इसमें लगभग 14.83 लाख टन (97 प्रतिशत) उत्पादन हमारे क्षेत्र में हुआ।

जिला	लीज	उत्पादन (टन)
राजसमन्द	12	1,02,853
उदयपुर	72	1,91,155
भीलवाडा	29	7,15,438
डुंगरपुर	27	3,10,010
प्रतापगढ	24	1,64,190

लौह अयस्क एवं स्टील प्लान्ट

भीलवाडा तहसील के डेडवास ग्राम के निकट 1556.78 हैक्टर भूमि जिन्दल शॉ लिमिटेड को लौह अयस्क के साथ गोल्ड, सिल्वर, लैड, जिंक, कॉपर आदि के खनन के लिए राज्य सरकार द्वारा 30 वर्ष की माइनिंग लीज पर नवम्बर 2010 में आंवटित की गई है। योजना के तहत कम्पनी खनन कार्य के साथ पैलेट प्लान्ट प्रारम्भ कर चुकी है। वर्ष 2017–18 में कम्पनी द्वारा 32.04 लाख टन लौह अयस्क का खनन किया गया। जिन्दल शॉ द्वारा वर्तमान में पुर के समीप 1.2 मिलियन टन प्रतिवर्ष पैलेट संयन्त्र लगभग 300 करोड की लागत से मई 2013 में स्थापित किया गया है। केप्टिव आयरन ऑर माइनिंग पर आधारित यह उत्तरी भारत का एक मात्र पैलेट प्लान्ट है, जो कि मेगनेटाइट आयरन ऑर का उपयोग कर रहा है। पैलेट प्लान्ट ग्रेट–क्लिन तकनीक पर आधारित है एवं इसकी मशीनरी चीन से आयातित है।

समन्वित इस्पात संयन्त्र

जिन्दल शॉ लिमिटेड द्वारा विद्यमान पैलेट प्लान्ट के समीप 2 हजार करोड की लागत से समन्वित इस्पात संयन्त्र की स्थापना कर रहा है। प्रस्तावित संयन्त्र 3 से 4 वर्षो में निर्मित होकर कार्यरत होगा। समन्वित इस्पात संयन्त्र के तहत इकाई द्वारा निम्न संयन्त्र स्थापित किए जाना प्रस्तावित है।

संयन्त्र	उत्पादन क्षमता (लाख टन प्रतिवर्ष)	उत्पाद
ब्लास्ट फर्नेस	10.65	गलित लौह
डीआरआई प्लान्ट	6.50	स्पांज आयरन
बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस	10.00	गलित लौह
सी सी एम काम्बी कास्टर	10.00	इस्पात इनगट एवं बार आदि
रोलिंग मिल	7.50	इस्पात रेबार/टीएमटी
पैलेट संयन्त्र	15.00	लौह पैलेट

इसके साथ विभिन्न इकाइयों से उत्सर्जित ऊर्जा एवं गैस पर आधारित 75 मेगावाट का केप्टिव पावर प्लान्ट भी स्थापित किया जाएगा। इसकी स्थापना हेतु पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

जिंक एवं लैड

विश्व में प्रमुख जिंक उत्पादक एवं हमारी सदस्य इकाई हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की भीलवाडा जिले में रामपुरा आगुचा में एवं उदयपुर, राजसमन्द जिलों में सिन्देसर खुर्द, जावर एवं राजपुरा दरीबा में जिंक एवं लैड की माइन्स तथा चित्तौडगढ एवं उदयपुर में स्मेल्टर प्लान्ट है। रामपुरा आगुचा माइन्स विश्व की सबसे बडी जिंक खान होने के साथ यहां अयस्क में जिंक 14 प्रतिशत है जो कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ जिंक अयस्क में से है।

माइन्स	रिजर्व (मिलियन टन)	जिंक ग्रेड (प्रतिशत)	लैड ग्रेड (प्रतिशत)	अयस्क उत्पादन क्षमता (मिलियन टन)
रामपुरा आगुचा	49.5	14.00	1.9	6.15
सिन्देसर खुर्द	32.2	4.5	3.1	4.50
जावर	9.6	3.4	1.8	4.00
राजपुरा दरीबा	9.6	6.4	1.6	0.9
कायड	7.3	9.6	1.4	1.00

वर्ष 2017–18 में इकाई द्वारा 94.70 लाख टन अयस्क खनन किया गया। वर्ष के दौरान रिफाइण्ड जिंक 7.91 लाख टन, लैड 1.75 लाख टन एवं सिल्वर 594 टन उत्पादन हुआ।

हिन्दुस्तान जिंक द्वारा माइनिंग एकेडमी की स्थापना

अण्डरग्राउण्ड माइनिंग क्षेत्र में प्रशिक्षित कामगारों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड ने नेशनल स्कील डवलपमेन्ट कॉरपोरेशन के साथ एक माइनिंग एकेडमी की स्थापना की। वर्ष के दौरान राजस्थान के 120 युवाओं को 18 माह की जम्बो ड्रील ऑपरेटर की ट्रेनिंग दी जा रही है।

मिनरल एवं माईनिंग

राजस्थान की 3,42,239 वर्ग किमी के भूभाग में विस्तृत रत्नवल्लभा धरती में सैकडों तरह के खनिजों का अकूत भण्डार है। देश में कुल माइनिंग का लगभग 20 प्रतिशत भाग ऑफशॉर माइनिंग का है। इसके बाद राजस्थान भूमि पर माइनिंग में 11.49 प्रतिशत भागीदारी से प्रथम स्थान रखता है। माईनर मिनरल का सर्वाधिक 30 प्रतिशत उत्पादन राजस्थान में होता है। मेजर मिनरल में राजस्थान देश में 5वां स्थान रखता है। राज्य के भूगर्भ में भीलवाडा सुपर ग्रुप के नाम से पहचाने जाने वाली 2500 मिलियन वर्ष से भी प्राचीन आर्चियन मेटामोरफिक चट्टानों से लेकर थार के रेगिस्तान की रेत सम्मिलित है। राज्य में कई तरह के खनिज एवं विशेषरुप से अपने रंगों से पहचाने जाने वाले इमारती पत्थर के विशाल भण्डार है। राज्य का पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी भाग विंध्य सुपर ग्रुप का हिस्सा है। जिसमें सेण्डस्टोन, सैल एवं लाइम स्टोन प्रचुर मात्रा में है। अरावली का मेटेलोजेनिक भाग बेस मेटल एवं स्वर्ण भण्डार युक्त है। इस भाग में रामपुरा आगुचा की विश्व स्तरीय लैड जिंक डिपोजिट एवं राजपुरा दरीबा व जावर के लैड जिंक डिपोजिट सम्मिलित है। पिछले दशक में बांसवाडा जिले के कुछ भागों में स्वर्ण भण्डार भी पाये गये है।

राजस्थान 64 से अधिक तरह के मेजर एवं माईनर मिनरल का उत्पादक है। देश में गारनेट, जेस्पर, वाल्सोनाइट, का समस्त उत्पादन एवं केल्साइट, जिप्सम, एस्बेस्टोस एवं जिंक का देश का लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान से ही होता है। यह राज्य स्टेटाइट (85 प्रतिशत), लैड (80 प्रतिशत), फोस्फोराइट (79 प्रतिशत), गैरु मिट्टी (72 प्रतिशत), फेल्सपर (70 प्रतिशत), फलोराइट (59 प्रतिशत), सिल्वर (54 प्रतिशत), बॉयराइट्स (53 प्रतिशत), कॉपर (34 प्रतिशत), बॉलक्ले (40 प्रतिशत) आदि का प्रमुख उत्पादक है।

राजस्थान में माइनिंग के विकास में भीलवाडा, चित्तौडगढ, प्रतापगढ, राजसमन्द, बांसवाडा, डूंगरपुर, उदयपुर आदि जिलों का विशेष योगदान है। राज्य में मेजर मिनरल की 65 प्रतिशत से अधिक लीज इन जिलों में है।

वर्ष 2017–18 में राज्य सरकार को रेन्ट एवं रॉयल्टी की आमदनी

जिला	मेजर मिनरल (करोड)	माइनर मिनरल (करोड)	कुल (करोड)
बांसवाडा	9.78	36.05	45.83
भीलवाडा	902.05	117.71	1019.76
चित्तौडगढ	217.52	28.40	245.92
डुंगरपुर	0.00	20.24	20.24
प्रतापगढ	0.00	9.80	9.80
राजसमन्द	692.87	186.46	879.33
उदयपुर	218.83	57.93	276.76
कुल	2041.05 (80.28 प्रतिशत)	456.59 (26.70 प्रतिशत)	2497.64 (58.73 प्रतिशत)
कुल राजस्थान	2542.19	1710.30	4252.49

राजस्थान में मेजर मिनरल की रॉयल्टी का 80 प्रतिशत एवं माइनर मिनरल का 27 प्रतिशत भाग इन जिलों से प्राप्त हुआ।

भीलवाडा का आर्थिक विकास एवं प्रसिद्धी सर्वप्रथम अभ्रक खनन एवं व्यापार से हुई। 1920–30 से यहां माइका माइनिंग प्रारम्भ हुई। दुदुवाला, पुषालाल मानसिंहका, राजगडिया आदि प्रमुख घरानों ने अभ्रक व्यापार में अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर भीलवाडा की पहचान बनाई। वर्तमान में राजसमन्द, चित्तौडगढ, बांसवाडा मार्बल माइनिंग एवं प्रोसेसिंग के प्रमुख केन्द्र है। भीलवाडा सैण्डस्टोन माइनिंग में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भीलवाडा, उदयपुर, राजसमन्द में लैड एवं जिंक अयस्क के एशिया के सबसे बडे भण्डार है। लाइम स्टोन के विशाल भण्डारों के कारण चित्तौडगढ जिला राजस्थान में सीमेन्ट उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। क्वाटर्ज, फेल्सपार, चाइना क्ले, सोट स्टोन आदि अन्य महत्वपूर्ण मिनरल है। पिछले वर्षो में भीलवाडा जिलें में आयरन ओर के भण्डारों की खोज से यह अब लौह उत्पादकों का आर्कषण का केन्द्र बन गया है।

मेवाड क्षैत्र में मेजर मिनरल उत्पादन 2017-18 (राजस्थान से तुलनात्मक)

मिनरल	राजस्थान में कुल	भीलवाडा	चित्तौडगढ	प्रतापगढ	बांसवाडा	उदयपुर	राजसमन्द	डुंगरपुर	कुल (टन)	राज्य का प्रतिशत
लैड जिंक ओर	5029581	3842237							3842237	76.39
जिंक कन्सन्ट्रेट	436285					39395	396891		436286	100.00
लैड कन्सन्ट्रेट	191833					30132	161701		191833	100.00
मेंगनीज	7502				7502				7502	100.00
सिल्वर	421					6.52	414		421	100.00
रॉक–फॉस्फेट	1230950					1230950			1230950	100.00
लौह अयस्क	3467614	3204145							3204145	92.40
लाइमस्टोन	50006259		26007889		1106105	1048282			28162276	56.31

राज्य में उत्पादित मेजर मिनरल में से लैड जिंक ओर, लैड कन्सन्ट्रेट, जिंक कन्सन्ट्रेट, लौह अयस्क, मेंगनीज, सिल्वर, रॉक–फॉस्फेट का समस्त उत्पादन मेवाड क्षैत्र के इन सात जिलों में ही हो रहा है। देश में जिंक का लगभग समस्त उत्पादन राजस्थान में होता है।

मेवाड क्षैत्र में माईनर मिनरल उत्पादन 2017-18 (राजस्थान से तुलनात्मक)

मिनरल	राजस्थान में कुल	भीलवाडा	चित्तौडगढ	प्रतापगढ	बांसवाडा	उदयपुर	राजसमन्द	डुंगरपुर	कुल (टन)	राज्य का प्रतिशत
माइका	6459	6459							6459	100.00
फेल्सपर / क्वार्टज	5148922	879891	51881			241166	1238385		2411323	46.93
डोलोमाइट	307371				1170	124056	148299	23848	297373	96.74
केल्साइट	65578					23070			23070	35.18
चाइनाक्ले	2287080	363632	469786			17200			850618	37.20
सोपस्टोन	1531440	715438		164190		191155	102853	310010	1483646	96.88
सरपेन्टीन	898572					499545		399027	898572	100.00
फाइलाइट	3495864	700	3151680	2046		12220		7676	3174322	90.80
मार्बल	13199265	19885	13105	42000	969382	504918	6443481	6589	7999360	60.60
सैण्डस्टोन	14109747	2031199	49378						2080577	14.75
लाइमस्टोन (डाईमेंशनल)	3653001		221003				92184		313187	8.57
मिट्टी	9273076		876518						876518	9.45
रेड / यलो ऑकर	2219988	133610	738560	1280384		16335			2168889	97.70
कंकर–बजरी	113858399	3474265	91491				488712		4054468	3.56
मुर्रम	570634		243115						243115	42.60
इमारती पत्थर	84158019	1731908	125967	99938	581035	4263467	113822	91569	7007706	8.32
ग्रेनाइट	3090758	540000				7582	408822		956404	30.94
ईंट की मिट्टी	13325322	683700	41247		39025	14960		32258	811190	6.08

राज्य में हमारे क्षैत्र के बांसवाडा, उदयपुर, राजसमन्द प्रमुख मार्बल उत्पादक जिले है। राज्य का 60 प्रतिशत मार्बल मेवाड में उत्पादित हो रहा है। चिप पाउडर एवं सरपेन्टीन (ग्रीन मार्बल) का शतप्रतिशत उत्पादन हमारे क्षैत्र से है। मार्बल एवं सरपेन्टीन का करीब 90 लाख टन उत्पादन हो रहा है। डाइमेनशनल पत्थर के रुप में यहां से उत्पादित कई तरह के रंग वाले फाइलाइट्स एवं स्लेट पत्थर ने विदेशों में भी अच्छी पहचान बनाई है।

क्वाट्र्ज–फेल्सपार ग्राइण्डिग उद्योग

मेवाड क्षैत्र में क्वाट्र्ज–फेल्सपार के विशाल भण्डार है। राज्य में उत्पादित 51.48 लाख टन क्वाट्र्ज–फेल्सपार में से 24.11 लाख टन (47 प्रतिशत) भीलवाडा, चित्तौडगढ, उदयपुर एवं राजसमन्द जिलों में होता है।

भीलवाडा जिले में फेल्सपार के विशाल भण्डार होने के बाद भी जिले में ग्राइण्डिग उद्योग नही पनप पाया जबकी ब्यावर एवं किशनगढ में एक हजार से अधिक क्वाट्र्ज–फेल्सपार ग्राइण्डिग उद्योग लगे है। इनके लिए कच्चे माल की आपूर्ति भीलवाडा जिले से होती है। इस उद्योग की मुख्य समस्या राज्य सरकार द्वारा इण्डस्ट्रीयल एरिया की स्थापना की है। पिछले 5 वर्षो में जिले में क्वाट्र्ज–फेल्सपार ग्राइण्डिग उद्योग की संख्या 10 से बढकर लगभग 75 हो गई, जिसमें मुख्यरुप से गंगापुर में 15 से 20, बाघपुरा में 15, आसीन्द में 25–30 उद्योग लगे है।

वर्तमान में गुजरात में बडे ग्राइडिंग प्लान्ट वेट ग्राइडिंग पर आधारित स्थापित हुए है, जिससे राजस्थान से कच्चा माल गुजरात जाने लगा है। इससे पूरे राजस्थान में विशेषरुप से भीलवाडा, ब्यावर, किशनगढ में क्वाट्र्ज–फेल्सपार ग्राइडिंग उद्योग के बन्द होने की नौबत आने लगी। मेवाड चेम्बर सहित कई औद्योगिक संगठनों ने राज्य सरकार से राज्य के बाहर क्वाट्र्ज–फेल्सपार को कच्चे माल के रुप में परिवहन पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग की। राज्य सरकार की ओर से क्वाट्र्ज–फेल्सपार लम्प रुप में राज्य से बाहर निकासी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

भीलवाडा जिले में सिरेमिक जोन की स्थापना

भीलवाडा जिले में सिरेमिक उद्योग के रॉ–मेटेरियल की प्रचुर उपलब्धता के दृष्टिगत, उद्योग विभाग द्वारा जिले में सिरेमिक जोन की स्थापना का निर्णय किया गया है। इस उद्देश्य से उखलियां (हुरडा) में 525 हेक्टर एवं मोड का निम्बाहेडा (आसीन्द) में 102 एवं 408 हेक्टर भूमि चिन्हित कर रिजर्व की गई है। जिले में सिरेमिक जोन की स्थापना एक स्वागत योग्य कदम है एवं इससे आसीन्द क्षैत्र में औद्योगिक विकास एवं रोजगार बढेगा। मोड का निम्बाहेडा में सिरेमिक पार्क विकसित करने के लिए इम्पेरियल टेक्सपार्क प्रा लि मुम्बई द्वारा राज्य सरकार के साथ मई 2015 में एमओयू हस्ताक्षरित किया गया जिसके तहत कम्पनी 600 करोड के निवेश से इस स्थान पर सिरेमिक पार्क विकसित करेगी।

सैण्ड स्टोन– राजस्थान में तरह–तरह के सैण्ड स्टोन के विशाल भण्डार धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बून्दी, झालावाड, कोटा, भीलवाडा, चित्तौडगढ, जैसलमेर एवं बांरा जिले में है। हर क्षैत्र का सैण्डस्टोन अलग–अलग रंगों मे एवं सोटनेश का पाया जाता है एवं हर स्थान का पत्थर उसके नाम विशेष देश में प्रसिद्ध है। भीलवाडा जिले में बिजोलियां एवं इससे क्षैत्र से सटे हुए बून्दी एवं कोटा जिले के इलाके फर्सी एवं छत में काम आने वाले सैण्डस्टोन के लिए प्रसिद्ध है।

सैण्ड स्टोन ब्लॉक– सैण्डस्टोन की खानों के अपरस्टेटा का वेस्ट पत्थर पहले डम्प के रुप में फैंका जाता था एवं पर्यावरण के लिए भी एक बडी समस्या थी। पिछले कुछ वर्षो से इस वेस्ट पत्थर से ईंट के समान ब्लॉक बनाये जाकर मिडिल ईस्ट, यूरोप, आस्ट्रेलिया आदि को निर्यात किये जा रहे है। पूर्व में जो पर्यावरण के लिए संकट की वस्तु थी, आज उससे विदेशी मुद्रा कमाई जा रही है।

स्लेट स्टोन– भीलवाडा जिले के बदनौर एवं टीकड़ क्षैत्र पाये जाने वाला स्लेट स्टोन भी निर्यात किया जा रहा है। इसकी सिल्वर ग्रे एवं अन्य रंगों की टाइल्स वाल पैनेलिंग एवं सजावटी पत्थर के रुप में काम ली जा रही है। इसका निर्यात आस्ट्रेलिया, नीदरलैण्ड, स्वीट्जरलैण्ड आदि देशों को किया जा रहा है।

इन्सुलेशन ब्रिक्स उद्योग

भीलवाडा जिला इन्सुलेशन ब्रिक्स निर्माण मे देश में प्रमुख स्थान रखता है। देश में स्टील, सीमेन्ट, एलुमिनियम, कॉपर, जिंक ऑयल, सिरेमिक एवं पावर उद्योग की इन्सुलेशन ब्रिक्स की आवश्यकता की 70–80 प्रतिशत आपूर्ति भीलवाडा से होती है। जिले में लगभग 50 इन्सुलेशन ब्रिक्स इकाईयां कार्यरत है, जिनमें 80 हजार टन (लगभग 7 करोड ब्रिक्स) उत्पादन क्षमता है।

Representations sent during the year 2018-19

S.No.	Department	Subject	Date
1	Ministry of Environment, Forest & Climate Change, New Delhi	Supreme court order dated 04/12/2017 on petcock consumption	03.04.2018
2	The Chief Minister, Rajasthan	Creating facility of solid waste disposal nearby Bhilwara	03.04.2018
3	Ministry of Finance, New Delhi	Problem faced in E-Way Bill system at U.P., Bihar border	12.04.2018
4	The Textile Commissioner, Mumbai	Regarding RR-TUFS	20.04.2018
5	Secretary Finance (Revenue), Commissioner SGST & OSD-Finance, Jaipur	Unresolved Issues of the textile sector under GST	25.04.2018
6	The M.P., Bhilwara	Unresolved Issues of the textile sector under GST	25.04.2018
7	The Secretary (Revenue) , New Delhi	Unresolved Issues of the textile sector under GST	25.04.2018
8	Secretary Finance (Revenue), Jaipur	ITC-4 return	25.04.2018
9	Ministry of MSME, New Delhi	Online Registration of MSME units-category Bio-Diesel Industry	04.05.2018
10	The Industries Minister, Jaipur	Unresolved Issues of the textile sector under GST	11.05.2018
11	The District Collector, Bhilwara	Development of Textile In dustry in Bhilwara-availability of electricity/power at competitive rates and other related matters.	14.05.2018
12	The District Collector, Bhilwara	Establishment of MEMU Coach Factory in Bhilwara District by Ministry of Railways.	14.05.2018
13	The Minister for Textiles, New Delhi	Unresolved Issues of the textile sector under GST	16.05.2018
14	The Chief Minister, The Secretary, Finance (Revenue), The Commissioner, Commercial taxes, Additional Chief Secretary (Finance), Jaipur	To exempt Textile Yarn & F abrics from issue of E-Way Bill - Intra City /District/ Intra State Movement	21.05.2018
15	The Textile Minister, New Delhi The Textile Commissioner, Mumbai	Setting up of Powerloom Mega Cluster at Bhilwara under revised Comprehensive Powerloom Cluster Development Scheme (RCPCDS)	23.05.2018
16	The Chief Minister, PHED Minister, Industry Minister, Jaipur & District Collector, Bhilwara	Regarding water supply to Industries	24.05.2018
17	The Chief Minister & Industry Minister, Jaipur	Regarding Mega Powerloom Cluster	24.05.2018
18	The Chief Minister, Industry Minister, The Minister of State (Energy), Pr. Secretary, Energy Department, Jaipur & District Collector	Development of Textile Industry in Rajasthan-availability of electricity/power at competitive rates and other related matters.	24.05.2018
19	The Secretary (Revenue), New Delhi	Problem in filing RFD01 return and delay in refund to exporters.	24.05.2018
20	The Chief Minister, The Secretary, Finance (Revenue), The Commissioner, Commercial taxes, Additional Chief Secretary (Finance), Jaipur	To exempt Textile Yarn & Fabrics from issue of E-Way Bill - Intra City /District/Intra State Movement	24.05.2018 & 28.05.2018

21	Dy. Director, Office of the Textile Commissioner, Mumbai	Setting up of Powerloom Mega Cluster at Bhilwara under revised Comprehensive Powerloom Cluster Development Scheme (RCPCDS)	25.05.2018 & 30.05.2018
22	The Joint Secretary-MSME, New Delhi	Online Registration of MSME units-category Bio-Diesel Industry.	25.05.2018
23	The Industries Minister, Jaipur	To exempt Textile Yarn & Fabrics from issue of E-Way Bill- Intra City /District/Intra State Movement	04.06.2018
24	The Industry Minister, Jaipur	Regarding Mega Powerloom Cluster	05.06.2018
25	The Commissioner, Commercial taxes, Jaipur	To exempt Textile Yarn, Fabrics and Textile articles from issuance of E-Way Bill for Intra-District/Intra State Movement.	11.06.2018
26	The Commissioner, Commercial taxes, Jaipur	To depute technical team to visit at Bhilwara to solve the issues relating to submission of GST-ITC-04 form	11.06.2018
27	Textile Commissioner of India, Mumbai	Unresolved Issues of the textile sector	15.06.2018
28	Textile Commissioner of India, Mumbai	Setting up of Powerloom Mega Cluster at Bhilwara under revised Comprehensive Powerloom Cluster Development Scheme (RCPCDS)	15.06.2018
29	The DGP, Jaipur The Collector & S.P, Chittorgarh	Setting up of Police Post in Soniyana Industrial Belt	15.06.2018
30	Chairman, Rajasthan Khadi & Gramoudyog Board, Jaipur	To reopen Khadi & Gramoudyog Board office at Bhilwara	23.06.2018
31	Ministry of Finance, New Delhi, Secretary Finance (Revenue), Jaipur, CCT Jaipur, OSD Finance, Jaipur	Filing of ITC-04 for Textile Fabric industries	03.07.2018
32	The Minister for Finance, The Secretary Finance (Revenue), New Delhi	Refund of accumulated input tax credit on account of inverted tax structure- Certain unresolved issues.	04.07.2018
33	The Minister for Textiles	Filing of ITC-04 under GST Rules.	09.07.2018
34	The Minister for Finance, The Secretary Finance (Revenue), Commissioner, CBIT, New Delhi,	Problem in filing RFD-01 return and delay in refund to exporters	11.07.2018
35	The Chief Minister, The Secretary, Finance (Revenue), The Commissioner, Commercial taxes, Additional Chief Secretary (Finance), Jaipur	To exempt Textile Yarn & Fabrics from issue of E-Way Bill- Intra City /District/Intra State Movement	13.07.2018
36	The Minister for Finance, The Secretary Finance (Revenue), Commissioner, CBIT, New Delhi,	Refund of Accumulated ITC on account of inverted tax structure	16.07.2018
37	The Minister for Finance, The Secretary Finance (Revenue), Commissioner, CBIT, New Delhi,	summary report of unresolved issues of Goods and Service Tax	17.07.2018
38	The District Collector, Bhilwara	Regarding Railway Freight Terminal	18.07.2018
39	The District Collector, Bhilwara	Regarding Dark Zone re-survey	21.07.2018
40	The Minister for Finance, The Secretary Finance (Revenue), Commissioner, CBIT, New Delhi,	*Some unresolved issues of Goods and Service Tax relating to MSME Sector*	25.07.2018

41	The Minister for Industries, Jaipur	To grant Exemption from issuance of Intra State E-way Bill for movement of all type goods	26.07.2018
42	The Minister for Finance, The Secretary Finance (Revenue) and The Chief Minister & Industries Minister, The Secretary Finance, CCT, OSD-Finance, Jaipur	To waive the mandatory filing of ITC-04 form in case of the Textile Job work.	26.07.2018
43	The Minister for Finance, The Secretary Finance (Revenue) and The Chief Commissioner, CGST, The Secretary Finance, CCT, OSD - Finance, Jaipur	Non availability the option to file the refund claim on quarterly basis by exporters	26.07.2018
44	The Minister for Finance, The Secretary Finance (Revenue) and The Chief Minister & Industries Minister, The Secretary Finance, CCT, OSD-Finance, Jaipur	Refund on account of inverted duty structure on textile fabrics which is available w.e.f. 01.08.2018 – clarifications are needed with regards to the condition of lapse of balance of unutilized input tax credit as on 31.07.2018	29.07.2018
45	The Chairman, RAJSICO, Jaipur	Reg. Supreme court order dated 04/12/2017 on petcock consumption.	02.08.2018
46	The General Manager, North Western Railways, Jaipur	Railway Freight Terminal near Bhilwara	03.08.2018
47	The Minister for Textile, New Delhi	Development of Textile Industry in Rajasthan-availability of electricity/power at competitive rates and other related matters.	06.08.2018
48	The Chief Minister, Jaipur	Regarding Mukhyamantri Jan Awas Yojana	05.09.2018
49	The Minister for Finance, Secretary Finance (Revenue), New Delhi, Chief Minister, Minister of Industries, The Secretary Finance (Revenue), The Commissioner, Commercial taxes, OSD, Finance (TRC), Chief Commissioner-CGST, Jaipur	Payment of IGST under EPCG Scheme under which exemption should be extended up to 31.03.2020.	21.09.2018
50	The Minister for Finance, Minister for Commerce & Industry, The Secretary Finance (Revenue), New Delhi	MEIS benefit in Soybean Export from India.	21.09.2018
51	The Minister for Finance, Secretary Finance (Revenue), New Delhi, Chief Minister, Minister of Industries, The Secretary Finance (Revenue), The Commissioner, Commercial taxes, OSD, Finance (TRC), Chief Commissioner-CGST, Jaipur	To extend the due date of filing of ITC-04	22.09.2018
52	The Minister for Finance, Secretary Finance (Revenue), New Delhi, Chief Minister, Minister of Industries, The Secretary Finance (Revenue), The Commissioner, Commercial taxes, OSD, Finance (TRC), Chief Commissioner-CGST, Jaipur	To clarify some ambiguity in Notification no. 20/2018-Central Tax (Rate) dated 26.07.2018 and circular no. 56/30/2018-GST dated 24.08.2018.	27.09.2018

53	Additional Director General GST, Goods & Service Tax (DG-GST)	Substitution of the provisions of CGST Rule 96 (10) retrospectively w.e.f. 23.10.2017 vide CGST Notification No. 39/2018-Central Tax dated September 04, 2018.	28.09.2018
54	The Secretary Finance (Revenue), Technical Officer (TRU), Ministry of Finance, New Delhi & The Secretary Finance (Revenue), The Commissioner, Commercial taxes, OSD, Finance , Jaipur	To extend the due date of filing of ITC-04	03.10.2018
55	The Minister for Industries, The Secretary Finance, The Commissioner, Commercial taxes, OSD, Department of Revenue, Rajasthan	Request for waiver of e-way in case of intra state movement of all type of textile goods and articles and job work from whole of the state of Rajasthan	03.10.2018
56	The Secretary Finance (Revenue), Technical Officer (TRU), Ministry of Finance, New Delhi & The Secretary Finance (Revenue), The Commissioner, Commercial taxes, OSD, Finance , Jaipur	To clarify some ambiguity in Notification no. 20/2018-Central Tax (Rate) dated 26.07.2018 and circular no. 56/30/2018-GST dated 24.08.2018.	03.10.2018
57	The Commissioner (GST), Ministry of Finance, New Delhi	Export made under LUT	17.10.2018
58	The Minister for Industries, Jaipur	SGST benefits under RIPS (Rajasthan Investment Promotion Scheme)	24.10.2018
59	The Secretary, Ministry of Power, New Delhi	Note on draft amendments Electricity Act 2003	30.10.2018
60	The Commissioner, Commercial taxes, Jaipur	'C' Form under Central Sales Tax Act - 1956	30.10.2018
61	The Secretary Industries, Govt of Rajasthan, Jaipur	Regarding establishment of Ready Made Garment Cluster in Bhilwara.	15.11.2018
62	The Secretary Industries, Govt of Rajasthan, Jaipur	Key issues for development of MSME industry in Bhilwara	21.11.2018
63	The Minister for Finance, The Secretary Finance (Revenue), New Delhi The Chief Minister, Industries Minister, The Secretary Finance, The CCT, The Chief Commissioner, CGST, Jaipur	Payment of IGST under EPCG Scheme under which exemption should be extended up to 31.03.2020.	28.11.2018
64	The Minister for Commerce & Industry, New Delhi	Development of infrastructure in Bhilwara for further growth of textile industry.	08.12.2018
65	The Pr.Secretary, Energy , Commissioner, Industries, CCT, Jaipur, MD, AVVNL , Ajmer	Electricity Duty on Solar Power energy for captive use	13.12.2018
66	The Secretary, Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Ministry of Petroleum & Natural Gas, Chairman & Member Secretary, Central Pollution Control Board, New Delhi	Representation for the use of imported/ domestic Petcoke as a fuel for generating steam from the Boiler.	18.12.2018

67	The Secretary Finance, New Delhi	To extend the due date of filing of ITC-04	20.12.2018
68	The Minister for Finance, New Delhi	Request to clarify some ambiguity in Notification no. 20/2018 -Central Tax (Rate) dated 26.07.2018 and circular no. 56/30/2018-GST dated 24.08.2018.	20.12.2018
69	The Minister for Finance, The Secretary Finance (Revenue), New Delhi The Chief Minister, Industries Minister, The Secretary Finance, The CCT, The Chief Commissioner, CGST, Jaipur	Payment of IGST under EPCG Scheme under which exemption should be extended up to 31.03.2020.	20.12.2018
70	The Chief Minister Rajasthan, Chief Secretary, Addl.Chief Secretary, Industries, Chairperson, RSPCB, Member Secretary, RSPCB, Secretary Environment, Commissioner Industries, GoR, Jaipur	Supreme court order dated 04/12/2017 on petcock consumption	21.12.2018
71	The Chief Minister Rajasthan, Secretary Finance, Jaipur	Request for Electricity Duty exemption on Solar Power energy for captive use	22.12.2018
72	The Minister for Finance, The Secretary Finance (Revenue), New Delhi The Chief Minister, Industries Minister, The Secretary Finance, The CCT, The Chief Commissioner, CGST, Jaipur	Request to reduce GST Rate on man made fibre Yarn from 12% to 5%	27.12.2018
73	The Minister for Te xtile, New Delhi, Textile Commissioner, Mumbai, RO Noida	Problems being faced by textile industry in respect to JIT inspection under ATUFS.	29.12.2019
74	The Minister for Textile, New Delhi, Textile Commissioner, Mumbai, RO Noida	Delay in payment of TUF'S Capital / Interest subsidy.	09.01.2019
75	The Minister for Textile, New Delhi, Textile Commissioner, Mumbai, RO Noida	Problem of UID / Release of Capital Subsidy under TUFS	09.01.2019
76	The Minister for Textile, New Delhi, Textile Commissioner, Mumbai, RO Noida	Problems of Textile Industry in regard to delay in payment of TUF'S Capital / Interest subsidy and UID numbers.	22.01.2019
77	The Chief Minister Rajasthan, Minister for Energy, Chief Secretary, Principal Secretary, Energy, The Principal Secretary, Finance, Addl. Chief Secretary, Industries, Secretary Finance (Revenue), Govt of Rajasthan, Jaipur	Request for Withdrawal of Electricity Duty of 40 paisa per Unit on Captive Power Plants with capacity 5 to 50 MW for Textile Industry.	01.02.2019
78	The Chief Minister Rajasthan, Minister for Energy, Chief Secretary, Principal Secretary, Energy, The Principal Secretary, Finance, Addl. Chief Secretary, Industries, Secretary Finance (Revenue), Govt of Rajasthan, Jaipur	Surplus Energy in Rajasthan, request for special tariff for textile industry from 10 pm to 6 am period	01.02.2019

79	The Chief Minister Rajasthan, Chief Secretary, Addl. Chief Secretary, Industries, Chairperson, RSPCB, Member Secretary, RSPCB, Secretary Environment, Commissioner Industries, GoR, Jaipur	Notification issued by Ministry of Environment, Forest & Climate Change, new Delhi on 19th Jan, 2018 vide G.S.R. 46(E).	01.02.2019
80	The Minister for Industries, Principal Secretary, Industries, Commissioner Industries, Jaipur	Reg. New Industrial policy	06.02.2019
81	The Minister for Industries, Principal Secretary, Industries, Commissioner Industries, Jaipur	Problems related to Rajasthan Investment Promotion scheme (RIPS)	06.02.2019
82	The Commissioner of Commercial taxes, Jaipur	Regarding e-way and Average Turnover in comparison to previous month	08.02.2019
83	The Managing Director, RIICO Ltd, Jaipur	Allotment of land in RIICO Industrial Area to Merchant Exporter on reserved price.	09.02.2019
84	The Minister for Industries, Principal Secretary, Industries, Chairman & Member Secretary, RPCB, Jaipur	Problems related to Rajasthan Investment Promotion scheme (RIPS) – Capital subsidy on ETP plant under Zero Liquid Discharge.	09.02.2019
85	The Chief Minister Rajasthan, Jaipur	Issues/matters relating industrial development.	11.02.2019
86	The Chief Minister Rajasthan, Jaipur	Issues/matters relating GST and other Central issues	11.02.2019
87	The Minister for Finance, The Secretary Finance (Revenue), New Delhi The Chief Minister, Industries Minister, The Secretary Finance, The CCT, The Chief Commissioner, CGST, Jaipur	Request to reduce GST Rate on man made fibre Yarn from 12% to 5%	13.02.2019
88	The Minister for Finance, The Secretary Finance (Revenue), New Delhi The Chief Minister, Industries Minister, The Secretary Finance, The CCT, The Chief Commissioner, CGST, Jaipur	Payment of IGST under EPCG Scheme under which exemption should be extended up to 31.03.2020.	13.02.2019
89	The Chief Minister Rajasthan, The Addl.Director, Industries Jaipur	Regarding New Industrial policy for Rajasthan	14.02.2019
90	The Minister for Industries, Jaipur	RIP-To continue the benefits under RIP after Transfer of Term Loan Account from One Lending Agency to another Lending Agency.	27.02.2019
91	The Secretary Finance (Revenue), New Delhi	Various GST related issues	16.03.2019
92	The Secretary Finance (Revenue), New Delhi	Payment of IGST under EPCG Scheme under which exemption should be extended up to 31.03.2021.	19.03.2019
93	The Secretary Finance (Revenue), New Delhi	Request to reduce GST Rate on man made fibre Yarn from 12% to 5%	19.03.2019

94	The Secretary Finance (Revenue), New Delhi	To extend the due date of filing of ITC-04	19.03.2019
95	The Secretary Finance (Revenue), New Delhi	To clarify some ambiguity in Notification no. 20/2018-Central Tax (Rate) dated 26.07.2018 and circular no. 56/30/2018-GST dated 24.08.2018	19.03.2019
96	The Minister for Textile, New Delhi	Delay in payment of TUF'S Capital / Interest subsidy.	19.03.2019
97	The Chairman, IRDA, Hyderabad, CEO, GIC, Mumbai,	Exorbitant increase in insurance charges for textile industry	20.03.2019

Mewar Chamber of Commerce & Industry
Annual Accounts

2017-18
&
2018-19

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2018

Particulars	Schedule	Current Year	Previous Year
EQUITY & LIABILITIES			
Capital Fund		523170	523170
Surplus Account	1	3049624	2482782
Current Liabilities & Provision	2	17639	377
Total Liabilities		**3590433**	**3006329**
ASSETS			
Fixed Assets	3	6300	2
Deposit & Advances	4	76492	115992
Cash & Cash Equivalents	5	3387383	2805654
Other Current Assets	6	120257	84681
Total Assets		**3590433**	**3006329**
Significant Accounting Policies & Notes on Accounts	1 to 11	-	0

As per our Report of even date.
For S. Dad & Co.
Chartered Accountants
F.R.No. 007534C

For **Mewar Chamber of Commerce & Industry**

Sanjay Dad
Partner
M.No. 076334
Place : Bhilwara
Date : 27/07/2018

Hon'y President **Hon'y Treasurer** **Hon'y Secrectary General**

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2018

Particulars	Schedule	Current Year	Previous Year
SOURCES OF INCOME			
Subscription Fees	7	1272860	1105000
Certification Fees		852251	891051
Writ Petition Fund		-	184488
Interest on FDR	8	202319	203315
Misc. Receipts (other than members)	9	268196	2091076
Total Income	**(A)**	**2595626**	**4474930**
APPLICATION OF INCOME			
Audit Fees		7080	-
Salary & Allowances		680362	491691
Mewar Chamber Patrika Printing Expenses		254208	155845
Computer Software & Web Dev. Expenses		32203	50873
Annual report Printing & AGM expenses		146280	159139
Aid given to Chittorgarh Chapter		-	18950
Seminar Expenses		86809	60624
Honararium Expenses		-	84000
Subscription Charges		29725	26203
Expenses on Various Programmes		64199	175102
Depreciation		4201	2950
Security Expenses		-	52311
Contribution to Corpus Fund of Mewar Chamber Devp. Trust			300000
Donation		300000	
Miscellaneous Expenses	10	423716	2440490
Total Expenditure	**(B)**	**2028784**	**4018178**
Excess of Income over Expenditure	(A-B)	566842	456752
Significant Accounting Policies & Notes on Accounts	1 to 11		

As per our Report of even date.
For S. Dad & Co.
Chartered Accountants
F.R.No. 007534C

For **Mewar Chamber of Commerce & Industry**

Sanjay Dad
Partner
M.No. 076334
Place : Bhilwara
Date : 27/07/2018

Hon'y President **Hon'y Treasurer** **Hon'y Secrectary General**

Notes forming an integral part of balance sheet for the year ended 2017-18

Schedule - 1 Surplus Account

Particulars	Current Year	Previous Year
Opening Balance	2482782	2,026030
Add: Excess of income over Expenditure	566842	456752
Closing Balance	**3049624**	**2482782**
Total	**3049624**	**2482782**

Schedule -2 Current Liabilities & Provisions

Particulars	Current Year	Previous Year
GST Payable	10559	-
Audit Fees Payable	7080	-
Others	-	377
Total	**17639**	**377**

Schedule- 4 Deposits & Advances

Particulars	Current Year	Previous Year
Deposit - Gas	1900	1900
Deposit - AVVNL Ltd.	19712	19712
Deposit - Telephone	3880	3880
Advance to Staff	51000	90500
Total	**76492**	**115992**

Schedule - 5 Cash & Cash Equivalents

Particulars	Current Year	Previous Year
ICICI Bank Ltd.	52620	2798321
Central Bank of india (FDR)	3202955	-
Central Bank of india (Current A/C)	129651	-
Cash in Hand	2157	7332
Total	**3387383**	**2805654**

Schedule - 6 Other Current Assets

Particulars	Current Year	Previous Year
Interest accured on FDR but not received	382	19278
Advances recoverable in cash or kind	17228	-
TDS Receivables	102647	65403
	120257	**84681**

Schedule - 7 Subscription Account

Particulars	Current Year	Previous Year
Subscription 2015-16	-	6200
Subscription 2016-17	14000	1069300
Subscription 2017-18	1092860	29500
Club Services	166000	-
Total	**1272860**	**1105000**

Schedule - 8 Interest on FDR

Particulars	Current Year	Previous Year
Interest on FDR	201904	201158
Interest SB Account	415	428
Interest on IT Refund	-	1729
Total	**202319**	**203315**

Schedule - 9 Miscellaneous Receipts (Other Than Members)

Particulars	Current Year	Previous Year
Contribution for Golden Jubliee	-	1979126
Fees for training of CS Student	-	4000
Miscellaneous receipt	2772	1950
Miscellaneous Receipts(other than members)	265424	106000
Total	**268196**	**2091076**

Schedule -10 Miscellaneous Expenses

Particulars	Current Year	Previous Year
AMC Charges	3600	15500
Bank Charges	1062	648
Cabel Connection, Internet/ Broadband Service	-	24395
Conveyance Expenses	-	2200
Electricity & Water Expenses	159966	118889
Function Expenses - Diwali	27260	30806
Newspaper & Perodicals Expenses	11385	15359
Office Expenses	59639	62594
Postage / Courier Expenses	13792	13318
Printing & Stationary Expenses	42565	58766
Repair & Maintance Expenses	45910	8130
Telephone Expenses	28061	32693
Meeting Expenses	29826	37527
Digi dhan mela	-	11400
New Year Diaries	-	6622
GST Late filing fees	650	-
Golden jubilee function	-	2001643
Total	**423716**	**2440490**

Schedule : '3' Fixed Assets

Sr. No.	Particulars	WDV as on 01.04.2017	Addition	Deduction	Total	Depreciation for the year	WDV as on 31.3.2018
1	Computer & Printers	1	10500	-	10501	4200	6301
2	Office Equipments	1	-	-	1	1	(0)
	Total	**2**	**10500**	**-**	**10502**	**4201**	**6300**
	Previous year 's Figure	-	-	-	-	-	-

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2019

Particulars	Schedule	Current Year	Previous Year
EQUITY & LIABILITIES			
Capital Fund		523170	523,170
Surplus Account	1	3901133	3049624
Other Funds	2	1691882	-
Current Liabilities & Provision	2	103080	17639
Total Liabilities		**6219265**	**3590433**
ASSETS			
Fixed Assets	3	3781	6300
Deposit & Advances	4	25492	76492
Current Assets, Loans & Advances			
Sundry Debtors		17443	-
Cash & Cash Equivalents	5	6056686	3387383
Other Current Assets	6	115863	120257
Total Assets		**6219265**	**3590433**
Significant Accounting Policies & Notes on Accounts		1 to 11	0

As per our Report of even date.
For S. Dad & Co.
Chartered Accountants
F.R.No. 007534C

For **Mewar Chamber of Commerce & Industry**

Sanjay Dad
Partner
M.No. 076334
Place : Bhilwara
Date : 11/05/2019

Hon'y President **Hon'y Treasurer** **Hon'y Secrectary General**

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2019

Particulars	Schedule	Current Year	Previous Year
SOURCES OF INCOME			
Subscription Fees/ Club Services Fees	7	1433400	1272860
Certification Fees		1078705	852251
Interest Income	8	248628	202319
Miscellaneous Receipts (other than members)	9	241223	268196
Total Income	**(A)**	**3001956**	**2595626**
APPLICATION OF INCOME			
Audit Fees		6000	7080
Salary & Allowances		770187	680362
Mewar Chamber Patrika Expenses		232164	254208
Computer Software & Web Dev. Expenses		88680	32203
Annual report Printing & AGM expenses		96000	146280
Aid given to Chittorgarh Chapter		62350	-
Seminar Expenses		122068	86809
Subscription Charges		48700	29725
Expenses on Various Programmes		73334	64199
Depreciation		2520	4201
Donation		-	300000
Miscellaneous Expenses	10	644453	423716
Total Expenditure	**(B)**	**2146457**	**2028784**
Excess of Income over Expenditure	**(A-B)**	**855499**	**566842**
Significant Accounting Policies & Notes on Accounts	**1 to 11**		

As per our Report of even date.
For S. Dad & Co.
Chartered Accountants
F.R.No. 007534C

For **Mewar Chamber of Commerce & Industry**

Sanjay Dad
Partner
M.No. 076334
Place : Bhilwara
Date : 11/05/2019

Hon'y President **Hon'y Treasurer** **Hon'y Secrectary General**

Notes forming an integral part of balance sheet for the year ended 2018-19

Schedule - 1 Surplus Account

Particulars	Current Year	Previous Year
Opening Balance	3049625	2482782
Add: Excess of income over Expenditure	855499	566842
Less: Transfer from Surplus Account / Income Tax Paid	3991	-
Closing Balance	**3901133**	**3049624**
Total	**3901133**	**3049624**

Schedule - 2 Other Fund

Particulars	Current Year	Previous Year
Writ Petition Fund - Petcoke	-	-
Add during the year	1700000	
Less: Transfer to Income & Expenditure A/c	8118	-
Closing Balance	1691882	
Closing Balance	**1691882**	**-**

Schedule -2 Current Liabilities & Provisions

Particulars	Current Year	Previous Year
GST Payable	-	10559
Audit Fees Payable	7080	7080
Others	96000	-
Total	**103080**	**17639**

Schedule- 4 Deposits & Advances

Particulars	Current Year	Previous Year
Deposit - Gas	1900	1900
Deposit - AVVNL Ltd.	19712	19712
Deposit - Telephone	3880	3880
Advance to Staff	-	51000
Total	**25492**	**76492**

Schedule - 5 Cash & Cash Equivalents

Particulars	Current Year	Previous Year
ICICI Bank Ltd.	120551	52620
Central Bank of india (FDR)	3848237	3202955
Central Bank of india (Current A/C)	2082449	129651
Cash in Hand	5449	2157
Total	**6056686**	**3387383**

Schedule - 6 Other Current Assets

Particulars	Current Year	Previous Year
GST Receivable	5801	-
Interest accured on FDR but not received	-	382
Advances recoverable in cash or kind	-	17228
TDS Receivables	110062	102647
Total	**115863**	**120257**

Schedule - 7 Subscription Account

Particulars	Current Year	Previous Year
Subscription 2016-17	-	14000
Subscription 2017-18	-	1092860
Club Services	1433400	166000
Total	**1433400**	**1272860**

Schedule - 8 Interest on FDR

Particulars	Current Year	Previous Year
Interest on FDR	245099	201904
Interest SB Account	439	415
Interest on IT Refund	3090	-
Total	**248628**	**202319**

Schedule - 9 Miscellaneous Receipts (Other Than Members)

Particulars	Current Year	Previous Year
Miscellaneous receipt	-	2772
Miscellaneous Receipts(other than members)	4360	265424
Sponsorship Fees	236863	-
Total	**241223**	**268196**

Schedule -10 Miscellaneous Expenses

Particulars	Current Year	Previous Year
AMC Charges	53110	3600
Bank Charges	1080	1062
Electricity & Water Expenses	168966	159966
Function Expenses - Diwali	36129	27260
Newspaper & Perodicals Expenses	9945	11385
Office Expenses	84236	59639
Postage / Courier Expenses	18419	13792
Printing & Stationary Expenses	78565	42565
Repair & Maintance Expenses	114830	45910
Telephone Expenses	24105	28061
Meeting Expenses	37391	29826
GST Late filing fees	50	650
Miscellaneous Expenses	2628	-
Expenses for Writ Petition - EPF	15000	-
Total	**644453**	**423716**

Schedule : '3' Fixed Assets

Sr. No.	Particulars	WDV as on 01.04.2018	Addition	Deduction	Total	Depreciation for the year	WDV as on 31.3.2019
1	Computer & Printers	6301	-	-	6301	2520	3780
2	Office Equipments	1	-	-	1	-	1
	Total	**6302**	**-**	**-**	**6302**	**2520**	**3781**
	Previous year 's Figure	**2**	**10500**	**-**	**10502**	**4201**	**6300**

मेवाड चेम्बर डवलपमेन्ट ट्रस्ट

मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री ने चेम्बर की सामान्य गतिविधियों के अतिरिक्त स्वास्थ्य सहायता, आपात सहायता, कला, संगीत,सांस्कृतिक गतिविधियों, खेलकूद आदि क्षैत्रों में भी कार्य करने एवं उनको प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 26 सितम्बर 1998 से एक अलग ट्रस्ट बनाने का निर्णय लिया था। तद्नुसार 26 फरवरी 1999 को निस्पादित ट्रस्ट डीड के जरिये मेवाड चेम्बर डवलपमेट ट्रस्ट नामक ट्रस्ट का विधिवत अलग से गठन किया गया। इस ट्रस्ट के आजीवन ट्रस्टी के रुप में श्री लक्ष्मीनिवास झुझंनुवाला, श्री सूर्य प्रकाश नाथानी एवं श्री शिवकुमार मानसिंहका को मनोनीत किया गया। मेवाड चेम्बर के कार्यरत अध्यक्ष को चर्तुथ ट्रस्टी के रुप में एवं एक अन्य ट्रस्टी उपर्युक्त उल्लेखित चारों ट्रस्टीयों के द्वारा मनोनित किया जाना तय किया गया। इस श्रृखंला में प्रारम्भ में उस समय कार्यरत अध्यक्ष श्री आर एल नौलखा एवं पंचम ट्रस्टी के रुप में श्री रामपाल सोनी को ट्रस्टी बनाया गया।

ट्रस्ट की 22 अक्टूबर 2013 को आयोजित बैठक में श्री आर एन मित्तल का ट्रस्टी नियुक्त किया गया। वर्तमान में श्री लक्ष्मीनिवास झुझंनुवाला (श्री रिजु झुझंनुवाला), श्री सूर्य प्रकाश नाथानी, श्री रामपाल सोनी, श्री दिनेश नौलखा एवं श्री आर एन मित्तल इस ट्रस्ट के ट्रस्टी है।

मेवाड चेम्बर डवलपमेन्ट ट्रस्ट के प्रमुख उद्धेश्य

किसी भी तरह के अनुसंधान एवं विकास कार्य को प्रोत्साहन देना, तकनिकी शिक्षा को प्रोत्साहन देना, विभिन्न विषयों पर सेमीनार एवं कार्यशालाएँ आयोजित करना, स्वास्थ्य सेवाओं में मदद, जरुरतमंद विधार्थीयों को छात्रवृति प्रदान करना, आपात स्थिति यथा भूकम्प, अकाल, बाढ आदि में राहत कार्य करना, कला, संगीत, साहित्य, सांस्कृतिक गतिविधियों, खेलकूद आदि क्षैत्रों में गतिविधियों का आयोजन करना एवं प्रोत्साहन देना आदि है। अपनी स्थापना के बाद से ही इस ट्रस्ट द्वारा विभिन्न क्षैत्रों में उल्लेखनीय कार्य निस्पादित किये जाते रहे है।

केरल में बाढ आपदा में सहायता

अगस्त 2018 में केरल राज्य में भारी वर्षा से प्राकृतिक आपदा आई, जिससे बडी संख्या में आम आदमी एवं राज्य की आर्थिक स्थिति, व्यापार, उद्योग भी प्रभावित हुए। मेवाड चेम्बर डवलपमेन्ट ट्रस्ट की ओर से केरल राज्य के मुख्यमंत्री के आपदा राहत कोष में एक लाख पचास हजार रुपये का सहयोग किया गया।

सैनिक कल्याण कोष में सहायता

फरवरी 2019 में पुलवामा (काश्मीर) में आंतकी हमले में सीआरपीएफ के 42 जवान शहीद हुए। पूरे देश की जनता के साथ मेवाड चेम्बर डवलपमेन्ट ट्रस्ट की ओर से सैनिक कल्याण कोष में एक लाख रुपये का सहयोग किया गया।

MEWAR CHAMBER OF DEVELOPMENT TRUST
Annual Accounts

2017-18
&
2018-19

BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2018

Amount (Rs.)

Particulars	Note	Current Year	Previous Year
EQUITY & LIABILITIES			
Corpus Fund	1	4630526	4630526
Surplus Account	2	6605590	5455675
Other Fund	3	782812	782812
Other Long Term Liabilities	4	223800	223800
Total		**12242728**	**11092813**
ASSETS			
Fixed Assets	5		
Gross Block		7949080	3734579
Less : Depreciation		3970001	3321931
Net Block		**3979079**	**412648**
Capital WIP		-	520364
Investment	6	7769457	7769457
Cash & Bank Balances	7	494192	1213194
Loans & Advances	8	-	1177150
Total Assets		**12242728**	**11092813**
	1 to 10	0	0

Significant Accounting Policies & Notes on Accounts
As per our Report of even date.
For S. Dad & Co.
Chartered Accountants
F.R.No. 007534C

For Mewar Chamber of Development Trust

Sanjay Dad
Partner
M.No. 076334
Place : Bhilwara
Date : 03/07/2018

Trustee **Trustee**

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 2017-18

Particulars	Notes	Current Year	Previous Year
SOURCES OF INCOME			
Rental Income		1386445	1157735
Interest on SB Account		25480	87205
Dividend Income		341283	377462
Donation Income	9	300000	1100000
Misc.Receipts		35965	40119
Total Income		**2089172**	**2762521**
APPLICATION OF INCOME			
Salaries		136356	130754
Expenses on Programmes	10	36377	127755
Lease Rent		8524	8524
Repair & Maintenance - Building		31610	145864
Repair & Maintenance - Others		49642	35525
Electricty & Water Charges		15204	49693
Printing & Stationery		685	9692
Legal Expenses		-	4200
Expenses For Golden Jubilee		-	836399
Rajasthan Heritage Week		-	500000
Insurance Expenses		11943	11892
Depreciation		648070	154253
Bank Charges		846	517
Total Application		**939257**	**2015068**
Excess of Income over Expenditure		**1149915**	**747453**

Significant Accounting Policies & Notes on Accounts **1 to 11**

As per our Report of even date.

For S. Dad & Co.
Chartered Accountants
F.R.No. 007534C

For Mewar Chamber of Development Trust

Sanjay Dad
Partner
M.No. 076334
Place : Bhilwara
Date : 03/07/2018

Trustee **Trustee**

Notes Forming an integral part of the Balance sheet for the year ended 2017-18

Schedule : '1' Corpus Fund

Particulars	Current Year	Previous Year
Opening Balance	4630526	4330526
Add: Received during the year	-	300000
Closing balance	**4630526**	**4630526**
Total	**4630526**	**4630526**

Schedule : '2' Surplus account

Particulars	Current Year	Previous Year
Opening Balance	5455675	4708222
Add : Excess of Income over Expenditure during the year	1149915	747453
Closing Balance	**6605590**	**5455675**

Schedule : '3' Other Fund

Particulars	Current Year	Previous Year
Natural Calamity Fund	549812	549812
Chief Minister Jal swavlamban Yojna	233000	233000
Total	**782812**	**782812**

Schedule : '4' Other Long Term Liabilities

Particulars	Current Year	Previous Year
Security Deposits Against Shop Rent	223800	223800
Total	**223800**	**223800**

Schedule : '6' Investment

Particulars	Current Year	Previous Year
- Franklin India Blue chip	1516968	1516968
- Franklin India Flexi Cap Fund	100000	100000
- HDFC Top 200 Fund -SIP	210000	210000
- UTI Pharma & Health care	200000	200000
- ICICI Pru Focus Bluechip Equity Fund	229136	229136
- ICICI Pru Focus Bluechip Fund	200000	200000
- Reliance Equity Opportunity Fund	713005	713005
- UTI Pharma & healthcare fund-Growth	1282617	1282617
- Birla Sunlife India Gen next fund	300000	300000
- Birla Sunlife Infra Fund -SIP	250000	250000
- ICICI Pru Balance Fund	857731	857731
- Reliance Growth Fund -SIP	210000	210000
- UTI Equity Fund	800000	800000
- UTI Midccap Fund -SIP	300000	300000
-Birla sunlife MNC Fund	300000	300000
-Relience Pharma Fund	300000	300000
Total	**7769457**	**7769457**

Schedule : '7' Cash & Bank Balances

Particulars	Current Year	Previous Year
Bank Balances		
State Bank of India, Bhilwara	488054	1210213
Central bank of India	4346	
Cash Account		
Cash in Hand	1792	2981
Total	**494192**	**1213194**

Schedule : '8' Loans & Advances

Particulars	Current Year	Previous Year
Advance for capital Goods (LIFT)	-	945000
Other Advances	-	232150
Total	**-**	**1177150**

Schedule : '9' Donation

Particulars	Current Year	Previous Year
Donation for Golden Jubilee	-	600000
Donation for rajasthan heritage	-	500000
Donation from MCCI	300000	
Total	**300000**	**1100000**

Schedule : '10' Expenses on Programmes

Particulars	Current Year	Previous Year
Expenses on Programmes		
- Cultural Programme	-	48955
- Medical Programme	-	570
- Educational Programme	-	12175
- Social Welfare Programme	36377	50805
- Sports Activities	-	15250
Total	**36377**	**127755**

Schedule-'5'- Fixed Assets

S.NO.	PARTICULARS	RATE	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK	
			As on 01.04.17	ADDITIONS	DEDUCTIONS	AS AT 31.3.2018	UPTO 31.3.2017	FOR THE YEAR	DEDUCTION	TOTAL	AS AT 31.03.18	AS AT 31.03.17
1	Building	10%	2382205	773302	-	3155507	2025500	284879	-	2,310,379	845,128	356,705
2	Computers & Printers	10%	146066	-	-	146066	99907	14607	-	114,514	31,552	46,159
3	Office Equipments	10%	205362	-	-	205362	195586	9775	-	205,361	1	9,776
4	Air Conditioner	10%	-	1159871		1159871	-	115987		115,987	1,043,884	-
5	Elevator	10%		1868415		1868415		186842		186,842	1,681,574	-
6	Electric Fitting & Installation	10%	-	368113		368113		31501		31,501	336,612	-
7	Furniture & Fixtures	10%	-	44800		44800		4480		4,480	40,320	-
	Depreciation Upto 100%											
4	Xerox Machines	10%	153636	-	-	153636	153635	-	-	153,635	1	1
5	Furniture & Fixtures	10%	423222	-	-	423222	423221	-	-	423,221	1	1
6	Utensils	10%	12564	-	-	12564	12563	-	-	12,563	1	1
7	Water Supply Installations	10%	17022	-	-	17022	17021	-	-	17,021	1	1
8	Overhead Projector	10%	10127	-	-	10127	10126	-	-	10,126	1	1
9	Electric Fitting & Installation	10%	12590	-	-	12590	12589	-	-	12,589	1	1
10	Air Conditioners	10%	308785	-	-	308785	308784	-	-	308,784	1	1
11	DLP Multimedia Projector	10%	63000	-	-	63000	62999	-	-	62,999	1	1
	Total		**3734579**	**414501**	**-**	**7949080**	**3321931**	**648070**	**-**	**3,970,001**	**3,979,079**	**412,648**
	Previous year' s Figure		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2019

Amount (Rs.)

Particulars	Note	Current Year	Previous Year
EQUITY & LIABILITIES			
Corpus Fund	1	4630526	4630526
Surplus Account	2	7143068	6605590
Other Fund	3	782812	782812
Other Long Term Liabilities	4	223800	223800
Total		**12780206**	**12242728**
ASSETS			
Fixed Assets	5		
Gross Block		7949080	7949080
Less : Depreciation		4644279	3970001
Net Block		**3304801**	**3979079**
Investment	6	7769457	7769457
Sundry Debtors		**3221**	-
Cash & Bank Balances	7	1702726	494192
Total Assets		**12780206**	**12242728**
	1 to 10	**-**	**0**

Significant Accounting Policies & Notes on Accounts
As per our Report of even date.
For S. Dad & Co.
Chartered Accountants
F.R.No. 007534C

For Mewar Chamber of Development Trust

Sanjay Dad
Partner
M.No. 076334
Place : Bhilwara
Date : 15/05/2019

Trustee
Surya Prakash Nathany

Trustee
Ram Pal Soni

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 2018-19

Particulars	Notes	Current Year	Previous Year
SOURCES OF INCOME			
Rental Income		1370830	1386445
Interest on SB Account		35769	25480
Dividend Income		145479	341283
Donation Income	8	169100	300000
Misc. Receipts		37440	35965
Total Income		**1758618**	**2089172**
APPLICATION OF INCOME			
Salaries		138693	136356
Expenses on Programmes	9	-	36377
Lease Rent		8524	8524
Repair & Maintenance - Building		61700	31610
Repair & Maintenance - Others		10489	49642
Electricty & Water Charges		25838	15204
Printing & Stationery		4100	685
Donation - Kerala Relief Fund		150000	-
Donation - Sainik Kalyan		101000	-
Insurance Expenses		20745	11943
Depreciation		674278	648070
Bank Charges		1304	846
Total Application		**1196671**	**939257**
Excess of Income over Expenditure		**561947**	**1149915**

Significant Accounting Policies & Notes on Accounts **1 to 11**

As per our Report of even date.

For S. Dad & Co.
Chartered Accountants
F.R.No. 007534C

For Mewar Chamber of Development Trust

Sanjay Dad
Partner
M.No. 076334
Place : Bhilwara
Date : 15/05/2019

Trustee
Surya Prakash Nathany

Trustee
Ram Pal Soni

Notes Forming an integral part of the Balance sheet for the year ended 2018-19

Schedule : '1' Corpus Fund

Particulars	Current Year	Previous Year
Opening Balance	4630526	4630526
Add: Received during the year	-	-
Closing balance	4630526	4630526
Total	**4630526**	**4630526**

Schedule : '2' Surplus account

Particulars	Current Year	Previous Year
Opening Balance	6605590	5455675
Add : Excess of Income over Expenditure during the year	561947	1149915
Less: Income Tax Paid	(24470)	-
Closing Balance	**7143068**	**6605590**

Schedule : '3' Other Fund

Particulars	Current Year	Previous Year
Natural Calamity Fund	549812	549812
Chief Minister Jal Swavlamban Yojna	233000	233000
Total	**782812**	**782812**

Schedule : '4' Other Long Term Liabilities

Particulars	Current Year	Previous Year
Security Deposits Against Shop Rent	223800	223800
Total	**223800**	**223800**

Schedule : '6' Investment

Particulars	Current Year	Previous Year
- Franklin India Blue chip	1516968	1516968
- Franklin India Flexi Cap Fund	100000	100000
- HDFC Top 200 Fund -SIP	210000	210000
- UTI Pharma & Health care	200000	200000
- ICICI Pru Focus Bluechip Equity Fund	229136	229136
- ICICI Pru Focus Bluechip Fund	200000	200000
- Reliance Equity Opportunity Fund	713005	713005
- UTI Pharma & healthcare fund-Growth	1282617	1282617
- Birla Sunlife India Gen next fund	300000	300000
- Birla Sunlife Infra Fund -SIP	250000	250000
- ICICI Pru Balance Fund	857731	857731
- Reliance Growth Fund -SIP	210000	210000
- UTI Equity Fund	800000	800000
- UTI Midccap Fund -SIP	300000	300000
-Birla sunlife MNC Fund	300000	300000
-Relience Pharma Fund	300000	300000
Total	**7769457**	**7769457**

Schedule : '7' Cash & Bank Balances

Particulars	Current Year	Previous Year
Bank Balances		
State Bank of India, Bhilwara	1560771	488054
Central bank of india	140496	4346
Cash Account		
Cash in Hand	1459	1792
Total	**1702726**	**494192**

Schedule : '8' Donation

Particulars	Current Year	Previous Year
Donation from MCCI	-	300000
Donation for Sainik Kalyan	32000	-
Donation for Kerala Refief Fund	137100	-
Total	**169100**	**300000**

Schedule : '9' Expenses on programmes

Particulars	Current Year	Previous Year
Expenses on Programmes		
- Social Welfare Programme	-	36377
Total	**-**	**36377**

Schedule-'5'- Fixed Assets

S.NO.	PARTICULARS	RATE	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK	
			As on 01.04.17	ADDITIONS	DEDUCTIONS	AS AT 31.3.2018	UPTO 31.3.2017	FOR THE YEAR	DEDUCTION	TOTAL	AS AT 31.03.18	AS AT 31.03.17
1	Building	10%	3,155,507		-	3,155,507	2,310,379	315,551	-	2,625,930	529,577	845,128
2	Computers & Printers	10%	146,066		-	146,066	114,514	14,607	-	129,121	16,945	31,552
3	Air Conditioner	10%	1,159,871			1,159,871	115,987	115,987		231,974	927,897	1,043,884
4	Elevator	10%	1,868,415			1,868,415	186,842	186,842		373,684	1,494,732	1,681,574
5	Electric Fitting & Installation	10%	368,113			368,113	31,501	36,811		68,312	299,801	336,612
6	Furniture & Fixtures	10%	44,800			44,800	4,480	4,480		8,960	35,840	40,320
	Depreciation Upto 100%		-			-	-					
7	Xerox Machines	10%	153,636	-	-	153,636	153,635	-	-	153,635	1	1
8	Furniture & Fixtures	10%	423,222	-	-	423,222	423,221	-	-	423,221	1	1
9	Utensils	10%	12,564	-	-	12,564	12,563	-	-	12,563	1	1
10	Water Supply Installations	10%	17,022	-	-	17,022	17,021	-	-	17,021	1	1
11	Overhead Projector	10%	10,127	-	-	10,127	10,126	-	-	10,126	1	1
12	Electric Fitting & Installation	10%	12,590	-	-	12,590	12,589	-	-	12,589	1	1
13	Air Conditioners	10%	308,785	-	-	308,785	308,784	-	-	308,784	1	1
14	DLP Multimedia Projector	10%	63,000	-	-	63,000	62,999	-	-	62,999	1	1
15	Office Equipments	10%	205,362		-	205,362	205,361	-	-	205,361	1	1
	Total		**7,743,718**	**-**	**-**	**7,949,080**	**3,970,001**	**674,278**	**-**	**4,644,279**	**3,304,801**	**3,979,079**
	Previous year' s Figure		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

कपड़ा उद्यमियों के टफ अनुदान का मामला लोकसभा में उठाया

भास्कर संवाददाता | भीलवाड़ा

सांसद सुभाष चंद्र बहेड़िया ने लोकसभा में सोमवार को नियम 377 के तहत ए-टफ योजना में उद्यमियों को मिलने वाले 10 प्रतिशत पूंजी अनुदान की राशि दिलाने की मांग सदन के पटल पर रखी। सांसद प्रतिनिधि राजकुमार आंचलिया ने बताया कि बहेड़िया ने सदन को अवगत कराया कि कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने आर-आर टफ योजना लागू की थी। इसमें 15 प्रतिशत पूंजी अनुदान और ब्याज पर 6 प्रतिशत अनुदान मिलता था। अभी यह योजना ए-टफ के नाम से संचालित हो रही है। इसमें 10 प्रतिशत पूंजी अनुदान का प्रावधान है। लेकिन फंड उपलब्ध नहीं होने से उद्यमियों को इस योजना के अंतर्गत पूंजी अनुदान का भुगतान नहीं हो पा रहा है। सदन के माध्यम से सांसद बहेड़िया ने कपड़ा मंत्री से आग्रह किया कि ए-टफ में पात्र उद्यमियों को 10 प्रतिशत पूंजी अनुदान शीघ्र उपलब्ध कराया जाए।

सांसद बहेड़िया ने रखी समस्या

संसद में उठा यार्न पर जीएसटी का मुद्दा

आयुक्त को बताई रिफण्ड की समस्या

7 को औद्योगिक समस्याओं पर होगी चर्चा

पत्रिका Tue, 05 February 2019

टेक्सटाइल उद्योग को मिलेगी इनपुट क्रेडिट, नोटिफिकेशन जारी किया

भीलवाड़ा | केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एमएसएमई विविंग उद्योग को बहुप्रतिक्षित एक्यूमलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट देने की घोषणा की है। नोटिफिकेशन के अनुसार 1 अगस्त, 2018 से प्राप्त माल पर उत्पादन के बाद शेष बचे एक्यूमलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट पर ही रिफंड दिया जाएगा।

31 जुलाई तक प्राप्त माल के टैक्स पर किसी प्रकार का रिफंड नहीं दिया जाएगा। मेवाड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महासचिव आरके जैन ने बताया कि टेक्सटाइल वर्ग के लिए चैंबर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जून, 2017 से फेब्रिक्स पर एक्यूमलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात को लगातार केंद्रीय वित्त मंत्रालय, राज्य सरकार एवं अन्य सभी संबंधित विभागों में उठाया था। उन्होंने बताया कि यह अधिसूचना जारी होने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल, वित्त सचिव डॉ. हसमुख अधिया, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उद्योग मंत्री का आभार जताया। पीयूष गोयल को भेजे पत्र में 14 जुलाई 2018 को जयपुर में हुई राउंड टेबल चर्चा में एक्यूमलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट को समझाने एवं जीएसटी काउंसिल में इस विषय पर सभी राज्यों की आम सहमति बनाने के लिए आभार व्यक्त करने के साथ ही आईटीसी-04 की अनिवार्यता समाप्त करने एवं टेक्सटाइल पर इंट्रा-स्टेट परिवहन में ई-वे बिल समाप्त करने का आग्रह किया था।

अजमेर-उदयपुर के मध्य जून से दौड़ेगी विद्युत इंजन चलित ट्रेन

वार्षिक निरीक्षण को लेकर पहुंचे महाप्रबंधक, लिया जायजा, दिए निर्देश

आदर्श स्टेशन के तहत होगा आधुनिकीकरण

ट्रेनों के ठहराव को लेकर महाप्रबंधक को सौंपा ज्ञापन

जीएसटी पर जयपुर में कार्यशाला, भीलवाड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने रखा पक्ष

टेक्सटाइल उद्योग में इन्ट्रास्टेट ई-वे बिल की अनिवार्यता हो सकती है समाप्त

सीएम व केन्द्रीय मंत्री ने सुनी समस्या

विविंग उद्योग पर संकट

लघु उद्योग भारती ने भी रखी मांग

जीएसटी को सरल बनाने के लिए अब तक 339 संशोधन

मैगा क्लस्टर को लेकर अधिकारियों की टीम ने तलाशी संभावनाएं

समय रहते दिखाएं रूचि वरना अन्य राज्य में स्थानांतरित होगा पावरलूम क्लस्टर

औद्योगिक संगठनों ने मांगा और समय

नई औद्योगिक नीति पर आज जयपुर में चर्चा

देश के विकास में बैंकर का महत्वपूर्ण योगदान

मर्चेन्ट निर्यातकों को आरक्षित दर से भूखंड आवंटन की मांग

चार दर्जन से अधिक मर्चेन्ट निर्यातक कर रहे निर्यात कारोबार

बैठक - प्रदेश की नई औद्योगिक नीति के लिए जयपुर में आयोजित बैठक में भीलवाड़ा के उद्यमियों ने दिए सुझाव

उद्यमियों ने मांगी सस्ती बिजली और नए उद्योगों के लिए जमीन

राजसिको चेयरमैन ने दिया सरकारी मदद का आश्वासन

पेटकॉक पर बैन से राज्य का कपड़ा उद्योग पिछड़ा, अदालत में रखें पक्ष : लोहिया

पत्रिका Fri, 03 August 2018

प्रतिनिधिमण्डल ने की उद्योग मंत्री से मुलाकात

भीलवाड़ा/ मेवाड़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री एवं भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के संयुक्त प्रतिनिधिमण्डल ने मंगलवार को राज्य के उद्योगमंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत से मुलाकात कर राज्य सरकार की 20 मई 2018 से लागू की गई ई-वे बिल व्यवस्था को युक्ति संगत करने का आग्रह किया एवं यार्न एवं कपड़े को पूर्ण रूप से ई-वे बिल मुक्त करने का आग्रह किया। मंत्री महोदय को बताया कि गुजरात सरकार ने अपने प्रदेश में 19 वस्तुओं के अलावा सभी वस्तुओं को ई-वे बिल से मुक्त कर दिया है, जिसमें कपड़ा भी सम्मिलित है। इसी तरह मध्यप्रदेश सरकार ने केवल 11 वस्तुओं के अलावा सभी वस्तुओं को ई-वे बिल व्यवस्था मुक्त कर दिया है, जिसमें कपड़ा एवं यार्न भी शामिल है। प्रतिनिधिमण्डल ने विस्तार से बताते हुए कहा कि राजस्थान में भी यार्न एवं कपड़े से संबंधित सभी वस्तुओं एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को ई-वे बिल से मुक्त करना अत्यन्त आवश्यक है। मंत्री महोदय ने प्रतिनिधिमण्डल के विभिन्न बिन्दुओं को गम्भीरतापूर्वक सुना एवं शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया।

चेम्बर के मानद महासचिव श्री आर के जैन ने बताया कि भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की ओर से भीलवाड़ा में मेगा पावरलूम क्लस्टर के विकास के लिए पूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं। इस संबंध में नये क्लस्टर मैनेजमेन्ट एवं टेक्निकल एजेन्सी नियुक्त करने के लिए नये स्वरूप में पुनः टेण्डर जारी किये गये हैं। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने 26 दिसंबर 2017 को CMTA के लिए EOI टेण्डर जारी किये गये थे। BID का समय अभी तक चार बार बढ़ाया जा चुका है, लेकिन किसी भी एजेन्सी ने भीलवाड़ा में इसके रूप में कार्य करने में अपनी रुचि नहीं दिखाई है। बार-बार टेण्डर की तारीख बढ़ाने के बावजूद भी किसी भी एजेन्सी ने आवेदन नहीं किया है। मेवाड़ चेम्बर के ... पर भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 28.06.2018 कर दी है। इस विषय को गम्भीरता से लेते हुए इसके लिए राज्य सरकार के स्तर पर आवेदन करवाने के प्रयास के साथ ही नेशनल हाईवे के पास लगभग 100 हेक्टर भूमि चिन्हित करने का आग्रह किया ... के लिए त्वरित कार्यवाही का अनुरोध किया। अन्यथा राजस्थान से मेगा पावरलूम क्लस्टर अन्य प्रान्त में स्थानान्तरित हो जाएगा। प्रतिनिधिमण्डल में मेवाड़ चेम्बर के पूर्वाध्यक्ष श्री एस एन मोदानी, श्री बी के सोडानी एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री जे के बागडोदिया, मानद महासचिव श्री आर के जैन, संयुक्त सचिव श्री के के मोदी, कोषाध्यक्ष श्री वी के मानसिंहका के साथ चेम्बर के वरिष्ठ सदस्य श्री राजीव मुछाला, श्री पुष्पेन्द्र बेसवाल, श्री मुकेश पाटोदिया, श्री सुरेश पोद्दार एवं भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन की ओर से श्री रामेश्वर काबरा, श्री कृष्णसिंह राठौड़ आदि उपस्थित थे। मेवाड़ चेम्बर के प्रतिनिधिमण्डल ने ई-वे बिल व्यवस्था के संबंध में राज्य के वाणिज्यकर आयुक्त श्री आलोक गुप्ता से मुलाकात कर यार्न, कपड़ा एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को ई-वे बिल व्यवस्था से मुक्त करने का आग्रह किया। प्रतिनिधिमण्डल को श्री आलोक ने कहा कि मेवाड़ चेम्बर की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर ...

मेवाड़ चेम्बर में 'जिन्दगी में सफलता कैसे प्राप्त करें' पर कार्यशाला सम्पन्न

मेवाड़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स सहित राज्य के नौ औद्योगिक संगठन सम्मानित

जीएसटी राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित

राज्य स्तरीय समारोह में सम्मान ग्रहण करते एमसीसीआई प्रतिनिधि। -जागरण

आईटीसी रिफंड प्रावधानों की समझाई बारीकियां, उद्यमियों की जिज्ञासाओं का किया समाधान

कार्यशाला आयोजित

सिंगल ड्यूटी स्ट्रेक्चर लागू कराना चेम्बर का मुख्य उद्देश्य

जयपुर मंगलवार 11 सितम्बर, 2018 | 3

'उद्योगों को बढ़ावा देने में मेवाड़ चैंबर अग्रणी'

जीएसटी की विसंगतियों में सुधार के लिए भेजे 176 प्रतिवेदन

आयोजन • बैंकर्स क्लब एवं मेवाड़ चैंबर के सदस्यों की संपर्क बैठक में आए सेंट्रल बैंक के पूर्व निदेशक

उद्योगों की प्रगति में बैंकर्स का महत्वपूर्ण योगदानः लोढ़ा

मेवाड़ चेम्बर ने मनाया दीपावली स्नेह मिलन समारोह

भीलवाड़ा (निसं.)। मेवाड़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री की ओर से गुरुवार को दीपावली स्नेह मिलन का मनाया गया। मेवाड़ चेम्बर के अध्यक्ष दिनेश नौलखा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जेके बागडोदिया, मानद महासचिव आरके जैन, संयुक्त सचिव केके मोदी, कोषाध्यक्ष विनोद मानसिंहका ने स्नेह मिलन में जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों, शहर के प्रबुद्ध नागरिकों एवं मेवाड़ चेम्बर के सदस्यों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। स्नेह मिलन में पूर्वाध्यक्ष आरएल नौलखा, एके दुग्गड़, एसएन मोदानी, बीके सोडानी, एमजी गगरानी, डॉ. पीएम बेसवाल, जेसी लड्ढा, अनिल मानसिंहका, पूर्व मानद महासचिव एसपी नाथानी, सीए अतुल सोमाणी, दिलीप गोयल, नियंत्रक पुष्पेन्द्र बेसवाल, राजीव मुछाला, स्पिनर्स से दीपक अग्रवाल, आनन्द मंगल, ... लड्ढा, टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के अतुल शर्मा, ऑटोमोबाइल मशीनरी डीलर्स एसोसियेशन के श्याम ... एवं सुमित जागेटिया, टेक्सटाइल एजेन्ट एसोसियेशन के के सी ..., दी क्लोथ मर्चेन्ट एसोसियेशन के पीआर ..., वरिष्ठ सदस्य ..., रामस्वरूप अग्रवाल, सुरेश पोद्दार, जी सी जैन, आर पी ..., करण सिंह ..., डीएम भटनागर सहित प्रबुद्ध नागरिक मौजूद थे।

जीएसटी के बाद राज्य का पहला बजट 12 को

उद्यमी चाहते हैं, जीएसटी में शामिल हों रिप्स

भीलवाड़ा PLUS

यह चाहते हैं कारोबारी

प्रदेश में प्रदूषण मुक्त हो उद्योग

उद्यमियों को नहीं मिल रही जमीन

मण्डी शुल्क से मिले छुटकारा

पत्रिका Thu, 08 February 2018 epaper.patrika.com//c/26142517